HSC (N)-223

प्रसार सेवा प्रबंधन

EXTENSION SERVICE MANAGEMENT

स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

HSC (N)-223

प्रसार सेवा प्रबंधन
Extension Service Management

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

तीनपानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी-263139

फोन नं. 05946- 261122, 261123

टोल फ्री नं. 18001804025

फैक्स नं. 05946-264232, ई-मेल: info@uou.ac.in

http://uou.ac.in

अध्ययन बोर्ड				
प्रोफेसर पी० डी० पन्त , निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर लता पाण्डे विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग डी0बी0एस0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर दीक्षा कपूर प्राध्यापक, पोषण विज्ञान विभाग सतत् शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रोफेसर मनीषा गहलौत प्राध्यापक, वस्त्र एवं परिधान विभाग गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	
डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रीति बोरा सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मोनिका द्विवेदी सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 ज्योति जोशी सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 पूजा भट्ट सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

पाठ्यक्रम संयोजक	**पाठ्यक्रम संपादन**
डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

इकाई लेखन	
डॉ० दीपिका वर्मा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड इकाई : 4	बी0 ए0 गृह विज्ञान HSC- 202 एवं एम0ए0 गृह विज्ञान MAHS-15 से लिया गया इकाई : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

ISBN-

समस्त लेखों/पाठों से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद के लिए जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कॉपीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
प्रकाशन वर्ष: 2025

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139 (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रसार सेवा प्रबंधन

Extension Service Management

HSC (N)-223

खण्ड	इकाई	पृष्ठ संख्या
I प्रसार, सामुदायिक विकास और प्रबंधन	इकाई 1: विकास के लिए प्रसार शिक्षा	2-22
	इकाई 2:प्रसार और संचार के तरीके	23-38
	इकाई 3: सामुदायिक संगठन और विकास	39-57
	इकाई 4: प्रसार सेवाओं का प्रबंधन	58-88
II कार्यक्रम योजना प्रक्रिया	इकाई 5: कार्यक्रम योजना	90-107
	इकाई 6: कार्यक्रम विकास प्रक्रिया और नेतृत्व	108-133
	इकाई 7: प्रसार प्रबंधन और मूल्यांकन	134-156
	इकाई 8: प्रसार कार्यक्रमों का मूल्यांकन	157-175
III प्रसार सेवाएं और ग्रामीण विकास कार्यक्रम	इकाई 9: भारत में प्रसार सेवाएं	177-201
	इकाई 10: ग्रामीण विकास कार्यक्रम	202-221
	इकाई 11: सतत विकास के लिए कार्यक्रम	222-238
	इकाई 12: पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा एवं नीति आयोग	239-268

खण्ड 1

प्रसार, समुदायिक विकास और प्रबंधन

इकाई 1: विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 प्रसार शिक्षा
1.3.1 प्रसार शिक्षा की परिभाषा
1.3.2 उद्धेश्य
1.3.3 दर्शन
1.3.4 सिद्धांत
1.3.5 प्रसार शिक्षा एवं कृषि विकास
1.3.6 प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान
1.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम
1.5 सारांश
1.6 पारिभाषिक शब्दावली
1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1.9 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

भारत गांवों का देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। अतः कृषि तथा कृषि से सम्बंधित उद्योग धन्धों को विकसित करना, कुटीर उद्योगों को स्थापित करना, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव विकास से विशेषकर ग्रामीण लोगों के विकास से है। इस कारण ग्रामीण विकास से सम्बंधित सभी क्षेत्रों से इसका गहरा सम्बन्ध है तथा सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से तो ग्रामीणों के विकास से सम्बंधित है, परन्तु परोक्ष रूप से राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रसार शिक्षा द्वारा कृषकों को उनके घर या खेत में ही उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। खेती के अलावा कृषक कृषि पर आधारित उद्योग धंधों को विकसित कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा का

कार्यक्षेत्र न केवल कृषकों के लिए है बल्कि गृहिणियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। घर- परिवार के सदस्यों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था करना, बच्चों की देखभाल करना, महिलाओं को समय तथा संसधानों को सही इस्तेमाल करना आना इत्यादि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महिलाओं के योगदान को कदापि नाकारा नहीं जा सकता है। ग्रामीण समाज के उत्थान को दृस्तिगत रखते हुए सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत की गयी जिसमें महिलाओं का भी सहयोग लिया गया। इस इकाई के अंतर्गत हम प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा की कृषि विकास तथा गृह विज्ञान में उपयोगिता के बारे में जानेंगे। साथ से यह भी जानेंगे की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धान्त तथा मूलदर्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्धयन के पश्चात् आप:

- प्रसार शिक्षा को समझ पायेंगे।
- प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- प्रसार शिक्षा के कृषि में महत्वता को जानेगें।
- प्रसार शिक्षा की गृह गृह विज्ञान में भूमिका तथा गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं सिद्धांत तथा मूलदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

आइये इकाई की शुरुआत प्रसार शिक्षा से करते हैं।

1.3 प्रसार शिक्षा

प्रसार शिक्षा के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं की प्रसार और शिक्षा से क्या आशय है।

प्रसार

प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है- प्रसार तथा शिक्षा. प्रसार अंग्रेजी के शब्द ‘Extension” का ही हिंदी रूपांतर है. Extension शब्द लैटिन भाषा के शब्द ‘Ex’ तथा ‘Tensio’ से मिलकर बना है. ‘Ex’ का अर्थ है ‘out’ (बाहर) तथा ‘Tensio’ का अर्थ है ‘फैलाना’ (To spread), विस्तार करना (To extend), विस्तृत करना (To disseminate).

प्रसार का अर्थ शाब्दिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है फैलाना अर्थात अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना या अधिक से अधिक लोगों तक किसी जानकारी को पहुँचाना।
व्यहवारिक रूप से तात्पर्य है की कृषि, घर और मनुष्यों के जीवन का विकास करने के लिए जो भी कार्य सरकार और जनता के सहयोग से किया जाए उसे प्रसार कार्य कहते हैं।

प्रसार के लक्ष्य

1) जनता के ज्ञान में परिवर्तन
2) कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन
3) कार्य करने के ढंग में परिवर्तन
4) जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन इत्यादि

The word education comes from the latin word e-ducere meaning “to lead out”. Education is the process of bringing desirable change into the behavior of human beings.

शिक्षा

शिक्षा शब्द की लैटिन शब्द “ई-डूसेरे” (e-ducere) से होती है जिसका अर्थ है "बाहर निकलना" या “विकसित करना” । शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।

फ्रॉब्रेल के अनुसार, “शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है।”

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।”

धामा और भटनागर (Dhama and Bhatnagar) अनुदेश के अनुसार, “शिक्षा या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

रॉय: शिक्षा व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है ताकि वे अपनी परिस्थिति पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे सकें।

गी. एच. थॉमसन: शिक्षा से मेरा आशय वातावरण के उस प्रभाव से है जो कि व्यक्ति में उसके व्यव्हार, विचार तथा आचरणों की आदतों में स्थायी परिवर्तन लाता है।

लोके (Locke) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है की पौधे खेतों द्वारा विकसित किये जाते हैं और मनुष्य शिक्षा द्वारा। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पौधों के उचित बढ़ाव के लिए उपजाऊ खेत,

खाद, सिंचाई इत्यादि समय पर चाहिए वैसे ही मनुष्य के विकास के लिए भी अच्छी एवं उचित शिक्षा अति आवश्यक है।

1.3.1 प्रसार शिक्षा की परिभाषा

प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विधालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाति है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली है जो मुख्य रूप से ग्रामीणों को दी जाती है. यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कही कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं है और न ही किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बंधकर दी जाती है। यह शिक्षा द्वारा ग्रामीण अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृतियों में परिवर्तन कर अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए विस्तार का अर्थ है कृषि और गृह-अर्थव्यवस्था में शिक्षा। यह शिक्षा व्यावहारिक है जिसका लक्ष्य फार्म और घर में सुधार लाना है।

दी. एन्स्मिनगेर (D. Ensminger)

प्रसार एक प्रकार का वह कार्यक्रम एवं पद्धति है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता की सहायता इस उद्देश्य से की जाती है की वे अपनी सहायता स्वयं कर सकें, अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सफल हो सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (F.A.O.)

प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए एक प्रकार की शैक्षिक सहायता है, जिससे वे अपने रहन-सहन के स्तर में विकास लाने के उन्नतिशील तरीकों को समझ सकें तथा उन्हें अपना सकें।

केल्से और हर्ने (Kelsay and Hearne)

प्रसार स्कूल के बाहर की शिक्षा पद्धति है, जिसमे व्यस्क तथा युवा पुरुष कार्य करके सीखते हैं। यह सरकार, लैंड ग्रांट कॉलेज तथा जनता के बीच सहयोगात्मक सम्बन्ध है, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है।

लीगन्स के अनुसार

प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें अनुसन्धान से विषय सामग्री ली गयी है, क्षेत्र अनुभव और सम्बंधित व्यवाहरिक सिद्धान्तों को सम्मिलित करके एक ऐसी विधि को निकाला गया है जिससे वयस्कों और युवापुरुषों की स्कूल से बहार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है।

धामा (Dhama) के अनुसार

धामा के अनुसार प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों से शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली के क्षेत्र में निरंतर विकास की दिशा में काम करना। इसकी सहायता से ग्रामीण और शहरी पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में वैज्ञानिक तथ्यात्मक और तात्विक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और उन्हें अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे वह अपनी विशेष स्थानीय स्थिति में उचित निर्णय ले सकें।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि "प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो ग्रामीण मनुष्य के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, एवं मनोवृति में एक वांछित परिवर्तन लाती है जिससे की वह अपना सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्तर ऊँचा कर सकें"

1.3.2 उद्धेश्य

प्रसार शिक्षा का उद्देश्य:

नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है।

प्रसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1) अधिक उत्पादन और उचित बिक्री व्यवस्था के द्वारा किसानों की वास्तविक आय को बढ़ाना।
2) ग्रामीण मनुष्यों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना।
3) ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना।
4) ग्रामीण मनुष्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों की सुविधा बढ़ाना।
5) ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना।
6) ग्रामीण मनुष्यों में स्वयं पर निर्भर होने की भावना का विकास करना।
7) ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना।
8) ग्रामीण मनुष्यों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना।
9) ग्रामीण मनुष्यों मैं नागरिकता की भावना विकसित करते हुए अपने देश व समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
10) ग्रामीण युवकों को विकास कार्यो के लिए प्रशिक्षण देना।

1.3.3 दर्शन

प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु 'मानव' है। इसका उद्धेश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मनोवृति में परिवर्तन लाकर रहन-सहन के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। प्रसार शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, दर्शन सभी कुछ मानव के चहुमुखी विकास के लिए हैं।

केल्यसे और हर्ने (Kelsey and Hearne) ने दर्शन की परिभाषा निम्नानुसार दी है, "प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित है जिसमें ग्रामीण जनता तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तरोत्तर तरक्की हेतु प्रेरित किया जाता है।

मिल्ड्रेड होर्टन (Mildred Horton) ने प्रसार के चार सिद्धांत बताये हैं जो इसका दर्शन कहलाता है। ये सिद्धांत हैं-

1) प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है।
2) किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई घर है।
3) मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह परिवार है।
4) किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि (खेत) के बीच साझेदारी आवश्यक है।

एसमिंजर (Ensminger) (1962) ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया है।

1) यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। प्रसार मनुष्य के ज्ञान, अभिवृति और कौशल में परिवर्तन किया जाता है।
2) प्रसार एक निरंतर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है।

3) प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर कार्य करता है।
4) प्रसार 'करके सीखो' व 'देखकर विश्वास करो' के आधार पर कार्य करता है।
5) प्रसार एक दोहरी प्रक्रिया है।
6) यह लोगों के संस्कृति के साथ तारतम्य बिठाकर काम करता है।
7) प्रसार लोगों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण तथा ख़ुशी के लिए कार्य करता है।
8) प्रसार शिक्षा पुरुष, स्त्री, युवा, प्रौढ़ सभी लोगों के साथ काम करता है तथा उनकी आवश्यकताओं एवं जरूरतों के मुताबिक कार्यक्रम बनता है। यह लोगों को शिक्षित करता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है तथा उनकी पूर्ति कैसे की जानी चाहिए।

ओ० पी० धामा *(*1965) के अनुसार प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया है।

1) आत्मसहायता।
2) मनुष्य सबसे बड़ा साधन है।
3) यह एक सामुदायिक प्रयास है।
4) यह गणतंत्र की आधारशिला पर आधारित है।
5) इसमें ज्ञान एवं अनुभव के दो रास्ते हैं।
6) कार्यक्रम, देखने और करने द्वारा रूचि उत्पन्न करने पर आधारित है।
7) कार्यक्रम में नेतृत्व की विकास तथा ऐच्छिक सहकारिता को आधार मन जाता है।
8) मनुष्यों को शिक्षित बनाना एवं समझाना।
9) कार्यक्रम मनुष्यों की मनोवृति और आस्थाओं पर आधारित है।
10) यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।

1.3.4 सिद्धांत

प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उन कार्यों को करने से है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रसार सिद्धांत सरल, सरस, उपयोगी, शिक्षात्मक तथा नैतिक होते हैं। सामान्यत: प्रसार सिद्धांत निम्नांकित हैं

1) **रूचि तथा अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत**: प्रसार कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है की यह लोगों की रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय लोगों की आवश्यकता का पता लगाना चाहिए, ऐसा करने से लोगों में रूचि पैदा होगी।
2) **सहभागिता एवं सहयोग का सिद्धांत**: किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए 'लोगों की सहभागिता' और 'सहयोग' अत्यावश्यक है। प्रसार शिक्षा दो तरफ़ा शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी, दोनों को ही परस्पर मिल-जुलकर एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करना होता है। अकेला न तो ग्रामीण जनता समस्याओं का समाधान कर सकती है न ही प्रसार प्रशिक्षक

उन्हें जबरदस्ती किसी चीज के बारे में बता सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही लोगों की सहभागिता एवं सहयोग भी आवश्यक है। लोगों को यह आभास होना चाहिए की यह हमारा कार्यक्रम है, हमारे लिए है, तथा इसे सफल बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी जरुरी है।

3) **सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत**: भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ, रीति- रिवाज, खान-पान, धर्म, परम्पराएं अर्थात् सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यक्षेत्र तथा वहां रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक सांस्कृतिक विभिन्नता को जानना जरुरी है।
4) **व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत**: प्रसार शिक्षा प्रजातांत्रिक सिद्धान्त तथा व्यावहारिक विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रणाली है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी, दोनों ही सामान रूप से सीखने- सीखाने के क्रिया में भाग लेते हैं। वास्तविक स्थिति पर लोगों के साथ विचार किया जाता है, जिसमें सभी लोगों की कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रसार कार्यकर्ता वैज्ञानिक खोजों को नवीन रूप देता है जिससे ग्रामीण जनता उसे अपना सके और अपना जीवन- यापन बेहतर कर सके।
5) **करके सीखने का सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अनुसार ग्रामीणों को स्वयं करके तथा स्वयं भाग लेकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब व्यक्ति किसी काम को स्वयं करता है तो उसका उसे व्यावहारिक ज्ञान भी होता है तथा उन्हें करने में होने वाली कठिनाइयों का भी अनुभव होता है। इन्हीं कठिनाइयों को प्रसार कार्यकर्ता उन्हें समझा सकता है इससे ग्रामीणों को सीधा अनुभव प्राप्त होता है।
6) **प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत**: ग्रामीणों की समस्या किसी एक विषय से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक नहीं है की प्रसार कार्यकर्ता को सभी विषयों की पूर्ण जानकारी हो क्योंकि वह सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं होता। इसलिए वह आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित विशेषज्ञों को ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलवाता है।
7) **प्रसार शिक्षण विधि में अनुकूलन का सिद्धांत**: प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किया जाना जरुरी है। एक शिक्षण विधि जो किसी खास लोगों के लिए उपयोगी है, वही शिक्षण विधि दूसरे लोगों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जिससे वह स्थिति व ग्रामीण जनता की विशेषताओं के अनुसार प्रसार विधियों का चयन कर सके। शिक्षण विधियों मों लचीलापन होना चाहिए ताकि विभिन्न आयु, शिक्षा, आर्हिक दशा, लिंग आदि के आधार पर लोगों के लिए उपयोग किये जा सके।

शोधों में यह भी सिद्ध हुआ है की लोगों को सीखाने के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग अधिक लाभदायी नहीं है। बल्कि एक-से-अधिक विधि का चयन करना चाहिए। जब प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय स्थितियों तथा ग्रामीणों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का चयन करतें है तो उन कार्यक्रमों की सफलता तथा उनमे दी गयी जानकारियों को अपनाने की उम्मीद ज्यादा रहती है।

8) **नेतृत्व का सिद्धांत**: प्रसार सिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग व सहभागिता आवश्यक है। स्थानीय नेता गाँव में नये विचारों को फ़ैलाने का सबसे उत्तम साधन हैं। ग्रामीण लोग अपने नेता पर पूरा विश्वास करता हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा उचित नेता का चयन करना बहुत जरुरी है। प्रसार कार्यकर्ता गाँव के प्रभावशाली लोगों से चर्चा करके अच्छे नेता की पहचान करे और उन्हें प्रशिक्षित करें।
9) **पूर्ण परिवार का सिद्धांत**: प्रसार शिक्षा का सिद्धांत 'केवल एक व्यक्ति का विकास' करना नहीं है अपितु पूरे परिवार का विकास करना है क्योंकि परिवार ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना में परिवार 'केंद्र' में है। अतः केंद्र का ध्यान रखना जरुरी है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत यदि कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर बनाये गए हैं तो वे निश्चित ही सफल होंगे।
10) **संतुष्टि का सिद्धांत**: मनुष्य जीवित प्राणी है, उसमे भावनाएं हैं, सोच-समझ है, बुद्धि है। अतः वे दिल- दिमाग से संतुष्ट होंगे तभी कार्यक्रम में भाग लेंगे। नवीन जानकारियों को अपनाएंगे। जब ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे तभी वे अगली बार भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे अन्यथा वे कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देंगे।
11) **मूल्यांकन का सिद्धांत**: एक निश्चित समय के बाद प्रसार कार्यों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है इससे कार्यक्रम की अच्छाई व कमियों का पता चलता है जिससे समय सहते कार्यक्रम में बदलाव किया जा सके।
12) **तटस्थता का सिद्धांत**: प्रसार कार्यकर्ता को कभी भी स्थानीय राजनीति में समिल्लित नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता को तटस्थ रहना चाहिए अर्थात उसे किसी के प्रति विशेष रूचि तथा द्वेष नहीं रखना चाहिए।
13) **प्रोत्साहन का सिद्धांत**: प्रसार कार्य में प्रोत्साहन के सिद्धांत का बहुत महत्व है। दबाव से कोई प्रसार कार्य नहीं हो सकता है। इसके लिए कार्य में सक्रीय लोगों की पहचान कर उन्हें प्रोत्सहित करना चाहिए जिससे की वे उत्साह से प्रसार कार्य में निरंतर सक्रीय रहें।

1.3.5 प्रसार शिक्षा एवं कृषि विकास

कृषि प्रसार शिक्षा में किसानों, पशुपालकों इत्यादि को समय-समय पर कृषि में होने वाले बदलावों, उन्नत बीजों, प्रभावी कीटनाशकों, उर्वरकों, कम्पोस्ट खाद, उन्नत कृषि उपकरणों, पशुओं की

देखभाल, पशुओं की मौसमी बीमारियों से बचाओ के तरीके आदि के बारे में बताया जाता है तथा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कृषि विस्तार सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि पद्धतियों से सम्बंधित सूचना ,ज्ञान और कौशल किसानों को विभिन्न चैनलों के माधयम से संप्रेषित किए जाते हैं। कृषि विस्तार का प्राथमिक लक्ष्य कृषक परिवारों को तेजी से परिवर्तित होती सामाजिक ,राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को धयान में रखते हुए उनके उत्पादन और विपणन सम्बंधित रणनीतियों को उनके अनुकूल बनाने में सहायता करना है ताकि वे आगे चलकर अपनी निजी तथा समुदाय की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें।

कृषि क्षेत्र में, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता यह अवधारित करती है कि किस प्रकार उत्पादन कारकों अर्थात मृदा ,जल और पूंजी का उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान का सृजन करने और उसका प्रसार करने ,तथा कृषकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कृषि विस्तार केन्द्रीय भूमिका निभाता है। अतः विस्तार अधिकांश विकास परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1.3.6 प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान

गृह विज्ञान

गृह विज्ञान कलात्मक विज्ञान का विषय है जिसमे विज्ञान के साथ-साथ कला की पढ़ाई करवायी जाती है। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार विज्ञान एवं पोषण, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, गृह विज्ञानं तथा प्रसार शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है। जहाँ आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान वैज्ञानिक विषय हैं वहीँ मातृ कला एवं शिशु कल्याण, वस्त्र सिलाई-कटाई एवं कढ़ाई, गृह प्रबंध कला का विषय है।

राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भी अहम् भूमिका है. भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब महिलाएं सुशिक्षित, समझदार, दूरदर्शी, व्यवस्थित, कर्त्तव्यनिष्ठ होंगी तो राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञानं का योगदान निम्नानुसार है:

1) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में
2) पोषण के क्षेत्र में
3) स्वास्थ्य के क्षेत्र में
4) भोज्य पदार्थ के परिक्षण एवं संचयन में
5) रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में
6) बाल शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के विकास में
7) रोज़गार के क्षेत्र में

8) पर्यावरण संरक्षण में
9) जनसंख्या नियंत्रण में

गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य

गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को इस योग्य बनाना है की वे घर तथा परिवार की स्थिति में सुधार लायें, जिससे उनका जीवन- स्तर एवं रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके.

गृह विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य:

१) गृहिणियों के सर्वांगीण विकास में मदद करना: प्रसार शिक्षा द्वारा गृहिणियों को घर के कार्यों को बेहतर तथा वैज्ञानिक तरीके से करना सिखाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को अर्थोपार्जन के लिए खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसके अंतर्गत उन्हें पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, इत्यादि के बारे में बताया जाता है। घर में ही छोटे उद्योगों को स्थापित करने में भी उनकी मदद की जाती है जिसके अंतर्गत उन्हें बड़ी, पापड़, मंगोड़ी, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के शरबत, आलू चिप्स आदि बनाना सिखाया जाता है।
२) गृहिणियों को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना सिखाना: ग्रामीण महिलाओं को उनके आस-पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके धनोपार्जन के तरीके बताये जाते हैं।
३) वैज्ञानिक तरीकों से घेरलू कार्यों को करना।
४) कम से कम धन व्यय करके एवं अल्प संसाधनों में जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोग करना।
५) ग्रामीण महिलाओं का सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं तथा संगठनो के साथ संपर्क स्थापित करवाना: गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनो से संपर्क स्थापित करवाने में मदद करवाते हैं। जिससे ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थाओं से मदद ले सकें।
६) ग्रामीणों की पुरानी सोच, रूढ़िगत कार्यप्रणालियों एवं कार्यकुशलता में सुधार लाकर, नवीन अविष्कारों/ उपकरणों/ विचारों/ तथ्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 1

सही/ गलत बताइए

१. Extension शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है।

२. प्रसार शिक्षा स्कूल के बहार दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा है।

३. प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को केवल शिक्षा प्रदान करना है।

४. प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

५. ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना भी प्रसार शिक्षा का हिस्सा है।

1.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

देश और विदेशों के अनुभवों तथा वित्तीय आयोग (1949) की सिफारिशें और अधिक खाद्य जांच समिति (1952) की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत २ अक्टूबर 1952 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म दिवस में उनकी स्मृति में राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ.

1952 में प्रारंभिक चरण में 3 ब्लॉकों में 55 सामुदायिक परियोजनाएं थीं। प्रत्येक सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लगभग 300 गांवों, 450-500 वर्ग मीटर के क्षेत्र और लगभग 2 लाख की आबादी को शामिल किया गया। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र को तीन विकास खंडों में विभाजित किया गया।

एक विकास ब्लॉक में लगभग 150-170 वर्ग मीटर के लगभग 100 गांव शामिल थे और लगभग 60-70 हजार की आबादी होती है। प्रत्येक ब्लॉक को प्रत्येक 5-10 गांवों के समूह में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ऐसे समूह ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) के लिए संचालन के क्षेत्र का निर्माण किया जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बुनियादी स्तर का विस्तार पदाधिकारी था।

सामुदायिक विकास का अर्थ

सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है: (१) समुदाय तथा (२) विकास

1.4.1 समुदाय

एक निश्चित भोगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तिओं के समूह को समुदाय कहते हैं जिनका खान-पान, रहन- सहन, रीति रिवाज़, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है. वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद करके सामुदायिक भावना से आत्म- निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं. इस प्रकार एक समुदाय में निम्नांकित बातें दृस्तिगोचार होती हैं.

1) एक निश्चित भोगोलिक क्षेत्र
2) व्यक्ति का समूह
3) सामुदायिक भावना
4) आत्म-निर्भरता

इसे निम्न- बॉक्स में दर्शाया गया है-

निश्चित भूभाग- लोगों का समूह- सामुदायिक भावना- आत्म निर्भरता = समुदाय

धामा और भटनागर: समुदाय उन लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक जीवित रहने के उद्देश्य के लिए एक-दूसरे में रुचि रखते हैं।

धामा के अनुसार एक समुदाय की चार विशेषताएं हैं:

1) समुदाय सामाजिक अंतरंग द्वारा एक साथ बाध्य संस्थाएं हैं. (Communities are close-knit entities.
2) उनके रिवाज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. (Their customs are inter-related)
3) इन समुदायों में मिश्रित उप-समूह संबंध होते है. (These communities are complexes of sub-group relationship)
4) समुदाय के भीतर एक स्पष्ट नेतृत्व होता है (There is a discernible leadership within the community)

1.4.2 विकास

सामान्यतः वृदि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे- धीरे परन्तु क्रमिक होता है। समुदाय की दृष्टी से देंखे तो विकास का अर्थ है- सामाजिक संबंधों के उन निश्चित दशाओं में वृदि लाना जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृदि हो। अर्थात् ‘‘निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम-दर-कदम बढाना ही विकास कहलाता है।

इ। बी। हुर्लोक (E।B। Hurlock) ने विकास की परिभाषा निम्नानुसार दी है-

विकास क्रमिक और सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला को संदर्भित करता है। प्रगति दर्शाती है कि परिवर्तन दिशात्मक हैं और पिछे की बजाय आगे की तफफ होता हैं। "क्रमशः" और "सुसंगत" से पता चलता है कि हो गये या होने वाले बदलावों के बीच एक निश्चित संबंध है।

इस परिभाषा में मुख्य रूप से तीन शब्दों पर बल दिया गया है- (1) Progressive (प्रगतिशील), (2) Orderly (क्रमिक- कदम-दर-कदम), (3) Coherent (समनुगत)

(१) Progressive (प्रगतिशील): प्रगतिशील से तात्पर्य है की विकास सदैव आगे की तरफ होता है न की पीछे की तरफ। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरुप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है।

(२) Orderly (क्रमिक): क्रमिक का अर्थ है की विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में अवश्य ही कोई-न-कोई क्रम रहता है।

(३) Coherent (समनुगत): समनुगत से आशय है की परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता। अपितु हरेक परिवर्तन के बीच कोई-न-कोई सम्बन्ध अवश्य ही रहता है।

1.4.3 सामुदायिक विकास की परिभाषा

धामा और भटनागर:

सामुदायिक विकास एक समान क्षेत्र में एक साथ रहने वाले लोगों के समूह जिनके एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र संबंध है की संभावित क्षमताओं और गुणों को आगे लाता है।

कार्ल टेलर

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमे ग्रामीण जनता अपने सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा इस प्रकार वे राष्ट्रीय विकास में एक प्रभावशाली कार्यक्रम समूह की तरह कार्य करते हैं।

मैमोरिया के अनुसार

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के नैतिक विचार में परिवर्तन लाना है, ताकि वे रूढ़िगत परम्परागत जीवन से आधुनिक जीवन में ढल सकें, तथा अपने जीवन को जीने योग्य बना सके।

योजना आयोग

सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्वतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके। यह ग्रामीण लोगों के कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रम के लिए प्रगति का आन्दोलन है।

सयुंक्त राष्ट्र (1956)United Nations (1956)

सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के प्रयास खुद सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एकजुट हो जाते हैं ताकि सरकारी समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार हो सके, तथा इन समुदायों को एकीकृत कर उन्हें राष्ट्रीय प्रगति के लिए पूरी तरह योगदान करने के लिए सक्षम किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन (1957) The International Cooperation Administration

सामुदायिक विकास सामाजिक क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय के लोग खुद को नियोजन और कार्रवाई के लिए संगठित करते हैं, उनकी आम और व्यक्तिगत जरूरतों और समस्याओं को

परिभाषित करते हैं, उनकी सामूहिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने की योजना बनाते हैं, इन योजनाओं को अंजाम देने हेतु सामुदायिक संसाधनों पर अधिकतम निर्भरता रखते हुये आवश्यक होने पर समुदाय के बाहर सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से सेवाओं और सामग्रियों के रूप में सहायता लेते है।

मुखर्जी (1967)

सामुदायिक विकास change की वह प्रक्रिया है जिसमे ग्रामीण समुदाय के लोग परम्परागत एवं रूढ़िगत जीवन से उपर उठकर उन्नत व प्रगतिशील जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से समुदाय के लोगों को अपने संसाधनों तथा योग्यताओं के उपयोग द्वारा अपने विकास हेतु अपनाये गए कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की जाती है तथा विकास किया जाता है।

संक्षेप में:

सामुदायिक विकास परिभाषा: एक नज़र

- ✓ एक प्रक्रिया
- ✓ ग्रामीणों के कल्याण के लिए
- ✓ जनता तथा सरकार का साझा प्रयास
- ✓ सरकार से आर्थिक एवं तकनीकी सहयता प्राप्त करना
- ✓ आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना
- ✓ संगठित होकर समस्याओं का समाधान करना
- ✓ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
- ✓ आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्या के समाधान हेतु योजनायें बनाना तथा क्रियान्वयन करना

1.4.4 उद्देश्य

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना" है। इसके द्वारा ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में विकास किया जाता है।

योजना आयोग के अनुसार:

i कृषि और ग्रामीण उद्योग में सुधार करके रोजगार प्रदान करना

ii बेहतर जीवन की इच्छा विकसित करना

iii उन कार्यक्रमों को विकसित करना जिसमें पारस्परिक सहयोग और आत्म-भावना होती है

iv सामग्री व्यवस्था के साथ तकनीकी सलाह उपलब्ध करना

v विभिन्न विभागों में समन्वय बनाना

पंडित जवाहर लाल नेहरु ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य तीन उद्देश्य बताएं हैं:

i ग्रामीणों का बहुमुखी विकास करना

ii लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना

iii ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना

बी.टी. कृष्णामचारी के अनुसार:

i सहकारिता का विकास करना

ii बेरोजगार ग्रामीणों को रोज़गार उपलब्ध करना

iii परम्परागत तथा पिछड़े हुए तरीके से खेती करने के ढंग में परिवर्तन लाकर आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित करना तथा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना ताकि फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके.

iv सामुदायिक हितों के लिए प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों को आधिक से अधिक जुटाना.

सामुदायिक विकास के सामान्य उद्देश्य:

1) विकास गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करना
2) स्वयं सहायता और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना
3) ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना
4) सामुदायिक विकास में भागीदारी द्वारा ग्रामीण लोगों का विकास
5) 9) सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में सुधार के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाना
6) सामाजिक संस्थाओ और संगठनों का विकास
7) नेतृत्व का विकास करना
8) आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को विकसित करना
9) पिछड़े वर्गों को विकसित करने के लिए प्रयास करना
10) सामाजिक न्याय प्रदान करना

विशिष्ट उद्देश्य (Specific objectives):

सामुदायिक विकास सहयोग मंत्रालय, भारत सरकार (1952) के अनुसार समुदाय विकास के विशिष्ट उद्देश्य इसप्रकार है,

1) प्रभावी पंचायत में प्रत्येक गांव, सहकारी समितियों और स्कूलों की सहायता करना; तथा
2) परिवार, गांव, ब्लॉक और जिले के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों मे विकास योजना तैयार करना:
    - कृषि उत्पादन में वृद्धि
    - मौजूदा ग्राम शिल्प और उद्योगों में सुधार
    - न्यूनतम बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों को प्रदान करना
    - बच्चों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बुनियादी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना
    - मनोरंजन के लिये सुविधाएं उपलब्ध करना
    - ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1.4.5 विशेषताएं

1) **ग्रामीण नेतृत्व का विकास:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए तथा ग्रामीणों के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है। ग्रामीण जनता अपने कल्याण के लिए, अपनी समस्याओं से निपटने के लिए मिल- जुलकर कार्य करते हैं। जिससे उनमे आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है तथा ग्रामीण नेताओं की पहचान होती है।
2) **सभी लोगों के लिए:-** समुदायिक विकास कार्यक्रम सभी जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, इत्यादि के लिए चलाया जाता है।
3) **प्रजातान्त्रिक विधि:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है, सभी की भावनाओं की क़द्र होती है तथा सभी के कल्याण हेतु विकास कार्यक्रम आयोजित किये जातें हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी के विचारों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनायीं व क्रियान्वित की जाती हैं।
4) **स्थानीय संसाधनों का प्रयोग:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीणों के आस-पास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है।
5) **मानसिक तथ सामाजिक विकास पर बल:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आर्थिक विकास के साथ-साथ मनुष्य के मानसिक तथा सामाजिक विकास पर भी बल दिया जाता है ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें। जब मनुष्य में अच्छे नैतिक गुण होंगे तभी वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण के बारे में सोच सकता है।

6) **आत्म- निर्भरता की भावना का विकास:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को यह सिखाया जाता है कि वे अपनी मदद स्वयं करना सीखें, अपनी समस्याओं को समझें, अपनी आवश्यकताओं को समझें और उन्हें हल करने का प्रयत्न करें। सामुदायिक कार्यक्रम में लोगों को आत्म- निर्भर तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है।

1.4.6 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य सिद्धान्त

1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य योजना, समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होगी।
2) सामुदायिक विकास की पूर्ण एवं संतुलित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहूउदेशीय कार्यक्रम स्थापित किये जायेंगे।
3) विकास के प्रारंभ में उपलब्धियों के साथ व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक होगा।
4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय व्यक्ति एवं नेतृत्व की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा निष्क्रिय स्थानीय प्रशासन को सक्रीय करना होगा।
5) प्रत्येक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व की पहचान करना, उनका उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षण देना होना चाहिए।
6) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण युवक एवं युवतियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
7) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय सहायता उपलब्ध कराना।
8) राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए (i) अनरूप नीतियों का अधिग्रहण, (ii) विशेष प्रशासन व्यवस्था, (iii) कार्यकर्ताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण, (iv) स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग, (v) अनुसन्धान, प्रायोगिक एवं मूल्यांकन संगठन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जनि चाहिए।
9) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठनों का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए।
10) राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति करना आवश्यक है।

1.4.7 मूलदर्शन (philosophy)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूलदर्शन निम्नलिखित है:

(i) व्यक्ति का विकास, (ii) परिवार का विकास, (iii) व्यक्ति मैं जिम्मेदारी एवं स्वयं प्रेरणा का विकास, (iv) सामुदायिक विकास, (v) व्यक्ति में सहकारिता का विकास, (vi) विज्ञान

के प्रति विश्वास पैदा करना, (vii) ग्रामीण नेतृत्व का विकास, (viii) ग्रामीण संस्थाओं का विकास, (ix) सामुदायिक विकास के लिए अन्य संसाधनों का विकास, (x) ग्रामीण समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, आदि।

1.4.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सुझाव:

1. ग्रामीण नेतृत्व के विकास पर बल देना
2. सरकारी तथा गैर- सरकारी विभागों में समन्वय स्थापित करना
3. प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ताओं की अधिकाधिक संख्या में नियुक्ति करना
4. स्थानीय समस्याओं पर विस्तृत अध्ययन करना तथा उनके समाधान हेतु उपाय करना
5. युवा संगठनों की स्थापना करना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना
6. युवकों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना
7. सभी लोगों के साथ- साथ, महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना
8. समय- समय पर कार्यक्रम का मूल्यांकन करना

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये:

१. एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को ________ कहते हैं।

२. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शरुआत __________________ को डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गयी थी।

३. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य “ग्रामीणों का ___________ विकास” करना है।

1.5 सारांश

प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है ग्रामीण विकास से सम्बंधित सभी क्षेत्रों से इसका गहरा सम्बन्ध है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों से शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली के क्षेत्र में निरंतर विकास की दिशा में काम करना। नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। इसकी सहायता से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में वैज्ञानिक तथ्यात्मक और तात्विक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और उन्हें अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे वह अपनी विशेष स्थानीय स्थिति में उचित निर्णय

ले सकें। कृषि प्रसार शिक्षा में किसानों, पशुपालकों इत्यादि को समय-समय पर कृषि में होने वाले बदलावों, उन्नत बीजों, प्रभावी कीटनाशकों, उर्वरकों, कम्पोस्ट खाद, उन्नत कृषि उपकरणों, पशुओं की देखभाल, पशुओं की मौसमी बीमारियों से बचाओ के तरीके आदि के बारे में बताया जाता है तथा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को इस योग्य बनाना है की वे घर तथा परिवार की स्थिति में सुधार लायें, जिससे उनका जीवन- स्तर एवं रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्वतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में विकास किया जाता है।

1.6 पारिभाषिक शब्दावली

प्रसार शिक्षा: प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो ग्रामीण मनुष्य के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, एवं मनोवृति में एक वांछित परिवर्तन लाती है जिससे की वह अपना सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्तर ऊँचा कर सकें।

समुदाय: एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह।

विकास: सामान्यतः वृदि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं।

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

सही अथवा गलत बताइए

१. गलत
२. सही
३. गलत
४. गलत
५. सही

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

१. समुदाय
२. 2 अक्टूबर 1952
३. सर्वांगीण

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा. पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
- डॉ जीतेंद्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा

1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1) गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं।
2) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं और सिद्धान्तों के बारे में बताइए।
3) प्रसार शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं पर टिप्पणीं करते हुए स्वयं की परिभाषा दीजिए।
4) प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में बताएं।

इकाई 2 : प्रसार शिक्षा की विधियाँ

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 प्रसार शिक्षा की विधियाँ
2.3.1 प्रसार शिक्षा की विधियों का वर्गीकरण
2.3.1.1 व्यक्तिगत व निजी सम्पर्क विधि
2.3.1.2 समूह सम्पर्क विधि
2.3.1.3 जन सम्पर्क विधि
2.3.2 प्रसार शिक्षा की विधियों का चुनाव
2.3.3 शिक्षण पद्धतियों की सापेक्ष प्रभावशीलता
2.4 सारांश
2.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 प्रस्तावना

विद्यार्थियो पिछली इकाईयों में आप प्रसार शिक्षा, इसकी महत्वता, विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों और हमारे देश में इसकी महत्वता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपने प्रभावशील संचार की प्रसार कार्यक्रम की सफलता में महत्वता के बारे में भी पिछली इकाई में जाना। आपको आश्चर्य होता होगा की कैसे प्रसार शिक्षा लोगों में ज्ञान, प्रवृत्ति और कौशल का संचार करता है। इस इकाई में हम प्रसार कार्यकर्ता द्वारा समुदाय में संदेश प्रसारित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा करेंगें। यह विधियाँ, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बुनियादी उपकरण हैं। आइये अब इन समस्त विधियों के बारे में जाने जिससे हम किसी सूचना को प्रभावी ढंग से व कुशलता पूर्वक संचारित कर सकें।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- प्रसार शिक्षा की विधियों को परिभाषित करने में।
- प्रसार कार्यकर्ता के सम्पर्क के आधार पर प्रसार शिक्षा की विधियों का वर्गीकरण।

- उचित प्रसार शिक्षा की विधि का चयन।
- शिक्षण तरीकों की तुलनात्मक प्रभावशीलता की जाँच।

2.3 प्रसार शिक्षा की विधियाँ

प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के ज्ञान व व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले हमें समुदाय के लोगों में अपना संदेश भेजना होगा लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम यह कैसे करेंगे? इस उद्देश्य के लिये हम कई शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा की विधियाँ ऐसे मार्ग हैं जिनके द्वारा समुदाय तक पहुँचकर, उपयुक्त सूचना, कौशल, तरीके या प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान अथवा व्यवहार में इच्छित बदलाव लाने हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं। यह प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले तरीके हैं।

इससेपहले कि हम इन विधियों के बारे में विस्तार से जानें, यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी एक विधि से ज्यादा, इन विधियों के संयोजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकला है कि जब हम एक विधि का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक तिहाई परिवार प्रभावित होते हैं परन्तु जब हम ज्यादा विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो दस में से लगभग नौ परिवार प्रभावित होते हैं, इसलिये एक अकेली विधि की अपेक्षा कई विधियों का संयोजन बेहतर होता है।

2.3.1 प्रसार शिक्षा के विधियों का वर्गीकरण

प्रसार शिक्षा में अपनी सूचना प्रसारित करने की कई विधियाँ हैं। अब हम इन सूचनाओं को कुछ वर्गों में विभाजित करेंगे जिससे हम इनको अच्छी तरह समझ सकें। इन्हें वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं। हम यहाँ सबसे प्रचलित वर्गीकरण की चर्चा करेंगें। इस वर्गीकरण के अनुसार, सभी विधियों को मुख्यत: निजी या व्यक्तिगत विधियों, समूह सम्पर्क विधियों और जन सम्पर्क विधियों में विभाजित किया जा सकता है इस वर्गीकरण को हम चित्र **2.1** द्वारा समझ सकते हैं।

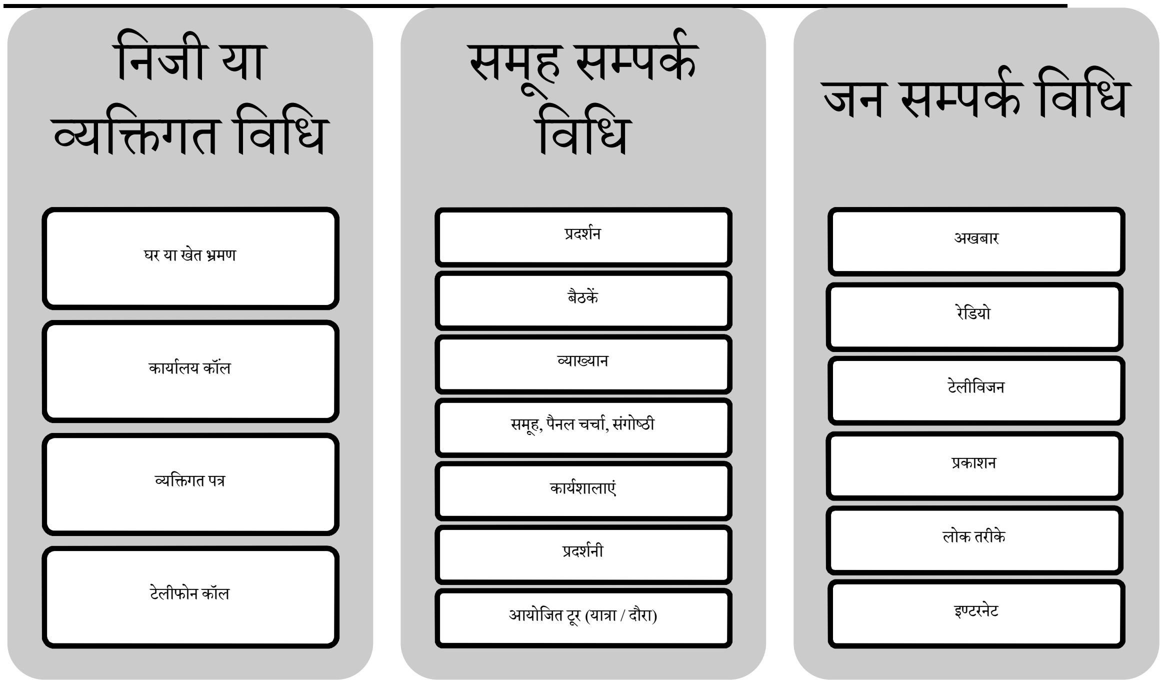

चित्र 2.1 प्रसार शिक्षा विधियों का वर्गीकरण

ऊपर के चित्र द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रसार कार्यकर्ता, समुदाय के लोगों से व्यक्तिगत, समूह में या जन सम्पर्क द्वारा सम्पर्क कर सकता है , हर एक वर्ग में कुछ तरीके हैं, आइये अब इन सबकों विस्तृत रूप में जानें।

2.3.1.1 व्यक्तिगत व निजी सम्पर्क की विधियाँ

हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है अत: निजी और समूह स्तर पर, ज्ञान, कौशल व कार्यों में परिवर्तन आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये जो भी विधि व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को प्रभावित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है उसे व्यक्त्गित या निजी सम्पर्क की विधि कहते हैं। इन विधियों में प्रसार कार्यकर्ता का समुदाय के हर एक व्यक्ति के साथ पारस्परिक व आमने-सामने से सम्पर्क होता है। लोगों में सूचना प्रसारित करने हेतु प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता, ज्ञान, व्यवहार व प्रवृत्ति के अनुसार सूचना को अनुकूल बनाता है। इन विधियों का उपयोग तब भी किया जाना है जब समुदाय या किसान किसी खास समस्या से जुझ रहा हो या किसी विशिष्ट सूचना हेतु आग्रह करे, इसे अच्छे से समझने हेतु एक उदाहरण को लेते हैं। आपने लोगों को पारम्परिक चुल्हे की जगह बिना धुए वाले चुल्हें के इस्तेमाल के लिये कहना है। इस उद्देश्य के लिये व्यक्त्गित सम्पर्क सबसे बेहतर रहेगा। आप व्यक्तिगत रूप से घरों में जाकर नई तकनीक की कार्यविधि बता सकते हैं।

सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्तिगत सम्पर्क की विधि घर या खेत भ्रमण, कार्यलय कॉल, टेलीफोनकॉल, व्यक्तिगत पत्र व परिणाम प्रदर्शन है। अब हम इन विधियों को विस्तृत रूप में जानेगें।

1. घर या खेत भ्रमण

एक प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या को जांचने, समस्या का समाधान देने या आम दिन के मामलों पर चर्चा करने हेतु खेतों या घर का व्यक्तिगत भ्रमण करता है। इससे, व्यक्ति अपने वातावरण (माहौल) में सहज महसूस करता है तथा अपने व्यक्तिगत कार्य करते हुए भी चर्चा कर सकता है। कोई बाधा या खलल ना होने और प्रसार कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने के कारण इसमें व्यक्ति बदलाव हेतु अधिक प्रेरित होता है। घर और खेतों का भ्रमण निम्न कारणों से सबसे ज्यादा अनुकूल होता है;

- समुदाय के सदस्यों को जानने हेतु।
- समुदाय के सदस्यों के मध्य मित्रता व विश्वास बनाने हेतु।
- समुदाय के लोगों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का ज्ञान व उनको समझना।
- लोगों को उन्नत तरीकों, उत्पाद व प्रौद्योगिकी को विकास, और आय व जीवन शैली में बदलाव हेतु प्रेरित करना।
- उन्नत तरीकों के लिये प्रेरित करना व सुझाव देना।
- सुझाये गये तरीकों के परिणामों को देखना व ध्यान देना।
- सामुहिक सम्मेलन व प्रदर्शन व भ्रमण हेतु सहयोग प्राप्त करना।
- स्थानीय युवाओं को नेता के रूप में, उत्प्रेरकों व बदलाव के कारकों की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना व प्रोत्साहित करना।

2. कार्यालय कॉल

प्रसार कार्यकताओं का कार्यालय आमतौर पर समुदाय के निकट होता है।यह कार्यालय ,विकास कार्यक्रमों को लागू करने व क्रियान्वित करने में लोडल बिन्दु (मुख्य बिन्दु) के रूप में कार्य करते हैं यदि प्रसार कार्यकर्ता कार्यस्थल (गॉव) में नहीं तो जब भी लोग चाहे, समुदाय के लोगों के लिये कार्यलय व प्रसार कार्यकर्ता उपस्थित होना चाहिये। समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं को इधर ला सकते हैं। वह , प्रसार कार्यकर्ता के कार्यालय में सुझाव व सूचना के लिये आसकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को उस हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखनीचाहिये जो कि कार्यालय में आता है।प्रसार शिक्षण का यह तरीका निम्न उद्देश्यों केलिये अनुकूल है :

- समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिये।
- एक मुख्य बिन्दु (नोडल बिन्दु) के तौर पर कार्य करना जहाँ सभी उपयोगी व प्रयोगात्मक सूचना उपलब्ध हो।

- समुदाय को नयी तकनीकों, विधियों व विचारों को अपनाने की प्रक्रियाओं में सहायता देना।
- आपातकालीन स्थिति (त्वरित प्रतिक्रिया) में समय से सहायता करना।
- विषय विशेषज्ञों व समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

3. व्यक्तिगत पत्र

व्यक्तिगत पत्र, सूचना देने हेतु आवेदन का उत्तर देने हेतु बैठकों की अनुवर्ती कारवाई आदि के लिये प्रभावशाली रूप में उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के दौरान, प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा समुदाय के लोगों से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत घर और कृषि भ्रमण के तरीके की जगह भी ले सकते हैं और देख-रेख के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह संचार के जल्दी व सस्ते साधन हैं और फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर अपनापन रखते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय के सदस्यों को महावता दिखाते हैं , हॉलाकि, यह उस स्थिति में उपयोग में नहीं ला सकते जब समुदाय के लोग अशिक्षित हो, इसलिये इनका उपयोग अधिक शिक्षित देशों में सिमित हैं लेकिन मगर समुदाय के लोग लिख वपढ सकते हैं तो निम्न उद्देश्यों की वजह से यह उपयुक्त है।

- व्यक्तिगत सवाल, सलाह या अनुरोध के जवाब देने के लिये।
- घर या खेत भ्रमण के एक अनुवर्ती के रूप में।
- सामूहिक बैठक के पश्चात, विशिष्ट, विस्तृत लिखित सूचना देने के लिये।
- स्वयंसेवकों, स्थानीय नेताओं या समुदाय के सदस्यों को विशेष निर्देश देने हेतु।

4. टेलीफोन कॉल

अगर लोगों के पास इसकी उपलब्धता हो तो कार्यालय कॉल व व्यक्त्गित पत्रों की जगह टेलीफोन कॉल का उपयोग कर सकते हैं। आजकल कई लोगों के पास अपना व्यक्तिगत फोन का कनेक्शन है। कई दूर के इलाकों के सामुदायिक केन्द्रों में टेलीफोन होता है इसलिये लोग, प्रसार कार्यकर्ता को फोन कर उनसे सलाह व सूचना ले सकते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता फोन के द्वारा भी व्यक्तिगत भ्रमण को कर सकता है। टेलीफोन समय व यात्रा में होने वाले खर्चे को कम करता है। यह तरीका तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब समुदाय के लोग अशिक्षित हों। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कमी है यह कि सभी व्यक्तियों के पास टेलीफोन कनेक्शन या इसकी पहुँच हो यह आवश्यक नहीं है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार कार्यकर्ता को विभिन्न शिक्षण तरीकों के बारे में जानना क्यों आवश्यक है ?
2. प्रसार शिक्षण तरीकों के सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण को बतायें ?
3. व्यक्तिगत शिक्षण के तरीके क्या हैं ?

4. समुदाय में मित्रता करने के लिये प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले किसी एक व्यक्तिगत सम्पर्क तरीके का नाम बताइये व व्याख्या कीजिये ?
5. आजकल बहुत से प्रसार कार्यकताओं के पास टेलीफोन है क्या आपको लगता है कि यह प्रसार शिक्षा में उसकी मदद कर सकता है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

2.3.1.2 समूहिक सम्पर्क के तरीके

सामूहिक सम्पर्क के तरीकों की उच्च सफलता दर है, क्योंकि एक ही समुदाय में रहने वाले लोग, सामूहिक निर्णय लेते हैं और समूह के विचारों से आसानी से सहमत हो जाते हैं वे समूह में एक दूसरे से सीखते भी हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता, अपने विचार समूह के सामने प्रस्तुत करने के लिये किसी भी सम्पर्क विधि का उपयोग कर सकता है, समूह के प्रतिभागी (समुदाय के सदस्य) सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और कार्यवाही के लिये सामूहिक निर्णय ले सकते हैं। वे पूरी प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करते हैं और कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हैं। समूह के रूप में वे शक्तिशाली महसूस करते हैं और बदलाव के लिये शक्ति प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ – यदि आपने गाँव की महिलाओं को परिवार का बजट बनाकर पैसा बचाना सिखाना है एवं इसके लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण व माइक्रो क्रेडिट शुरु करना है तो सामूहिक सम्पर्क विधि इस उद्देश्य के लिये सबसे उपयुक्त होगी। आप एक गाँव में जा सकते हैं और स्थानीय महिलाओं से सम्पर्क कर सकते हैं, उनको समूह बनाने के लिये कहें, एक सामूहिक बैठक की व्यवस्था करें और दस लोगों के समूह को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये प्रेरित करें। आइये अब कुछ सामूहिक सम्पर्क विधियों की विस्तृत में चर्चा करें;

1. प्रदर्शन

प्रदर्शन सबसे पुरानी व सबसे सरल विस्तार शिक्षण पद्धति है। यह बहुत प्रभावी व विश्वसनीय है, जिसके द्वारा किसी भी तकनीक, विधि अथवा परिणाम को सरल व आसान रूप में दिखाया जा सकता है। प्रदर्शन में कोई तकनीक की क्रियाविधि या सम्पूर्ण प्रक्रिया आसानी से दिखाई जा सकती है तथा लोग व्यवहारिक रूप से देख सकते है कि कैसे कोई प्रक्रिया होती है और इसे अपने तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। यह तरीका निम्न उद्देश्यों की वजह से सबसे ज्यादा उपयुक्त है;

- किसी प्रक्रिया या तरीके या क्रियाविधि को प्रभावी रूप से दिखाने के लिये।
- नई तकनीक का काम दिखाने के लिये।
- अलग-अलग (विभिन्न) प्रक्रियाओं के परिणामों की तुलना के लिये।
- खुद से कार्य कर सीखने के लिये।
- किसी तरीके का व्यवहारिक कार्यान्वयन जानने के लिये।

2. बैठकें

बैठकों के कई प्रकार है एक प्रसार कार्यकर्ता एक व्यक्ति के साथ (घर व खेत की व्यक्तिगत भ्रमण के दौरान) या एक समूह के साथ बैठक की व्यवस्था कर सकता है। समूह की बैठकें, समुदाय के सदस्यों के साथ विचार विमर्श हेतु एक प्रभावी तरीके के रूप में इस्तेमाल होती है बैठकों में दोनों ओर से संचार होता है और प्रसार कार्यकर्ता को तत्काल ही लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। यह तरीका निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता है;

- सामुदायिक परेशानियों को चिन्हित करने हेतु।
- समुदाय के लिये संकट पैदा कर रही वर्तमान स्थिति की जाँच करने के लिये।
- सम्भावित समाधान या विभिन्न कार्यवाहियों की चर्चा के लिये।
- लोगों को नवाचारित, व्यवहारिक व उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिये।
- लोगों को सामूहिक कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिये।
- युवा क्लब, गृहणी क्लब, सहकारी समिति आदि समूह बनाने के लिये।
- समूह के लोगों की चर्चा करने , सहमति देने व सामूहिक निर्णय लेने में मदद करना।
- लोगों के मध्य एकता,एकजुटता और 'एकरूपता' की भावना बनाने के लिये।
- कार्यवाही करने की योजना बनाने (योजना बैठक) , विशिष्ट क्रिया विधियाँ, रूचिकर शौक (विशेष रूचि बैठक) या लोगों को शिक्षित करने (प्रशिक्षण बैठकें) के लिये।

3. व्याख्यान

यह सूचना प्रसार करने का उपयोगी व कारगर तरीका है। सामान्यत: यह विधि विषय विशेषज्ञ द्वारा तकनीकी सूचना देने के लिये प्रयोग में लायी जाती है। एक प्रसार कार्यकर्ता एक नई तकनीक के बारे में लोगों को बताने हेतु, व्याख्यान के लिये विशेषज्ञ को बुला सकता है। यह अधिकतर तब प्रयोग होता है जब समूह शिक्षित हो तथा उसे तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो। यह विधि निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग लायी जा सकती है;

- किसी तकनीक, तरीके या विचार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये।
- विस्तृत कार्य जैसे तकनीकी प्रक्रिया दिखाने के लिये।
- वैज्ञानिक पृष्ठ भूमि समझाने या उपकरण की क्रियाविधि बताने हेतु।

4. समूह, पैनल चर्चा, संगोष्ठी

घर या खेत के व्यक्तिगत भ्रमण के पश्चात एक अनौपचारिक समूह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण (सहायक) हो सकती है। विषय विशेषज्ञ से नई तकनीक से सम्बन्धित चर्चा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। संगोष्ठी

वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों द्वारा की जाने वाली अति विशिष्ट चर्चा है जिसमें सामग्री (विषय) की जटिलता के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं

a) अनौपचारिक चर्चा
b) समूह चर्चा
c) पैनल चर्चा या संगोष्टी

इन विधियों का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकते हैं;

- घर या खेत के व्यक्तिगत भ्रमण की जाँच करने के लिए।
- तकनीकी या विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिये।
- समुदाय की समस्याओं का सीधे वैज्ञानिकों या विषय विशेषज्ञों से समाधान निकलवाने हेतु।
- वैज्ञानिकों को सीधे समुदाय या कार्यक्षेत्र से आंकड़े इकठ्ठा करने में मदद करने हेतु।
- सूचना प्रसारित करने के लिये या गलत मान्यताओं या प्रथाओं के उन्मूलन हेतु समुदाय को वैज्ञानिक आधार व तथ्य प्रदान करने के लिये।
- कार्य में सुधार के लिये मुख्यत: तकनीकी कौशल के लिये कौशल प्रदान करने हेतु।

5. कार्यशालाएँ

यह कौशल प्रशिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। एक प्रसार कार्यकर्ता या तो स्वयं से या विशेषज्ञ की मदद से कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। इस विधि में विशेषज्ञ के मार्ग दर्शन में लोगों द्वारा कार्य किया जाता है। कार्यशाला के दौरान, कौशल का प्रदर्शन किया जाता है और समुदाय के सदस्यों को छोटे छोटे समूहों में बॉटा जाता है। यह समूह स्वयं कार्य करते हैं और इससे सीखते हैं। विशेषज्ञ या प्रसार कार्यकर्ता इसमें लोगों की मदद उनका मार्गदर्शन कर दोबारा से प्रक्रिया दिखाकर या किसी समस्या का समाधान करके करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य एक सरलीकृत करने वाले के रूप में होता है इस शिक्षण के तरीके का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर सकते हैं।

- कौशल विकसित करने या और प्रभावी ढंग से काम करने के लिये।
- नई तकनीक की क्रियाविधि/कार्यप्रणाली जानने के लिये और स्वयं इसका आत्मविश्वास के साथ उपयोग करने के लिये।
- विभिन्न प्रक्रियाओं या काम करने के तरीकों की तुलना करने के लिये।
- स्वयं कार्य कर सीखने के लिये।
- किसी तरीके का व्यवहारिक कार्यान्वयन जानने के लिये।

6. प्रदर्शनी

वास्तविक वस्तुएँ, नमूने, मॉडल, चार्ट, पोस्टर आदि प्रदर्शन की वस्तुएँ हैं जिन्हें मुख्यत: लोगों का ध्यान खींचने के लिये प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। समुदाय के लोगों को समूह के माध्यम से एक प्रदर्शनी दिखायी जा सकती है जिससे कि वह नयी योजना, तकनीकी या नये तरीके को अपनाये। प्रदर्शनियाँ कभी समूह सम्पर्क विधि और कभी जन संचार विधि समझी जाती हैं। जब प्रदर्शनी एक समूह को शिक्षित करने के लिये लगाई जाती है तब यह समूह सम्पर्क विधि होती है दूसरी तरफ यदि यह मेले में कई लोगों को शिक्षित करने हेतु लगाई जाती है तो यह जन सम्पर्क विधि होती है। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस विधि (तरीके) का प्रयोग किया जाता है;

- सूचना को जल्दी व आसान तरीके से प्रदर्शित करने के लिये।
- लोगों की कला व रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिये।
- अच्छे दामों में शिल्प (हस्तनिर्मित) वस्तुओं को बेचने और कारीगरों की अधिक आय के लिये।
- बिलों की सहायता से अशिक्षित लोगों तक प्रभावी ढंग से सूचना पहुँचाने हेतु।
- कल्पना और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये। लोगों को कहानी में कहानी के पात्रों से परिचित करने के लिये और एक नयी सोच कहानी के रूप में रखने के लिये। यह कहानी बताने का आसान तरीका है।
- अपने घर व खेतों में लोगों को नया तरीका अपनाने हेतु समझाने के लिये।

7. आयोजित टूर (यात्रा / दौरा)

इस विधि में लोगों को एक शैक्षणिक भ्रमण में ले जाया जा सकता है ताकि वह एक नये तरीके, तकनीक व विधि के परिणाम देख सकें और जिन लोगों ने इन्हें सफलतापूर्वक अपनाया है उनसे सीख सकें। निम्न उद्देश्यों के लिये यह विधि सबसे उपयुक्त है;

- एक नई विधि तथा तकनीक के परिणाम के निरीक्षण हेतु वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला या शोध संस्थानों में किये गये कार्यों का निरीक्षण करने के लिये।
- किसी एक समुदाय के लोगों की वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या ऐसे समुदायों से बातचीत करवाना जिनके रहन सहन या आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है|
- लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें|

अभ्यास प्रश्न 2

1. क्या आपको लगता है कि समूह सम्पर्क के तरीके, एक प्रसार कार्यकर्ता को उसके प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं?

2. लोगों के साथ मिटिंग (बैठक) करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
3. शिक्षा हेतु समूह सम्पर्क के सबसे उपयुक्त तरीके का नाम बताइये?
4. एक प्रसार उद्देश्य बताइये जिसे आप आपने समुदाय के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं (हस्तशिल्प की वस्तुओं) की प्रदर्शिनी से प्राप्त कर सकते है ?

2.3.1.3 जन सम्पर्क के तरीके

जन सम्पर्क के तरीके वे सभी तरीके हैं जिनका उपयोग लोगों की बड़ी संख्या तक किसी जानकारी को पहुँचाने में किया जाता है। आपने प्रसार की पिछली इकाई में जनसम्पर्क के बारे में पढा था। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार इन संचार साधनों का प्रयोग प्रसार कार्यकर्ता द्वारा एक बड़े समुदाय में एक साथ किसी जानकारी कि पहुँचाने के लिये किया जाता है। यह विधियाँ सूचना, समाचार और आपकातकालीन घोषणाओं के प्रसार के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत बनने वाले कम लागत के शौचालयों की जानकारी गाँव के सभी लोगों तक पहुँचानी है और आप यह जानकारी लोगों तक जल्दी पहुँचाना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए जनसम्पर्क विधि सबसे उपयुक्त होगी। प्रसार कार्यकर्ता निम्न जन सम्पर्क विधियों का प्रयोग कर सकता है।

- **अखबार**

यह लोगों की बडी संख्या के मध्य तेजी से सूचना प्रसारित करने का मूल्यवान व सस्ता तरीका है। यह लोगों की नये विचार में रूचि उत्पन्न करने, सफलता की कहानियों, अनुभव व विधियाँ साझा करने में मददगार होते हैं हालाँकि यह केवल शिक्षित लोगों तक जानकारी पहुँचाने में मदद करता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने में भी सक्षम होना चाहिये। लेख अच्छे से लिखे हुए, सरल व सूचना प्रदान करने वाले होने चाहिये। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह तरीका सबसे उपयुक्त है

- ➢ समय पर व जल्दी सूचना प्रसारित करने के लिये।
- ➢ सफलता की कहानियाँ साझा करने और लोगों की सफलता/उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिये।
- ➢ लोगों के कार्य में सुधार या आय प्राप्ति के लिये आसान तरीके या अनुसरण करने हेतु आसान विचार देना।
- ➢ बारिश, बाढ़ या तूफान जैसी आपात स्थिति में लोगों को सतर्क करने के लिये।

- **रेडियो**

यह हमारे देश में व्यापक पहुँच का सबसे सस्ता और लोकप्रिय जन -सम्पर्क का तरीका है। इसके माध्यम से अशिक्षित जनता में भी सूचना का प्रसार आसानी से हो सकता है। एक ही जानकारी का

आसानी से कई भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। एक प्रसार कार्यकर्ता एक बार सूचना को रिकार्ड कर , उसे कई बार रेडियो में सुना सकता है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सबसे उपयुक्त है:

- बहुत कम खर्च में, अशिक्षित लोगों तक जल्दी और समय से सूचना पहुँचाने के लिये।
- लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सफलता की कहानियाँ साझा करने और लोगों की उपलब्धियों में प्रकाश डालने के लिये।
- कार्य सुधारने और आय उत्पन्न करने के आसान तरीके बताना। यह कार्य सामाजिक / सामुदायिक नेताओं, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किया जा सकता है।
- एक ही संदेश कई बार दोहराने के प्रसारण के लिये।
- लोगों को बारिश, बाढ़, तूफान जैसी आपातकालीन स्थिति में सतर्क करने के लिये।

- **टेलीविजन**

जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि गतिशील चित्रों का ध्वनि के साथ मिलना, संदेश को संचारित करने का प्रभावशाली तरीका है। यही टेलीविजन को अन्य जनसम्पर्क के तरीकों से श्रेष्ठ बनाता है। हालाँकि सभी लोगों के पास टेलीविजन की उपलब्धता नहीं होती। यह प्रसार कार्यक्रम उद्देश्यों की पूर्ति में टेलीविजन की एक कमी है। टेलीविजन का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकता है;

- बडी संख्या में लोगों को एक ही अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिये।
- बडी संख्या में लोगों के लिये विशेषज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान व चर्चा को रिकार्ड करना और दोहराना।
- लोगों को प्रेरित करने के लिये किसी विचार, तरीके या तकनीकी को नेता व हस्तियाँ समर्थन दे सकती हैं।
- स्वच्छता, बालिका शिक्षा, धन की बचत आदि जैसी उपयोगी व प्रभावी प्रथाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना।

- **प्रकाशन**

प्रकाशन में बुलेटिन, पर्चो (पैम्फलेट्स), लीफलैट, फाल्डर, पोस्टर आदि सम्मिलित हैं। यह पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों से संवाद करने का प्रभावी तरीका है। सामान्यत: यह शिक्षण के विभिन्न तरीकों को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयोग होते हैं। इनके द्वारा सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों, विधि व तकनीकी पर एक विस्तृत जानकारी चर्चा, प्रदर्शन और बैठकों के बाद दी जा सकती है।

- दौरों (भ्रमण), प्रदर्शन, प्रदर्शिनियों के दौरान जानकारी के पूरक के रूप में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
- विवरण और निर्देशों के साथ जानकारी पूरक बनाने के लिये।
- लोगों को कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित करने हेतु तथ्यों को समझाना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना या किसी नये विचार को प्रोत्साहित करना ।
- अन्य शिक्षण विधियों को सुदृढ करना और प्रगति के अवसरों में सुधार करना।
- विस्तृत जानकारियों को घर ले जाना और खाली समय में पढना।
- सूचना को दोहराने व आसानी से प्रसार करने के लिये।

- **लोक तरीके**

भारत में लोक मीडिया का प्रयोग बड़े पैमाने पर शिक्षा के लिये किया जाता है।ग्रामीण लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि इन माध्यमों के साथ उनकी खुद की पहचान होती है। कुछ लोकप्रिय लोक तरीके लोक गीत, संगीत और नृत्य , नाटक व रंगमंच, कठपुतली आदि हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता द्वारा इन तरीकों को प्रयोग में लाने के निम्न कारण हैं;

- ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत को बढ़ावा देने व सुधार लाने के लिये।
- सूचना व चर्चा के एक पारम्परिक माध्यम के रूप में।
- यह एक पारस्परिक सम्बन्ध बनाता है और कई लोग जो यात्राओं और गानों के साथ जुडे होते हैं उनका सहयोग लिया जाता है। वे आसानी से सूचना को अपनाते हैं और कार्यक्रम के साथ जुडते हैं।
- इस विधि द्वारा व्यक्तिगत व घनिष्ट सम्बन्ध बनते हैं। यह कई संवेदनशील मुद्दों को आसान बनाती है जैसे महिला समानता, बालिका शिक्षा , 18 वर्ष के बाद ही कन्या का विवाह करना आदि।

- **इण्टरनेट**

कई वर्षों से शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये उपग्रह का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इण्टरनेट पिछले कुछ समय से ही लोगों तक पहुँचा है जिससे गाँवों में भी लोग कम्प्यूटर व इण्टरनेट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों तक नवीनतम शिक्षण जानकारी पहुँचाने के लिये विभिन्न विडियो व प्रस्तुतियों (प्रेजेन्टेशन) को इण्टरनेट द्वारा डाउनलोड कर सकता है। हाल में ही विकसित देशों द्वारा ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे ग्रामीण लोग अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। एक प्रसार कार्यकर्ता निम्न उद्देश्यों के लिये इण्टरनेट का प्रयोग कर सकता है;

- नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिये।

- अपने समुदाय की ग्रामीण लोक प्रथाओं की सफलता को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिये।
- समुदाय की मदद के लिये विस्तृत और उन्नत तरीकों को खोजने के लिये।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. प्रसारकार्यकर्ता को जन सम्पर्क के तरीकों की क्यों आवश्यकता होती है?

प्रश्न 2. प्रसार शिक्षा में कैसे इण्टरनेट, प्रसार कार्यकर्ता की मदद कर सकता है?

2.3.2 प्रसार शिक्षा की विधियों का चयन

एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा प्रसार की विधियों के संयोजन के चयन करने की सलाह दी जाती है इसलिये यह जानना उसके लिये बहुत आवश्यक है कि कैसे सबसे उपयुक्त संयोजन का उपयोग करें। ऐसा करने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बिन्दु निम्न हैं;

1) उपलब्ध तरीकों के विभिन्न प्रकार।
2) हर तरीके के फायदे व नुकसान।
3) यह जानना कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किन व्यक्तिगत, सामूहिक या जन सम्पर्क विधियों का संयोजन हो सकता है।
4) प्रसार कार्यक्रम के प्रकार व अवधि।
5) सूचना के अनुसार उपयुक्त तरीका।
6) तरीका इस्तेमाल करने के लिये उपलब्ध कौशल।
7) लक्षित समूह या लोगों की आयु , लिंग,शिक्षण स्तर , संस्कृति आदि के आधार पर पहचान।
8) स्थानीय परिस्थितियाँ व रिवाज जैसे – बुवाई या फसल कटाई का मौसम, मौसम की स्थिति की पहचान।
9) तरीके या विधि के प्रयोग के लिये वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता।

इसे समझने के लिये एक उदाहरण लेते हैं। राधा एक प्रसार कार्यकर्ता है उसे लोगों को खाना बनाने के लिये सौर कुकर के इस्तेमाल हेतु प्रेरित करने के लिये उचित तरीके का इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम वह हर एक प्रसार तरीके के उपयोग, लाभ व कमियों को जानने के बाद वह लक्षित समूह के बारे में उनकी प्रथाओं, खाने पीने की आदतों, स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने व्यक्तिगत सम्पर्क तरीके (घर भ्रमण), सामूहिक सम्पर्क तरीका (उत्पाद प्रदर्शन व समूह चर्चा) और जन संचार विधि (लीफलैट, रेडियों, टेलीविजन) कुल छ: विधियों का चयन किया। घर के भ्रमण के दौरान उसने हर एक परिवार को ईंधन बचाने, धुएँ से होने वाली बीमारीयों से बचने और पैसे बचाने के लिये सौर कुकर के इस्तेमाल के लिये

प्रेरित किया। हर एक परिवार में उसने एक लीफलैट छोडा जिसमें सौर कुकर की क्रियाप्रणाली व लाभ लिखे थे। 20 परिवारों के समूह को सौर कुकर की क्रियाप्रणाली दिखाने के लिये समय और जगह का चयन भी उसे करना होगा। कुछ शुरूआती सामूहिक बैठकों में वह समुदाय को सौर कुकर व उसकी क्रियाविधि दिखायेगी। वह सभी समस्याओं का समाधान करेगी। समूह चर्चा में वह लोगों से सौर कुकर से लोगों की उम्मीद व उपयोगिता पर अपने विचार रखने के लिये प्रेरित करेगी। वह उत्पाद से सम्बन्धित रेडियोवार्ता सुनने और टेलीविजन पर कार्यक्रम देखने को कहेगी (अगर उपलब्ध) हो। कार्यक्रम के बाद के चरण में राधा सामुहिक बैठकों का उपयोग कर सकती है ताकि जो परिवार नई तकनीक (सौर कुकर) अपना चुके है या अपनाना चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। उसके बाद वह धर भ्रमण व सामूहिक बैठकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम भी लक्षित समूह को प्रेरित करने में उसकी मदद करेंगें। इसलिये हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कई तरीकों का संयोजन समुदाय में प्रसार कार्यकर्ता की सफलता की संभावना को बेहतर बना सकता है।

2.3.3 शिक्षण विधि की सापेक्ष प्रभावशीलता

हमने प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई विधियों के बारे में अध्ययन किया है। कोई एक विधि या कई विधियों के संयोजन के चयन में हमें प्रसार कार्य के लिये उसकी सापेक्ष प्रभावशीलता को जाँचना चाहिए। शिक्षण विधि की सापेक्ष प्रभावशीलता निम्न बिन्दुओं पर निर्भर करती है;

- **विधि / तरीके का प्रभाव** : इसका अर्थ है किसी विधि द्वारा लोगों में वांछनीय परिवर्तन लाने की सफलता, कुछ संदेश, कुछ तरीकों में अन्य तरीकों की अपेक्षा अच्छे से संचरित होते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक लीफलैट, सौलर कुकर की निर्माणविधि, कार्यप्रणाली और तकनीक को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बता सकता है जबकि कुछ सामाजिक प्रथाओं जैसे 18 वर्ष के बाद ही लडकी की शादी करने हेतु लोगों को प्रेरित करने में यह बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता।
- **प्रयास की आवश्यकता :**किसी विधि में किये गये प्रयास भी उसकी सापेक्ष प्रभावशीलता को बताता है। उदाहरण के लिये एक टेलीविजन कार्यक्रम लोगों को प्रेरित कर सकता है परन्तु इसे तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके लिये भी उत्पादन हेतु अग्रिम रिकॉर्डिंग की सुविधा की जरूरत हेाती है इसलिये लागत और संसाधनों को पहले से तैयार करने की जरूरत होती है और एक टेलीवीजन कार्यक्रम का उपयोग करने में इससे भी ज्यादा प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एक प्रसार कार्यकर्ता को यह गणना करनी आवश्यक है कि किसी खास तरीके को इस्तेमाल करने में कितने प्रयास की जरूरत होगी और वे कितना प्रभावशाली होगा। ऑकलन के बाद वह कुछ तरीकों जैसे प्रदर्शन या बैठकों का पता कर सकता है जिनकी सफलता उनके प्रयोग में किये गये प्रयासों की अपेक्षा अधिक है। यही कारण है कि ऊपर दिये गये कुछ तरीके प्रसार

कार्यकताओं के मध्य बहुत लोकप्रिय होते हैं। हॉलाकि प्रसार कार्यकर्ता को कम इस्तेमाल किये गये तरीकों के साथ भी प्रयोग करना चाहिये। आप यह पायेंगे कि समय बदलने के साथ शिक्षण तरीकों की सापेक्ष प्रभावशीलता भी बदलती है।

अभ्यास प्रश्न 4

प्रश्न 1. पाँच मुख्य बिन्दु बताये जिनका आपने प्रसार शिक्षा विधियों के चयन में ध्यान रखना आवश्यक है ?

प्रश्न 2. आप एक शिक्षण के तरीके की सापेक्ष प्रभावशीलता कैसे जाँचेंगे व्याख्या कीजिये ?

2.4 सारांश

प्रसार शिक्षा, समुदाय में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये कई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिये इन तरीकों / विधियों के बारे में जानना और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विधियाँ उपयुक्त होगी यह जानना बहुत आवश्यक है। एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वह समुदाय तक कोई जानकारी पहुँचाने के लिए किसी एक विधि के स्थान पर कई विधियों का संयोजन प्रयोग करें। यह तरीके सम्पर्क के आधार पर वर्गीकृत किये गये हैं जैसे व्यक्तिगत सम्पर्क विधियाँ, सामूहिक सम्पर्क विधियाँ और जन सम्पर्क के तरीके। हर प्रसार कार्यकर्ता को उनमें से ज्यादातर विधियों का उपयोग करने में दक्षता और विशेषज्ञता का विकास करना होगा। अवसर या उद्देश्य के आधार पर वह सफलतापूर्वक वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये सबसे उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल कर सकता है।

2.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार शिक्षण विधि समुदाय तक पहुँचने और समुदाय के कार्यों में इच्छित बदलाव हेतु सूचना, कौशल, तरीके या तकनीक को सांझा करने के रास्तें हैं। यह प्रसार कार्यकताओं द्वारा, प्रसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले साधन हैं।
2. सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण, प्रसारकर्ता द्वारा समुदाय से सम्पर्क पर आधारित है।इस वर्गीकरण के अनुसार सभी विधियों को व्यक्तिगत सम्पर्क विधि, सामुहिक सम्पर्क विधि और जन सम्पर्क विधियों में वर्गीकृत कियागया है।
3. वे सभी तरीके जिनको व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को प्रभावित करने के लिये उपयोग में लाया जाता है व्यक्तिगत सम्पर्क तरीका या विधि कहलाता है। इन तरीकों में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को आपने सामने वार्ता करने का अवसर मिलता है। एक प्रसार कार्यकर्ता संदेश प्रसारित करने के

लिये व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करता है।वह लोगों की आवश्यकताओं , ज्ञान, व्यवहार व दृष्टिकोण के अनुसार संदेश को अनुकूलित बनाता है।

4. बिंदु 2.3.1.1 देखें।
5. हाँ टेलीफोन, प्रसार कार्यकर्ता की उनके कार्य में मदद कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1. बिंदु 2.3.1.2 देखें।
2. बिंदु 2.3.1.2 देखें।
3. प्रदर्शन
4. बिंदु 2.3.1.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

1. प्रसार कार्यकर्ता जनसम्पर्क के तरीकों को सूचना प्रसारित करने, समाचार और आपात की स्थिति में कई लोगों तक पहुँचने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं।
2. बिंदु 2.3.1.3 देखें।

अभ्यास प्रश्न 4

1. बिंदु 2.3.2 देखें।
2. शिक्षण की सापेक्ष्ज्ञ प्रभावशीलता उसको इस्तेमाल करने में किये गये प्रयास और प्रभावशीलता से आंकी जाती है।

2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- घामा , ओ0 पी0 (1997) प्रसार और ग्रामीण विकासराम प्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल
- घामा ओ0 पी0 भटनागर, औ0पी0 (1985) विकास हेतु प्रसार एवं प्रचार ओक्सफोड और आई0बी0एच0 प्रकाशन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वतीय प्रकाशन
- एटिलेस, जे0एच0औ ड्यूबेंच, जी0ई0(जून2014) परिवार और उपभोक्ता विज्ञान और विविध दुनिया में सहकारी प्रसार जनरल ऑफ एक्सटेशन 52(3). www.joe.org
- श्रीनाथ के0 (20 नवम्बर 2002) प्रसार शिक्षा संकल्पना और द्रष्टिकोण विनर स्कूल ऑन एडवांस इन हारवेस्ट टेक्नोलॉजी, कोचीन।
- बाबू, एस0 ग्लेन्डनींग, सी0जे0 और ओकीरी के0 ए0 (दिसम्बर 2010) रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इण्डिया आई0 एफ0पी0आर0आई0चर्चा पत्र 01048
- साह, ए0के0 (2002) प्रसारशिक्षा भारतीय युवायोंकी आकांक्षाओं को तीसरे आयाम की जरूरत कमल राज, जरनल ऑफ सोशियल सांइस 6(3):309-214 (2002)

इकाई 3: सामुदायिक संगठन एवं विकास

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 समुदाय
3.4 सामुदायिक संगठन
3.5 सामुदायिक विकास
3.6 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं और अंतर
3.7 सारांश
3.8 पारिभाषिक शब्दावली
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.11 सहायक पाठ्य सामग्री
3.12 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

समाज में अलग –अलग प्रकार के समूह होते है और इन अलग-अलग प्रकार के समूहों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, समुदाय उनमे से एक है। समुदाय अपने आप में एक समाज है जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है जैसे की एक गाँव और शहर। जब से मनुष्य ने एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहना शुरु किया है तब से ही वह समुदाय में रहता आया है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक समय में कई समूहों का सदस्य बना रहता है। इन समूहों में व्यक्ति सम्बन्ध निकटता के आधार पर कई प्रकार से रखता है। इस प्रकार एक निश्चित भू-क्षेत्र व सामाजिक समूह में रहने वाले व्यक्ति समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय, निवास की इकाई, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया, समुदाय के विभिन्न चरणों तथा निपुणताओं के द्वारा विकास की ओर ले जाने में कार्य करते हैं। सामुदायिक संगठन समाज कार्य के प्रमुख तरीकों में से एक है। सामुदायिक संगठन के क्षेत्र सामाजिक सेवाओं के संगठन तथा उसके प्रशासन से सम्बंधित है, जबकि सामुदायिक विकास समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक दोनों के विकास से सम्बंधित है।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात्:

1) हम समुदाय की तत्व और विशेषताओं के बारे में जानेंगे।

2) सामुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत व् कार्यों के बारे में जानेंगे।

3) सामुदायिक विकासकी परिभाषा, उद्देश्य,मूल तत्व, विशेषताएं, सिद्धांत एवं संगठन के बारे में जानेगें।

4) सामुदायिक संगठन के सामुदायिक विकास में महत्व को समझेंगे।

5) सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन में समानता और अंतर को जानेंगे।

3.3 समुदाय

3.3.1 समुदाय की परिभाषा

ग्रीन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का संग्रह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं एवं सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।

एच.टी. मजूमदार- समुदाय किसी निश्चित भू-क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो परन्तु उसमें निवास करने वाले व्यक्ति समूह के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं।

समुदाय उन लोगों का समूह है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या इलाके में एक साथ रहते हैं और आम जीवन साझा करते हैं। समुदाय के लोगों के पास समुदाय की भावनाएं भी होती हैं।

समुदाय समाज का हिस्सा है और समाज के भीतर मौजूद है और इसकी विशिष्ट संरचना है जो इसे अन्य समुदायों से अलग करता है।

समुदाय का तात्पर्य

निश्चित भौगोलिक क्षेत्र

सामाजिक अंत:क्रिया

सामान्य सम्बन्ध

साझी भावनाएं

3.3.2 समुदाय के तत्व तथा विशेषताएं

निम्न विशेषताओं के आधार पर समुदाय की पहचान की जाती है –

1) व्यक्तियों का समूह- व्यक्ति का समाज में एकांत में रहना सम्भव नहीं लगता है। वह अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न तरीकों से सम्बद्ध रहता हैं जो मिलकर समूह का निर्माण करते हैं।

2) निश्चित स्थान- एक निश्चित भोगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तिओं के समूह को समुदाय कहते हैं जिनका खान-पान, रहन-सहन, रीति रिवाज़, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है।

3) स्थायित्व- समुदाय में स्थायीपन पाया जाता है।

4) व्यक्तिगत नाम- प्रत्येक समुदाय की अलग पहचान व अपना एक नाम होता है।

5) सामुदायिक भावना- वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद करके सामुदायिक भावना से आत्म- निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं।

6) व्यापक लक्ष्य- समुदाय के व्यक्तियों के हित व्यापक होते है।

3.4 सामुदायिक संगठन

3.4.1 अर्थ

सामुदायिक संगठन की अवधारणा, संयुक्त राज्य अमेरिका में समुदाय के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थानों को शामिल करने के लिए की गयी थी। (The concept of community organization was developed in the United States to involve various organization and institutions to meet the basic needs of the community people).

सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र में वहां के निवासी समूहों की आवश्यकताओं, कार्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के बीच प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने से है। इसका अर्थ किसी भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों के समूहों का परस्पर मिलकर अपनी समाज कल्याण की अनुभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करना तथा उसके कार्यन्वयन के उपाय तथा साधनों को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जाता है।

सामुदायिक संगठन, समुदाय के भीतर एकीकरण विकसित करता है और लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में मदद करता है। यह समुदाय में अपने संसाधनों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को विकसित करने के लिए काम करता है।

3.4.2 परिभाषा

सामुदायिक संगठन में समुदाय स्तर पर व्यक्तियों, समूहों और पड़ोस के सामाजिक कल्याण में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है।

सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

- पैटिट (1925)

समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्यक्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रक्रिया से है। - डनहम (1948)

वाल्टर के अनुसार सामुदायिक संगठन लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पहचानने और समुदाय के भीतर इन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने में मदद करता है।

मुर्रे जी. रॉस(1967) के अनुसार, "सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय अपनी जरूरतों या उद्धेश्यों की पहचान करता है और उन जरूरतों/ उद्धेश्यों पर कार्य करने के लिए सहकारी और सहयोगी दृष्टिकोण को विकसित करता है।

बृंदा सिंह के अनुसार सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं, उद्धेश्यों, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों आदि को पहचाना जाता है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। लोगों की अभिवृतियों, सोच एवं विचार में परिवर्तन लाकर नवीन तकनीकों, अनुसंधानों एवं खोजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर परस्पर सहयोग से जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रयासों को समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाते हैं।

सामुदायिक संगठन, समुदाय की समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों के बीच समायोजन है।

अतः सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय उपलब्ध साधनों के बीच एक ऐसा क्रम बनाता है अथवा समुदाय की संरचना में कुछ आवश्यक अवयय को जोड़ देता है जिससे समुदाय की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जिनसे व्याप्त अभाव दूर हो सके।

3.4.3 उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य: समुदाय की समस्याओं का समाधान करना तथा आत्म-निर्भर बनाना है।

हार्पर एवं डनहम ने 1939 में नेशनल कांफ्रेंस ऑफ़ सोशल वर्क द्वारा नियुक्त लेन कमेटी द्वारा प्रतिवेदन में दिए गए सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है-

i) आवश्यकताओं की परिभाषा एवं खोज।

ii) सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और समाप्ति।

iii) साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण और बदलती हुई आवश्यकतों को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए साधनों का पुन: समायोजन।

सैंडरसन व पाल्सन के अनुसार, सामुदायिक संगठन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

i) सामुदायिक पहचान की चेतना जाग्रत करना।

ii) सम्पूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना।

iii) समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की वृद्धि करना।

iv) सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना।

v) संघर्ष को रोकने तथा कुशलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना।

vi) समुदाय की अवांछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना।

vii) सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा समुदायों से सहयोग करना।

viii) एकमतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना।

ix) नेतृत्व को विकसित करना।

त्यागी एवं अरुण, 2018 ने सामुदायिक संगठन के निम्न उद्देश्य बताएं हैं:

i) समुदाय की भावना उत्पन्न करना।

ii) आदान-प्रदान की भावना उत्पन्न करना।

iii) अंत:क्रिया का उत्पन्न होना।

iv) व्यक्ति द्वारा अपनी सहायता स्वयं करना।

v) सामूहिक जीवन, मूल्य एवं मान्यताएं स्थापित करना।

vi) सामुदायिक मूल्य व मान्यताओं को जन्म देना।

vii) सामुदायिक संगठन हेतु कार्यक्रम बनाना एवं उनका कार्यान्वयन।

viii) दूरदर्शिता उत्पन्न करना।

सरल शब्दों में

समुदाय में रहने वाले लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना तथा उसके समाधान के तरीकों को ढूँढना जिससे लोग संगठित रहें तथा स्वालम्बी बनें।

3.4.4 दर्शनशास्त्र

1) सामुदायिक संगठनों का मौलिक पहलू "सहकारी भावना" का सिद्धांत है जो लोगों को किसी मुद्दे को हल करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2) सामुदायिक संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की भावना को पहचानता है । सामुदायिक संगठन लोकतांत्रिक भागीदारी बनाने के बारे में है।

3) संगठित करना सशक्तिकरण के बारे में है। जब लोग एक साथ एकजुट होते हैं, सभी भेदभाव को छोड़कर समुदाय संगठनों में शामिल होते हैं, तो वे आत्मविश्वास विकसित करते हैं। यह सशक्तिकरण तब आता है जब लोग स्वयं और दूसरों की मदद करने के लिए कौशल सीखते हैं। सामूहिक कार्रवाई सामुदायिक भवन में मदद करता है।

4) समुदाय संगठन, व्यक्ति की शक्ति को पहचानता है। यह मानता है कि, लोगों की सामूहिक शक्ति के माध्यम से, बेहतर सामूहिक कार्य और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से व्यापक सामाजिक समस्याएं हल हो सकती हैं।

5) एक और दर्शन है- सामंजस्य का । इसलिए समुदाय संगठन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक जीवन की बदलती स्थितियों के साथ तालमेल रखने के लिए सामंजस्य/ समायोजन किए जाते हैं।

3.4.5 सिद्धांत

1958 में आर्थर डनहम ने समुदाय संगठन के 28 सिद्धांतों का एक बयान तैयार किया और सात शीर्षकों के तहत समूहित किया। वो हैं:

1) लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण

2) सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए समुदाय की जड़ों

3) नागरिक समझ, समर्थन, और भागीदारी और पेशेवर सेवा

4) सहयोग

5) सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

6) सामाजिक कल्याण सेवाओं की पर्याप्तता, वितरण और संगठन तथा

7) रोकथाम

भारत में वास्तविक अभ्यास स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिद्दीकी (1997) ने 8 सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया है। ये सिद्धांत हैं-

1) विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत

2) योजना का सिद्धांत

3) लोगों की भागीदारी का सिद्धांत

4) अंतर-समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत

5) लोकतांत्रिक कार्य का सिद्धांत

6) लचीला संगठन का सिद्धांत

7) उपलब्ध संसाधनों का सिद्धांत

8) सांस्कृतिक उन्मुखीकरण का सिद्धांत

त्यागी एवं अरुण ने अपनी किताब मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा (2018) में निम्न सिद्धान्तों का उल्लेख किया है-

1) व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति समाज का सिद्धांत: सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए वैयक्तिक कार्य तथा सामूहिक कार्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी आवश्यक है। वैयक्तिक कार्यकर्ता को अपने सेवार्थी की सहायता के लिए सामूहिक व सामुदायिक कार्यो का ज्ञान आवश्यक है। समुदाय में अपने तीनों वर्गों (व्यक्ति, समूह, समुदाय) का समन्वय अति आवश्यक है। यह समुदाय के प्रत्येक के व्यक्ति के व्यक्तित्व से पूर्व परिचित होने पर ही सम्भव है।

2) समस्याओं से सम्बंधित सभी लोगों का प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग: समुदाय में समस्याओं की उत्पत्ति प्राकृतिक सत्य है। विभिन्न समस्याओं का सम्बन्ध समुदाय के अलग-अलग व्यक्तियों से सम्बंधित होता है। सामुदायिक संगठन को समुदाय से सम्बंधित समस्या के हल में रूचि लेनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का इसमें योगदान हो।

3) आत्म निर्णय का सिद्धांत: सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ताओं को अपना कोई निर्णय समुदाय के सदस्यों पर थोपना नहीं चाहिए बल्कि निर्णय समुदायवासियों पर ही छोड़ देना चाहिए। वे अपने आत्म-निर्णय द्वारा ही किसी प्रकार का निर्णय लें।

एम. जी. रॉस ने अपनी पुस्तक 'community organisation theory, principles and practice' में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया है:-

1. समुदाय में विद्यमान दशाओं के प्रति असंतोष के कारण संगठन का विकास।

2. विशेष समस्याओं के सन्दर्भ में इस असंतोष का केन्द्रित किया जाना और इसे संगठन, नियोजन और प्रयासों में बदलना।

3. असंतोष, जो सामुदायिक संगठन को आरम्भ करता है या जो इसे सजीव रखता है, समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है।

4. संगठनको ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यो में सम्मिलित करना जिनको समुदाय के अधिकतर लोगों द्वारा पहचाना व् स्वीकार किया जाता हो।

5. संगठनके उददेश्य एवं कार्यविधियां ऐसी हो जो सदस्यों को मान्य हो।

6. संगठन के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होने चहिए जो संवेगात्मक दृश्टिकोण विषय वस्तु लिए हो।

7. संगठन को समुदाय में विधमान सद्भाव का प्रयोग करना चाहिए।

8.संगठन के अन्दर और समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को विकसित करना चाहिए।

9. संगठन को समूहों में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए।

10. संगठनको अपने संगठन और कार्यरीतियों को लचीला रखना चाहिए।

11. संगठन को अपने कार्यो की गति को समुदाय की विद्यमान दशाओं के अनुरूप रखना चाहिए।

12. संगठनको प्रभावशाली नेताओं का विकास करना चहिए।

13. संगठनको समुदाय में अपनी सक्रियता, स्थिरता और सम्मान को विकसित करना चाहिए।

3.4.6 व्यापकता क्षेत्र (Scope)

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र सामाजिक सेवाओं के संगठन तथा उसके प्रशासन से सम्बंधित हैं। सामुदायिक संगठन के व्यापक क्षेत्र है:

- समाज कल्याण संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
- समन्वय स्थापित करने हेतु धन एकत्रित करना।
- समाज से सम्बंधित विधानों को बनाना।
- समुदाय के ढांचे में सामाजिक संस्थान, रीती-रिवाजों, सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक स्तर इत्यादि।

3.4.7 सामुदायिक संगठन के कार्य

भारत में सामुदायिक संगठन के अंतर्गत तीन प्रकार की क्रियाएं कार्यरत हैं-

(1) समुदाय की समस्याओं का निदान करना

(2) समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार

(3) समाज कल्याण

सामुदायिक संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे महिलाओं का संगठन, पुरुषों का संगठन, युवाओं का संगठन, व्यापारियों का संगता आदि। जब सामुदायिक कार्य संगठन के माध्यम से किया जाता है तब निश्चित ही विकास कार्यक्रमों को एक गति मिलेगी तथा कार्यक्रम सफल होंगे।

3.4.7 सामुदायिक संगठन के अंग

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता, व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केन्द्र में सेवा प्रदान करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास सम्भव होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है :- (i) कार्यकर्ता, (ii) समुदाय, (iii) संस्था

(i) कार्यकर्ता - सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास एवं उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सामान्य निमार्ण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वह सामाजिक सम्बन्धों को आधार मानकर, शिक्षात्मक तथा विकासात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है।कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है:-

1. सामुदायिक स्थापना।
2. संस्था के कार्य तथा उद्देश्य।
3. संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधायें।
4. समुदाय की विशेषतायें।
5. सदस्यों की संधियाँ, आवश्यक कार्य एंव योग्यतायें।
6. अपनी स्वयं की निपुणतायें तथा क्षमतायें।
7. समुदाय की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा।

(ii) समुदाय- सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारम्भ समुदाय के साथ करता हैऔर समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति को समुदाय सदस्य के रूप में जानता हैं तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। समुदाय एक आवश्यक साधन तथा यन्त्र होता है जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं । जिस प्रकार का समुदाय होता हैं कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती हैं। सामुदायिक कार्य का प्राथमिक उदेश्य प्रत्येक सदस्य का समुदाय में अच्छी प्रकार से समायोजन करना है।

(iii) संस्था- सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योंकि सामुदायिक कार्य का उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है। संस्था की प्रकृति एंव कार्य, कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं। समुदाय के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को निम्न बातों को भली-भांति समझना चाहिए-

1. कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यो का ज्ञान होना चाहिए।

2. संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए।

3. उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करती है तथा सहायता के क्या-2 साधन के स्रोत हैं।

4. संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए।

5. संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए।

6. उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थायें तथा समुदाय कितने है जिनमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य को सन्दर्भित किया जा सकता है।

7. संस्था द्वारा समुदाय के मुल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। सामुदायिक एंव संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की और बढ़ते हैं।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें ।

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिये :

1. समुदाय के व्यक्तियों के हित .... होते है ।

2. सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य समुदाय की समस्याओं का समाधान करना तथा .... बनाना है

3. सामुदायिक संगठनों का मौलिक पहलू .... का सिद्धांत है जो लोगों को किसी मुद्दे को हल करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

4. एक .... में निवास करने वाले व्यक्तिओं के समूह को समुदाय कहते हैं

5. सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है ....

6. .... समुदाय की समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों के बीच समायोजन है।

3.5 सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास की अवधारणा - सामुदायिक विकास का उपयोग विशेष रूप से 1950 से 1960 के दशक में जीवन स्तर बढ़ाने के व्यापक तरीके का वर्णन करने के लिए किया गया है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों की सहायता से लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है इस दृष्टिकोण के तहत किए गए सड़कों और बांधों के निर्माण के काम एवं सामुदायिक केंद्रों और साक्षरता वर्गों के चलने के लिए एक व्यापक दायरे को कवर किया है (कुएंस्टलर, 1961)

3.5.1 अर्थ

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास एक योजना मात्र नही है बल्कि यह स्वयं में एक विचारधारा तथा संरचना है। इसका तात्पर्य है कि एक विचारधारा के रूप में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराता है तथा एक संरचना के रूप में यह विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों और उनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करता है।

भारतीय सन्दर्भ में, सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक साधनों, नेतृत्व के स्वरुप तथा जनसहभाग के बीच सामंजस्य- स्थापित करते हुए समाज का चतुर्दिक विकास करने का प्रयास किया जाता है।

सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन-समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है।

3.5.2 परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र द्वारासामुदायिक विकास को मोटे तौर पर "एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जहां समुदाय के सदस्य सामूहिक कार्रवाई करने और आम समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं।"

’सुंदरर्स (1958) सामुदायिक विकास को 'एक ऐसी स्थिति से परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जहां जहां लोग खुद आम चिंता के विषयसंबंधितमामलों के बारे में निर्णय लेते हैंतथा न्यूनतम से अधिकतम सहयोग के लिए कार्य करते है, एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां सभी संसाधन और विशेषज्ञ बाहर से आए हों।

योजना आयोग- जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।

प्रो. ए. आर. देसाई-‘सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।’

आई0सी0 जैकसन के अनसार–सामुदायिक विकास किसी समुदाय को अपने आप काम करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सामुदायिक जीवन का समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करता है।

रैना के अनुसार‘‘सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन से सभी पहलुओं से सम्बंधित है तथा धर्म, जाति सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिये, एक सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है।

3.5.3 उद्देश्य

सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन-स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है।

प्रो. ए. आर. देसाई- सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ग्रामीणों की नवीन आकांक्षाओं, प्रेरणाओं, प्रविधियों एवं विश्वासों को ध्यान में रखते हुए मानव शक्ति के विशाल भण्डार को देश के आर्थिक विकास में लगाना है।

डॉ दुबेने सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है: (1) देश का कृषि उत्पादक प्रचुर मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करना, संचार की सुविधाओं में वृद्धि करना, शिक्षा का प्रसार करना तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई की दशा में सुधार करना। ((2) गाँवों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ करना।

भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

1. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।

2. गाँवों में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करना।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना।

4. ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।

5. इन सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा में सुधार करना।

6. राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना।

7. ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना।

8. ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

3.5.4 सामुदायिक विकास के मूल तत्व

सामुदायिक विकास के चार मूल तत्व निम्नलिखित हैं-

1. नियोजित कार्यक्रम जिसे समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

2. विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता और पहल।

3. विशेषज्ञ, सामग्री और साधन के रूप में सहायता।

4. समुदाय के सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञों व संस्थानों (सरकारी अथवा गैर- सरकारी) का सामंजस्य जैसे कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग -इत्यादि।

3.5.5 सामुदायिक विकास की विशेषताएँ

सामुदायिक विकास जो समुदाय के जीवन को बेहतर बनाता है उसकी कई विशेषताएं हैं जो सार्वभौमिक हैं। इन विशेषताओं में से कुछ हैं:

- परिवर्तन से प्रभावित सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
- स्थानीय ज्ञान का सम्मान करें और स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करें।
- स्थिरता - लोग एक ऐसी परियोजना से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जिसकी उन्होंने मदद की है। इसलिए वे इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित और बनाए रखेंगे।

- स्थानीय क्षमता का निर्माण करना - दीर्घकालिक सामुदायिक स्थिरता मानव और सामाजिक क्षमताओं के विकास पर निर्भर करता है।
- प्रभावी, पारदर्शी संचार।

3.5.6 सामुदायिक विकास के सिद्धांत

सफल सामुदायिक विकास कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। जैसे घर बनाने के साथ आपको एक मजबूत नींव स्थापित करनी चाहिए अन्यथा घर ध्वस्त हो सकता है। वैसे सामुदायिक विकास को भी एक मजबूत नींव की भी जरूरत है। नीचे वर्णित सिद्धांत किसी भी समुदाय और संदर्भ में सामुदायिक विकास पर लागू होते हैं।नीचे वर्णित सिद्धांत किसी भी समुदाय और किसी भी संदर्भ में सामुदायिक विकास पर लागू होते हैं।

1. भागीदारी सामुदायिक विकास का पहला मूल सिद्धांत है। इसका मतलब है लोगों की आवाज सुनना और उन्हें अपने समुदाय को विकसित करने में सहायता करना, इस तरह से कि वे इसे विकसित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को शामिल करने के लिए उपयुक्त तरीके खोजना। सतत सामुदायिक विकास अंततः प्रारंभिक योजना के चरणों से पूरा होने तक अपने स्वयं के विकास में भाग लेने वाले लोगों पर निर्भर करता है। ऐसा करने से लोगों को अपने नए विकास को प्रबंधित करने और बनाए रखने की अधिक संभावना है।

2. स्थिरता या सतत विकास का सिद्धांत सामुदायिक विकास का एक मूल सिद्धांत है और अक्सर इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जब परिवर्तन एक समुदाय के लिए पेश किया जाता है, तो यह आशा की जाती है कि समुदाय इसे प्रबंधित या बनाए रखेगा। स्थिरता को बाहरी समर्थन के साथ या बाहरी समर्थन के बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्थिरता के कुछ सिद्धांतों में शामिल हैं: - परियोजना के सभी पहलुओं में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी।, समस्याओं / जरूरतों की पहचान, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग जिसे स्थानीय स्तर पर बनाए रखा जा सके।

3. समानता और सामाजिक न्याय सामुदायिक विकास का तीसरा सिद्धांत इक्विटी और सामाजिक न्याय है। सामुदायिक विकास के संदर्भ में इक्विटी और सामाजिक न्याय का अर्थ है: - सभी समुदाय के सदस्य, संस्कृति, धर्म, लिंग या उम्र की परवाह किए बिना, अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर रखते हैं। लोगों की पहुंच की जानकारी के लिए उपलब्धता, जो उन तरीकों से प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें वे समझ सकते हैं, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग और उपयोग में लोगों की निष्पक्षता। सामुदायिक विकास के किसी भी रूप से समुदाय के सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।

3.5.7 सामुदायिक विकास का संगठन

हमारे देश में सामुदायिक विकास सरकारी एवं जनता दोनों का सयुंक्त प्रयास है। विभिन्न स्तरों पर यह संगठन निम्न प्रकार है:

क) केन्द्रीय स्तर (Central level)- राष्ट्रीय स्तर की समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद् कहते हैं। इस समिति का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है तथा कृषि मंत्री, योजना मंत्री, खाद्ध्य मंत्री और योजना आयोग के सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। देश भर के कार्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व इस समिति का होता है। एक सलाहकार आयोग अलग से इस समिति को परामर्श देता है। इस आयोग में वित्त मंत्रालय, खाद्ध्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयों के मंत्री व सचिव सदस्य होते हैं।

ख) प्रान्त स्तर (State level)- इसे प्रांतीय विकास परिषद् कहते हैं। इस समिति का चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है तथा कृषि, सहकारिता, सिंचाई, वित्त, शिक्षा मंत्री, इसके सदस्य होते हैं। राज्य विकास आयुक्त इसका सचिव होता है। यह समिति राज्य के विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है।

ग) जनपद स्तर (District level)- इस स्तर पर जनपद पंचायत समिति विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति के चेयरमैन का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला विकास आयुक्त अथवा जिला नियोजन अधिकारी इस समिति के सचिव होते हैं। जिला कृषि अधिकारी, पशुधन अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, पंचायत अधिकारी इसके सदस्य होते है।

घ) क्षेत्रीय स्तर (Block level)- विकास खंड स्तर क्षेत्रीय विकास समिति अथवा खण्ड पंचायत समिति विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इसका अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि होता है जिसे प्रधान कहते हैं। क्षेत्र विकास अधिकारी (BDO) इस समिति का सचिव होता है। विकास खंड के सभी सहायक विकास अधिकारी, सहायक उप-विद्यालय निरीक्षक, सिंचाई विभाग के जिम्मेदार इसके सदस्य होते हैं।

ङ) ग्राम स्तर (Village level)- गाँव स्तर पर ग्राम स्तर विकास समिति विकास कार्यों की रुपरेखा तैयार करती है। ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा प्रधान इसका अध्यक्ष एवं पंचायत मंत्री तथा ग्राम विकास अधिकारी इसके सचिव व सदस्य होते हैं।

3.5.8 प्रमुख कार्यक्रम

सामुदायिक विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं-

(i) कृषि सम्बन्धी जैसे भूमि सुधार, उन्नत बीज, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि,

(ii) रोजगार सम्बन्धी जैसे कुटीर उद्योग-धंधों को चलने हेतु युवकों को प्रशिक्षण,

(iii) स्वास्थ्य सम्बन्धी जैसे स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन आदि,

(iv) वित्त सम्बन्धी जैसे ऋण की व्यवस्था एवं विकास कार्यों के लिए अनुदान,

(v) सहकारिता सम्बन्धी

(vi) यातायात सम्बन्धी

(vii) गृह निर्माण कार्य,

(viii) समाज कल्याण इत्यादि।

3.6 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं और अंतर

3.6.1 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं

- समुदाय संगठन और समुदाय विकास दोनों प्रक्रियाएं हैं।
- दोनों का उद्धेश्य कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास है।
- दोनों में कार्यवाई की इकाई समुदाय है।
- लोगों की भागीदारी दोनों की प्रक्रियाओं की कुंजी है।
- दोनों प्रक्रियाओं में संसाधनों का संग्रहण और उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
- सामुदायिक विकास को एक लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है और सामुदायिक संगठन को एक प्रक्रिया या विधि के रूप में जिसके द्वारा सामुदायिक बिकास हासिल किया जा सकता है।

3.6.2 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर

सामुदायिक संगठन	सामुदायिक विकास
सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।	सामुदायिक विकास में लोगों का विकास महत्वपूर्ण है।
सामुदायिक संगठन में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरुरत नहीं होती है।	सामुदायिक विकास में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरुरत होती है।

सामुदायिक संगठन का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है।	सामुदायिक विकास का ज्यादातर उपयोग लोगों के आर्थिक विकास और जीवन स्तर के विकास के लिए किया जाता है।
सामुदायिक संगठन में किसी भी योजना की शुरुआत लोगों द्वारा उनकी भागीदारी के माध्यम से की जाती है।	सामुदायिक विकास में कोई भी योजना बाहरी एजेंसी अधिकतर सरकार द्वारा चलायी जाती है।
सामुदायिक आयोजक ज्यादातर सामजिक कार्यकर्ता अथवा सामाजिक परिवर्तन अभिकर्ता होते हैं।	सामुदायिक विकास में किसी भी व्यवसाय से सम्बंधित हो सकता है जैसे कृषि विशेषज्ञ, पशु-चिकित्सा विशेषज्ञ इत्यादि।
किसी भी समुदाय में सामुदायिक संगठन का अभ्यस्त किया जा सकता है।	सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से कम विकसित या विकासशील समुदायों में चलाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

सही/ गलत बताइए।

1. भागीदारी, स्थिरता, समानता और सामाजिक न्याय; सामुदायिक विकास के सिद्धांत हैं।

2. रैना के अनुसार‘सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।’

3. सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास, दोनों में कार्यवाई की इकाई समुदाय है।

4. सामुदायिक विकास में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरुरत नहीं होती है।

3.7 सारांश

मनुष्य के सार्वजनिक जीवन में समुदाय का अत्यंत मत्व है। समुदाय को आधार मानकर ही विभिन्न विकास योजनाएं चलायी जाती हैं। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों का चहुमुंखी विकास करना है। सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा उनके जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूपांतर करने का एक प्रयत्न है। जब समुदाय मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील हो तो उन्हें संगठन की आवश्यकता होती है।सामुदायिक संगठन एक एकीकृत इकाई

के रूप में कार्य करने की समुदाय की क्षमता को विकसित करता है। समुदायिक संगठन, समुदाय को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और उद्धेश्यों को पूर्ण करने के लिए नियोजित तथा सामुदायिक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे समुदाय की परिस्थितियों में बदलाव लाकर पूर्ण कल्याण किया जाता है।

3.8 पारिभाषिक शब्दावली

समुदाय:समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो।

सामुदायिक संगठन:सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों या कार्यो को नियोजित करने से और अपने उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत प्रयास सम्मिलित है।

सामुदायिक विकास: जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिये :

1. व्यापक
2. आत्म-निर्भर
3. सहकारी भावना
4. निश्चित भोगोलिक क्षेत्र
5. (i) कार्यकर्ता, (ii) समुदाय, (iii) संस्था
6. सामुदायिक संगठन

अभ्यास प्रश्न 2

सही/ गलत बताइए

1. सही
2. गलत

3. सही

4. गलत

3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1) डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर

2) डॉ बी.डी. त्यागी एवं डॉ एस. के. अरुण, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा, रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

3.11 सहायक पाठ्य सामग्री

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organization

2. http://www.studylecturenotes.com/social-sciences/sociology/373-introduction-to-community-organization-meaning-a-definition

3. https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/community-organization

4. http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/community-development-for-health-promoters/module-one-concepts-values-and-principles/defini-0

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development

6. https:// christcollegegemsw.blogspot.com/2008/03/community-organsiation-notes.html

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की परिभाषा बताते हुए, उनके उद्देश्य, सिद्धांत व दर्शन-शास्त्र पर टिपण्णी कीजिये।

2. सामुदायिक विकास के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों व् उद्देश्यों के बारे में बताइए।

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विभिन्न संगठनों का उल्लेख कीजिये।

4. सामुदायिक संगठन एवं सामुदायिक विकास समानताएं व अंतर बताइए

इकाई 4 : प्रसार सेवाओं का प्रबंधन

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 भारत में कृषि प्रसार सेवायें
4.4 संगठन
4.4.1 संगठनात्मक लक्ष्य
4.4.2 आभासीय संगठन
4.4.3 संगठनात्मक संस्कृति
4.4.4 संगठनात्मक बदलाव का दृष्टिकोण
4.4.5 समिति
4.5 प्रबंधन की अवधारणा
4.5.1 नियोजन
4.5.2 आयोजन
4.5.3 समन्वय
4.5.4 नियंत्रण
4.5.5 मूल्यांकन
4.6 स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठन
4.7 प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में आने वाली समस्याएँ एवं समाधान
4.8 सारांश
4.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
4.10 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारत में कृषि विकास को गति देने में प्रसार सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेवाएँ किसानों को नई तकनीक, बेहतर प्रथाएँ और समस्या-समाधान हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। प्रभावी प्रसार कार्य के लिए प्रबंधन की अवधारणा जैसे योजना, संगठन, समन्वय और मूल्यांकन विशेष महत्त्व रखती है। देश में कृषि प्रसार सेवाएँ विभिन्न स्तरों पर संगठित हैं जिनकी समुदाय तक सीधे पहुँच बनाती हैं। स्थानीय संस्थाएँ प्रशिक्षण, प्रदर्शन और सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से

समुदाय को सशक्त करती हैं। फिर भी प्रसार प्रबंधन में संसाधन सीमाएँ, तकनीकी पहुँच की कमी, समन्वय समस्याएँ और प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। इनका समाधान बेहतर योजना, क्षमता-विकास और तकनीक के प्रभावी उपयोग से संभव है। यह इकाई भारत में कृषि प्रसार सेवाओं, संगठनात्मक ढाँचे, प्रबंधन की अवधारणा और प्रमुख चुनौतियों व समाधानों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करती है। पिछली इकाइयों में हमने प्रसार शिक्षा, संचार के तरीकों और सामुदायिक संगठनों के बारे में जाना। इस इकाई में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्रसार सेवाओं का कैसे प्रबंधन होता है और कैसे किसी संगठन का उत्तम प्रबंधन प्रसार सेवाओं के उत्तम प्रसार में मदद करता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप सक्षम होंगे;

- भारत में कृषि प्रसार सेवाओं के प्रबंधन को समझने में।
- संगठन एवं प्रबंधन की व्याख्या करने में।
- स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठनों को पहचानने में।
- प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान जानने में।

4.3 भारत में कृषि प्रसार सेवाएँ

कृषि प्रसार सेवाएं अतिरिक्त सेवाएं हैं जो किसानों को उनके फसल उत्पादन में सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। इन सेवाओं को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता होती है। कृषि प्रसार सेवाएं किसानों को उनके तकनीकी कौशल में सुधार और उत्पादन में वृद्धि करके बहुत लाभ पहुंचाती हैं। भारत में, सरकारी प्राधिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किसानों को बेहतर फसल उत्पादन के लिए सक्षम बनाने के साधन के रूप में कृषि प्रसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हम संक्षेप में भारत की प्रसार सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे।

कृषि प्रसार सेवाएं (ए.ई.एस.) कुशल श्रमिकों या एजेंटों द्वारा की जाने वाली सेवाओं का एक समूह है जो किसानों को उनकी कृषि उपज बढ़ाने में मदद करती है। कृषि प्रसार सेवाएं दुनिया के सभी हिस्सों में आम है, जहां कृषि श्रमिकों का उत्थान एक प्राथमिकता है। कृषि सेवाओं के माध्यम से, किसानों को तकनीकी सहायता मिल सकती है, और अपनी कृषि विधियों को बदलने की प्रेरणा मिल सकती है। भारत में कृषि प्रसार सेवाएं कई सरकारी एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, राज्य कृषि विभाग और SAMETI (State Agricultural Management and Extension Training Institute) द्वारा संचालित की जाती हैं।

कृषि प्रसार सेवाओं के प्रकार: कई अलग-अलग प्रकार की कृषि प्रसार सेवाएं हैं जो किसी भी किसान की कृषि उपज को बदलने में मदद कर सकती हैं। कृषि प्रसार सेवाओं के प्रकारों को तीन मुख्य घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

- **सलाहकार सेवाएं:** कुशल श्रमिकों और एजेंटों द्वारा सलाहकार सेवाएं उपलब्ध हैं ताकि किसानों को उनके फसल उत्पादन में सुधार के लिए प्रभावी सलाह प्रदान की जा सके। भारत में किसानों के लिए अनेक प्रकार की सलाहकार सेवाएं मौजूद हैं, जिनमें मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान, कीट एवं रोग प्रबंधन, तकनीकी जानकारी और बाजार संपर्क शामिल हैं। ये सेवाएं विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप (m4agri), SMS (mKisan portal), समाचार पत्र, रेडियो, टीवी और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित वेबसाइट। जैसे किसान कॉल सेंटर के लिए एक देशव्यापी सामान्य ग्यारह अंकों का टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। जो किसानों को कृषि, बागवानी, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान और पशुपालन आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी सेवाएं:** सही तकनीक की मदद से कैसे किसी तकनीक का उपयोग करें, इसके बारे में ज्ञान प्रदान करने से किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। भारत में कृषि विकास के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों में प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हरित क्रांति, नवीन सिंचाई, कृषि उपकरणों का प्रयोग, और संस्थागत सुधारों में भूमि सुधार, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय को सुधारना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **सुविधा सेवाएँ:** ये सेवाएँ किसानों को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानने में मदद कर सकती हैं जिनमें उन्हें बेहतर कृषि परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत में किसान कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) (वित्तीय सहायता), ई-नाम (e-NAM) (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और मोबाइल ऐप तथा AI चैटबॉट, जो किसानों को सीधे सरकार और विभिन्न सेवाओं से जोड़ते हैं।

4.4 संगठन

भारत में प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण घटकों जैसे संगठन, समिति, प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइये, चर्चा करते है इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जो किसी भी प्रसार सेवा में किसी न किसी रूप में सम्मिलित होते है। तकनीकी रूप से, संगठन की अवधारणा के निम्नलिखित दो अर्थ हैं- पहला, संगठन एक संरचना है अर्थात व्यक्तियों के बीच परिभाषित संबंधों का एक अन्तर जाल है। दूसरा संगठन एक प्रक्रिया है, एक प्रबंधकीय कार्य है जिसके

द्वारा विभिन्न गतिविधियों को समूहीकरण किया जाता है और प्राधिकरण शक्ति के भार के माध्यम से अधिकारियों के अधीनस्थ संबंध स्थापित किए जाते हैं। संगठन मूल रूप से लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक संगठन तब अस्तित्व में आता है जब कुछ लोग एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत होते हैं। व्यक्तियों के बिना समूह संगठन का कोई अर्थ नहीं है।

4.4.1 संगठनात्मक लक्ष्य

एट्ज़ियोनी (1976) के अनुसार,संगठन सामाजिक इकाइयाँ या मानव समूह हैं जिन्हें जानबूझकर विशिष्ट लक्ष्यों की तलाश के लिए बनाया गया है। किसी भी संगठन के लक्ष्य कई तरह के कार्य करते हैं। वे भविष्य की स्थिति का चित्रण करके किसी भी संस्था को दिशा प्रदान करते हैं जिसे संगठन महसूस करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि वे संगठनात्मक गतिविधि के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। लक्ष्य भी वैधता के एक स्रोत का गठन करते हैं जो एक संगठन की गतिविधियों और इसके अस्तित्व को सही ठहराते हैं। इसके अलावा,लक्ष्य उन मानकों के रूप में काम करते हैं जिनके द्वारा किसी संगठन के सदस्य और बाहरी लोग संगठन की सफलता का आकलन कर सकते हैं जैसे इसकी प्रभावशीलता और दक्षता। किसी भी संगठन के लक्ष्यों की उचित समझ उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रोजर्स (1995) के अनुसार संगठन के लक्ष्य निम्न होते है-

1. पूर्व निर्धारित लक्ष्य: औपचारिक संगठनों के लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए संगठनों की औपचारिक रूप से स्थापना की जाती है। औपचारिक संगठनों के लक्ष्य काफी हद तक की संरचना और कार्य को निर्धारित करते है।

2. निर्धारित भूमिकाएँ: भूमिका, कर्तव्यों के रूप में विभिन्न स्थितियों की गतिविधियों का एक सेट है जो जिसमे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा संगठनात्मक कार्यों का वितरण किया जाता है।

3. प्राधिकरण संरचना: एक औपचारिक संगठन में सभी पदों के पास समान अधिकार होते हैं इसके बजाय, पदों को एक पदानुक्रमित प्राधिकरण संरचना में व्यवस्थित किया जाता है जो निर्दिष्ट करता है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है, और कौन किसे आदेश देता है

4. नियम और विनियम: यह लिखित रूप में एक औपचारिक,स्थापित प्रणाली या प्रक्रियाएं है जो संगठनात्मक सदस्यों के निर्णयों और कार्यों को नियंत्रित करती हैं।

5.अनौपचारिक पैटर्न: संगठन में अनौपचारिक पैटर्न मानव, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों का एक जाल है जो आधिकारिक ढांचे के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। यह किसी औपचारिक नेतृत्व या नियमों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपसी विश्वास, साझा रुचियों, मित्रता

और व्यक्तिगत पसंदों पर आधारित होता है। ये पैटर्न अनियोजित होते हैं, संचार को तेजी से फैलाते हैं और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, हालांकि ये अफवाहें और विरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं।

4.4.2 आभासीय संगठन

आभासी संगठन: एक आभासी संगठन भौगोलिक रूप से दूर के कर्मचारियों का एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक संचार (इंटरनेट) से जुड़े हुए हैं। एक आभासी संगठन भौगोलिक रूप से फैले हुए व्यक्तियों, समूहों, संगठनात्मक इकाइयों या संपूर्ण संगठनों का एक अस्थायी या स्थायी संग्रह है जो उत्पादन प्रक्रिया (कार्य परिभाषा) को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग पर निर्भर करता है। एक आभासी संगठन में, अधिकांश कर्मचारी बिखरे हुए भौगोलिक स्थानों से पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं। यह वितरित कार्य वातावरण में संसाधनों को साझा करने, बनाए रखने और सक्षम करने के लिए सूचना विज्ञान उपकरण का उपयोग करता है। आज की आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में, आपको पर्याप्त से अधिक नए स्टार्ट-अप मिलेंगे जो आभासी संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं। यहां तक कि स्थापित कंपनियां उन्हें अपने संगठनात्मक डिजाइन में और भर्ती प्रक्रियाओं में भी एकीकृत कर रही हैं। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, आभासी संगठन परिवर्तन के सबसे बड़े संचालकों में से हैं, और इसके गठन में काफी लाभ हैं।

आभासी संगठन की विशेषताएँ इस प्रकार हैं- प्रकृति में गतिशील, सपाट संगठन, शक्ति लचीलापन, अनौपचारिक संचार, लक्ष्य अभिविन्यास, अस्पष्ट संगठनात्मक सीमाएँ, आभासी टीम, जानकार कार्यकर्ता, जानकारी साझा करना तथा ग्राहक अभिविन्यास।

आभासी संगठन के प्रकार इस प्रकार हैं-

अ. टेलीकॉम्प्यूटर्स: इस प्रकार के आभासी संगठन कर्मचारियों को काम पर रखते हैं जो घर से काम करते हैं और व्यक्तिगत कंप्यूटरों के माध्यम से अपने कार्यस्थल से बातचीत करते हैं।

ब. पूरी तरह से आभासी: इस प्रकार के आभासी संगठन खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के नेटवर्क से जुड़े होते हैं।

स. आउटसोर्सिंग कर्मचारी: इस प्रकार की कंपनियां मुख्य दक्षताओं के लगभग सभी या महत्वपूर्ण हिस्से को आउटसोर्स करती हैं। आभासी संगठन के पास एक या दो मुख्य दक्षताएँ हैं जिनमें यह उत्कृष्ट है और बाकी को काम पर रखता है। आउटसोर्सिंग के क्षेत्रों में आमतौर पर सूचना प्रणाली, निर्माण, मंगेतर, इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं। यह सूचना और ज्ञान है जो एक आभासी संगठन को प्रभावी बनाता है। संगठन को सुचारु रूप से काम करने के लिए निर्बाध वेब संचार आवश्यक है। एक आभासी संगठन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. ई-मेल एकीकरण: आभासी संगठन की एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषता ई-मेल में एसएमएस या लघु संदेश सेवा का एकीकरण है। यह पहले से ही एक मौजूदा बुनियादी ढांचा है जो किसी कंपनी को एसएमएस उत्पादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

2. प्रौद्योगिकी: समय बदल रहा है और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति देख रहे हैं। इसने पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है जिसमें व्यावसायिक संस्थाएँ काम करती थीं और इसे संभावनाओं की एक नई श्रेणी के साथ बदल दिया है। कंप्यूटिंग उद्योग, दूरसंचार क्षेत्र के साथ, आभासी संगठनों के विकास और विकास के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है।

3. वॉयस मेल अलर्ट: जब वॉयस मेल सिस्टम में एसएमएस तकनीक जोड़ी जाती है तो यह वॉयस मेल अलर्ट प्राप्त करने का एक तरीका बनाती है ।

4. कार्यालय प्रणाली एकीकरण: एसएमएस या लघु संदेश सेवा प्रौद्योगिकी नए कार्यालय प्रणालियों या मौजूदा प्रणालियों को बढ़ा सकती है।

5. मोबाइल डेटा: आभासी संगठन की एक और मुख्य विशेषता यह है कि अब मोबाइल डिवाइस नेटवर्क की मदद से दुनिया में कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त करना संभव है। लैपटॉप को मोबाइल उपकरणों से आसानी से जोड़ा जा सकता है ताकि उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से आभासी संगठन से जुड़ा रह सके। इस प्रकार मोबाइल डेटा कनेक्शन ने संगठनों के संचालन के तरीके में क्रांति ला दी है।

4.4.3 संगठनात्मक संस्कृति

"संगठनात्मक संस्कृति एक प्रणाली है, जो साझा मान्यताओं और दृष्टिकोणों के माध्यम से एक संगठन के भीतर विकसित होती है और उसके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देती है। कॉर्पोरेट संस्कृति में सामान्य मूल्यों, संगठन के आचरण के अनकहे नियमों, प्रबंधन की शैली, प्राथमिकताओं, विश्वासों और व्यक्तिगत व्यवहार में विविधता होती है। ये सभी मिलकर एक ऐसी जलवायु का निर्माण करते हैं, जो यह निर्धारित करती है कि लोग कैसे संवाद करेंगे, योजना बनाएंगे और निर्णय लेंगे। संगठनात्मक संस्कृति को दर्शन, विचारधारा, मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों, अपेक्षाओं, दृष्टिकोणों और मानदंडों के रूप में समझा जा सकता है, जो एक संगठन को एकजुट करते हैं और उसके कर्मचारियों द्वारा साझा किए जाते हैं।"

एडगर शीहिन के अनुसार, "संगठनात्मक संस्कृति को एक निश्चित समूह द्वारा आविष्कृत, खोज या विकसित की गई मूल मान्यताओं के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि यह बाहरी अनुकूलन और आंतरिक एकीकरण की अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सीखता है-जिसने अच्छी

तरह से काम किया है। मूल्यवान और इसलिए,नए सदस्यों को उन समस्याओं के संबंध में सोचने, विचारने और महसूस करने का सही तरीका सिखाया जाना चाहिए। ”

4.4.4 संगठनात्मक बदलाव का दृष्टिकोण

रोजर्स और शोमेकर (1971) के अनुसार, संगठनात्मक परिवर्तन के लिए दो बुनियादी दृष्टिकोण हैं:

आधिकारिक दृष्टिकोण: आधिकारिक दृष्टिकोण में शक्ति का असमान वितरण होता है और परिवर्तन के बारे में निर्णय एक केंद्रीकृत शक्ति स्थिति द्वारा किए जाते हैं और दूसरों को निर्णय का पालन करने की आवश्यकता होती है।

विकासीय दृष्टिकोण: विकासीय दृष्टिकोण में शक्ति का व्यापक बंटवारा होता है और परिवर्तन के बारे में निर्णय परिवर्तन से प्रभावित लोगों के परामर्श से किए जाते हैं। ज्यादातर स्थितियों में उद्देश्यों को चुनने का सबसे अच्छा तरीका कहीं न कहीं निर्देशक दृष्टिकोण के बीच होता है, जहाँ उद्देश्यों को राजनेताओं, नौकरशाहों या लक्ष्य समूह के बाहर के विशेषज्ञों द्वारा चुना जाता है और गैर-निर्देशात्मक दृष्टिकोण जहाँ इन उद्देश्यों को केवल लोगों द्वारा ही चुना जाता है। संगठनात्मक परिवर्तन बाहरी या आंतरिक कारकों के कारण हो सकता है। संगठनात्मक परिवर्तन को नियोजित परिवर्तन या अनियोजित परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत, समूह या संगठनात्मक स्तरों पर हो सकते हैं।

इसके अलावा, ये परिवर्तन एक संगठन में तीन स्तरों पर हो सकते हैं:

1) व्यक्तिगत स्तर- इसमें कार्य आवंटन में बदलाव, स्थानांतरण, प्रोन्नति या कार्य अनुभव स्तर में बदलाव आदि शामिल हैं।

2) समूह स्तर- इसमें अक्षमताओं, संचार की कमी आदि के कारण होने वाले परिवर्तन शामिल हैं।

3) संगठनात्मक स्तर- इसमें स्थान परिवर्तन, पुनर्गठन, विलय, अधिग्रहण आदि के कारण होने वाले परिवर्तन शामिल हैं।

“जीवन में एकमात्र स्थिरांक परिवर्तन है"- हेराक्लिटस। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा परिवर्तन पर यह वाक्य न केवल हमारे जीवन पर बल्कि संगठनों के अस्तित्व पर भी लागू होता है। जैसे हमारे पर्यावरण में कुछ भी स्थिर नहीं है, वैसे ही सभी संगठनों में भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए, बाजार में जीवित रहने के लिए, संगठनों को आवश्यक परिवर्तन के अनुकूल होने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन संगठनात्मक संस्कृति से लेकर प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन तक, किसी भी प्रकार का हो सकता है।

लेविन का परिवर्तन मॉडल

लेविन के अनुसार, संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव के लिए व्यक्तियों को यह समझने की आवश्यकता है कि परिवर्तन जरूरी है। लेविन का मॉडल सामाजिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी मनोवैज्ञानिक द्वारा परिवर्तन के संदर्भ में विकसित किया गया था। यह मॉडल तीन चरणों या अवस्थाओं पर आधारित है, जो मिलकर परिवर्तन प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। ये हैं:

अनफ्रीज़: प्रक्रिया को स्थिर स्थिति से गुजरना होगा, क्योंकि कई लोग सामान्यतः परिवर्तनों का विरोध करते हैं। इस चरण का उद्देश्य है कि लोगों में यह जागरूकता बढ़ाई जाए कि किस प्रकार की संस्कृति संगठन के विकास में रुकावट डाल रही है। संचार इस चरण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। विचार यह है कि जितना एक कर्मचारी बदलाव के बारे में समझ पाएगा, उतना ही वह इसे आवश्यक और महत्वपूर्ण मानने लगेगा, और उतना ही वह इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए उत्साहित होगा।

परिवर्तन: इससे इम्प्लीमेंटेशन चरण कहा जाता है। इस अवधि में, परिवर्तन लागू होते हैं और कर्मचारी नई व्यवहार, मूल्य और अपेक्षाओं को सीखते हैं। इसी समय अधिकांश कर्मचारी परिवर्तनों के साथ संघर्ष करते हैं। यह अनिश्चितता और भय से भरा समय होता है, जिस कारण इसे पार करना सबसे कठिन कदम है।

रिफ्रीजिंग: यह लेविन के मॉडल का अंतिम चरण है। इस अवस्था को अधिक स्थिर अवस्था माना जाता है जिसे हम संतुलन की स्थिति के रूप में देख सकते हैं। एक बार संगठन में आवश्यक बदलाव कर लेने के बाद, इन परिवर्तनों को कर्मचारियों के व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं और इस तरह उन्हें पूर्व स्थिति में लौटने से रोका जाता है। लेविन के अनुसार, परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण, सकारात्मक पुरस्कार और व्यक्तिगत प्रयासों की स्वीकृति का उपयोग किया जाना चाहिए।

4.4.5 समिति

समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर सम्मिलित होता हैं। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन हैं। समिति व्यक्तियों का वह समूह है, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित होती हैं। उदाहरण; छात्र समिति, व्यापारिक समिति, श्रम संघ, उत्सव समिति आदि।

समिति के विशेषताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं--

1. समिति व्यक्तियों का समूह हैं: इसमे दो या दो से अधिक व्यक्ति होते है जिनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नही हैं। समिति चूंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए इसका स्वरूप मूर्त होता हैं।

2. निश्चित उद्देश्य: समिति का विकास स्वत: नही होता। इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता हैं। उदाहरण के लिये विधार्थी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कि "लेखन सामग्री" सस्ती और अच्छी मिले, एक समिति का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार जितनी भी समितियाँ होती है, उनके पीछे एक निश्चित उद्देश्य होते हैं।

3. समिति सहयोग पर आधारित हैं: आपने देखा होगा कि पद प्रतिष्ठा को लेकर समूह मे प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हो सकता है, किन्तु समिति का बनना एवं बना रहना सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष कार्य प्रणाली मे सुधार व कतिपय बुराइयों को दूर करने मे सहायक हो सकते हैं, किन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति मे समिति के निर्माण व स्थायित्व मे आधारभूत तत्व सहयोग ही हैं।

4. समिति मे संगठन पाया जाता हैं: अब आप जान चुके होंगे कि समिति व्यक्तियों का मात्र समूह ही नही बल्कि एक संगठित समूह होता हैं। हालांकि किसी न किसी मात्रा मे एक आंतरिक संगठन प्रायः सभी समूहों मे पाया जाता है, किन्तु समिति के बारे मे यह बात विशेषरूप से लागू होती है। प्रत्येक समिति किसी न किसी प्रकार (औपचारिक या अनौपचारिक) से संगठित होती हैं। संगठन से तात्पर्य समूह मे सदस्यों की स्थिति व कार्यों की एक व्यवस्था से है। सदस्यों की स्थिति व कार्यों की पूर्ति निश्चित व्यवस्था हो जाने से समिति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहूलियत होती हैं।

5. विचारपूर्वक स्थापना: समिति की स्थापना की जाती है और यह स्थापना सोच-विचार कर विचारपूर्वक की जाती हैं। व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति इन्हें प्राप्त करना चाहते है, तो वह नियमों के द्वारा सोच-विचार कर समिति की स्थापना करता है। इसका स्वत: विकास नही होता हैं।

6. मूर्त संगठन: समिति व्यक्तियों का समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। अतः समिति एक मूर्त संगठन है जिसमे व्यक्तियों को आमने-सामने की स्थिति मे देखा और स्पर्श किया जा सकता हैं।

7. नियमों पर आधारित: कोई भी समिति अनियमित रूप से अपना कार्य नही कर सकती, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समिति के सदस्य संगठित होकर नियम से कार्य करें।

8. अस्थायी: समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, और जैसे ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, समिति समाप्त हो जाती हैं

9. समिति साधन है साध्य नही: समिति का निर्माण विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु होता है, परन्तु समितियों का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नही होता, वरन् हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अन्य साधनों से भी कर सकते है।

समिति का समाजशास्त्रीय महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

1. व्यक्तित्व का विकास : समिति के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास संभव है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रगति करे। इसी आधार पर वह समाज का सहायक हिस्सा बन सकता है। समितियों में व्यक्ति को सहयोग, सहानुभूति, भाईचारे की भावना जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। आय अर्जन से सम्बंधित जैसी समितियाँ व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे व्यक्ति का सही तरीके से विकास संभव होता है।

2. श्रम विभाजन: समिति समाज में श्रम के विभाजन के सिद्धान्तों पर काम करती है। इसलिए कार्य के विशेषकीरण का उदय होता है। आज के आधुनिक युग में विशेषीकरण प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

3. सामाजिक संगठन: समिति सामाजिक संगठन का एक आवश्यक हिस्सा होती है यदि समिति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती रहती है तो सामाजिक संरचना कायम रहती है जिससे समाज की उन्नति निश्चित उद्देश्य की ओर होती रहती है।

4. समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग: समिति में सभी सदस्य एक उद्देश्य या उद्देश्यों को लेकर सम्मिलित होते हैं। इसीलिए सभी सदस्य समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग देते हैं।

5. उद्देश्यों की प्राप्ति: समिति का निर्माण सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है समिति का सदस्य बन कर कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।

6. व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास: समिति का निर्माण सद्भावना एवं सहयोग की भावना पर आधरित होता है। अतः समाज में व्यक्तियों के दिलों में अच्छे गुणों का विकास होता है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक होती है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार सेवाओं के प्रकार बताइए।
2. आभासीय संगठन पर टिप्पणी लिखिए।
3. समिति से आप क्या समझते है?

4.5 प्रबंधन की अवधारणा

प्रबंधन का अर्थ सामान्य शब्दों में प्रबन्ध से अभिप्राय व्यक्तियों के समूह से कार्य कराना है। प्रबन्ध एक विस्तृत एवम् जटिल विचारधारा है। इसलिए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इसका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया है। प्रबन्ध की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-

1. एफ. डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबन्ध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा सर्वश्रेष्ठ ढंग से सम्पन्न करते हैं।" उपरोक्त परिभाषा के अनुसार सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि हमारे उद्देश्य क्या है, इन्हें अनुकूलतम ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके लिए हमें क्या-क्या समायोजन करने पड़ेंगे।

2. पीटर एफ. ड्रकर- प्रबन्ध एक कार्य, ज्ञान की एक शाखा किया जाने वाला एक कार्य है और प्रबन्धक ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, कार्य करते हैं तथा विशेष कार्यों को संपादित करते हैं।

इस परिभाषा के अनुसार प्रबन्ध को एक कार्य माना गया है जो कि प्रबन्धकों के द्वारा पूरा किया जाता है। यह ज्ञान की एक शाखा है जिसमें विश्लेषण के बाद प्रबन्धक अपने ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ड्रकर के अनुसार प्रबन्ध विज्ञान एवम् कला है।

प्रबन्धन की विशेषताएं

प्रबन्धन की उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:

1. **प्रबन्धन सर्वव्यापक है** (सभी स्तरों पर आवश्यक) – प्रबन्धन संगठन के विभिन्न स्तरों में विद्यमान होता है। व्यवसाय में । प्रत्येक व्यक्ति चाहे, वह निम्न अथवा मध्य अथवा उच्च स्तर पर हो, को बहुत से निर्णय लेने होते हैं और सही एवमउचित निर्णय लेना प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक कार्य के लिए प्रबन्ध की आवश्यकता होती है।
2. **प्रबन्धन एक सामाजिक प्रक्रिया है-**प्रबन्धन का उद्देश्य सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है जिससे संपूर्ण समाज को अधिक से अधिक लाभ हो सके। प्रबन्ध की तकनीकों द्वारा व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों एवम् लाभ उद्देश्यों के मध्य सामंजस्यता को स्थापित किया जाता है।
3. **यह एक प्रक्रिया है-**प्रबन्धनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, समन्वय क्रियान्वयन निर्देशन एवम् नियंत्रण इत्यादि को शामिल किया जाता है।

4. **प्रबन्धन उद्देश्यपूर्ण है**-प्रबन्धन की मुख्य विशेषता इसका उद्देश्यपूर्ण होना है क्योंकि प्रत्येक प्रत्यकीय क्रिया का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। ये उद्देश्य स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकत है। विभिन्न मानवीय क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन तथा नियंत्रण द्वारा अन्य साधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सम्भव बनाने का उद्देश्य इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।
5. **प्रबन्धन एक क्रियाशील कार्य है**-प्रबन्धन एक क्रियाशील कार्य है क्योंकि यह उपक्रम के निष्क्रिय साधनों जैसे सामग्री, मशीन एवम् पूंजी को जीवन प्रदान कर उन्हें क्रियाशील बनाता है। पीटर एफ. ड्रकर ने प्रबन्ध को जीवन प्रदायी अवयव कहा है जिसके बिना व्यवसाय में लगे साधन केवल साधन ही रह जाते हैं, वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं।
6. **प्रबन्धन का संबंध सामूहिक प्रयासों से है-** प्रबन्धन किसी व्यक्ति विशेष के कार्यो से न होकर एक सामूहिक प्रयास से है जो औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं। किसी भी संस्था के उददरण समूह द्वारा सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं।
7. **प्रबन्धन कला एवम् विज्ञान दोनों है**-प्रबन्धन कला एवम विज्ञान दोनों है विज्ञान की भांति इसमें भी नियम है तथा कला इसलिए है क्योंकि प्रबंधन को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति में का होना संभव नहीं है।
8. **प्रबन्धन स्वामित्व से भिन्न है**-प्रबन्धन एवं स्वामित्व दोनों भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनियो में स्वामी तो अंशधारी होते है जबकि प्रबन्धन दूसरे व्यक्तियों के हाथ में होता है जिन्हें संचालक कहा जाता है। यहां दो अलग-अलग वर्ग, एक तो पूंजी जुटाने वाला और दूसरा प्रबन्धन को चलाने वाला होता है अतः यह स्पष्ट हो गया है कि प्रबन्धन और स्वामित्व दोनों अलग-अलग है।
9. **प्रबन्धन एक सार्वभौम प्रक्रिया है-** प्रबन्धन सिर्फ सामाजिक ही नहीं अपित यह एक सार्वभौम प्रक्रिया भी है। क्योंकि यह न केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अपित आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवम राजनैतिक सभी संस्थाओं में समान रूप से लाग किया जा सकता है।
10. **प्रबन्धन एक पेशा है:-** औद्योगिक क्रांति के पश्चात् बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी जिन्हें सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए प्रबन्धकों की आवश्यकता महसूस की गई। प्रबन्धकों में विशिष्ट ज्ञान, चतुरता तथा व्यवसायिक योग्यता का होना आवश्यक है, जिसे वे विधिवत् अध्ययन एवम् प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रबन्ध में वे सभी विशेषताएं विद्यमान होती है जो एक पेशे के लिए जरूरी है। प्रबन्ध को पेशा कहना भी ठीक है। प्रबन्धन एक विस्तृत शब्द है जिसकी प्रकृति को गिने-चुने शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

फेयॉल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं- योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। एक औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है- तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय सुरक्षा, लेखांकन एवं प्रबंधन उसने यह भी सुझाव दिया कि एक प्रबंधक में यह गुण होने चाहिए: शारीरिक, नैतिक शिक्षा, ज्ञान, एवं अनुभव। फेयॉल ने 14 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया- कार्य विभाजन अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, कर्मचारियों का प्रतिफल, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल क्षमता एवं सहयोग की भावना।

प्रबंधकीय गतिविधियों में संगठन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। जो निम्न है-

4.5.1 नियोजन (Planning)

टेरी के अनुसार, "नियोजन तथ्य चयन के साथ-साथ भविष्य के प्रति मान्यताओं का उपयोग करते हुए प्रस्तावित गतिविधियों का विजुअलाइज़ेशन और योग प्राप्तियों को अपेक्षित परिणाम देने के लिए आवश्यक समझा जाता है।" योजना भविष्य की ओर देखने की एक प्रक्रिया है। इसमें संगठनात्मक लक्ष्यों और विकासशील नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों, बजट और रणनीतियों के संबंध में निर्णय लेना शामिल है। योजना एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू होती है। एक व्यापक योजना आरंभ में बनाई जाती है लेकिन वास्तविक प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद वास्तविक कार्यान्वयन में उचित परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। योजनाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे लघु अवधि की योजनाएँ, मध्यावधि योजनाएँ, स्थायी योजनाएँ, एकल उपयोग योजनाएँ, रणनीतिक योजनाएँ, प्रशासनिक और संचालन योजनाएँ। प्रसार सेवा प्रबंधन में नियोजन का अर्थ है समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार गतिविधियों को पहले से व्यवस्थित करना। जैसे, यदि किसी गाँव में सब्ज़ी उत्पादन कम है, तो विस्तार कार्यकर्ता किसानों की समस्याएँ जानकर यह योजना बनाते हैं कि अगले तीन महीनों में दो प्रशिक्षण, एक प्रदर्शन प्लॉट और नियमित फील्ड विज़िट करवाई जाएँगी। इसके लिए आवश्यक संसाधनों, समय-सारिणी और जिम्मेदार व्यक्तियों को तय किया जाता है, ताकि सभी गतिविधियाँ समय पर और प्रभावी रूप से पूरी हो सकें। इस प्रकार, नियोजन, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है? इन दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है।

नियोजन का महत्त्व

आपने फिल्म तथा विज्ञापन अवश्य देखे होंगे कि किस प्रकार लोग कार्यकारी योजना तैयार करते हैं तथा किस प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं? क्या वे योजनाएँ वास्तव में कार्य करती हैं? क्या यह कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं? अंतत - हमें नियोजन क्यों करना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमें

उत्तर तलाशना है। नियोजन निश्चित रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि यह बताता है कि हमें कहाँ जाना है? अब जानते है नियोजन के महत्त्व को:

(क) नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है- कार्य कैसे किया जाना है इसका पहले से मार्ग दर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। लक्ष्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताकर नियोजन आश्वसन देता है कि वे एक मार्ग दर्शक के रूप में यह बतलाते हैं कि किस दशा में क्या कार्य करना है। यदि लक्ष्यों को सही रूप में समझाया गया है तो कर्मचारियों को यह ज्ञात होता है कि संगठन को क्या करना है तथा लक्ष्यों तक पहुचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? विभिन्न विभाग तथा संगठन के व्यक्ति कार्य में सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होते हैं। यदि कोई योजना नहीं होगी तो कर्मचारियों की कार्य करने की दिशाएँ भिन्न होंगी तथा संगठन अपने उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने में असमर्थ होगा।

(ख) नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है- नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधक को भविष्य में झांकने का सुअवसर प्रदान करती है तथा संभावित परिवर्तनों का बोध कराती है। भविष्य में किए जाने वाले क्रिया कलापों का निश्चय करके नियोजन अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तनों से व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। परिवर्तनों तथा घटनाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन वे प्रत्याशित होती हैं तथा उनके लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएँ विकसित की जा सकती हैं।

(ग) नियोजन अतिव्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है- नियोजन विभिन्न मंडलों, विभागों तथा व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करने का आधार प्रदान करता है। यह मतभेदों तथा शंकाओं को दूर करने में सहायता करता है। क्योंकि यह विचार एवं कार्यों में स्पष्टीकरण का आश्वासन देता है अतः कार्य निर्विघ्न रूप से अग्रसर होता जाता है। व्यर्थ एवं अनावश्यक क्रियाएँ या तो कम हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं। अक्षमताओं को खोज निकालना आसान करता है तथा उन्हें ठीक करने के उपाय सुझाता है।

(घ) नियोजन, नव-प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है- जैसा कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, नवीन विचार योजना का साकार रूप ले सकते हैं। यह प्रबंध के लिए प्रतियोगात्मक रुचि पैदा करने वाला कार्य है। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्यवाहियों के लिए गाइड का काम करता है।

(ङ) नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है- नियोजन प्रबंधक को भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने तथा तदनुसार कार्य करने की विभिन्न वैकल्पिक दशाओं में से चुनाव करने की स्वीकारोक्ति देने में सहायता प्रदान करता है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का

चुनाव करता है। जैसा कि नियोजन लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा भविष्य की दशाओं पर भविष्यवाणी करता है। अतः बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं।

(च) नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है- नियोजन की परिभाषा में लक्ष्यों का निर्धारण शामिल है। इसके क्रियाकलापों में नियोजन, संगठन, भर्ती, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है। नियोजन लक्ष्यों या मानकों की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन संभव होता है। वास्तविक प्रदर्शन को मानकों से तुलना करके हमें यह जानने को मिलता है कि क्या हमने वास्तव में लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है? यदि कोई अंतर है तो नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि नियोजन, नियंत्रण से पहले अनिवार्य है। यदि निर्दिष्ट लक्ष्य या मानक न हों, तो भिन्नताओं का पता लगाना, जो नियंत्रण का आवश्यक हिस्सा है, संभव नहीं होगा। । उदाहरण के लिए, यदि किसी गाँव में किसानों को सब्ज़ी उत्पादन का प्रशिक्षण देना हो, तो प्रसार कार्यकर्ता सबसे पहले यह तय करता है कि प्रशिक्षण कब, कहाँ और कितने किसानों के लिए किया जाएगा। इसके बाद वह आवश्यक संसाधन जैसे–बीज, प्रदर्शन सामग्री, प्रशिक्षण स्थल और सहायक स्टाफ की सूची तैयार करता है। अंत में वह पूरी गतिविधि की समय-सारिणी बनाता है ताकि सभी कार्य क्रमबद्ध और समय पर पूरे हो सकें।

4.5.2 आयोजन (Organizing)

आयोजन प्रबंधन का वह अनिवार्य चरण है जिसके माध्यम से योजनाओं को क्रियान्वयन योग्य रूप दिया जाता है। यह प्रक्रिया संसाधनों, गतिविधियों और मानव शक्ति को इस प्रकार क्रमबद्ध करती है कि संगठन के निर्धारित लक्ष्य कुशलता, समयबद्धता और न्यूनतम संसाधन-व्यय के साथ प्राप्त किए जा सकें। आयोजन का मूल उद्देश्य संगठन में कार्य–विभाजन, समन्वय और स्पष्ट दायित्व सुनिश्चित करना है, जिससे सभी सदस्य यह समझ सकें कि उन्हें क्या करना है, किसके साथ करना है, और किसके प्रति उत्तरदायी हैं। आयोजन के अंतर्गत व्यापक कार्यों को छोटे, विशिष्ट और प्रबंधनीय हिस्सों में बाँटा जाता है ताकि कार्यभार समान रूप से वितरित हो और विशेषज्ञता का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति या टीम का चयन किया जाता है, तथा उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वे निर्णय ले सकें और कार्यों का समय पर निष्पादन कर सकें। इस प्रक्रिया में संगठनात्मक संरचना का निर्माण किया जाता है जिसमें विभिन्न विभागों, पदों, टीमों, संचार-रेखाओं और रिपोर्टिंग व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। प्रभावी आयोजन संगठन में समन्वय और सहयोग की भावना को बढ़ाता है तथा अनावश्यक संघर्ष, भ्रम और कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग सामूहिक रूप से एक ही लक्ष्य की दिशा में कार्य करें और संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग हो। आयोजन नियंत्रण और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी सरल बनाता है, क्योंकि जब कार्य और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होती हैं तो प्रदर्शन

का आकलन आसानी से किया जा सकता है। समग्र रूप से, आयोजन प्रबंधन की वह कार्य-भूमिका है जो संगठन के सभी घटकों को एकीकृत ढंग से जोड़ती है, कार्य-प्रवाह को सुचारु बनाती है, और पूरे संस्थान को एक संगठित व उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करती है। बिना प्रभावी आयोजन के न तो योजनाएँ परिणाम दे सकती हैं और न ही संगठन दीर्घकालीन विकास प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) गाँव में "सुधारित गेहूँ उत्पादन" पर प्रशिक्षण देना चाहता है। आयोजन के तहत KVK टीम पहले कार्यों को बाँटती है जैसे किसानों की सूची बनाना, स्थल तय करना, सामग्री जुटाना और विशेषज्ञों की जिम्मेदारियाँ तय करना। फिर प्रशिक्षण किट, प्रदर्शन प्लॉट, प्रचार सामग्री और बैठने की व्यवस्था तैयार की जाती है। अंत में सभी विभागों जैसे ग्राम पंचायत, कृषि विभाग और किसान समूह के साथ समन्वय किया जाता है ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सके। इस प्रकार आयोजन से प्रसार गतिविधि व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावी रूप में समुदाय तक पहुँचती है।

4.5.3 समन्वय (Coordination)

प्रबंधन में समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवसाय या कार्यक्रम में में विभिन्न कार्य होते हैं। ये कार्य अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यों के निष्पादन में कार्य विभाजन, गतिविधियों का समूहकरण और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वांछित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए इन सभी में समन्वय आवश्यक है। समन्वय का संबंध एक उद्यम में सभी समूह क्रियाओं को जोड़ने, एकीकृत करने या सामंजस्य बनाने से है। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों को संतुलित करता है, ताकि उनके हितों या दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। मैकफारलैंड के अनुसार, "समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक कार्यकारी अपने अधीनस्थों के बीच समूह प्रयासों का एक संरचित पैटर्न बनाता है और सामान्य उद्देश्य की खोज में कार्यों की एकता को सुनिश्चित करता है।" एक संगठन में कई व्यक्ति कार्य करते हैं और हर व्यक्ति का कार्य अन्य लोगों से जुड़ा होता है। चूंकि संगठन के सभी सदस्य एक समान अंतिम परिणाम में योगदान देते हैं, इसलिए उनका योगदान अधिकतम होना चाहिए। इसीलिए, उद्यम के सभी समूह प्रयासों को एकत्रित करना प्रबंधक का कार्य है, और उन्हें सावधानीपूर्वक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि उद्देश्य में एकजुटता प्राप्त की जा सके। इस प्रबंधकीय कार्य को 'समन्वय' के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संगठन में हर कोई उद्यम के प्रमुख उद्देश्यों को समझता है और सक्रिय सहयोग में उनकी पूर्ति की दिशा में काम करता है। समन्वय एक फुटबॉल मैच की टीम भावना या एक ऑर्केस्ट्रा की सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी की तरह होता है। एक फुटबॉल मैच में, व्यक्तिगत खिलाड़ी खेल में उत्कृष्ट हो सकते हैं और मैच जीतने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब तक टीम भावना और सहयोगी प्रयास नहीं होंगे, तब तक खेल नहीं जीता जा सकता। इसी प्रकार, एक ऑर्केस्ट्रा में, हर कोई बेहतरीन वादक हो सकता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत काम एक अफरा-तफ़री का रूप ले सकता है, यदि उन्हें

अपने उपकरणों पर स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए। प्रबंधन में समन्वय का अर्थ है कि प्रबंधन की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, चाहे ये क्रियाएँ मानव संबंधों से संबंधित हों या भौतिक संसाधनों से; प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों और क्रियाओं में समन्वय अर्थात् एकता होना आवश्यक है। क्योंकि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति और भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियों का सदुपयोग समन्वय से ही संभव है; इसलिए विभिन्न क्रियाओं, संबंधों और प्रयासों में उचित तालमेल बनाना, मिलकर कार्य करना, और एकसूत्रता से कार्य करना ही समन्वय है, सामंजस्य है, समायोजन है।

समन्वय की आवश्यकता एवं महत्त्व (Need and Importance of Coordination)

समन्वय का प्रशासन में वही महत्त्व या भूमिका है, जो कि किसी वाहन में पहियों की एकरूपता का तथा शरीर में व्यवस्थित अंगों का होता है। यदि प्रशासन के विभिन्न विभागों तथा कर्मचारियो की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित न कर पाये तो प्रशासन के पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी है। हेनरी फेयोल तथा बीच ने इसे प्रशासकीय प्रबन्ध का एक पृथक और आधारभूत कार्य बताया है। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्त्व निम्नलिखित हैं-

1. प्रयासों में एकरूपता लाने हेतु:- विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किए गए प्रयासों में समन्वय होना जरूरी है। बिना समन्वय के प्रयासों में एकरूपता नहीं लाई जा सकती है।

2. सामूहिक शक्ति उत्पन्न करने हेतु:- सामूहिक प्रयास अधिक सशक्त एवं प्रभावपूर्ण होते हैं। समन्वय वह कला है जिसके द्वारा व्यक्तिगत प्रयास को सामूहिक बनाकर बिखरी हुई शक्ति को समेटकर अधिक उपलब्धता हासिल करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए उपक्रम के कर्मचारियों के विभिन्न प्रयासों में समन्वय होना आवश्यक है।

3. मानवीय सम्बन्धों में मधुरता हेतु:- अनेक व्यक्तियों को एकत्रित करना तथा उनका संगठन करना आसान है परन्तु उनके सम्बन्धों को मधुर बनाये रखना कठिन है। समन्वय प्रक्रिया के द्वारा मानवीय सम्बन्धों की काफी सीमा तक मधुर बनाये रखा जा सकता है। समन्वय मानवीय सम्बन्धों को मधुर बनाये रखने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

4. कार्यक्षमता में सन्तुलन लाने हेतु:- उपक्रम के सभी कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं योग्यताएँ समान नहीं होती। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में समानता लाने के लिए समन्वय की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। समन्वय क्रिया विभिन्न योग्यताओं-क्षमताओं में ऐसा सन्तुलन स्थापित करती है

कि निर्बल तथा सवल और मन्दबुद्धि कुशल- अकुशल, सुस्त व तेज सभी प्रकार के कर्मचारियों एवं विभागों को अपनी क्षमतानुसार योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सके।

5. नियोजन एवं नियन्त्रण की सफलता हेतुः- नियोजन एवं नियन्त्रण की सफलता के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। बिना समन्वय के नियोजन एवं नियन्त्रण एक कल्पना मात्र है। विना समन्वय के नियन्त्रण अप्रभावी रहा है। संगठन में चुस्ती लाने के लिए समन्वय जरूरी है।

6. मनोबल में बुद्धि तथा कर्मचारियों के विकास हेतुः- समन्वय के द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है तथा उनका दैनिक विकास होता है। कर्मचारी रुचि एवं लगन से कार्य करते हैं जिससे उपविद्यालय की आवश्यकता तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती हैं।

7. प्रबन्धकीय कार्यों के निष्पादन हेतुः- समन्वय के अभाव में प्रशासकीय कार्यों का उचित एवं सही तरीके से निष्पादन नहीं हो सकता है। प्रशासन का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके निष्पादन में समन्वय सहायक न हो। समन्वय के अभाव में नियोजन, संगठन, नियन्त्रण आदि सभी क्रियाएँ व्यर्थ है।

8. निर्देशन को प्रभावपूर्णता हेतुः- निर्देशन की प्रभावशीलता के लिए समन्वय का होना जरूरी है। समन्वय का अभाव, पारस्परिक सम्बन्धों शिथिलता तथा घर्षण को जन्म देता है, जो निर्देशन की प्रभावशीलता को कम कर देता है।

9. विशिष्टीकरण की आधारशिला हेतुः- वर्तमान समय में हम विशिष्टीकरण का जो स्वरूप देख रहे हैं, उनकी आधारशिला समन्वय ही है, क्योंकि यदि विभिन्न विशिष्टीकरण क्रियाओं तथा व्यक्तियों में समन्वय नहीं रहा तो कार्य पूर्ण होना असम्भव है।

उदाहरण के लिए, यदि कृषि विभाग गाँव में "मृदा परीक्षण शिविर" आयोजित करता है, तो इसके लिए विस्तार कार्यकर्ता, प्रयोगशाला तकनीशियन, ग्राम प्रधान और किसानों, सभी के बीच उचित तालमेल आवश्यक होता है। विस्तार कार्यकर्ता किसानों को सूचना देता है, ग्राम प्रधान स्थान उपलब्ध कराता है, तकनीशियन नमूने एकत्र करता है और विभाग समय-सारिणी सुनिश्चित करता है। सभी की गतिविधियाँ एक-दूसरे से मेल खाती हैं, तब ही शिविर सफल होता है।

4.5.4 नियंत्रण (Controlling)

योजना बनाना और नियंत्रण (controlling) एक साथ चलते हैं। बिना योजना के नियंत्रण संभव नहीं है, और किसी नियंत्रण व्यवस्था के बिना, कोई भी योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकती। नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाए, और अगर क्रियान्वयन के दौरान

कोई व्यतिक्रम (deviation) सामने आए, तो उसे सही किया जा सके। नियंत्रण को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं: जैसे ही कार्यालय में प्रत्येक स्टाफ सदस्य प्रवेश करता है, वह रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करता है और आने-जाने का समय लिखता है, या कार्ड पंच करता है। यह दर्ज की गई सूचना का हिस्सा बन जाती है, जिसका उपयोग किसी सदस्य की समय की पाबन्दी और नियमितता की जांच के लिए किया जा सकता है। यह रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया एक सदस्य को देर से आने के लिए सचेत कर देती है और समय का पालन सुनिश्चित करने के लिए आत्म-जांच का कार्य करती है। अगर आपने कुछ तय कार्यों के लिए कुछ विशेष श्रम घंटे निर्धारित किए हैं ताकि काम समय पर पूरा हो सके, तो यह साधारण सा रिकॉर्ड यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि नियोजित श्रम घंटे कार्य पर सक्रियता से खर्च हो रहे हैं या नहीं और योजना वास्तविक थी या नहीं। व्यावहारिक रूप से, नियंत्रण की क्रियाएँ साधारण से लेकर जटिल हो सकती हैं। एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रक्रिया, किसी संगठित क्रिया के सभी पहलुओं पर बल न दे कर, केवल उसके निर्णायक पहलुओं पर ही बल देती है। प्रभावशाली नियंत्रण प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि निर्धारित लक्ष्यों से व्यतिक्रम किस हद तक अनुमेय (permissible range of deviation from the set targets) है। जब विचलन इस हद से बाहर हो जाता है, तो सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते है।" आइए, अब नियंत्रण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाने से सम्बद्ध मूल चरणों के बारे में जानें:

i. **मानदंडों की स्थापना:** चूँकि नियंत्रण योजनाओं के आधार पर उभरते हैं, अतः पहला काम है स्पष्ट रूप से परिभाषित योजनाएँ बनाना, जो बाद में नियंत्रण के लिए मानदंड (standards for control) बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, आप जो वार्षिक व्यय योजना बनाते हैं, वह व्यय के प्रत्येक शीर्ष के लिए निर्देश चिह्न निर्धारित करती है, और उस शीर्ष के अन्तर्गत उससे ज्यादा व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

ii. **कार्य निष्पादन को आँकना (Measurement of Performance):** कार्य निष्पादन के मानदंड निर्धारित करने के बाद, आपको ऐसे तरीके निर्मित करने होंगे कि जिनसे यह पता चल सके कि वास्तविक कार्य निष्पादन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं। चूँकि नियंत्रण केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं जब कार्य निष्पादन को नियमित रूप (regular) से आवधिक अंतराल (periodic) पर मापा जाए। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि नियंत्रण की प्रक्रिया में संगठित क्रिया के हर स्तर पर, सुधारात्मक कार्य करने के लिए सुस्पष्ट उत्तरदायित्वों का अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है। व्यतिक्रमों की पहचान कर लेने के बाद, अब यह उत्तरदायी प्राधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वे उपयुक्त कार्यवाही करें, ताकि वास्तविक कार्य निष्पादन व लक्ष्य कार्य निष्पादन के बीच अंतर कम से कम किया जा सके और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। सभी नियंत्रण प्रक्रियाओं का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि क्रिया

के सभी निर्णायक पहलुओं (critical aspects) से संबंधित सूचना व प्रतिपुष्टि (feedback) विभिन्न स्तर के अधिकारियों को समय पर मिलती है या नहीं।

उदाहरण के रूप में, यदि एक प्रसार कार्यकर्ता किसी गाँव में 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम करने की योजना बनाता है और नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि किसानों की उपस्थिति अपेक्षा से कम है, तो वह कारणों की जाँच करता है जैसे समय अनुकूल न होना या सूचना सही से न पहुँचना। इसके आधार पर वह सुधारात्मक कदम उठाता है, जैसे समय बदलना या सूचना प्रणाली सुधारना, ताकि अगले प्रशिक्षण बेहतर तरीके से हो सकें।

4.5.5 मूल्यांकन (Evaluation): अभी तक आपने संगठन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जाना। अब आप जानेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्यक्रम, गतिविधि, सेवा या हस्तक्षेप की उपयोगिता, प्रभावशीलता, दक्षता और लक्ष्य-पूर्ति का आकलन किया जाता है। यह केवल परिणामों की जाँच नहीं करता, बल्कि यह भी पहचानता है कि किन कारकों ने सफलता या असफलता को प्रभावित किया, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, और आगे किस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। मूल्यांकन यह समझने में सहायता करता है कि संसाधनों का उपयोग कितना उपयुक्त रहा, गतिविधियाँ कितनी प्रभावी रहीं, और क्या लक्षित समुदाय पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। प्रसार सेवा प्रबंधन के संदर्भ में मूल्यांकन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि जानकारी, तकनीक या व्यवहार परिवर्तन संदेश समुदाय तक किस स्तर तक पहुँचे और उन्होंने क्या परिवर्तन उत्पन्न किया। उदाहरण के लिए, किसी कृषि प्रशिक्षण, पोषण शिक्षा सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम या प्रदर्शन प्लॉट के प्रभाव का विश्लेषण करके यह जाना जाता है कि किसानों, महिलाओं या समुदाय ने क्या-क्या सीखा, किस हद तक अपनाया, और इससे उनकी उत्पादकता या व्यवहार में क्या बदलाव आए। मूल्यांकन में गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रतिक्रिया प्रपत्र, पूर्व–पश्चात परीक्षण, फोकस समूह चर्चा, अवलोकन, और फील्ड डेटा विश्लेषण।

प्रभावी मूल्यांकन न केवल कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाता है बल्कि भविष्य के लिए अधिक उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है। इससे निर्णय-निर्माता यह समझ पाते हैं कि कौन-सी गतिविधियाँ सफल रहीं, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, और किन संसाधनों का पुनः संरचनन आवश्यक है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रसार सेवाओं को अधिक वैज्ञानिक, उत्तरदायी और समुदाय-केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होता है। समग्र रूप से, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कार्यक्रम के हर चरण में जानकारी प्रदान करती है, योजना निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और परिणाम विश्लेषण तक। यह प्रक्रिया किसी भी प्रसार गतिविधि को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सीख-उन्मुख

बनाकर बेहतर निर्णय लेने का आधार प्रस्तुत करती है। मान लीजिए जिला प्रसार विभाग ने किसानों के बीच "मृदा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान" चलाया, जिसमें मृदा नमूना संग्रह, पोषक-तत्वों की जानकारी और उर्वरक अनुशंसा से संबंधित संदेश दिए गए। मूल्यांकन के चरण में अधिकारियों ने यह जाँचा कि कितने किसानों ने मृदा परीक्षण करवाया, कितने किसानों ने परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक प्रयोग में बदलाव किए, और इन परिवर्तनों से फसल की उपज या उत्पादन लागत में क्या अंतर आया। साथ ही यह भी मूल्यांकित किया गया कि क्या अभियान की सूचना समय पर किसानों तक पहुँच पाई, क्या IEC सामग्री (Information, Education and Communication Material) समझने योग्य थी, और क्या किसान अगले मौसम में भी इस प्रक्रिया को अपनाने के इच्छुक हैं। इस प्रकार मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम ने वास्तविक व्यवहार परिवर्तन किया या केवल सूचना स्तर पर सीमित रह गया, जिससे आने वाले अभियानों की योजना और सुधार अधिक सटीक रूप से किए जा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

1. प्रबंधन की विशेषताएं लिखिए।
2. नियोजन और समन्वय को उदाहरण सहित समझाइए।
3. प्रबंधन में मूल्यांकन का महत्त्व बताइए।

4.6 स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठन

स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठन समुदाय के निकट रहकर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों को समझते हैं तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता करते हैं। ये संगठन सरकार और समुदाय के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय सहभागिता, जनजागरूकता और सेवा पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों का संचालन और बुनियादी सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन करना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यकारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे व्यवहारिक स्वरूप है, जहाँ निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में ग्राम सभा की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। ग्राम पंचायत स्थानीय समस्याओं की पहचान करते हुए सड़क, पेयजल, स्वच्छता, नाली, स्ट्रीटलाइट, आवास, ग्राम स्वास्थ्य, कृषि विस्तार कार्य, पशुपालन सेवाएँ, आंगनवाड़ी गतिविधियाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ समन्वय,

पोषण एवं स्वास्थ्य अभियान, टीकाकरण कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण योजनाएँ, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विविध कार्यों का संचालन करती है। पंचायत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, और कृषि-सम्बंधित योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुँचाने का माध्यम है। ग्राम पंचायत स्थानीय संसाधनों—जैसे सामुदायिक भूमि, जल स्रोत, पंचायत भवन, स्थानीय कर संग्रह, तथा सरकारी अनुदानों—का प्रबंधन करती है और उनके उपयोग पर निगरानी रखती है। यह विभिन्न विभागीय संस्थाओं जैसे कृषि विस्तार कार्यालय, पशुपालन विभाग, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, और स्वास्थ्य उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर सेवा-प्रसार को अधिक प्रभावी बनाती है। पंचायत में चुना हुआ प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव और विभिन्न समितियाँ (जैसे वित्त समिति, शिक्षा समिति, जल एवं स्वच्छता समिति) मिलकर प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते हैं। ग्राम पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामुदायिक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को योजना निर्माण, बजट अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इससे विकास कार्य अधिक पारदर्शी, सहभागी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार, ग्राम पंचायत न केवल प्रशासनिक संरचना का हिस्सा है बल्कि स्थानीय विकास, सेवा-प्रसार और सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण आधारशिला भी है।

2. यूथ क्लब: युवा मंडल 15 से 29 वर्ष आयु समूह के युवक/युवतियों का ऐसा संगठन है जो स्वैच्छिक रुप से सामुदायिक गतिविधियों में सहभागी बनना चाहता है। युवा मंडल सदस्य न केवल स्वयं जागरुक एवं जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं अपितु अपनी जागरुकता एवं रचनात्मक शक्ति का प्रयोग समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में करना चाहते हैं। युवा मंडल युवाओं का एक संगठन है जो सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि की ओर प्रयास कर रहे हैं। युवा मंडल का गठन, प्रबंधन एवं संचालन स्वयं युवाओं द्वारा किया जाता है। यह सामान्य रुप से समुदाय और विशेषकर युवाओं के संवृद्धि एवं विकास के लिए कार्य करता हैं। युवा मंडल युवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष में एक साथ आने, युवाओं एवं समाज के विकास के लिए गतिविधियों को पूरा करने, मिलने, चर्चा करने और योजना बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध करता है। युवाओं को एक प्रमुख मानव संसाधन मानते हुए, युवा मंडलों के गठन के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा एवं क्षमता को राष्ट्र विकास के लिए चैनलकृत और संगठित किया जाना चाहिए। युवा मंडल को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, इसे संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली, उप-नियम, उचित रूप से निर्वाचित सामान्य निकाय, कार्यकारी समिति और अन्य उप-समितियों की आवश्यकता है। पदाधिकारियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। युवा मंडल का कामकाज हर जगह समान नहीं है। कुछ युवा मंडल बहुत सक्रिय हैं और बहुआयामी गतिविधियों में शामिल हैं, जबकि कुछ केवल खेल या कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अपने

अस्तित्व के एक वर्ष बाद, युवा मंडलों को यह जानने के लिए स्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वह कहां खड़ा है और अपनी ताकत और कमजोरी को समझ सकता है। यह युवा मंडल को सही करने और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा।

3. स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, जिसमें 10–20 महिलाएँ या पुरुष मिलकर एक छोटा समूह बनाते हैं। यह समूह नियमित बचत, सामूहिक निर्णय-निर्माण, आपसी सहयोग और छोटे ऋण (microcredit) की सुविधा के माध्यम से आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है। स्वयं सहायता ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं, को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। इसमें समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग स्वैच्छिक रूप से मिलकर छोटे-छोटे संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, नियमित बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को बिना झंझट के छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं। एसएचजी न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि सदस्यों में नेतृत्व, निर्णय-क्षमता, आत्मविश्वास और सामुदायिक भागीदारी जैसे गुणों का भी विकास करते हैं।

उद्देश्य :

- सदस्यों में नियमित बचत की आदत विकसित करना ताकि परिवारों को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए महंगे अनौपचारिक ऋणों पर निर्भर न रहना पड़े।
- आपसी सहयोग और सामूहिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देना जिससे समुदाय में मिलजुलकर समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित हो।
- सदस्यों को सरल और सुलभ ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे आपातकालीन आवश्यकताओं, आजीविका गतिविधियों या छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता पा सकें।
- महिलाओं और कमजोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण करना उन्हें घर और समाज दोनों स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
- कौशल-विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ाना प्रशिक्षण, उद्यमिता और उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से आय बढ़ाने में सहायता करना।
- बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर वित्तीय समावेशन को मजबूत करना ताकि प्रत्येक सदस्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच पा सके।
- सामाजिक विकास में सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामूहिक जागरूकता बढ़ाना।

4. गैर-सरकारी संगठन (NGOs): गैर-सरकारी संगठन (NGOs) ऐसे स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्थान होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास के लिए सरकार से अलग

संरचना में कार्य करते हैं। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य करते हुए समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करते हैं। NGOs समुदाय में क्षमता-विकास, व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC), कौशल प्रशिक्षण, अधिकार जागरूकता, और सेवा-पहुँच में सुधार जैसी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। कई NGOs सरकारी कार्यक्रमों-जैसे स्वास्थ्य मिशन, महिला एवं बाल विकास योजनाएँ, कृषि आधारित परियोजनाएँ—के क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग करते हैं तथा नीतिनिर्माण के लिए जमीनी स्तर का डेटा उपलब्ध कराते हैं। इन संगठनों का कार्य संचालन दान, सरकारी अनुदान, CSR फंड, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के समर्थन से होता है। लोकतांत्रिक समाज में NGOs नागरिकों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की जरूरतों और अधिकारों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5. **स्वैच्छिक संगठन:** समाज सेवा में लगी संस्थाओं को अधिकांश घरेलू लोग यथासम्भव सहायता प्रदान करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही कुछ परोपकारी और कर्मठ लोग एक संस्था के रूप में मिलकर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य करते आ रहे हैं। जब कोई संगठन राज्य या सरकार के आदेश या इच्छा के बिना बनाया जाता है, तो उसे स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है। स्वैच्छिक संगठनों की प्रकृति बहुत लचीली होती है। वे अपने समर्पण से अपने भीतर के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लेते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को लोकतंत्र की आत्मा ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जान भी कहा जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन के कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं जिनमें मानव कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, कई स्वैच्छिक संगठन हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। स्वैच्छिक (Voluntary) शब्द लैटिन शब्द 'Voluntarism' से लिया गया है जो मूल रूप से 'Voluntas' से विकसित हुआ है। इसका अर्थ है इच्छा या स्वतंत्रता। यह इच्छा यहाँ एक संगठन के निर्माण के रूप में प्रकट होती है। यह अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)सी के तहत नागरिकों को दिया गया है। सामुदायिक संगठन या संघ बनाकर हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो संगठित प्रयासों से ही संभव हैं। भारत में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली का विवरण निम्न है:-बाल कल्याण सेवाएं, युवा कल्याण, महिलाओं के लिए कल्याण सेवाएं, वृद्ध और कमजोर लोगों के लिए सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, दिव्यांगों के लिए कल्याण सेवाएं, सामान्य समुदाय कल्याण सेवाएं. स्वैच्छिक संगठन के प्रकार :- भौगोलिक आधार पर- इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ।

- अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन

- राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन
- स्थानीय स्वैच्छिक संगठन
- कार्यक्षेत्र के आधार पर

यहाँ कार्य क्षेत्र का तात्पर्य आर्थिक नीति के क्षेत्र से है। स्वैच्छिक संगठनों के मुख्य क्षेत्रों में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा एवं खुदाई शिक्षा, नाश मुक्ति, निःशक्तजन कल्याण, परिवार कल्याण, पुनर्वास आदि शामिल हैं।

6. विद्यालय: विद्यालय वह स्थान है, जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। "विद्यालय एक ऐसी संस्था है, जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय को अंग्रजी भाषा में स्कूल कहा जाता है। यानि की विद्यालय शब्द स्कूल का हिंदी रूपांतरण है। 'स्कूल' शब्द की उत्पत्ति 'shola' या 'skhole' नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है-- 'अवकाश' (Leisure)। यह बात कुछ विचित्र-सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए, ए. एफ. लीच ने लिखा है," वाद-विवाद या वार्ता के स्थान, जहाँ एथेन्स के युवक अपने अवकाश के समय को खेल-कूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बताते थे, धीर-धीर दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों मे बदल गये। एकेडेमी के सुन्दर उद्यानों में व्यतीत किये जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यलयों का विकास हुआ।" विद्यालय शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या+आलय अर्थात् वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त होती है। अतः विद्यालय वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसे बालक एक निश्चित अवधि मे निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा पूरा करता है। स्कूल. स्कूली शिक्षकों को आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखा जाता है। स्कूल शिक्षक परियोजनाओं के बारे में ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता लाने में मदद कर सकते हैं और परियोजना कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। स्कूलों के वरिष्ठ छात्रों को, यदि विस्तार एजेंट द्वारा उचित रूप से सूचित और प्रेरित किया जाए, तो वे अपने परिवार में परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अच्छा है।

7. सहकारी समितियाँ: सहकारी समितियाँ समुदाय के लोगों द्वारा सामूहिक हित के लिए बनाई गई ऐसी संस्थाएँ हैं, जो “सहयोग, समानता और साझा लाभ” के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। सहकारी समितियाँ समुदाय के लोगों को एकजुट करके सामूहिक संसाधनों, ज्ञान और श्रम का उपयोग कर बेहतर उत्पादन, खरीद, विपणन और सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने में इन समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सहकारी समितियाँ राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। समिति के

सदस्य स्थानीय किसान, पशुपालक, कारीगर, बुनकर, दुग्ध उत्पादक या अन्य श्रमिक हो सकते हैं। समिति के कार्य संचालन के लिए एक प्रबंध समिति (Management Committee) बनाई जाती है, जो निर्णय लेती है और गतिविधियों का संचालन करती है। सभी सदस्यों को एक सदस्य–एक वोट के आधार पर बराबरी का अधिकार मिलता है, जिससे लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लिए जाते हैं।

सहकारी समितियों के प्रकार

स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं, जैसे—

कृषि सहकारी समिति – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की उपलब्धता और ऋण सुविधा।

दुग्ध सहकारी समिति – दूध संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और उचित मूल्य प्रदान करना।

क्रेडिट सहकारी समितियाँ – छोटे किसानों, मजदूरों और कामगारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

औद्योगिक/कारीगर सहकारी समितियाँ – बुनकरों, हस्तशिल्प निर्माताओं और कारीगरों को प्रशिक्षण व विपणन सहायता देना।

उपभोक्ता सहकारी समितियाँ – आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिकाएँ

- सामूहिक खरीद व सामूहिक विपणन से लागत कम करना और लाभ बढ़ाना
- किसानों व उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना
- प्रशिक्षण, क्षमता-विकास और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना
- कृषि इनपुट, पशुचारा और उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ऋण और वित्तीय सेवाएँ सरल व सुलभ कराना
- महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक अवसर बनाना
- स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना

सहकारी समितियाँ समुदाय की आर्थिक प्रगति के लिए प्रभावी साधन हैं। यह संस्थाएँ सदस्यों के सामूहिक लाभ के लिए कार्य करती हैं और स्थानीय स्तर पर संसाधनों, अवसरों और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाती हैं। जैसे अमूल दुग्ध सहकारी ने यह सिद्ध किया है कि सामूहिक प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

8.कृषि एवं प्रसार संस्थाएँ (Agricultural and Extension Agencies)

कृषि एवं प्रसार संस्थाएँ ग्रामीण समुदाय को वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सेवाएँ और सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख इकाइयाँ हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य किसानों तथा ग्रामीण परिवारों तक नवीन तकनीकों, योजनाओं और सेवाओं को सीधे पहुँचाना है, ताकि उनकी उत्पादकता, पोषण स्थिति और आजीविका में सुधार हो सके। नीचे इन प्रमुख संस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK – Krishi Vigyan Kendra): कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा स्थापित जिला-स्तरीय संस्थाएँ हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि नवाचारों को खेत स्तर तक पहुँचाना है। KVK नए कृषि प्रौद्योगिकियों का परीक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह फसल प्रबंधन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन और उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में किसानों, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को व्यावहारिक, हाथों-हाथ प्रशिक्षण प्रदान करता है। KVK "ऑन-फार्म ट्रायल", "फ्रंटलाइन डेमो", कृषि मेलों और किसान विज्ञान क्लबों के माध्यम से समुदाय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं।

कृषि विभाग (Agriculture Department): कृषि विभाग राज्य सरकार का प्रमुख विभाग है जो कृषि से संबंधित योजनाओं, अनुदानों, वितरण प्रणालियों, बीज-उर्वरक की उपलब्धता और तकनीकी सलाह को सुनिश्चित करता है। विभाग के कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक फसल संबंधी सलाह, मौसम आधारित सुझाव, मृदा परीक्षण, फसल सुरक्षा उपाय, खरीफ-रबी अभियानों के संचालन और सरकारी योजनाओं (PM-KISAN, PMFBY, कृषि यंत्रीकरण आदि) के क्रियान्वयन में किसानों की सहायता करते हैं। यह विभाग प्रसार सेवाओं के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान भी करता है।

पशुपालन सेवाएँ (Animal Husbandry Services): पशुपालन विभाग ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी, बकरी पालन, पोल्ट्री, भेड़ पालन और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह विभाग टीकाकरण, रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार, चारे की प्रबंधन तकनीक और पशुपालन आधारित आजीविका कार्यक्रम चलाता है। पशु चिकित्सालय और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित होता है।

आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres): आंगनवाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) परियोजना के अंतर्गत कार्यरत हैं और पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाएँ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचाते हैं। ये केंद्र गर्भवती और धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और 0-6 वर्ष

के बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और प्री-स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इनकी सेवाएँ परिवारों की पोषण स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्वास्थ्य उपकेंद्र (Sub-Health Centres): स्वास्थ्य उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली की जमीनी इकाई है, जो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। यहाँ ANM और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण, गर्भावस्था जांच, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवार नियोजन परामर्श, पोषण जागरूकता और सामान्य रोगों का उपचार प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य व्यवहार सुधारने और रोग-निवारण जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

4.7 प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में आने वाली समस्याएँ एवं समाधान

प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो कार्यक्रमों की पहुँच और प्रभावशीलता को सीमित कर देती हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रसार सेवाएँ किसानों तक नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण और जानकारी पहुँचाने का मुख्य माध्यम हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य न केवल कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है, बल्कि ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास में भी योगदान देना है। प्रसार सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन तभी संभव है जब उन्हें सुव्यवस्थित, संगठित और लक्ष्य-केंद्रित रूप से संचालित किया जाए। हालांकि, प्रबंधन में अक्सर संसाधनों की कमी, तकनीकी कठिनाइयाँ, प्रशिक्षण का अभाव और समन्वय की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो सेवाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में, इन समस्याओं की पहचान और उनके व्यावहारिक समाधान खोजना आवश्यक हो जाता है।

1. संचार एवं सूचना प्रसार में बाधाएँ: कई ग्रामीण क्षेत्रों में संचार माध्यमों की कमी, इंटरनेट का धीमा प्रसार, और तकनीकी शब्दावली की जटिलता किसानों तक सही और स्पष्ट संदेश पहुँचने में बाधा बनती है। इससे नई कृषि तकनीकों के बारे में भ्रम पैदा होता है और अपनाने की दर कम रहती है। इस चुनौती को दूर करने के लिए बहु-स्तरीय संचार अपनाया जा सकता है—जैसे सामुदायिक रेडियो, व्हाट्सऐप समूह, इंटरएक्टिव वॉयस मैसेज, और गाँव स्तर पर चौपाल बैठकें। सामग्री को स्थानीय भाषा, सरल शब्दों और अधिक चित्रों के साथ तैयार करने से संदेश अधिक प्रभावी बनता है।

2. मानव संसाधन की कमी और क्षमता सीमाएँ: प्रसार अधिकारियों की संख्या अक्सर आवश्यकता से कम होती है। एक अधिकारी कई गाँवों और योजनाओं का बोझ उठाता है, जिससे नियमित फील्ड विज़िट और किसानों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना कठिन हो जाता है। मानव संसाधन का पुनर्गठन, नए विस्तार कर्मियों की नियुक्ति, तथा प्रत्येक अधिकारी को आधुनिक ICT, डेटा

विश्लेषण और विषय-वस्तु आधारित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। “Cluster-based posting” मॉडल से कार्य अधिक व्यवस्थित हो सकता है।

3. वित्तीय और संसाधन आधारित सीमाएँ: प्रसार सेवाओं के लिए अक्सर पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता, जिससे डेमो प्लॉट, प्रशिक्षण सामग्री, परिवहन और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार बजट देर से मिलता है जिससे गतिविधियाँ रुक जाती हैं। स्थिर और अग्रिम वित्तीय आवंटन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) एवं NGO साझेदारी, और विभिन्न विभागों के साझा संसाधन (जैसे वाहन, डिजिटल उपकरण, डेमो किट) उपयोग करने से संसाधन की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

4. विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी: कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, बैंकिंग और पंचायत जैसे विभाग अलग-अलग योजनाएँ चलाते हैं और उनके बीच समन्वय का अभाव होता है। इससे किसान को बिखरी हुई सेवाएँ मिलती हैं। जिला स्तर पर संयुक्त कार्ययोजना, मासिक समन्वय बैठकें, और साझा किसान डेटाबेस विकसित करना प्रभावी उपाय हैं। “Single-window advisory service” मॉडल से विभागीय तालमेल और किसानों की पहुँच दोनों बेहतर होती हैं।

5. किसानों में तकनीक स्वीकार्यता का अभाव: नई तकनीक को अपनाने से किसान अक्सर डरते हैं, क्योंकि उन्हें जोखिम, लागत, और सफलता की अनिश्चितता महसूस होती है। सफल उदाहरण न होने पर विश्वास नहीं बनता। ऑन-फार्म ट्रायल (OFT), फ्रंटलाइन डेमो (FLD) और प्रगतिशील किसानों की सफल कहानियाँ साझा करने से विश्वास बढ़ता है। कस्टम हायरिंग सेंटर, सब्सिडी और फसल बीमा तकनीक अपनाने के जोखिम को कम करते हैं।

6. सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: कुछ क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और कमजोर सामाजिक वर्गों की कृषि निर्णयों में भागीदारी कम होती है। पारंपरिक सोच और रूढ़ियाँ तकनीकी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। महिला SHGs, युवा किसानों के क्लब, और FPO के माध्यम से उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना उपयोगी है। गाँव के प्रभावी नेताओं को प्रसार गतिविधि में शामिल करने से सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है।

7. निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली की कमजोरी: प्रसार गतिविधियों का वास्तविक प्रभाव पता करने के लिए सुदृढ़ M&E प्रणाली की कमी बड़ी चुनौती है। डेटा मैनुअली एकत्र होता है, कई बार अधूरा और अविश्वसनीय होता है। मोबाइल ऐप आधारित डेटा एंट्री, GPS फोटो, डिजिटल रिपोर्टिंग और मासिक फील्ड ऑडिट प्रणाली विकसित करने से निगरानी अधिक सटीक और पारदर्शी होती है। परिणाम आधारित संकेतकों पर मूल्यांकन करना अधिक प्रभावी है।

8. जलवायु परिवर्तन एवं अनिश्चितता का प्रभाव: अनिश्चित मौसम, सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी घटनाएँ किसानों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। बदलते जलवायु स्वरूप के अनुसार तकनीक सुझाना कठिन हो जाता है। जलवायु–स्मार्ट कृषि तकनीक, मौसम आधारित चेतावनी संदेश, सूखा–सहिष्णु किस्में, माइक्रो–इरिगेशन और बीमा सेवाओं को जोड़कर प्रसार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक बनाए जा सकते हैं।

9. IEC सामग्री की अनुपलब्धता या अनुपयुक्तता: कई बार प्रशिक्षण सामग्री जटिल भाषा में होती है, स्थानीय संदर्भ कम होते हैं, तथा चित्रात्मक प्रस्तुति के अभाव में किसान जानकारी को पूरी तरह समझ नहीं पाते। सामग्री की समय पर उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है। सरल भाषा, स्थानीय बोली, अधिक चित्र, फ्लोचार्ट, न्यूट्रिशन/कृषि कैलेंडर और वीडियो–based IEC सामग्री विकसित करना बेहतर विकल्प है। सामग्री को क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए।

10. सीमांत और वंचित समूहों तक कम पहुँच: सीमांत किसान, बटाईदार किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति समूह और महिला किसान प्रशिक्षण व सलाह सेवाओं तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाते। इन समूहों के लिए अलग प्रशिक्षण सत्र, गाँव स्तर पर मोबाइल प्रसार इकाइयाँ, और महिला किसान–केन्द्रित कार्यक्रम चलाना उपयोगी है। समय और स्थान किसानों की सुविधा के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

4.8 सारांश

आप इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषि प्रसार सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन, ग्रामीण विकास और कृषि सुधार में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके लिए स्पष्ट संगठनात्मक लक्ष्य, सुसंगठित कार्यप्रणाली, सक्रिय समिति, समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायत, सहकारी समितियाँ और कृषि केंद्र सेवाओं को सीधे किसानों तक पहुँचाने में मदद करती हैं। इस इकाई में आपने यह भी जाना कि प्रबंधन में आने वाली समस्याओं जैसे संसाधन की कमी, प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी बाधाएँ और समन्वय की कठिनाइयाँ को नियोजन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नियमित मूल्यांकन के माध्यम से हल किया जा सकता है। इस प्रकार, संगठनात्मक दृष्टिकोण और प्रबंधन की प्रभावी तकनीकें कृषि प्रसार सेवाओं की सफलता और ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास के लिए अनिवार्य हैं।

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धामा, ओ०पी० (1997), प्रसार व ग्रामीण कल्याण, राम प्रसाद व सेस, भोपाल।

2. धामा, ओ०पी०० व भटनागर, ओ०पी०(1985), शिक्षा व विकास के लिये संचार, आक्सफोर्ड व आई०ब०एच० प्रकाशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, दूसरा प्रकाशन।
3. सुपे, एस०वी० (1983), प्रसार शिक्षा, आक्सफोर्ड व आर०व०एच० पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, दूसरा प्रकाशन।
4. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
5. संधू, ए. एस. (2012). विस्तार कार्यक्रम नियोजन। ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि. ।

4.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रसार सेवाओं के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं एवं समाधानों के बारे में लिखिए।
2. संगठन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक बताइये।
3. संगठन से आप क्या समझते है? संगठनात्मक लक्ष्य के बारे में लिखिए।
4. भारत में स्थानीय स्तर पर कार्यरत संगठनों के बारे में लिखिए।

खण्ड 2
कार्यक्रम योजना प्रक्रिया

इकाई 5 : कार्यक्रम नियोजन

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 प्रसार कार्यक्रम
 5.3.1 प्रसार कार्यक्रम : अर्थ व घटक
 5.3.2 एक अच्छे कार्यक्रम के लक्षण
5.4 प्रसार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य : राष्ट्रीय नीतियां व पहल
5.5 प्रसार कार्यक्रम योजना- मौलिक अवधारणाएं
 5.5.1 प्रसार कार्यक्रम योजना का अर्थ
 5.5.2 प्रसार कार्यक्रम के प्रयोजन
 5.5.3 नियोजन की प्राथमिकताओंका समायोजन (स्थापना)
5.6 प्रसार कार्यक्रम योजना प्रक्रिया
 5.6.1 कार्यक्रम नियोजन के चरण
 5.6.2 प्रसार नियोजन प्रक्रिया के चरण
5.7 कौन प्रसार कार्यक्रम की योजना तैयार कर सकता है
5.8 सारांश
5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

5.1 प्रस्तावना

इकाई 1,2 व 3 में हमने प्रसार शिक्षा,इसकी शिक्षण विधियों व अब तक कि अपने देश के विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों की चर्चा की। और इकाई 4 में हमने जाना कि प्रसार सेवा प्रबंधन के बारे में। इस इकाई में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रसार कार्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है। प्रबन्धन में योजना पहला कदम है और अच्छी योजना के साथ हम कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि प्रसार शिक्षा वांछनीय परिवर्तनों की दिशा में एक नियोजित बदलाव है। इस प्रकार हम अध्याय में हम प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए योजना के विभिन्न चरणों व प्रक्रिया को जानेंगे।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात छात्र सक्षम होंगे;

- प्रसार शिक्षा के अर्थ को समझने व कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध करने में।
- एक अच्छे प्रसार कार्यक्रम की विशेषताओं को पहचानने में।
- प्रसार कार्यक्रमों में राष्ट्रीय व स्थानीय परिप्रेक्ष्य को समझने में।
- प्रसार कार्यक्रमों के अर्थ एवं उपयोगिता को समझने में।
- प्रसार कार्यक्रम योजना में उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं पर विचार व उपयोग करने में।
- कार्यक्रम नियोजन के विभिन्न चरणों को पहचानने में।
- प्रसार नियोजन प्रक्रिया को समझने, समझाने व चरणबद्ध तरीके से पालन करने में।
- प्रसार योजना कार्यक्रमों में विभिन्न लोगों की भागीदारी पहचानने में।

5.3 प्रसार कार्यक्रम

एक प्रसार कार्यक्रम व इसकी गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए योजना बनाई जानी है। प्रसार कार्यकर्ताओं के रूप में हमें प्रसार कार्यक्रमकी विशेषताओं व घटकों को समझना होगा। हांलाकि इससे पहले हमें जानना होगा कि एक प्रसार कार्यक्रम क्या है।

5.3.1 प्रसार कार्यक्रम : अर्थ व घटक

इससे पहले की हम योजना बनाना सीखें, पहले हमें प्रसार कार्यक्रम के अर्थ को समझना होगा। केल्सी व हर्ने के अनुसार प्रसार कार्यक्रम को स्थिति, उद्देश्यों व समाधानों के एक उत्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रसार कार्यक्रम के निम्न प्रमुख घटक हैं :

- एक समुदाय की स्थिति
- उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं
- समस्या हेतु उद्देश्य व परिवर्तन हेतु लक्ष्य
- समस्या का प्रस्तावित समाधान

इस प्रकार, एक पूर्ण प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत गहन योजना बनाना, काम व शिक्षण योजना तैयार करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों व तरीकों का चयन करना, योजनाओं के अनुसार कार्य पूरा करना, परिणाम का मूल्यांकन तैयार करना व रिपोर्ट तैयार करना आदि आता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रसार कार्यक्रम के सभी घटकों के लिए निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए;

- कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया

- लिखित कार्यक्रम वक्तव्य
- कार्यक्रम की विस्तृत योजना (शिक्षण व अन्य प्रसार कार्य)
- कार्यक्रम निष्पादन (सभी योजनाबद्ध गतिविधियों को पूर्ण करना)
- परिणाम (कार्य के परिणाम)
- मूल्यांकन व समीक्षा

5.3.2 एक अच्छे कार्यक्रम के लक्षण

कार्यक्रम में यह उपयोगी विशेषताएं होनी चाहिए:

- यह लिखित रूप में होना चाहिए। लागू करने वाले व्यक्तियों, सरकारी/निजी फंड प्रदाताओं व वित्त पोषण एजेंसियों व समुदाय के सदस्यों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।
- इसे स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति में समस्या व सभी सम्बन्धित तथ्यों को स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिए ताकि कार्यक्रम पूर्ण हो।
- कार्यक्रम से समुदाय की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं उजागर होनी चाहिए।
- कार्यक्रम के लघु, दीर्घ व मध्यम उद्देश्यों को योग्य रूपों में सूचीबद्ध करना चाहिए। इस प्रकार यह उद्देश्य प्राप्ति हेतु समय सीमा का संकेत देगा।
- कार्यक्रम के उद्देश्यों को समुदाय की समस्याओं को हल करना चाहिए जो प्रत्येक समुदाय के लिए अलग होते हैं।
- समुदाय को दिए जाने वाले कौशल व तरीकों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।
- कैसे एक कार्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति करेगा और किस समय सीमा के अन्तर्गत वह गतिविधियों के साथ देना चाहिए।
- कार्यक्रम की एक संक्षिप्त सांराश प्रति को समुदाय में वितरित किया जाना चाहिए और लोगों को सहयोग हेतु प्रेरित करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार कार्यक्रम क्या है ? अपने शब्दों में समझाइए।
2. एक प्रसार कार्यक्रम के सभी बुनियादी घटकों की सूची बनाइए।
3. अच्छे कार्यक्रम की सभी विशेषताओं को संक्षेप में बताएं।

5.4 प्रसार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य: राष्ट्रीय नीतियां व स्थानीय पहल

प्रत्येक प्रसार कार्यक्रम में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। यद्यपि सभी कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नीतियों व लक्ष्यों अनुसार नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है लेकिन उन्हें स्थानीय पहल के बिना नियोजित नहीं किया जा सकता। एक प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाते समय हमें राष्ट्रीय नीतियों को पहचानना होगा जिसके तहत कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है। लेकिन यह तभी सफल हागा जब यह स्थानीय आबादी की जरूरतों व अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इस प्रकार हमें राष्ट्रीय उद्देश्यों पर विचार करना होगा और इसके साथ ही कार्यक्रम के सही व स्वीकार्य दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों (समुदाय के सदस्यों) स्थानीय नेताओं व एजेंसियों के साथ कार्य करना होगा। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में योजना के अन्तर्गत स्थानीय पहल एक महत्वपूर्ण घटक है। यह लोगों की नीतियों को राष्ट्रीय कार्यक्रम(राष्ट्रीय नीतियों व उद्देश्यों) के मुताबिक परिवर्तित करता है। जिसके द्वारा लोगों की समस्याओं का उपयुक्त व टिकाऊ समाधान खोजने की दिशा में योजनाबद्धव क्रियान्वित होती है।

अकेले में प्रसार कार्यक्रमों (गतिविधियाँ) की योजना नहीं बनाई जाती है। हर प्रदर्शनी, सार्वजनिक बैठक या फिल्म शो एक समग्र प्रसार कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके माध्यम से एक प्रसार कार्यकर्ता विभिन्न समुदायके सदस्यों के लिए नियोजित विकास की ओर कार्य करतेहैं। इस प्रकार, कार्यक्रम योजना में ग्रामीण अनुसंधान, कार्यक्रम मूल्यांकन, स्थानीय सहभागिता, क्षेत्रीय स्टाफ प्रबन्धन वास्तविक प्रोग्रामिंग व कार्यान्वयन और योजना तैयार करने के बीच सम्पर्क शामिल हैं।

5.5 प्रसार कार्यक्रम योजना – मौलिक अवधारणाएं

योजना, समुदाय की समस्याओं को सम्बोधित करने की दिशा में पहला कदम है। इसमें गतिविधियों की श्रृंखला शामिल है और कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि में जारी रहती है। हर किये जा रहे कार्य की योजना आवश्यक है। इस इकाई में हम प्रसार कार्यक्रम के पहले चरण कार्यक्रम नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। आइए अब हम प्रसार कार्यक्रमों के सन्दर्भ में कार्यक्रम नियोजन के अर्थ व उद्देश्य को देखते हैं।

5.5.1 प्रसार कार्यक्रम योजना का अर्थ

योजना , यह तय करती है कि क्या करना है और कैसे करना है ?योजना द्वारा कार्यक्रम के लक्ष्यों व उद्देश्यों की पहचान होती है। यह लक्ष्य/उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक व सबसे प्रभावी साधनों व गतिविधियों का भी निर्धारण करता है। इस प्रकार नियोजन, कार्यक्रम के उद्देश्यों, गतिविधियों, समय, मानव व भौतिक संसाधनों की आवश्यकता,लागत, अनुमान व प्रदर्शन संकेतक को निर्दिष्ट करता है।

5.5.2 प्रसार कार्यक्रम योजना का प्रयोजन

योजन, प्रबन्धन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रबन्धन, स्टाफिंग, नियन्त्रण और निर्देशन जैसे अन्य प्रबन्धन कार्यों से पूर्व होता है।प्रासंगिक भौगोलिक स्थिति में विज्ञान आधारित व स्वेदशी ज्ञान के प्रसार व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार कार्यक्रम योजना व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है।

1. कार्यक्रम की योजना सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की नींव रखती है। योजना सुनिश्चित करती है कि वांछित परिवर्तन हेतु सही पूर्व निर्धारित प्रयास किए गए हैं।
2. कार्यक्रम नियोजन, एक देश की विभिन्न समस्याओं या परिस्थितियों के प्रतिप्रकिया है। जब महसूस होता हे कि किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र के लोगों को विकासात्मक कार्य की आवश्यकता होती है तो विकास कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। इस प्रकार कार्यक्रम की योजना सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक स्थिति की उपस्थिति को इंगित करती है। जिसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती है।
3. यह विकास के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। यह इंगित करता हे कि क्षेत्र में मौजूद लोगों की वर्तमानस्थिति, मौजूदा प्रसार सेवा व उपलब्ध संसाधनों में और क्या जरूरत है। इस प्रकार यह विकासात्मक गतिविधियों, उनकी जरूरत व गुंजाइश का मार्गदर्शन करता है।
4. यह प्रसार कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं, वित्तीय व कर्मियों के संसाधनों को तैयार करने में सरकार व प्रसार संगठनों की सहायता करते हैं।

5.5.3 नियोजन प्राथमिकताओं की स्थापना

प्रसार कार्यक्रम की योजना, राष्ट्रीय व स्थानीय उद्देश्यों, नीतियों व लक्ष्यों के अनुरूप होती है। इस प्रकार नियोजन शुरू होने से पहले हमें नियोजन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता है। योजना प्राथमिकताओं का अर्थ उन समस्याओं की पहचान करना है जिन्हें पहले हल करने की आवश्यकता है और जो उस क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण हैं। इन समस्याओं को वरीयता के आधार पर हल करना चाहिए । निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नियोजन की प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी है।

- सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व स्थानीय लक्ष्य क्या है और इसे योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिकता के आधार पर कितना समय व संसाधन के खर्च किया जाना चाहिए।
- कौन सी जरूरतों को केन्द्रित नहीं किया जाएगा या सीमित प्रयास दिए जाएगें ?
- बाढ़, सूखे, आत्महत्या जैसे नुकसान में हम संकट का कैसे जवाब देंगे।

योजना प्राथमिकता, कार्यक्रम के उद्देश्यों को तय करने व उनकी प्राप्ति के लिए संसाधन आवंटित करने में कार्यक्रम योजनाकारों की सहायता करते हैं। बहुत सारे उद्देश्य एक कार्यक्रम को धीमा कर सकते हैं और हम अपना फोकस खो सकते हैं। इसके अलावा योजनाकारों को होना चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों की सहायता से चयनित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न 2

6. राष्ट्रीय नीतियां, प्रसार कार्यक्रम योजना को कैसे प्रभावित करती हैं ?
7. प्रसार कार्यक्रम नियोजन/ योजना से आप क्या समझते हैं ?
8. प्रसार कार्यक्रम की योजना कैसे उपयोगी है ?

5.6 प्रसार कार्यक्रम योजना प्रक्रिया

पिछले अध्यायों में हमने यह अध्ययन किया कि कार्य नियोजन तथा इसके निष्पादन में कौशल विकसित करना प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है। योजना हर प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है और इसके लिए हम योजना के साथ ही प्रसार कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस कदम में कई निर्णय लेना तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु भविष्य की रणनीति तैयार करना शामिल है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रसार कार्यक्रम में नियोजन प्रक्रिया तथा यह निर्णय लेना आवश्यक है कि क्या करना है और कैसे करना है? योजना भी एक सतत प्रक्रिया है और कार्यक्रम के अंत तक जारी रहती है हालाँकि योजना का परिप्रेक्ष्य तथा निर्णय कार्यक्रम के स्तर पर आधारित है। नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों को जानने से पहले हमें कार्यक्रम के मूल चरण देखने चाहिए।

5.6.1 कार्यक्रम नियोजन में चरण

प्रत्येक प्रसार कार्यक्रम में दो विशिष्ट चरण हैं। पहले चरण में जमीनी वास्तविकता की खोज, कार्यक्रम के ढाँचे का विश्लेषण एवं कई कागजी कार्य शामिल हैं। दुसरे चरण की क्रिया एक उन्मुख मंच है जहाँ इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

चरण 1: स्थिति तथा समस्या का विश्लेषण एवं कार्यक्रम के फ्रेमवर्क का निर्णय

यह कार्यक्रम के क्षेत्र तथा इसके विभिन्न मापदंडों की खोज का चरण है। सामान्यतया कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत इस चरण में यह निर्णय लिया जाता है कि क्या उपलब्ध है, समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, स्थानीय आवश्यकताएं क्या हैं तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों में यह केसे फिट होता है?

चरण 2: प्रोग्राम डिजाइनिंग तथा एक क्रियान्वित योजना विकसित करना

यह नियोजन का दूसरा चरण है। जहाँ समयबद्ध कार्ययोजना विकसित कर कार्यों पर केंद्रित किया जाता है। इस स्तर पर योजना के निष्पादन के तरीकों, योजनाओं का विकास, नियंत्रण तथा योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार आप पायेंगे कि नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चार चरण इस चरण में सम्मिलित किये जाते हैं।

5.6.2 प्रसार योजना प्रक्रिया के चरण

छात्रो , योजना निर्णय लेने की एक श्रंखला है। प्रसार कार्यक्रम योजना में हम जमीनी वास्तविकता का आंकलन करने की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। इसमें हम विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को तय करते हैं तथा उन सभी गतिविधियों को पूर्ण करते हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। योजना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्यक्रम के शुरू होने से कार्यक्रम के समाप्त होने तक चलटी रहती है। इसका हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चूंकि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है इसलिए योजना एक चक्र का पालन दूसरे चक्र द्वारा किया जाता है।इस प्रकार हम योजना प्रक्रिया को एक चक्रीय प्रकिया द्वारा समझेंगे। इसके लिए आइये चित्र 5.1 देखें।

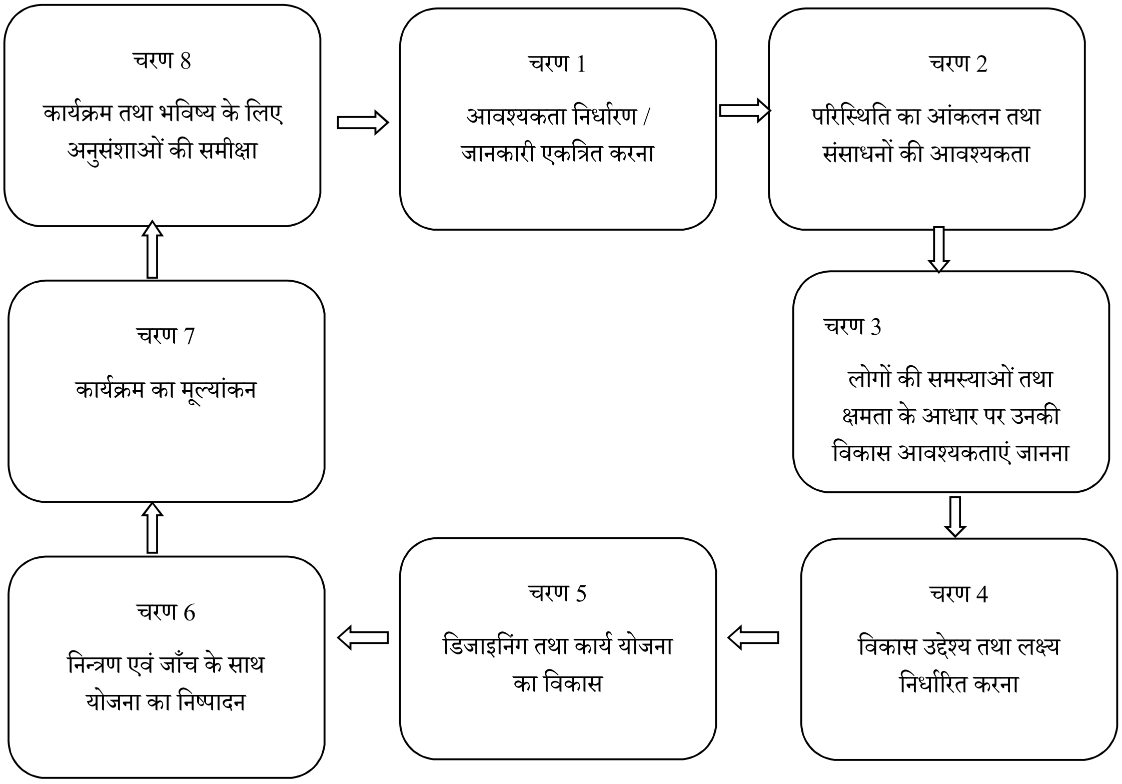

चित्र 5.1 योजना प्रक्रिया के चरण

चरण 1: वास्तविक जानकारी का आंकलन / संग्रह की आवश्यकता

यह कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम है। प्रारम्भ करने के पहले हम सभी रिकार्ड, सर्वेक्षण, शोध आदि से अपलब्ध आंकड़े एकत्रित करते हैं। आंकड़ों से लोगों के व्यवसाय, उनके द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली तकनीक, आय एवं भौगोलिक स्थिति तथा राज्य का पता चलता है। हम इस जानकारी को उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं से मिलाते हैं। साथ ही लोगों मूल्यों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है।

प्रसार कार्यकर्ता द्वारा एकत्र की गयी जानकारी स्थानीय स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति समुदाय की आवश्यकताओं के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करती है। स्थानीय स्थिति के बारे में तथ्यों का निरन्तर मूल्यांकन एवं रिकार्डिंग आवश्यक है। इस सूचना के आधार पर हम उन लोगों की पहचान करने का प्रयास करते हैं जिनके लिए प्रसार सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्थिति सम्बन्धी विश्लेषण उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। यह हमारी किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को पहचानने में हमारी सहायता करती है।

आइये अब हम योजना प्रक्रिया में पहले चरण को जानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कुछ महीनों पहले भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता आंदोलन की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत संसाधनों को आवंटित किया गया था और देश में शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक अभियान शुरू किया गया था।एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको लगता हिया कि आपके क्षेत्र के लोगों को भी इस राष्ट्रीय आंदोलन से लाभ हों सकता है तो आप अपने क्षेत्र में स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी, तथ्यों, जरूरतों एवं तरीकों को एकत्रित करने हेतु कदम उठा सकते हैं। आप अपने चुने हुए गाँव में शौचालयों का तथा उनके हो रहे उपयोग का पता लगा सकते हैं।

कई बार स्वच्छता की कमी के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। हम यह आंकलन कर सकते हैं कि कितने शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार स्थानीय स्थिति के बारे में सम्बंधित तथ्यों को एकत्र करने के पश्चात योजना शुरु हो जाती है।

चरण 2: स्थिति व संसाधन की आवश्यकता का विश्लेषण: तथ्य स्वयं नहीं बोलते व स्थिति के कारणों पर प्रतिबिम्बित नहीं हो सकते। निष्पक्ष तरीके से इन तथ्यों के विश्लेषण की आवश्यकता है। तथ्य केवल जानकारी साझा करते हैं। परन्तु लोगों की भावनाओं के विश्लेषण के लिए प्रसार कार्यकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से सामंजस्य, कारण एवं संभव समाधान को देखना चाहिए। स्थानीय स्थिति को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक,शैक्षिक मानकों व लोगों की प्रथाओं/तरीकों से सम्बन्धित होना चाहिए। तथ्यों को भी राय एवं आंकलन से पृथक होने की आवश्यकता है। इस

कारण एक प्रसार कार्यकर्ता को विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोगों द्वारा दी गई जानकारी को आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ मिलान करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय पहल के अन्तर्गत एक कार्यक्रम है। स्थानीय स्वच्छता की स्थिति के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करने के पश्चात इस स्थिति के कारण का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। लोग खुले में शौच करतेहैं क्योंकि गाँव में शौचालय नहीं होते हैं। दूसरा कारण यह है कि लोग इसे एक सामाजिक कार्य की तरह देखते हैं और सबकी तरह इसका पालन करते हैं। क्या लोगों का मानना है कि शौचालय बनाना एवं उसका उपयोग करना उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, क्या वे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में अज्ञान हैं?

सभी तथ्यों का विश्लेषण निष्पक्ष सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस जानकारी का विश्लेषण इस स्तर तक किया जाना चाहिए कि उन्हें आधार बनाकर आसानी से योजनाकारों द्वारा कार्यक्रम बनाए जा सकें। उदाहरण के लिए स्थानीय स्थिति का विश्लेषण निम्न सुझाव दे सकता है:

- चुने हुए समुदायों में किसी भी परिवार में शौचालय नहीं है, इसलिए सभी परिवारों को अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाना आवश्यक है।
- लोग शौचालाय से सम्बंधित स्वच्छ अभ्यास एवं स्वास्थ्य लाभ से अवगत नहीं हैं, इसलिए उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- सामुदायिक सदस्यों को गाँव के बुजुर्गों, नेताओं, धार्मिक प्रमुखों से उनके खुले में शौच करने की आदतों को बदलने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पहले गाँव के वृद्धों, नेताओं एवं धार्मिक प्रमुखों को आश्वस्त होना चाहिए।
- लोगों को अपने समुदायों के अंदर तथा उनके आदर्शों अथवा नायकों के रूप में भी रोल मॉडल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अभियानों में बॉलीवुड अभिनेताओं, धार्मिक गुरुओं आदि जैसे लोकप्रिय रोल मॉडलों की मदद से स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है।
- लोगों के पास संसाधनों की कमी है। घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरणा, शिक्षा, वित्तीय सहायता एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
- कार्यक्रम योजनाकारों के लिए स्थानीय स्थिति के बारे में तथ्यों का विश्लेषण अत्यंत उपयोगी हो सकता है।

चरण 3 : लोगों की विकास सम्बन्धी जरूरतों व उनकी संभावित समस्याओं को पहचानने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं का विश्लेषण

स्थानीय स्थिति का विश्लेषण एक प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय आवश्यकताओं व समस्याओं को समझकर उनका हल ढूंढने में मदद करता है। इस प्रसार कार्य का व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक

विकास ही मुख्य कारण होता है। विश्लेषण उन कमजोरियों, कमियों अनचाही तकनीक व तरीकों को इंगित करता है जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह अपेक्षित हल भी सुझाते हैं। इस कार्य हेतु प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय संगठनों व संस्थानों की मदद लेते हैं। तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

वर्तमान तरीका : यह वर्तमान समस्या एवं समुदाय के लोगें के वर्तमान तरीकों को दिखाता है। उदाहरण स्वरूप हम उन लेागों को चिन्हित करते हैं जो खुले में शौच करते हैं। पिछले 3 सालों में इस तरीके से होने वाले कई दुर्घटनाओं को रिकार्ड करते हैं। कई औरतों ने इससे मुश्किल उठाई होगी। गॉव वालों की उच्च मृत्यु दर व बीमारी की दर होगी।

वर्तमान स्थानीय स्थिति : तथ्य इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि एक गाँव में कितनी महिलाएं एवं परिवार, खुले में शौच करने के कारण बीमार हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है। लोगों की शिक्षा व जागरूकता का स्तर व शौचालय बनाने की इच्छा भी वर्तमान स्थानीय स्थिति में आयेगी।

सुझाव : सुझाव दिया जा सकता है लोगों व परिवारो को वित्तीय व तकनीकी मदद दी जाए जिससे वे शौचालय बना सके व उसका रखरखाव कर सके। वह बड़ी संख्या में 'स्वच्छता व साफ-सफाई पर को सम्मिलित किया जा सकता है। यह सुझाव किसी विशेषता की सलाह द्वारा किये जा सकते है।

एक प्रसार कार्यकर्ता एक से ज्यादा समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है। इस स्थिति में उसे अपनी प्राथमिकताओं का दृष्टिकोण बताना होगा। हाँलाकि एक से ज्यादा समस्याओं को साथ में चयनित करने से कार्यक्रम असफल हो सकता है। समुदाय का विश्वास लेकर अन्य समस्यायें एक के बाद की जा सकती है।

चरण 4 : विकास के लक्ष्य व उद्देश्य का निर्णय करना

योजना प्रक्रिया में अगला चरण उद्देश्य को प्राप्त करना है, जिसमें हमे पता चले कि हमे कार्यक्रम से क्या प्राप्त करना है, इसलिये हमें विकास के उद्देश्य व लक्ष्य सूचित करने होंगे। हमारे लक्ष्य व उद्देश्य का वह अन्तिम छोर है, जिसके लिये हमें मेहनत करनी है। हमें बहुत ध्यान से अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये क्योंकि वे ही हमारे कार्यक्रम की सफलता बतायेंगे। यदि हम अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों तक पहुँचने में नाकाम होंगे तो हमारा कार्यक्रम भी असफल होगा। इसलिये हमे उद्देश्य ध्यानपूर्वक व वास्तविक बनाने चाहिये।

उदाहरण स्वरूप शौचालय के निर्माण से पूरी तरह बीमारी को समाप्त वही कर सकते। इस प्रकार, शौचालयों के उपयोग के कारण संक्रामक रोगों में कमी लाना हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अपने उद्देश्य बनाते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना होगा:

- उद्देश्य निष्पक्ष रूप से महत्व के अनुसार सूचीबद्ध होने चाहिये। बुनियादी व अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पहले बताना चाहिये।
- उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिये।
- उन्हे बड़े पैमाने पर लोगों व राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिये। इस प्रकार हमारे उद्देश्यों को देश के बड़े विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिये। उन्हें राष्ट्रीय नीति व स्थानीय गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिये।
- उद्देश्य ऐसे होने चाहिये कि वैज्ञानिक पद्धति से उनका निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।
- उनका गठन स्थानीय एजेसियों एवं समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिये और उन्हें स्वीकार्य होना चाहिये।
- उन्हें लोगों की समस्याओं के लिये तकनीक व परीक्षण समाधान प्रदान करना चाहिये।
- वे प्रसार श्रमिकों (कार्यकर्ताओं) की क्षमता, कौशल व नौकरी के दायरे के भीतर होनी चाहिये।

उद्देश्यों को उनकी उपलब्धि के लिये आवश्यक समय के अनुसार वर्गीकत किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कार्यक्रम के पहले छः महिलों में बीस शौचालयो का निर्माण किया जा सकता है, अगले पाँच सालों में हर घर में शौचालय होगा, सभी लोग 2 साल में शौचालय बनाने हेतु शिक्षित व आश्वस्त होंगे। इस प्रकार, पहले 6 महिलों में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों को एक साथ समूहित किया जा सकता है। इसी तरह, 5 वर्षो में प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन लक्ष्यों को एक साथ समूहित किया जा सकता है। इस प्रकार, हर घर में शौचालय का निर्माण, दुर्घटनाओं में कमी व सवंमित रोगों के कारण बीमारी की घटनाओं में कमी का महत्वपूर्ण काव्य होगा।

चरण 5 : कार्य योजना का विकास

यद्यपि यह कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में यह पाँचवा चरण है, पर यह दूसरे चरण की शुरूआत है। इसमें कार्यक्रम डिजाइनिंग व विकास में शामिल समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रक्रिया को तय करना शामिल है। इस चरण में हम कार्य व काम के कलैडंर, दोनों की योजना विकसित करते हैं, इसका मतलब है कि हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या, कब, किसके द्वारा एवं किन संसाधनों से किया जायेगा। इस प्रकार, काम करने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, इसके साथ ही कार्य कब तक व किन संसाधनों की सहायता से किया जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। यह कार्य योजना एक प्रसार कार्यकर्ता द्वारा तैयार की जाती है तथा इस कलैंडर में सभी आवश्यक विवरण होते हैं। इस प्रकार, कार्य योजना, विस्तृत कार्यो का एक लिखित बयान है, यह प्रसार के सभी चरणों में प्रसार कार्यकताओं, के लिये एक माह का कार्य करता है, निर्णय लेने के बाद कार्य योजना तैयार करने की निम्न निर्णयों आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक लोगों की संख्या,

उद्देश्यों के लिये बैठको व प्रदर्शन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें वार्षिक योजना, मौसमी योजना व विस्तृत अवधि के लिये क्रियाकलायो को विकसित करना होगा जहाँ कार्यकलाप क्रषि या मोसम से सम्नन्धित होते है। आइयें इसे बेहतर ढंग से समझने के लिये एक कार्य योजना का उदाहरण देखें।

तालिका 5.1 : आदर्श कार्य योजना

गतिविधि	**आवश्यक संसाधन**	**समय (कब)**	**स्थान (कहाँ)**	**जिम्मेदार व्यक्ति (किसके द्वारा)**	**समुदाय में किन लोगों से संपर्क किया जाना चाहिए (किसके लिए)**
प्रसार अभियान	पोस्टर, होर्डिंग,मीडिया में विज्ञापन , स्थानीय अखबार, रेडियो आदि।	जनवरी 1-15 (2 सप्ताह) 10 am -11 am तथा 5 pm -6 pm रोज	गाँव का बाजार, मुख्य गली व चौपाल	प्रसार कार्यकर्ता, मीडिया कार्यकर्ता	चुने हुए गाँवों के समस्त परिवार
गृह विज्ञान	मुद्रित पाठ्य सामग्री	फरवरी 15,16,17 (3 दिन)	सामुदायिक सदस्यों के घर	प्रसार कार्यकर्ता	सभी 60 परिवारों से संपर्क किया जाता है।

सामुदायिक बैठकें	प्रचार हेतु सामग्री	15 जनवरी से 14 फरवरी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक	गाँव की चौपाल, गाँव के ऐसे स्थान जहाँ लोग आसानी से एकत्रित हो सकें जैसे मंदिर।	प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता,गाँव के मुखिया तथा स्थानीय नेता	50 सदस्यों के साथ बैठक
तकनीक का प्रदर्शन	शौचालय बनाने की तकनीक, सामग्री आदि	20 एवं 22 फरवरी	गाँव की मुख्य बाजार एवं चौपाल	प्रसार कार्यकर्ता एवं प्रदर्शन हेतु कार्यकर्ता	समुदाय के सभी सदस्यों के सम्मुख तकनीक प्रदर्शन
स्थानीय नेताओं के साथ अभियान को दोहराना	शौचालय के उपयोग को प्रचार द्वारा समझाना	23 फरवरी से 15 मार्च	गाँव के सभी एकत्रित होने वाले स्थान	अभियान नेता तथा प्रसार कार्यकर्ता	सभी सामुदायिक सदस्य
शौचालय का निर्माण	शौचालय की निर्माण सामग्री तथा मजदूर	16 मार्च से 16 मई	10 चुने हुए घर	निर्माणकर्ता ,मजदूर तथा प्रसार कार्यकर्ता	चुने हुए घरों के परिवार
शौचालय के रखरखाव	प्रचार हेतु सामग्री	1 अप्रैल से 15 मई	घर जहाँ शौचालय बनाने हैं।	प्रसार कार्यकर्ता	चुने हुए घरों के लोग तथा अन्य

हेतु शैक्षिक अभियान					सामुदायिक सदस्य।

चरण 6 : योजना का नियन्त्रण व जाँच द्वारा निष्पादन

इस चरण में पिछले चरण में तैयार की गई योजना के अनुसार सभी गतिविधियों को शामिल करना शामिल है। क्षेत्र में हमारी योजना का निष्पादित करने के लिये हमें कई लोगों, एजेंसियो, सामुदायिक सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। क्षेत्र में योजना के वास्तविक निष्पादन के दौरान हमारी योजना के मुताबिक कार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार, हमें अपनी योजना से विचलित होने से बचने के लिये विभिन्न चरणों में जाँच व नियन्त्रण करने की आवश्यकता है। इस चरण के दौरान हम अपनी योजना के समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के तरीकों व साधनों को तय करते हैं। हम निर्णय लेते हैं और जाँच करते हैं जैसे: योजना के निष्पादन के पहले महीने में हमें दो सार्वजनिक मीटिंग, चार प्रदर्शन तथा आठ गृह मीटिंग आयोजित करनी होती हैं। यह बाद में हमारी प्रगति की निरन्तर जाँच करने में हमारी सहायता करता है। इसमें देर होने की संभावना कम हों जाती है।इसके अलावा अगर हमें लगे कि हम अपनी योजना को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तो हम अपनी योजना को या तो सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं, देर का कारण ढूँढ सकते हैं तथा समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।

जाँच व नियंत्रण के दो उद्देश्य हैं:

- ठीक समय में योजना का विचलन पहचानने के लिए।
- विचलन को बिना देरी किये ठीक समय से सही करना।

हम जाँच बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए अपनी कार्य योजना का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम तालिका 9 में दिए गए उदाहरण की जाँच करें तो हम निम्नलिखित में दी गयी जाँच तथा नियंत्रण विधियों को तैयार कर सकते हैं।

तालिका 5 2 : डिजाइनिंग, जाँच तथा नियंत्रण (नमूना)

कौन (जिम्मेदार व्यक्ति)	**कब (समय)**	**क्या (गतिविधि)**	**कैसे (विधि)**
प्रसार कार्यकर्ता, मीडिया, योजनाकर्ता	जनवरी 11	अभियान सामग्री तैयार है	जिम्मेदार लोगों या एजेंसियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क,

			अभियान सामग्री की जाँच लिस्ट (सूची)
प्रसार कार्यकर्ता	जनवरी 13	सामुदायिक सदस्यों को अभियान के बारे में बताना	सामुदायिक सदस्यों से व्यक्तिगत संपर्क
प्रसार कार्यकर्ता	जनवरी 15 (सुबह 8)	बाभियान के शुरुआती बिंदु में सामुदायिक सदस्यों की उपस्थिति निर्धारित करना	सामुदायिक सदस्य, स्थानीय नेता

इस चरण के दौरान हमें प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने, अलग अलग एजेंसियों को जानकारी साझा करने तथा उनके साथ समन्वय करने एवं वास्तविक क्षेत्र के अभ्यासों का संचालन करने की जरूरत होती है जिन्हें हम योजनाबद्ध करते हैं। हमें अप्रत्याशित समस्या को पूरा तथा समस्या का हल करना होगा। योजना के विचलन से बचने के लिए हमें तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करनी होगी। उदाहरण के लिए यदि लोग समय पर एकत्रित ना हों तो कुछ स्थानीय बच्चों या लड़कों उन्हें जल्दी बुलाने के लिए सूचित करें।

चरण 7 : कार्यक्रम का मूल्यांकन

यह अलग कदम है जिसमें हम कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल्यांकन तथा मापदंडों के लिए ढांचा तय करते हैं। मूल्यांकन उस सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिससे उद्देश्य प्राप्त किया गया हों। हम जान जायेंगे कि हमनें कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल किया या नहीं। इस प्रकार हम यह तय करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होगा? यद्यपि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसे एक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। किन्तु हमें अंत के परिणामों की भी आवश्यकता होती है। हम औपचारिक या अनौपचारिक मूल्यांकन की योजना बना सकते हैं। हालाँकि कार्यक्रम के अंत में उद्देश्यों की उपलब्धि सीमा को मापा जाना चाहिए। इन परिणामों का मूल्यांकन सामान्यतया रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

चरण 8 : भविष्य के लिए कार्यक्रम तथा अनुशंसाओं की समीक्षा

यह कार्यक्रम योजना में अंतिम चरण है। यह चरण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद कार्यक्रम की समीक्षा की योजना बनाता है। कार्यक्रम की समीक्षा बाहरी एजेंसियों द्वारा की जाती है जैसे एक शिक्षण संस्थान,

समुदाय के लोगों का जीवन, तथा व्यवहार अवम तरीकों में परिवर्तन ढूँढने के लिए। यह उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिन्होंने प्रसार कार्यक्रम को पूर्ण किया हो जैसे प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय एजेंसियाँ, स्थानीय नेता आदि। इस समीक्षा का उद्देश्य अनुभव से सीखना तथा भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। समीक्षा एक टीम कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में सामने आने वाली समस्याओं, विफलता के कारणों तथा भविष्य के लिए सुझावों को सूचीबद्ध करती है। मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

प्रसार कार्यकर्ता के लिए :

- अनुभव देता है।
- सम्बंधित व्यक्ति को आश्वासन तथा आत्मविश्वास देता है।
- प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान।
- अपने कौशल में सुधार करना तथा नए कौशल सीखना।
- अगली बार कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सूची बनाना।
- विधियों, औजार तथा तकनीक की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता को पहचानने में सहायता करता है।

प्रसार संगठनों के लिए :

- वह सही या गलत फैसले के बीच में किये गए हर निर्णय की सफलता या असफलता का आंकलन करते हैं।
- प्रसार कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के प्रदर्शन का आंकलन।
- उद्देश्यों की उपलब्धि में अंतराल के कारण पर गौर करते हैं।
- अपने प्रयासों की स्थिरता के लिए सुझाव देना।
- भविष्य में लोगों की समस्या के लिए विविध, स्वीकार्य समाधानों के बारे में बताता है।
- यह कार्य के सुधार के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

सरकार के लिए :

- राष्ट्रीय लक्ष्यों, नीतियों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के मद्देनजर विकास का आंकलन।
- परियोजना पर सार्वजनिक धन के खर्च का विवरण।
- विकास के लिए परिवर्तन की प्रभावशीलता
- भविष्य की योजनाओं के लिए इस परियोजना के अनुभव का प्रयोग करें।

- यह केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता की पहचान करने में सहायता करता है।

अभ्यास प्रश्न 3

1. कार्यक्रम नियोजन के दो विशिष्ट चरणों के नाम बताइये?
2. एक प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे कर सकता है?

5.6 प्रसार कार्यक्रम की योजना कौन कर सकता है

प्रसार कार्यक्रम की योजना में ग्रामीण लोगों के अनुसंधान, कार्यक्रम मूल्यांकन (जिसकी चर्चा हमने कार्यक्रम योजना के अंतिम चरण में की है। जिसमे क्षेत्रीय प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय के सदस्य, स्थानीय एजेंसियों, कार्यक्रम शामिल है) में शामिल सभी लोगों के बीच परस्पर संपर्क शामिल है,हम यह कह सकते हैं कि प्रसार कार्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित लोगों की भागीदारी आवश्यक है:

1) **लक्षित आबादी :** ये वो लोग हैं जिनके लिए प्रसार का काम किया जाता है, उनकी भूमिका को ज़मीनी स्तर पर समझना चाहिये, लोगों का जीवन, रवैया/व्यवहार व तरीके में बदलाव लाना हर कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। बिना सहभागिता तथा सहायता के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। किसानों, गृहणियों, ग्रामीण, कारीगरों के समूह जैसे लोगों के लिए उनके अनुसार कार्यक्रम की योजना बनाने के लिये अधिकारियों को उनकी आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को आगे रखना चाहिए।
2) **प्रसार प्रशासन व उनके कार्यकर्ता :** हर स्तर के प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता को नियोजन प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाहिए।
3) **कॉर्पोरेट, गैर-सरकारी संगठनों व व्यवसाय समुदाय** : ये समुदायों को विकसित करने में मदद हेतु वित्तीय सहायता, बुनियादी ढाँचे व व्यावसायिक अनुभव का प्रसार करते हैं। इन विकसित समुदायों में कारोबार बढ़ाने के लिये कुशल व सक्षम कार्य बल उपलब्ध कराते हैं। कार्यक्रम योजना में उनकी भागीदारी से योजनाकारों को स्थायी कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद मिलती है।

5.8 सारांश

छात्रो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्यक्रम की योजना को कौशल व अभ्यास की आवश्यकता होती है। सम्पूर्ण कार्यक्रम कि सफलता सही योजना पर निर्भर करती है, योजना के हर चरण में स्पष्ट रूप से सोचने और अधिक समय व प्रयास की ज़रूरत होती है। योजना के निष्पादन के दौरान अधिक विफलताओं व समस्याओं का सामना करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार

प्रसार कार्यकर्ताओं के रूप में, हमें इसमें कई विचारों के साथ योजना तैयार करने व उसमे कौशल विकास का अभ्यास करने कि आवश्यकता होती है। प्रभावी योजना व कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के साथ अच्छा समन्वय एक कार्यक्रम को सफल बना सकता है। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता का अच्छा नियोजन कौशल उसे सही परिवर्तन कारक (एजेंट) बनाता है।

5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. बिंदु 5.3.1 देखें।
2. बिंदु 5.3.1 देखें।
3. बिंदु 5.3.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

1. बिंदु 5.4 देखें।
2. बिंदु 5.5.1 देखें।
3. बिंदु 5.5.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

1. बिंदु 5.6.2 देखें।
2. बिंदु 5.6.2 में चरण 7 देखें।

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6. धामा, ओ०पी० (1997), प्रसार व ग्रामीण कल्याण, राम प्रसाद व सेस, भोपाल।
7. धामा, ओ०पी० व भटनागर, ओ०पी०(1985), शिक्षा व विकास के लिये संचार, आक्सफोर्ड व आई०ब०एच० प्रकाशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, दूसरा प्रकाशन।
8. सुपे, एस०वी० (1983), प्रसार शिक्षा, आक्सफोर्ड व आर०व०एच० पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, दूसरा प्रकाशन।

इकाई 6 : कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया और नेतृत्व

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया

- 6.3.1 परिभाषा
- 6.3.2 कार्यक्रम विकास प्रक्रिया के चरण
- 6.3.3 कार्यक्रम योजना के मापदण्ड

6.4 नेतृत्व

- 6.4.1 परिभाषा
- 6.4.2 प्रसार में नेतृत्व की महत्वता
- 6.4.3 नेताओं के प्रकार
- 6.4.4 नेताओं के कार्य

6.5 योजनाकर्ताओं की पेशेवर क्षमताएं

6.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

- 6.6.1 अर्थ और महत्वता
- 6.6.2 स्थानीय नेताओं की पहचान
- 6.6.3 स्थानीय निकायों की भूमिका
- 6.6.4 सरकारी संस्थाओं की भूमिका

6.7 सारांश

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

6.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने परियोजना के क्रियान्वयन के लिये, परियोजना की रूपरेखा (डिजाइन) के बारे में जाना, इस इकाई में आप कार्यक्रम नियोजन चक्र और इसके घटकों के साथ साथ परियोजना की रूपरेखा पर बल दिया गया था। परियोजना की सफलता हेतु परियोजना की रूपरेखा, कार्यक्रम नियोजन के क्षेत्र और उनके उद्देश्यों को सम्मिलित करती है, इसका अगला चरण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों

और तरीकों की पहचान करना है। कार्यक्रम नियोजन का चरण, बनाई गई योजना की वास्तविक व्यवहार्यता का भी ध्यान रखता है। अन्त में परियोजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत परियोजना की निगरानी व मूल्यांकन दोनों पर चर्चा की गई।

इस इकाई में हम कार्यक्रम विकास प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों और प्रसार कार्यक्रम विकास में नेतृत्व की महत्वता के बारे में जानेगें। एक सफल कार्यक्रम वह है जो कि अच्छी तरह प्रयोजित किया हो अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया हो। यह देखा गया है कि स्थानीय नेता, स्थानीय निकाय और सरकारी संगठन किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, कार्यक्रम विकास प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों, योजनाकारों द्वारा चाही गई व्यवसायिक क्षमताओं, कार्यक्रम नियोजन हेतु क्षमताओं और कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु नेतृत्व के प्रकार व मापदण्डों का जानना बहुत आवश्यक है। यह सभी सफल कार्यक्रम क्रियान्वयन में मदद करेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगें ;

- कार्यक्रम विकास प्रक्रिया का अर्थ व उसमें सम्मिलित चरणों का समझने में।
- कार्यक्रम योजना हेतु मापदण्डों पर चर्चा करने में।
- पेशेवर योजनाकारों की जरूरी क्षमताओं को समझने में।
- प्रसार कार्यक्रमों में नेतृत्व की भूमिका और महत्व को समझने में।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रक्रिया और स्थानीय निकायों, नेताओं और सरकारी संस्थाओं की भूमिका को समझाने में।

6.3 कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया

कार्यक्रम विकास प्रक्रिया या दूसरे शब्दों में प्रसार कार्यक्रम की योजना, किसी भी प्रसार कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है यदि योजना सावधानी से बनाई जाती है तो यह कुशलतापूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दिशा निर्देशन का कार्य कारती है। कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया, लोगों के साथ काम कर, समस्याओं की पहचान करने और उनके लिये सम्भव समाधान का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। यह उन लोगों की आवश्यकता, रूचि और चाह पूरा करने की एक सचेत जरूरत है जिनके लिये कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

6.3.1 परिभाषा

प्रसार कार्यक्रम नियोजन, कई प्रसार शिक्षकों द्वारा परिभाषित किया गया है। इनमें से कुछ निम्न हैं:

बॉयल के अनुसार, कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जन प्रतिनिधि, प्रसार कार्यकर्ता और अन्य पेशेवर व्यक्तियों के साथ निम्न चार गतिविधियों में शामिल होते हैं

- तथ्यों और प्रवृत्तियों का अध्ययन
- इन तथ्यों और प्रतृत्तियों के आधार पर समस्याओं और अवसरों की पहचान करना।
- उन समस्याओं और अवसरों के बारे में निर्णय लेना जिन्हें प्राथमिकता की जानी चाहिए।
- शिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु उद्देश्य निर्धारित करना।

मुसग्राउ के अनुसार : प्रसार कार्यक्रम की योजना, कार्यक्रमों को निर्धारित करने, बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। यह एक तत प्रक्रिया है जिससे किसान, प्रसार काय्रकर्ता की निगरानी और नेतृत्व की मदद के साथ स्थानीय समस्याओं का निर्धारण, विश्लेषण और समाधान करते हैं। इसमें तीन मुख्य विशेषतायें हैं:

- क्या किया जाना चाहिये ?
- कब किया जाना चाहिये ?
- यह कैसे किया जाना चाहिये ?

6.3.2 कार्यक्रम विकास प्रक्रिया के चरण

कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किसी कार्यक्रम की योजना है जो कार्य नियोजन की एक बेहतर सोच के साथ साथ सफल तरीके से क्रियान्वयित होती है, संक्षेप में प्रसार कार्यक्रम का विकास, कार्य योजना बनाने, योजना क्रियान्वित करने और उपलब्धियों के मूल्यांकन को निर्धारित करना शामिल है। कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया एक सतत और सहकारी गतिविधि है जिसमें आम व्यक्ति और प्रसार कर्मचारी शामिल होते हैं जो समस्याओं की पहचान करने, सांझेदारी से मुख्य जरूरतों और इच्छाओं पर निर्णय लेने, उद्देश्यों को निर्धारित करने और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्णय लेने में मदद करते हैं।

कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में, उन लोगों की जरूरतों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है जिनके लिये कार्यक्रम योजना बनाई गई हो। यह हमें जानने में मदद करता है कि ''अभी हम कहाँ है'' और ''हम कहॉं जाना चाहते हैं'' जो आवश्यकताअें के मायध्म से जाना जाता है फिर उसके अनुसार काम करने की योजना बनाई जाती है जो बनाये गये कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में मदद करती है। प्रसार कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया को नीचे दी गई 9 सूचीबद्ध चरणों में बॉटा जा सकता है:

1. ग्रामीण समुदाय के कल्याण पर आधारित सभी उपलब्ध तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और मूल्यांकन।

2. समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित उद्देशयों का निर्धारण।
3. समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं की पहचान।
4. समस्या का समाधान खोजना।
5. चयनित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाये।
6. चयनित समस्याओं के समाधान की दिशा में एक कार्य योजना बनाना।
7. एक समन्वित तरीके से एक एक कर योजना को क्रियान्वित करना।
8. सतत जॉच और परिणामों का मूल्यांकन।
9. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्रगति की समीक्षा और अतिरिक्त अवधि के लिये योजनाओं को पेश करना।

चरण 1 से 5, कार्यक्रम येाजना के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं। चरण 6 से 9 कार्यक्रम की कारवाई के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं। कार्यकम्र योजना की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो पहले चरण से शुरू होकर अन्तिम चरण में समाप्त होती है। हर एक चरण का अपना महत्व है और यदि कोई एक एक भी चरण छूट जाता है तो कार्यक्रम यथार्थ नहीं हो सकता है और बनाये गये उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। अत: यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में किसी भी चरण को नहीं छोडा जाये या अनदेखी ना की जाये।

1) **तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और तथ्यों का मूल्यांकन :** तथ्यों का संग्रह, कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया का पहला कदम है। पर्याप्त और विश्वसनीय डेटा (आंकड़े) की वैज्ञानिक विश्लेषण की उपलब्धता के साथ इसके कार्यक्रम की कुशलतापूर्वक नियोजन में मदद करता है। तथ्य, नीव के पत्थर की तरह हैं जिन पर आधारित होकर गाँव के नेता और योजना समिति के सदस्य योजना तैयार कर कार्यक्रमों को लागू करते हैं। तथ्य स्थानीय स्थिति से एकत्रित किये जाते हैं जो कि समुदाय की वर्तमान स्थिति होती है जिसको बेंच मार्क समझकर लोग विकास की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्थिति के बारे में तथ्यों को नियमित रूप से प्रसार कार्यकर्ता, ग्रामसेवक, सेविका आदि परियोजना के खाते में नियमित रूप से संग्रहित करें। कार्यक्रम नियोजन के लिये तथ्यों को संग्रहित करने के लिये सूचना स्त्रोत का ज्ञान और क्या सूचना एकत्रित करनी है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तथ्यों या सूचना स्त्रोतों को निम्न के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है:

- क्षेत्र का सर्वेक्षण
- चर्चाएं व बातचीत आदि।

कृषि प्रबन्धन और उत्पादन कार्यक्रम की सूचना के अन्तर्गत निम्न आते हैं – कृषि आधारित सूचना जैसे औसत कृषि का आकार, फसलों के प्रकार व गुणवत्ता (फसल चक्र) , पशुधन के प्रकार व गुणवत्ता, मृदा प्रकार (विभिन्न फसलों पर उपयुक्तता) और मृदा उर्वरकता से सम्बन्धित समस्यायें जैसे मृदा अपरदन, मृदा कटाव, निकासी, मृदा सुधार आदि , पशु भोजन (पशुचारा भोजन राशन या फसल जो पशु चारे के रूप में उगाई जाती हो), घास की भूमि का उपयोग (पशु चराई के लिये) कृषि

मशीनरी (बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) उनकी लागत व किसानों द्वार उपलब्धता, मौसम, सिचॉई के संसाधन व निकासी की सुविधा, किसानों की वित्तीय स्थिति (लम्बी व छोटी ऋण स्थिति), कृषि श्रमिकों की समस्यायें तथा गाँव के भूमिहीन मजदूर आदि।

तथ्य का विश्लेषण व मूल्यांकन : तथ्यों और विभिन्न प्रकार की जानकारियॉं, विभिन्न स्थानीय स्त्रोतों से प्राप्त करने के बाद इसका मौजूदा समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिये विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाता है इस प्रकार यह जरूरी है कि कार्यकर्ता द्वारा इकठ्ठा की गई तथ्यात्मक ऑकडों को ग्राम पंचायत या ब्लाक विकास समिति को दिखाया जाय ताकि वह उनके द्वारा निरीक्षित किया जाय और गाँव की समस्याओं की वरीयता के आधार पर निर्णय लिया जाय।

2) समुदाय की जरूरतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण प्रयासों की निर्देशित दिशा में किये गये कार्यों को उद्देश्य कहते हैं, परियोजनाओं पर निर्णय लेने से पूर्व इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य प्रसार कार्यकताओं के साथ परामर्श और ग्रामीणों द्वारा निर्धारित होने चाहिये।

- व्यवस्थित टिप्पणीयाँ
- राजस्व अभिलेख
- पंचायत समिति रिकार्ड
- प्रश्नावली/साक्षात्कार विधि
- स्थानीय समाचार पत्र/पत्रिकायें
- व्यक्तिगत भ्रमण
- प्रदर्शनों के ऑकडे
- मुख्य नेताओं, बी0डी0ओ0, ग्राम प्रधान से रिपोर्ट लेना
- क्षेत्र के सहकारी और अन्य संस्था व संगठन
- सम्मेलन और बैठक

जिस प्रकार की जानकारी या तथ्य संग्रहित करने है वह भी कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम सेवक, प्रसार विशेषज्ञ और बी0डी0 ओ0 को निम्न जानकारियाँ होना आवश्यक है।

(1) गाँव के बारे में बुनियादी जानकारी।
(2) कृषि प्रबन्धन और उत्पादन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी

गाँव के बारे में बुनियादी जानकारी के अन्तर्गत जनसंख्या के बारे में जानकारी, परिवारों की संख्या, कृषि परिवारों की संख्या, गाँव के अन्य व्यवसाय, संचार व्यवस्था, शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा

सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, बाजार सुविधा और गाँव के लोगों का व्यवहार, सामाजिक वर्ग, औपचारिक और अनौपचारिक समूह, स्थानीय नेता आदि, पोषण की स्थिति (खाने की आदतें, पोषण का स्तर) और लोगों की आवश्यकता और इच्छा आती है।

स्थानीय स्थिति के आंकलन के आधार पर उद्देश्य निर्धारित होने चाहिये जैसा की चरण 1 में बताया गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य परिवार के मुखिया द्वारा परिवार के लिये और ग्राम पंचायत, ग्रामीण लोगों, स्थानीय नेता व स्थानीय संस्थाओं और प्रसार कार्यकर्ता के परामर्श द्वारा गाँव के लिये निर्धारित होते हैं। यह जानना भी महत्वूपर्ण है कि समुदाय की प्राथमिक आवश्यकता के आधार पर तत्काल व दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित होते हैं।

(3) **उद्देश्यों की प्राप्ति में समस्याओं की पहचान** : यह कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में तीसरा चरण है। परिवार में गाँव में और ब्लॉक स्तर पर समस्या को पहचानना और वर्गीकृत करना आवश्यक है जो कि नियोजनकर्ता व प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों में उनकी योग्यता व क्षमताओं को आँकने में मदद करेगी जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। वहाँ कई समस्यायें हो सकती है लेकिन जो भी समस्या जो महत्वपूर्ण हो, उपलब्ध संसाधनों में हल हो सकती हो उसे चयनित किया जाता है। सामान्यत:गाँव में ग्रामीण समस्यायें तीन वर्गों में विभाजित होती है:

- पहली वे जिन्हें बिना किसी बाहरी वित्तीय सहायता के स्वयं के संसाधनों द्वारा हल किया जा सकता है उदाहरण के लिये एक गरीब परिवार की खाने की आदतों को पर्याप्त मौसमी सब्जी व फलों की खपत से बदलना जो कि उनके ही किचन गार्डन (खेत) में उपलब्ध हो ।
- दूसरी वो जिन्हें समुदाय का सहयोग व कम बाहरी सहयोग चाहिये । उदाहरण: सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना।
- तीसरी जिन्हें उच्च लागत, उच्च तकनीकी ज्ञान और बाहरी संस्थाओं , सरकार, समाजसेवी संस्थाओं आदि से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो। उदाहरणार्थ: विद्यालय के भवन का निर्माण एक व्यक्ति परिवार या गाँव के लिये एक स्पष्ट, कार्यक्रम की योजना बनाना आसान है यदि ग्रामीण व ग्रामीण संस्थायें उपर दिये गये वर्गीकरण के आधार पर अपवनी समस्याओं को वर्गीकृत कर सके एक बार समस्या की पहचान हो जाय फिर उसे कई छोटी छोटी समस्याओं में बॉट कर उसे एक एक कर समाधान करना आसान होता है।

(4) **समस्या का समाधान करना** : समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर ग्राम सेवकों द्वार व ब्लॉक स्तर पर प्रसार कार्यकर्ता द्वार किया जा सकता है ताकि वे गाँव की समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझे और ग्रामीण जनता को समाधान प्रदान करें। जिन समस्याओं का समाधान वे स्वयं करने में सक्षम नहीं है उनको उन समस्याओं के लिये बेहतर विशेषज्ञों से सम्पर्क करना चाहिये। इसके अलावा प्रसार विशेषज्ञों को पूरी तरह गाँव की समस्याओं को व कार्यक्रम समझाने हेतु प्रशिक्षित करना चाहिये। तकनीकी प्रवृत्ति की समस्याओं पर प्रसार विशेषज्ञ अपनी सलाह उनको देने में

सक्षम होते हैं, जिन्हें अपने वर्तमान अनुसंधान क्षेत्रों पर सलाह की आवश्यकता होती है। प्रसार सलाहकार ना केवल तकनीकी समस्याओं का समाधान दे सकते है बल्कि समुदाय के लोगों के लिये उपयुक्त प्रसार के तरीके की भी सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण संगठनों के अधिकारियों की सलाह, अन्य संस्थाओं , ग्रामीण नेताओं संगठनों के अधिकारियों की सलाह, अन्य संस्थाओं, ग्रामीण नेताओं के प्रतिनिधियों की सलाह को समस्या को हल करने के लिये धयान में रखा जाता है।

(5) **चयनित समस्याओं को प्राथमिक के आधार पर हल किया जाये :** प्राथमिकता के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण नेता व ग्रामीण संस्थाओं व संगठनों की टीम, समस्याओं को चयनित करती है। इन समस्याओं को गंभीर व सजग प्रयासों द्वार विभिन्न चरणों में हल करना चाहिये ताकि ग्रामीण लोग कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हो, यह भी जरूरी है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम व ब्लॉक स्तर पर बनाई गई कार्यक्रम समितियाँ कार्यक्र मकी प्रगति की लगातार निगरानी करें ताकि जान सके कि कौन से योजनाये पूरी हो चुकी है और कौन सी नई योजनायें शुरव की जा सकती है। यह एक उचित तरीके से कार्यक्रम की योजना के लिये समस्याओं के चयन हेतु अवसर प्रदान करेगी।

(6) **कार्य योजना व संचालन तालिका बनाना :** कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम कार्य योजना व संचालन तालिका (कलेंडर) बनाना है। कार्य योजना, प्रसार कार्यक्रम की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करती है। यह निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली गतिविधियों की सूची है। केल्सी व हर्ने के अनुसार कार्य योजना इसका उत्तर है कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और किसके द्वारा कार्य किया जाना है। एक व्यवस्थित कार्य योजना निम्न के बारे मे विस्तृत जानकारी देती है:

1. जिन लोगों तक पहुँचना है।
2. लक्ष्य, तारीख व स्थान।
3. अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि।
4. नेताओं के कर्तव्य, प्रशिक्षण और मान्यता।
5. प्रसार कार्यकताओं, परियोजना नेताओं और कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारी।
6. अन्य एजेंसियों द्वारा निभाये जाने वाली भूमिका।
7. जरूरी उपकरण व सामग्री।

कार्य योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं मे से एक यह है कि यह लिखित रूप में होती है और प्रसार कार्यकर्ता व गाँव के लोगों के सहयोग से बनती है। कार्य योजना में गतिविधियों की तालिका और किये जाने वाले कार्य होते हैं।

संचालन की तालिका : यह कार्य योजना में कि ज्ञान वाली विभिन्न गतिविधियों की समय सारणी है। यह एक वर्ष के लिये बनाई जा सकती है परन्तु ज्यादातर यह हफ़्तों या महिनों के लिये बनाई जाती है। काम की तालिका (कलेंडर) के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, लोग व विशेषज्ञ जान सकते हैं कि किस समय, किस जगह व किस गतिविधि में वे शामिल हैं। यह समय की बर्बादी रोकने व विभिन्न परियोजनाओं में रूचि व उत्साह बनाने में मदद करता है। कार्य तालिका हर एक नेता तक पहुॅचनी चाहिये और इसलिये इसकी एक प्रति गाँव के कुछ प्रमुख स्थानों जैसे दुकान, स्कूल, ग्राम प्रधान आदि के घर में रखनी चाहिये यदि कार्य तालिका में गतिविधि के रोजक प्रतिकात्मक चित्र हो तो वह ज्यादा आसानी से ग्रामीणों द्वारा पहचान में आ सकते हैं या समझे जा सकते हैं। उदाहरण के लिये मत्स्य पालन हेतु मछली का वित्त व पोषण बागवानी की जगह सब्जीयों के चित्र का इस्तेमाल यह कार्य योजना के अनुकूल तिथि और समय की विभिन्न संचालनों हेतु समय तालिका जैसे;

- विशेष गतिविधि हेतु विशेष तिथि और समय जैसे की विभिन्न संचालनों हेतु समय तालिका।
- विभिन्न आदानों (इनपुट) की मात्रा जिसमें क्रेडिट और उपलब्ध समय भी हो।
- कब, कहाॅ और कितने दिन तक किसान व कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण देने में शामिल विशेषज्ञ।
- संतुष्टि की भावना देने वाले परिणाम।

यह एक मौसम में मौसमी योजना या वर्ष में वार्षिक योजना के रूप में तैयार किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, स्कूल , ग्रामीण युवा क्लब, व्यक्तिगत परिवार और प्रसार एजेंसी इनको तैयार करने के लिये अनुसूची (परफोर्मा) और सलाह दे सकते हैं। शुरूआती दौर में पहला प्रयास प्रसार कार्यकर्ता द्वारा होना चाहिये। परिवार और गाँव की योजना तथा आवश्यकता के आधार पर बी0 डी0 सी0 (प्रखण्ड विकास समिति) कार्य की वार्षिक योजना बनाई जाती है। पारिवारिक स्तर गाँव के स्तर पर (पंचायत और सहकारी) गौर बी0डी0सी0 (ब्लाक स्तर) पर एक सादे रजिस्टर में कार्य योजना एकत्रित कर सकते हैं।

7) योजना को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करना: किसी भी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिये अग्रिम नियोजन वांछनीय है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित चरणों पर विचार करना चाहिये:

कार्यक्रम कार्यान्वयन में चरण :

- किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम, प्रत्येक माह के लिये बनाई गई योजना को तालिका संचालन के अनुरूप पूरा करना।
- उर्वरक, उपकरणों, क्रेडिट, श्रव्य-दृश्य सामग्री व पाठ्य सामग्री की अग्रिम व्यवस्था।
- विशेष परियोजनाओं के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बहुत पहले करना चाहिये।

- ऐसे स्थानीय नेता के चुनाव में प्रयास करना चाहिये जो जिम्मेदारी उठा सके और प्रसार संख्या के प्रयासों को बढा सके।
- एक कार्यक्रम को बढाने वाले सभी चरणों की चर्चा ग्रामीणों के साथ करनी चाहिये और उनकी सहमति लेनी चाहिये।
- सहायता व दिशा हेतु हर कदम स्पष्ट होना चाहिये तॉकि वहॉ प्रसार कार्यक्रम को शुरू करने में कोई भ्रम ना हो।

कार्यक्रम कार्यन्वयन में शामिल स्टाफ : कार्यक्रम कार्यान्वयन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है इसमें कई कार्यकर्ता और संस्थाये शामिल होती है जैसे गाँव स्तर के कार्यकर्ताओं (बी0 एल0 डब्लू0) गाँव स्तर पर स्थानीय संस्थाये (स्कूल, पंचायत, सहकारी समितियॉ) , ग्रामीण युवा, प्रसार विशेषज्ञ, खण्ड विकास अधिकारी ,खण्ड स्तर पर) ये सब एक उचित परिप्रेक्ष्य में और उचित समय में गतिविधियों को व्यवस्था के लिये जिम्मेदार है।

मूल्यांकन के लाभ :

- तय (निर्धारित) उद्देश्यों की उपलब्धियों की सीमा मापने के लिये मूल्यांकन आवश्यक है।
- यह ये जानने का एक तरीका है कि किस सीमा तक किसी गतिविधि ने प्रगति की है और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे कितना और आगे ले जाना चाहिये।
- यदि कोई प्रभावशील, प्रगतिशील व कमजोर बिन्दु होते हैं तो मूल्यांकन उन्हें इंगित करता है।
- यह प्रसार कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ काम करने के कौशल में सुधार लाने में मदद करता है।

9) **पुनर्विचार और प्रगति की समीक्षा** :

कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल लोगों के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों की समीक्षा कार्यक्रम सम्पदित होने पर उसकी पूर्ण स्थिति से होती है। प्रगति की समीक्षा समय समय पर ग्राम संस्थानो, पंचायत, सहकारी समिति, स्कूल व ब्लॉंक विकास समीति व ब्लॉक सदस्यों के द्वारा होनी चाहिये।

कार्यक्रम जिनके द्वारा लोगों में सकारात्मक बदलाव आया हो या जिन्हें लोगों ने अपनाया हो उन्हें इसी तरह की कृषि, जलवायु, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के दूसरे क्षेत्रों में बढाया जाना चाहिये। उन कार्यक्रमों को जिन्हें लोगों ने नकारा हो उन पर शोध करने की आवश्यकता होती है ताकि उन कार्यक्रमों की विफलता का कारण पता चल सके। मूल्यांकन के परिणाम, लागू कार्यक्रम की उपलब्धियॉं व कमियों को पता करने में सक्षम होता है। इन परिणामों के आधार पर योजना पर फिर से विचार होता है और इस चरण पर आधारित निर्णयों के अनुसार एक नयी प्रक्रिया शुरू होती है, परिणामों के आधार पर सम्बन्धित प्रसार एजेंट, स्थानीय नेता, योजना सम्बन्धित प्रतिनिधि, ब्लॉक व राज्य सदस्य बदलाव के पुनर्विचार में शामिल होते हैं।

6.3.3 कार्यक्रम योजना के मापदण्ड

एक प्रभावी काय्रक्रम योजना के लिये, हर कार्यक्रम को व्यक्ति की वर्तमान स्थिति से शुरू कर एक बेहतर परिवार निर्माण की आरे ले जाना चाहिये। कार्यक्रम येाजना के कुछ अच्छे मापदण्ड निम्न हैं;

1. एक विशेष स्थिति का वर्णन (ऑकलन) करें और फिर उस पर कार्यक्रम की योजना बनाये।
2. महसूस की गई जरूरतों के आधार पर समस्या का चयन करें और वरीयता (प्राथमिकता) तय करें।
3. उद्देश्य व लक्ष्य, संतुष्टि प्रदान करते हैं।
4. अच्छे कार्यक्रम में लचीलेपन के साथ साथ स्थायित्व होता है।
5. अच्छा कार्यक्रम संतुलन के साथ महत्व को बल देता है।
6. कार्य योजना बनाये।
7. प्रोग्रामिंग (योजना) एक शैक्षिणक प्रक्रिया है।
8. प्रोग्रामिंग (योजना) एक समन्वय की प्रक्रिया है।
9. कार्य योजना परिणामों का मूल्यांकन प्रदान करता है।

- **एक विशेष स्थिति का ऑकलन करें और उस पर कार्यक्रम नियोजित करें** :- कार्यक्रम का नियोजन, ब्लॉक स्टाफ, जिला प्रसार स्टाफ व उपलब्ध सरकारी रिपोर्ट के साथ परामर्श के आधार पर होना चाहिये। इसके अलावा अनुसंधान संस्थानों (स्टेशनों) की संस्तुतियों के अध्ययन के साथ ही लोगों और स्थानीय संस्थानों जैसे पंचायत, सहकारी समिति, विद्यालय और अन्य संस्थाओं जैसे ग्रामीण युवा क्लब, महिला मंडल, किसान मंच और युवा किसान संघ आदि से करना चाहिये।
- **महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर समस्या का चयन व प्राथमिकताओं को तय करना**:- सभी समस्याओं को एक साथ दल नहीं किया जा सकता है। समस्यायें परिवार, समुदाय व ब्लॉक की स्थिति से सम्बन्धित होना चाहिये। समस्यायें सबसे ज्यादा महसूस की गई और बडी चिन्ता व आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए।
- **उद्देश्यों व लक्ष्यों को संतुष्टि प्रदान करना चाहिये** :- जिन ग्रामीण लोगों के लिये उद्देश्य बनाये है उन्हें वे समझने चाहिये और उद्देश्यों की प्राप्ति से संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिये।
- **अच्छे कार्यक्रम में स्थायित्व के साथ लचीलापन होना चाहिये** :- बनाई गये योजित कार्यक्रम को अल्पकालिन, दीर्घकालिन व विशेष आपात स्थिति का समाधान करना चाहिये।
- **अच्छा कार्यक्रम संतुलन के साथ महत्व को संयोजित करना है** :- अच्छा कार्यक्रम ज्यादातर महत्वपूर्ण रूचियों के साथ समय पर समस्या को महत्व देता है ताकि बिखरे हुवे प्रयासों को नकारा जाय और परिवार, गॉव, ब्लॉक और जिला स्तर पर सभी आयु, धर्मों और जातियों की समस्याओं पर बल दिया जाये।
- **कार्य योजना तैयार करें** :- हर एक कार्य की कार्य योजना बनाई जाय और चरण 6 में वर्णित की गई कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया का विवरण दिया जाय।

- **प्रोग्रामिंग (कार्य योजना) एक सतत प्रक्रिया है** :- समस्यायें और महत्व बदलता है, चरण पूर्ण हो सकते हैं और नई समस्यायें बड सकती हैं। सुधरी हुई प्रक्रियाओं (तरीकों) के रूप में समाधान बदलता है लेकिन कार्यक्रम योजना एक सतत प्रक्रिया है।
- **प्रोग्रामिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है**:- यह लोगों को सोचना, सवाल करना, निर्णय लेना और कार्य करना भागीदारी के माध्यम से सिखाता है।
- **प्रोग्रामिंग एक समन्वय प्रक्रिया है**:- यह नेताओं, समूहों और एजेंसियों में रूचि पैदाकर उनके समन्वय प्रयासों को बढाता है और उपलब्ध संसाधनों के अच्छे प्रयोग को बढावा देता है।
- कार्यक्रम योजना, परिणामों का मूल्यांकन देती है।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों को भरिये।

1. कार्यक्रम क्रियान्वयन -----------व --------- के द्वारा दिया जाता है।
2. ----------------उद्देश्य पूर्ति की सीमा निर्धारित करने मे मदद करता है।
3. प्रसार कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में ---------------चरण होते हैं।
4. कार्यक्रम विकास का पहला चरण ---------------है।
5. कार्यक्रम योजना के लिये निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्यों को -------प्रस्तावित करना चाहिये ।
6. कार्य योजना ------------के रूप में होती है।

प्रश्न 2. कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में शामिल चरणों को लिखिये (सूचीबद्ध कीजिये)

6.4 नेतृत्व

एक सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, किसी विशेष परिस्थिति में लोगों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व नेताओं और उनके अनुयाईयों (समर्थकों) का प्रत्यक्ष रूप से सामना होना भी है। यह एक व्यक्तिगत सामाजिक सम्पर्क है।

नेतृत्व में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं ;

1) जब एक व्यक्ति लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं उसे नेता कहते हैं। इसलिये एक नेता को उसके समर्थकों से अभ्यस्त आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिये क्योंकि बिना जनता के कोई नेतृत्व नहीं हो सकता ।
2) नेतृत्व नेताओं और उसके अनुयाईयों के बीच एक कामकाजी रिश्ता है, इसका अर्थ है कि एक नेता, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

3) नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य कुछ सार्वजनिक सदस्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करना है और इसकी प्राप्ति के लिये नेता को अपने समर्थकों को समझाने के लिये कडी मेहनत करते हैं।

4) नेतृत्व, बिना लोगों केा मजबूर कर स्वेच्छा से लोगों के वांछनीय कार्यों को बाहर लाता है। नेतृत्व को शामिल नहीं करता लेकिन एक नेता लोगों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है मुख्यत: अपने व्यवहार व कार्यों से ।

5) नेतृत्व, नेताओं व उनके समर्थकों के बीच व्यवहार को प्रभावित करने की एक पारस्परिक प्रक्रिया है। एक नेता लोगों से सम्पर्क करता है और अपने समर्थकों के व्यवहार प्रवृत्ति और कार्यों में प्रभाव डालता है। इसके बदले उसके समर्थक सम्पर्क के द्वारा नेता की प्रवृत्ति व व्यवहार में बदलाव लाते हैं।

6) नेतृत्व एक शक्तिपूर्ण सम्बन्ध है क्योंकि नेता अपने अनुभव, ज्ञान और अनूठी व्यक्तिगत विशेषताओं की वजह से एक शक्ति संरचना का केन्द्र होता है और इसके द्वारा अनुयाइयों (समर्थकों) से ज्यादा शक्ति वाला होता है।

7) नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की एक सतत व गतिशील प्रक्रिया है हॅलाकि यह बहुत जटिल व बहुआयामी है।

6.4.1 नेतृत्व की परिभाषा

1) जार्ज आर टेरी के अनुसार –''नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है जिससे लोग स्वेच्छा से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं।

2) सामाजिक विज्ञान के विश्वकोष के अनुसार ''नेतृत्व एक व्यक्ति और उसके समूह के बीच का सम्बन्ध है और एक समूह एक सार्वजनिक रूचि के आस पास घूमता है और नेता द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करते हैं।

3) हैप्पल के अनुसार नेतृत्व एक या अधिक लोगों की भूमिका और सामाजिक स्थिति को एक संगठन व संरचना को दर्शाता है जो कि इन समूहों को उनकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करता है। यह केवल लोगों के आपसी सहयोग सम्भव है।

6.4.2 प्रसार में नेतृत्व की महत्वता

किसी भी टीम वर्क (समूह के कार्य) की सफलता अपने नेतृत्व की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एक मजबूत, कुशल नेता, एक संघर्षरत संगठन या समूह को एक सफलता में बदल सकते हैं। इसके विपरीत यदि नेता कमजोर हो तो वह समूह की दक्षता व कार्य करने की भावना को कम कर सकते हैं। एक नेतृत्व समूह को नरकरार, अनुशासित व ऊर्जावान , इच्छाओं से भरभूर रखता है और सबसे महत्वपूर्ण इसके द्वारा यह लोगों के कल्याण के लिये एक टीम की तरह कार्य करता है।

नेताओं के कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं;

1) **मार्गदर्शन** :एक नेता की मार्गदर्शन व निर्देश देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक नेता हमेशा सभी गतिविधियों में सलाह देता है। मार्गदर्शन करता है और नेतृत्व देता है और समूह के कल्याण हेतु अपने महत्वपूर्ण प्रयास देता है।
2) **सहयोग से किये गये कार्यों को प्रेरित करना** :- एक अच्छे नेता में उसके समूह के सदस्यों में एकजुटता की भावनाउत्पन्न कराने की क्षमता होती है। वह समूह के नेता के रूप में कार्य करता है जो लोगों के आन्तरिक मदभेदों को सुलझाता है जो कि समूह के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
3) **अनुशासन बनाये रखना** :- एक नेता यह ध्यान में रखता है कि समूह में कोई अराजकता, नियमों व विनियमन का उल्लंघन ना हो और समूह में कोई विनाशकारी गतिविधियॉ ना हो और इसके साथ ही समूह के सदस्यों के लिये विष्पक्ष व्यवहार रखे। एक नेता आत्म अनुशासन पर केन्द्रित होता है।
4) **मनोबल बढाना** : एक नेता समूह के लिये एक प्रेरित बल है। वह समूह के लोगों में विश्वास, निष्ठा व निर्णय को मजबूत बनाता है।
5) **समूह का प्रतिनिधित्व** : नेता, समूह और बाहरी दुनिया के बीच एक वास्तविक पुल के रूप में कार्य करता है। एक नेता अपने समर्थकों का एक प्रतिनिधि होता है जो समूह की आवाज, विभिन्न अधिकारियों तक पहुचाता है। एक प्रभावी नेतृत्व निम्न को शामिल करता है;

1. समूह कार्यों के बारे में जागरूकता
2. कार्य प्रदर्शन में क्षमता
3. लक्ष्यों की उपलब्धी
4. सदस्यों के कार्यों का निर्धारण
5. कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन
6. अलग वातावरण के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि
7. नेताओं के सकारात्मक मूल्यों को प्राप्त करना।
8. समूह में उच्च आचरण , नैतिक मूल्यों व उच्च मनोबल को प्राप्त करना ।
9. संचार संरचना की व्यवस्था ।
10. विफलता को स्वीकार करना।

6.4.3 नेताओं के प्रकार

जैसा की हमने पहले चर्चा की है कि नेता, समुदाय को इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्देशित करते हैं, लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, नेताओं का मुख्य उद्देश्य है। समुदाय की तरह ही , नेता का समान

आवश्यकतायें व स्थिति होती है इसलिये वह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। गाँव में मौजूद नेता विभिन्न प्रकार के होते हैं।

नेताओं की दो व्यापक श्रेणियाँ हैं;

1) पारम्परिक नेता
2) आकस्मिक नेता

पारम्परिक नेता : पारम्परिक नेताओं का भूमि, धन या विरासत में मिली किसी भी स्थिति के आधार पर ग्रामीणों पर प्रभाव होता है। उनको अपने धन व शक्ति के कारण समाज में सम्मान प्राप्त होता है और सामाजिक और धार्मिक जरूरतों के साथ साथ रस्मों व समारोहों मे लोगों की मदद करते हैं। पारम्परिक नेता, विभिन्न नेताओं के नाम से जाने जाते हैं जैसे

- **जातिगत नेता** : जातिगत नेता वह नेता होते हैं जिनका प्रभाव व रूचि किसी विशेष जाति में होता है या वे उस जाति समूह से सम्बन्ध रखते हैं। वह लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी जाति के लोगों के मध्य अपनाये जाते हैं। इसलिये वे एक खास समूह से सम्बन्ध रखते हैं।
- **धार्मिक नेता** : ये नेता गाँव की धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुडे होते हैं जैसे गाँव के पुजारी या ओझा, आमतौर पर यह नेता वंशानुगत होते हैं जो एक ही परिवार में जन्म लेते हैं और उनका विकास कार्यों में अपनी कठोर मूलयों व विशिष्ट हितो की वजह से कम योगदान होता है।

आकिस्मक नेता : ये वह नेता है जो नेतृत्व निम्न कारणों से दर्शाते हैं जैसे – व्यक्तिगत गुण, कोई विशेषज्ञता, सत्ता के कार्य, राजनीतिक सम्बद्धता, या कुछ अधिग्रहण गुण जैसे –प्रगतिशील किसान, ग्राम परिषद् के प्रमुख जैसे पंचायत, सहकारी समिति या स्वैच्छिक या राजनीतिक संगठनों के सदस्य, इस तरह के नेता ग्राम सभा में उपलब्ध अवसरों की वजह से उभरते हैं। आकस्मिक नेताओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे –

व्यक्तिगत नेता: ये वह नेता है जिनका अपने ज्ञान व कौशल के कारण गाँव के लोगों में काफी प्रभाव होता है जैस प्रगतिशील किसान,पढे लिखे युवा जो अपने गॉव में कौशल केन्द्र चलाते हैं, विभिन्न कौशल क्षेत्रों के सेवानिवृत्त व्यक्ति जो अपने गाँव में रहते हैं और गॉव मे रहने वाले विद्यालय के शिक्षक।

व्यवसायिक नेता : ग्राम प्रसार कार्यकर्ता या गाँव के विद्यालय के शिक्षक ऐसे व्यवसायिक नेता होते हैं जिनका व्यवसायिक स्तर होता है या किसी खास क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण होता है। ये नेता व्यवसाय के रूप में पूरा समय देते हैं, कार्य के लिये भुगतान लेते हैं और ग्रामीणों पर प्रभाव डालते हैं।

निर्धारित नेता : इन नेताओं को विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला होता है कार्य के लिये भुगतान नहीं मिलता है और सामान्यत: गॉव के स्थानीय समूह संस्थाओं के साथ खाली समय में कार्य करते हैं। जैसे युवा क्लब के अध्यक्ष, निर्धारित नेताओं को स्वयं सेवक या स्थानीय या प्राकृतिक नेता कहा जाता है। ये नेता इस आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं कि किसी संगठित के नियमित रूप से कार्यलय पदाधिकारीहै या नहीं ।

राजनीतिक नेता : ये राजनीतिक दलों के साथ जुडे होते हैं और जिस गाँव में ये कार्य करते हैं उनके लिये एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं।

सामाजिक नेता : सामाजिक संगठनों के नेताओं का गाँव के लोगों पर गहरा प्रभाव होता है क्योंकि वह लोगों के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

6.4.4 नेताओं के कार्य

नेताओं का उनके समर्थकों में गहरा प्रभाव होता है और वे उन्हें अच्छी तरह निर्देशित करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों में नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये वह व्यक्ति है जो गाँव से ही सम्बन्धित होते हैं और गॉव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी होती है और गाँव के लोगों की ही तरह भावना व विचार होते हैं। नेता वे होते हैं जिनमें गाँव के लोगों की भरपूर आस्था होती है और प्रसार कार्यकर्ता से पूर्व गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेता अपने विकास के विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों की अधिकतम भागीदारी से उनकी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने में मदद करते हैं। केवल नेता ही होते हैं जो एक सध्तम कौशल के माध्यम से, लोगों को एक बेहतर विकास के लिये सही दिशा में एक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिये सक्षम हैं इसलिये हम कह सकते हैं कि समर्थकों (अनुयाइयों) द्वारा खत्म किये गये कार्यो को नेता ही शुरू करता है। कई प्रकार के कायर्करते हैं जो निम्न रूप से सूचीबद्ध हैं ;

समूह: नेता की अध्यक्षता वाले विभिन्न सामाजिक समूहों में कुछ मुद्दों से सम्बन्धित रायों में समानता व मतदभेद होता है, इसलिये, एक लीडर(नेता) समूह में समानता बढाने और परस्पर विरोधी स्थितियों से बचने के लिये शान्तिपूर्वक ढंग से मदभेद सुलझाने के लिये एक नेता समूह रूप में कार्य करता है।

समूह प्रवक्ता : एक नेता समूह का प्रतिनिधित्व करता है इसलिये वह सही तरीके से समूह की रूचियों व स्थितियों के लिये जिम्मेदार है। वह पूरी तरह से समूह की आम सहमति की राय जानता है और जब आवश्यक हो उसे संचारित करता है, उसे समूह के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है और अनिश्चितता की स्थिति में वह अपने समूह से सलाह ले सकता है ताकि उसके द्वारा केवल वांछनीय राय ही व्यक्त की जाय।

समूह कार्यकारी : समूह द्वारा बनायी गयी कार्य योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों के कार्य जो उन्होने पूर्ण करने हैं, नेता ही सुनिश्चित करता है, समूह कार्यकारी के रूप में एक नेता, उभरे मुद्दों पर आम सहमति बनाता है और ध्यान रखता है कि आयोजित गतिविधियॉ , लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर हो।

समूह नियोजक : ज्यादा चलने में समूह नियोजना एक संस्था की मदद करती है यदि यह नेता द्वारा की गई हो। एक नेता समूह नियोजक की रूप में समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से समूह की समस्या का ऑकलन करता है और सम्भावित समाघान की योजना बनाते हैं।

समूह शिक्षक : कई समूहों में नेता एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास अन्य समूह सदस्य की तुलना में ज्यादा ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव है, वह कुछ नये मुद्दों और तकनीक पर लोगों को पढाने व शिक्षित करने के लिये जिम्मेदार होता है, शिक्षण के दौरान नेता अपने समूह सदस्यों के साथ ज्ञान व अनुभव सांझा करते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है।

समूह आदर्शों का प्रतीक : जो व्यक्ति नेता के रूप में चुना जाता है व समूह के आदर्श का प्रतीक होता है और उन्हें मापदण्डों को अपनाकर उनका अनुसरण करना होता है, समूह एक नेता को आदर्श अवतार में देखने की उम्मीद करती है।

समूह चर्चा के अध्यक्ष : आजकल समूह चर्चा, पैनल चर्चा या समूह सोच का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है, नेताओं को इन पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिये ।

समूह पर्यवेक्षक : एक नेता गाँव की विभिन्न सामाजिक समूहों की निगरानी करता है और गाइड (अनुपालन/निर्देशित) करता है। जैसे – युवा क्लब, सहकारी समिति/सहकारीता, महिला मंडल व किसान संघ, परिवर्तन से जुडे मामलों में भी वह उन्हें सलाह देते हैं।

प्रबन्धक : एक नेता विभिन्न प्रबन्धकीय भूमिकाओं जैसे विभिन्न आयोजनों और जिम्मेदारीयों के आवंटन में शामिल होता है। वे उपलब्ध संसाधनों की जरूरत व लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर योजना बनाते हैं और कई तरह की गतिविधियों को चलाते हैं ताकि विभिन्न भागीदारों और संगठनों से ताल मेल बना रहे।

संक्षेप में, नेता निम्न रूप में कार्य करते हैं –

(1) आरम्भकर्ता (2) समन्वयक (3) संक्षेपकर्ता (4) प्रवक्ता (5) प्रेरक (6) तथ्य दाता (7) स्थिति भूमिका (8) रिकार्डर (9) विश्लेषक (10) नियोजक (11) समझोतावादी (12) मूलयांकनकर्ता

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. 'सत्य' या 'असत्य'बताइये।

I. नेता वे लोग है जिनका अपने समर्थकों (अनुयायियों) पर बडा प्रभाव पडता है-----------
II. नेताओं का अपने समूह सदस्यों के प्रति नकारात्मक रवैया होना चाहिये -----------------
III. एक नेता को 'अकेले जाना है' के दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये -----------
IV. एक समूह प्रवक्ता समूह के हितों के लिये बोलता है -----------------

प्रश्न 2. पारम्परिक व आकस्मिक नेताओं के मध्य अन्तर बताये।

6.5 योजनाकर्ताओं की पेशेवर (व्यवसायिक) क्षमताएं

पेशेवर योजनाकारों की जरूरी क्षमताओं में निम्न शामिल हैं;

1. राष्ट्रीय प्रसार सेवा संगठन की प्रकृति और भूमिका को समझना : योजनाकारों को भारत में राष्ट्रीय प्रसार सेवा संगठन की प्रकृति व ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका को समझाने की जरूरत है, इसके लिये निम्न के ज्ञान की आवश्यकता है
   (1) सामुदायिक विकास की वर्तमान गंजाइश, दर्शन व उद्देश्यों का विकास
   (2) राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर संस्था का संगठन व प्रशासन
   (3) पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों की भूमिका
   (4) विकासशील देश मे संस्थाओं की जिम्मेदारी व अवसर
2. तकनीकी से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान व समक्ष जिसका कार्यक्रम से सम्बन्ध हो
   - मौजूदा तकनीक का सम्पूर्ण ज्ञान
   - मौजूदा तकनीक के साथ परिचय
   - तकनीक के विश्वसनीय स्त्रोतों का ज्ञान
   - य हजानना कि कैसे तकनीक एक विशेष समस्या से सम्बन्धित होती है।
   - सतत पठन/पढाई
3. कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करने और बनाने की क्षमता ताकि वे इसके निष्पादनमें मार्गदर्शन कर सकें : उद्देश्यों को स्पष्ट और बतानेकी क्षमता, निम्न को शामिल करती है:
   - उद्देश्यों की प्रकृति, उद्देश्य व भूमिकाको समझना।
   - उद्देश्यों के ज्ञान स्तर व आपसी सम्बन्ध का ज्ञान ।

- शैक्षणिक गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिये उद्देश्यों को बताने व इस्तेमालकरने मे कौशल

4. लोगों व वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता : इसके लिये निम्न की आवश्यकता की समझ होनी चाहिये :

- संगठनों कीप्रकृति व कार्य
- संगठनों के सिद्धान्त
- संगठनों की तकनीक
- कार्यक्रमों में समन्वय व एकीकरण की भूमिका

5. सिद्धान्तों व व्यवहार के बीच सम्बन्ध : सिद्धान्त और व्यवहार में हमेशा सम्बन्ध होता है, सिद्धान्त 'क्यों' पर और तकनीक 'कैसे' पर आधारित होते हैं, एक व्यक्ति सिद्धान्त की संरचना समझाने में समर्थ हो सकता है परन्तु प्रयोगात्मक तौर पर करने में असमर्थ होते हैं। इसके विपरीत एक व्यक्ति तकनीक का कौशलता पूर्वक इस्तेमाल कर सकता है परन्तु हो सकता है कि वह इसके सिद्धान्त ना समझ सके। जैसे – कैसे एक तकनीक, सामुदायिक विकास की प्रक्रिया या किसी एक विशेष गतिविधि से सम्बन्धित है।
   एक प्रसार कार्यकर्ता को किसी तकनीक को प्रभावी बनाने के सिद्धान्त को समझना चाहिये और ऐसे कार्यकर्ता एन कार्यकर्ताओं से ज्यादा रचनात्मक होते हैं जो केवल प्रयोगात्मक (व्यवहारिक) होने पर गर्व करते हैं।
6. जाँच में कौशल : लोगों के साथ सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये मानवीय सम्बन्धों के कौशल की आवश्यकता होती है, विशेषकर स्थानीय नेताओं, सहकार्यकर्ताओं और प्रशासनिक संगठनों के व्यक्तियों के लिये, मानव सम्बन्धों की चिन्ता का विषय है कि कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता का कार्य लोगों में शैक्षणिक बदलाव लाना है इसलिये यह जरूरी है कि लोग उस तरीके से कार्य करे की लोग उन बदलावों को अपनाये लेकिन यदि प्रसार कार्यकर्ता ऐसा ना कर पाये तो उन्हें अपने लोगों द्वारा चाहे गये परिवर्तनों द्वारा सदस्यों को बदले। इसके अलावा इन श्रमिको को बेहतर खेत, घर और सामुदायिक प्रथाओं की तकनीकी जवाबों को आना चाहिये।

6.6 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कार्यक्रम कार्यान्वयन केवल तब होता है जब एक बार वरीयता पहचान व स्थापित कर प्रसार कार्यक्रमको नियोजित किया जाता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन के तीन प्रमुख चरण हैं:

(1) कार्यक्रम को व्यापक प्रचार देना

(2) कार्ययोजना तैयार करना

(3) कार्यक्रम के दौरान व निष्पादन के समय कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

6.6.1 अर्थ और महत्व

कार्यक्रम कार्यान्वयन मे समुदाय मे कार्य करने की योजना शामिल है। कार्यक्रम कार्यान्वयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित गतिविधियों को एक निश्चित स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। एक कार्यक्रम को सामान्यत: कई परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप मे क्रियान्वयन के लिये कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य पूर्ण करने का एक तरीका है औार इसके वांछनीय और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। कार्यक्रम निष्पादन, कार्यक्रम नियोजन का सबसे लम्बा चलने वाला कदम है जिसके लिये ज्यादा ऊर्जा व संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक बार जब कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये योजना पूर्ण हो जाती है, अनुसूचित योजना पर अमल करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन एक व्यक्ति के अकेले का कार्य नहीं है बल्कि इसमें स्थानीय नेताओं, स्थानीय संस्थाओं जैसे विद्यालय, पंचायत,सहकारी आदि और महिला मण्डल, युवा क्लब, गैर सरकारी संस्थाओं और प्रसार संस्थायें आदि सम्मिलित होते हैं।

6.6.2 स्थानीय नेताओं, स्थानी यनिकायों और सरकारी संस्थाओं की कार्यक्रम विकास में भूमिका

स्थानीय नेताओं की भूमिका : प्रसार कार्यकर्ताओं को गाँव के नेताओं की पहचान कर उनके साथ कार्य करना चाहिये ताकि योजना के अनुसार कार्यक्रम शुरू किया जाय। स्थानीय नेता वे लोग होते हैं जिनको समुदाय के मध्य से चुना जाता है और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गाँव के लोगों को स्थानीय नेताओ के लिये डर और नफरत की बजाय सम्मान व विश्वास होता है और निश्चित रूप से काय्रक्रम के क्रियान्वयन में मदद करते हैं। एक नेता कार्य शुरू करता है दूसरों पर प्रभाव डालता है और समर्थकों की मदद से कार्य समाप्त करता है। बाहरी लोगों की अपेक्षा, गाँव वालों के अपने नेता उनसे क्या कहते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रदर्शन, गाँव के शिविर, आपतकालीन स्थिति आदि के समय गूढ अवलोकन द्वार हम स्थानीय नेताओं की पहचान कर सकते हैं। विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों में स्थानीय नेता की भूमिका घर एक स्थान के अनुसार व किये गये कार्य पर निर्भर करती है। स्थानीय नेता निम्न तरीके से योगदान करते हैं;

1) ग्रामीण लोगों के आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करते हैं।
2) स्थानीय नेता, ग्रामीण लोगों की महसूस की गई व महसूस ना की गई जरूरतों की पहचान करने मे मदद करने में।
3) स्थानीय समूहों को व्यसस्थित करते हैं।
4) अपने पडोसियों व मित्रों को प्रसार कार्यकर्ता की सहायता करना सिखाते हैं।

5) लोगों के लिये जानकारी व तकनीकी ज्ञान के एक स्त्रोत की तरह काय्र करता है ताकि प्रसार कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी प्रसार कार्य सम्पन्न हो सके।
6) लोगों व प्रसार काय्रकर्ता के मध्य सम्पर्क के रूप में काय्र करता है।
7) स्थानीय नेताओं की अन्य भूमिका यह है कि वह ग्रामीण लोगों की उनके द्वार किये कार्यो हेतु प्रसार कार्यकर्ता व वरिष्ठ लोगों द्वारा किये अच्छे कार्यों की मान्यता व इनाम, स्थानीय नेता द्वारा निम्न तरीके से की जा सकती है।
8) गाँव के नेता तथ्यों के संग्रह व विश्लेषण मे व समस्या हल करने मे स्वदेशीय व स्थानीय संसाघन उपलब्ध कराने में प्रसार कार्यकर्ता की मदद करते हेा।
9) शुरू किये गये कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बढाने के लिये गाँव के स्थानीय नेता कठिन प्रयास करते हैं। इसके अलावा वे समूह के लोगों के मध्य बातचीत में सुधार को प्रोत्साहित करते हैं।
10) सुगमता से गतिविधियों को चलाने हेतु स्थानीय नेता, आदानों, व आपूर्ति, बुनियादी ढांचे, बीज , श्रृण सुविधा आदि की व्यवस्था करने के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं।
11) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान बैठकों व चर्चाओं के आयोजन में मदद करते हैं।
12) स्थानीय नेता स्थानीय कार्यक्रमों में रूचि रखते हैं और एक सर्जक के रूप में कार्य करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी लाभ के नये विचारों को अपनाते हैं और समुदाय की सेवा करते हैं।
13) स्थानीय नेता, लोगों की चयनित लक्ष्य की दिशा मे लोगों को सहयोग हेतु प्ररित करती है।
14) वे लोगों के प्रतिनिधित्व के लिये बोलते हैं और एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं।
15) समूह के मध्य संघर्ष/परेशानी उत्पन्न करने वाले लोगों से वे सजगता से सामना करते है , एकजुट करते हैं इसलिये सामंजस्य स्थापित करने वाले कहलाते हैं।

6.6.3 स्थानीय निकायों की भूमिका

महिला मण्डल, युवा क्लब, गैर सरकारी व स्वंय सेवी संगठन, व किसान संगठन ऐसे स्थानीय निकाय हैं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, कार्यक्रम कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का यहाँ वर्णन किया जा रहा है;

महिला मण्डल : महिलामण्डल, स्थानीय महिलाओं के स्वतन्त्र स्वैच्छिक संगठन हैं। महिलाओं के ये संगठन कार्य नियोजन करते हैं और विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करना सिखते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता महिला मण्डल के सदस्यों को परियोजना के कार्यक्रमों को चलाने के लिये प्रेरित करता है। एक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजना के उचित कार्यन्वयन के लिये व्यवस्थित

किया जाता है और जब भी जरूरत हो महिला मण्डल की महिलायें उसमें भाग ले सकती है,शिक्षा दे सकती है और सिखाई गये तरीकों को समुदाय द्वारा अपनाने के लिये प्रेरक का कार्य करती है।

युवा क्लब : स्थानीय स्थिति के युवा होने के नाते, युवा क्लब ऐसे नीव के पत्थर होते हैं जो परियोजना की सफलता का निर्धारण करते हैं, युवा क्लब में युवा होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम क्रियान्वयन में एक गतिशील और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा क्लब के तेज, सक्षम व प्रबुद्ध युवा नेता ग्रामीण युवाओं के कार्यक्रम के तेजी से कार्यान्वयन में मदद करते हैं। भारत के अधिकांश ग्रामीण युवा, डेयरी, मुर्गीपालन मधुमक्खी पालन आदि जैसे कृषि व कृषि आधारित गतिविधियों में लगे हैं इसलिये युवा क्लब, युवा किसानों को क्रियान्वित कार्यक्रम में नये तरीके अपनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम लागू करते समय यह युवाओं के लिये परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिये ताकि वे भी बडे स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में रूचि दिखाये , परियोजना की उचित प्रगति हेतु, युवा क्लब के सदस्यों को परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित करना आवश्यक हैं।

गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं: गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थायें कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये कुछ विशिष्ट परियोजनाओं को लेती है और सामान्यत: समुदायों में स्थित अपने उपकेन्द्रों और क्लबों द्वारा कार्य करती है। उपकेन्द्र के कर्मचारी व क्लब के सदस्यों को समुदाय में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाता है और सलाह दी जाती है। ये विकास से सम्बन्धित संस्थाये होती है जो सीधे ही ग्रामीण निर्धनों या स्थानीय संस्थाओं को अपनी सेवाये देती हैं जिससे स्थानीय समस्याओं और उनके हल को अच्छी तरह जान सके। ये संगठन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, काम की तीव्रता, निरन्तरता व समुदाय के बीच अधिक स्वीकार्यता के कारण जाने जाते हैं। कार्यक्रम निष्पादन मे गैर सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकायें निम्न हैं;

- दूरदराज के स्थान जहॉं सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्भव ना हो वहॉं परियोजनाओं की निगरानी व कार्यन्वयन।
- किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिये समझाना क्योंकि वे उनके साथ अच्छे व घनिष्ठ सम्बन्ध रखतेहैं।
- कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान स्थानीय जरूरतों को पूरा करने हेतु योजनओं व मॉडल को संशोधित करने की क्षमता।
- संचार में श्रृव्य दृश्य सामग्री के इस्तेमाल, प्रदर्शन व प्रशिक्षण के आयोजनों से संचार को सुधारना व समस्याओं की पहचान करना।
- गैर सरकारी संगठन चल रहे कार्यक्रम की नवीनतम तकनीकों को छोटे किसानों तक सुलभतन पूर्वक पहुचाता हैं।

- कार्यक्रम निष्पादन के लिये, समुदाय के सामान्य संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी आदि के प्रबन्धन मे सहायता।

किसान संगठन (कृषक संगठन) : कृषक संगठन ना केवल किसानों के हित में अपने विशिष्ट उद्देश्य जैसे प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन सेवा देते हैं बल्कि सदस्यों के बची नेतृत्व और संगठन और संगठन के गुणों के विकास के माध्यम से समुदाय के हितों की भी सेवा करते हैं। नेतृत्व गुण एक कृषक समुदाय से सम्बन्धित परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की क्षमता रखता है। इस तरह के संगठन जो गाँव के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार और लोगों के बीच एक सम्पर्क का कार्य करता है और अपने स्तर पर समय समय पर बॉधाओं का सामना कर रहे लोगों को उनसे उबरने का मौका देता है। सरकार और लोगों के बीच की दूरी को कम करके ये संगठन सरकार के समक्ष अपने विचार रखते हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये कृषक संगठन बहुत सहायता करते हैं क्योंकि ये संगठन लोगों केा नवीनतम कृषि पद्धतियों, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, परिवहन व विपणन की नीवनतम तकनीकों के बारे मे सूचित करते हैं। यह कृषक संगठन के सदस्यों को खेती के कार्यक्रमों मे भागीदारी बढाने के लिये मदद करते हैं।

6.6.4 कार्यक्रम कार्यान्वयन में सरकारी संगठनों की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे संगठन हैं जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण जीवन में सुधार लाने में मदद करते हैं। इन स्थानीय संगठनों में स्कूल, पंचायत, सहकारी समितियाँ व बैंक शामिल हैं। ये संगठन प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं और कार्यात्मक समन्वय क्षेत्रों की पहचान करते हैं इसलिये स्थानीय स्तर पर विभिन्न संगठनों की भागीदारी, प्रसार कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिये आवश्यक शर्त माना जाती है, कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिये इन संगठनों की भूमिका नीचे वर्णित है;

विद्यालय (स्कूल) : शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के व्यवहार और विचारों को बदलने हेतु और नवविचारों, ज्ञान व कौशल के प्रसार के लिये विद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था हैं। विद्यालय के शिक्षकों को आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के मूल्यमान स्त्रोत के रूप में माना जाता है क्योंकि वे ग्रामीण लोगों के बची चल रही परियोजनाओं के बारे में जागरूकता लाने मे मदद करते हैं और परियोजना कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करते हैं।

यदि विद्यालय के वरिष्ठ छात्रों को सही तरीके से सूचित और प्रेरित करें तो वे अपने परिवार मे बदलाव के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालय, उत्साही छात्रों व शिक्षकों के नेतृत्व व अन्य सुविधायें

देकर समुदायों की समस्याओं के समाधान हेतु जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और समुदाय सुधार के लिये महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पहचान करते हैं।

पंचायत : पंचायत, ग्राम स्तर पर एक स्थानीय सरकार है जो गाँव संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है और जिसके माध्यम से लोकतान्त्रिक कार्य प्रभावी बन सकता है,पंचायत, गाँव के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान लोगों के विचारों को स्वीकारने व प्रसारित करने मे मदद करती है। वे पूरे गाँव में एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करके कृषि , पशुपालन व सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार होती है यदि पंचायतों के कार्यलय पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारीयों के निर्वहन मे अच्छी तरह उन्मुख और प्रशिक्षित होते हैं तो गाँव के कार्यक्रमों को आसानी से बढावा मिलता है, ग्राम पंचायत, गाँव स्तर पर कृषि विकास, पशुधन सुधार, पानी की आपूर्ति , गाँव की स्वच्छता आदि गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला करते हैं इसलिये इसके सदस्य, कार्यक्रम की जानकारी देने, लोगों को सहमत करने और अभ्यास को अपनाने में काफी सहायक होते हैं।

सहकारिता : सहकारी समितियाँ ऐसी संस्थायें हैं जो आम लोगों के समूहों द्वारा आपसी सहायता से उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कृषि उत्पादन को बढाती हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु बहुत प्रभावी है क्योंकि वे चल रहे कार्यक्रमों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायता करती है। सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती है जैसे प्राथमिक समितियाँ सहकारी सेवायें एवं प्रसंस्करण समितियाँ, सहकारी कृषक समितियाँ, सहकारी बैंक आदि। सहकारिता,कार्यक्रम कार्यान्वयन में निम्न भूमिका निभाती हैं।

- लक्षित समूह को बीज, उर्वक, कीटनाशक, औजार, अन्य सामग्री आदि कृषि सम्बन्धित जरूरते पहॅुचाना।
- कृषि जरूरतों और अन्य औद्योगिकी और कृषि कारकों हेतु लोन प्रदान करना (ऋण सुविधा देना)
- कृषि उत्पादन के लिये इसके सदस्यों को भण्डारण व विपणन की सुविधायें प्रदान करना ।
- पादप रक्षण औजारों, थ्रेशर, केनर क्रशर आदि कृषि औजारों व मशीनरी की देखभाल करना व पहुँचाना।
- कृषि उत्पादन बढाने के लिये सदस्यों को कृषि सम्बन्धित तकनीकी सलाह देना।

बैंक : बैंक, विभिन्न बैंक सुविधाओं जैसे ऋण, क्रैडिट और अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में गाँव के लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर कार्यक्रम कार्यान्वयन में एक महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसका इस्तेमाल, कार्यक्रम कार्यान्वयन के उद्देश्य से गाँव के लोगों द्वारा किया जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ताओं को भी वित्तपोषण के बारे में जानना चाहिये। बैंक के अधिकारियों को भी उन चुने हुई प्रसार कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिये जिसमें बैंक सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहियें।

इसलिये बैंक अधिकारियों को स्पष्ट रूप से किसान उपयोगी विभिन्न उपलब्ध बैंक सुविधाओं के बारे मे स्पष्ट रूप से समझाना चाहिये और ऋण का समय पर पुनर्भुगतान पर भी जोर देना चाहिये ।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. सही या गलत बताइये।

I. एक अच्छे योजनाकार की लोगों व चीजों को व्यवस्थित करने की क्षमता होनी चाहिये
II. सिद्धान्त व व्यवहार का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है
III. कार्यक्रम कार्यान्वयन एक व्यक्ति की गतिविधि है।
IV. स्थानीय नेताओं को समूह के बाहर से चुना जाता है।
V. महिला मण्डल, स्थानीय महिलाओं का स्वतन्त्र स्वैच्छिक संगठन रहे हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित को पूरा करें।

I. स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल निकाय हैं

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल सरकारी संगठन

6.7 सारांश

इस इकाई में मुख्य रूप से हमने कार्यक्रम क्रियान्वयन व नेतृत्व की भूमिका से सम्बन्धित कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया। इस यूनिट (इकाई) से हमें कार्यक्रम विकास से सम्बन्धित कई छोटी छोटी प्रक्रियाओं को समझने मे मदद मिली जो कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण हैं। इसमें समझाया गया है कि तीव्र (स्पष्ट) और अग्रिम कार्यक्रम के द्वारा ही कार्यक्रम कार्यान्वयन में मदद मिलती है, इस इकाई में हमने प्रसार कार्यक्रमों के महत्व को भी जाना, इसके साथ ही नेतृत्व और नेताओ के गुणों को हमने जाना, इसके साथ ही हमने जाना की योजनाकारों के पास भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही हमने जाना कि कार्यक्रम क्रियान्वयन का क्या महत्व हैं और यह कैसे किया जाना है। हमनेयह भी जाना की कार्यक्रम क्रियान्वयन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं,स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों का सहयोगात्मक प्रयास हैं।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

1. ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता , प्रसार कार्यकर्ता
2. मूल्यांकन
3. 9
4. संग्रहण, विश्लेषण तथा तथ्यों का मूल्यांकन
5. संतुष्टि
6. लिखित

प्रश्न 2. बिंदु 6.3.2 देखें ।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न 1. सही या गलत बताइये।

I. सही

II. गलत

III. गलत

IV. सही

प्रश्न 2. बिंदु 6.4.3 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3.

प्रश्न 1. सही या गलत बताइये।

I. सही

II. गलत

III. गलत

IV. गलत

V. सही

प्रश्न 2. निम्न को पूरा करें।

I. महिला मंडल, युवा क्लब , गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठन तथा कृषक संगठन।

II. विद्यालय, पंचायत, को-आपरेटिव तथा बैंक।

6.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. **Annamalai, R. et al. (1994).** Rural Development and Extension Programme Planning, Palaniappa Printers.
2. **Dahama, O.P. and Bhatnagar, O.P. (1987).** Education and Communication for Development, Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi.
3. **Directorate of Extension (1961).** Extension Education in Community Development, Ministry of Food and Agriculture, Govt. of India. New Delhi.
4. **Ray, G.L. (2001).** Extension Communication and Management. Naya Prakash, Calcutta, 4th edition.
5. R**eddy, A.A. (2006).** Extension Education, Sree Lakshmi Press, Bapatla, A.P. 8th Edition.
6. **Sandhu, A.S. (1994).** Extension Programme Planning. Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi.
7. **Savile, A.H. (1986).** Extension in Rural Communities: A Manual for Agriculture and Home Extension Workers, London, Oxford University Press, Oxford Tropical Handbook.
8. **Supe, S.V. (1983).** An Introduction to Extension Education, Oxford and IBH Co., New Delhi.

इकाई 7: प्रसार प्रबंधन एवं मूल्यांकन

7.1 प्रस्तावना
7.2उद्देश्य
7.3 क्रियान्वयन के पहलू (Aspects of Execution)
7.4 कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्पूर्ण घटक
7.5 कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं
7.6 मूल्यांकन
7.7 अनुवर्ती तरीके एवं आवश्यकता (Need and Methods of follow up)
7.8 सारांश
7.9 पारिभाषिक शब्दावली
7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
7.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
7.12 सहायक पाठ्य सामग्री
7.13 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

कई लेखकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है। प्रबंधन शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। वैसे यह किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरण एवं वस्तुस्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रबंधन वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन वह अभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ (अर्थात् प्रभाव पूर्णता) कम-से-कम साधन एवं न्यूनतम लागत (अर्थात् कार्य क्षमता) पर हो।

अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। हमे इस परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वर्णन करना आवश्यक है। ये शब्द हैं-

(क) प्रक्रिया (ख) प्रभावी ढंग से एवं (ग) पूर्ण क्षमता से।

व्यवसाय एवं संगठन के सन्दर्भ में प्रबन्धन (Management) का अर्थ है - उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबन्धन के अन्तर्गत आयोजन (planning), संगठन-निर्माण (organizing), स्टाफिंग (staffing), नेतृत्व करना (leading या directing), तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं।

संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर-लाभ वाला, सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माणकर्ता, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें।

7.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्धयन के पश्चात् आप:

1. क्रियान्वयन के पहलू
2. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्पूर्ण घटक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं
3. मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के चरण, मूल्यांकन के लिए मापदंड
4. मूल्यांकन के उपकरण
5. अनुवर्ती तरीके एवं आवश्यकता

7.3 क्रियान्वयन के पहलू (Aspects of Execution)

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कार्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे ढंग से निष्कासित किया गया है। चाहे कार्यक्रम का नियोजन कितना ही अच्छा क्यों न हो कार्य योजना का कितना ही बेहतर ढंग से क्यों नहीं विकास किया गया हो कार्यक्रम कोई ठोस परिणाम नहीं देते जब तक कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जाए। अतः प्रसार कार्यकर्ता को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण में सतर्क सजग एवं सचेत रहने की आवश्यकता है।

एस वी सुपे के अनुसार कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिस में लक्ष्य निर्धारण हेतु लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें कार्यक्रम का संचालन सर्वसम्मति से होता है और सभी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रति आश्वस्त रहते हैं।

कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण

वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि कार्य का निष्पादन सही ढंग से किया जाये। बिना ठीक ढंग से नियोजित किए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। वह तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण पर दृष्टि रखी जाए। कार्यक्रम नियोजन के मुख्य रूप से आठ चरण है प्रथम चार चरण योजना बनाने में तथा शेष :4 चरण में क्रियान्वित करने में सहयोग देते हैं। चूँकी कार्यक्रम नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इसके प्रत्येक चरण पर बल दिया जाए क्योंकी हर एक चरण का अपना विशेष महत्व होता है। यदि एक भी चरण पर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई तो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए किसी भी चरण को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसमें धैर्य एवं सहिष्णुता की आवश्यकता भी होती है यह उक्ति सदैव स्मरण रखना चाहिए।

कार्यक्रम नियोजन के चरण निम्नानुसार है

1. तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना (Collection of facts)
2. स्थितियों का विश्लेषण (Analysis of situation)
3. समस्याओ तथा अनुभूत आवश्यकताओ को पहचानना (Identification of problems and felt needs)
4. उदेश्यों का निर्धारण करना (Decide on objectives)
5. कार्य योजना तैयार करना (Develop plan of work)
6. कार्यक्रम का क्रियान्वयन (Execution of plan)
7. प्रगति का मूल्यांकन (Evaluation of progress)
8. पुनर्विचार (Reconsideration)

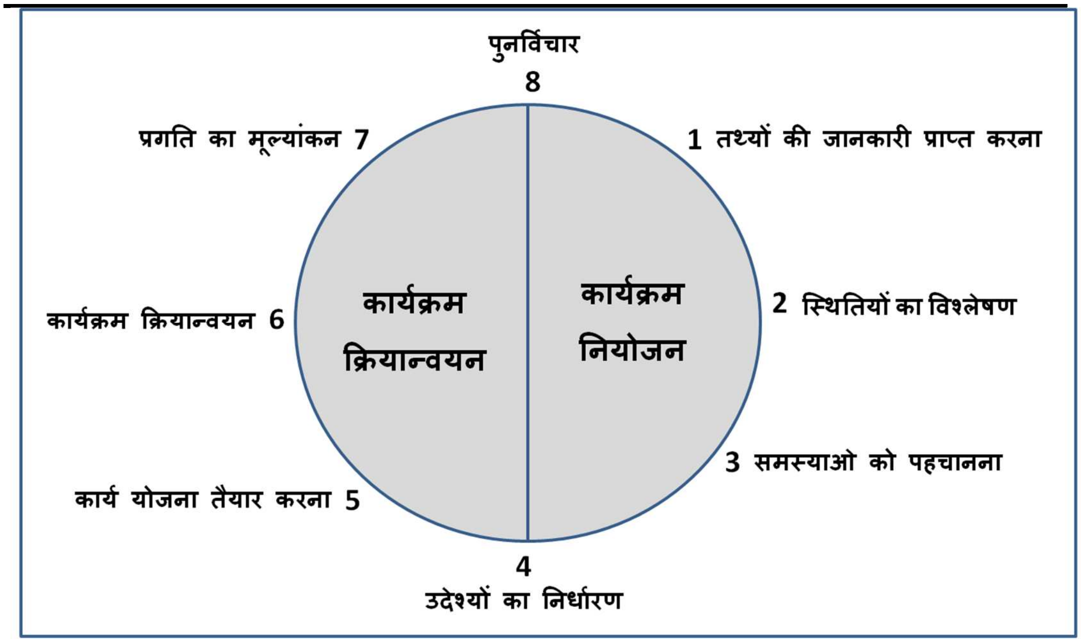

कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण

कार्यक्रम निष्पादन (विधि)

- काम की एक योजना सेटअप करें
- गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
- गतिविधियों का शेड्यूल
- जिम्मेदारी का विभाजन
- विधियों का चयन
- कार्यक्रम क्रियान्वयन

कार्य योजना जांचने की कसौटी

- क्या प्रसार कार्यकर्ता प्रखंड कार्यक्रम योजना समिति के सदस्यों के समक्ष कार्य योजना की सार्थकता की पुष्टि कर सकता है कि उसने जो कार्यक्रम बनाया है वह वर्तमान समय की आवश्यक मांग है।
- क्या क्रियाशील उद्देश्यों के साक्ष्य है जो यह सिद्ध कर सके कि इससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

- क्या कार्य योजना का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है।
- क्या कार्य योजना के क्रियाशील उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।
- वर्ष के अंत में योजना समाप्ति के पश्चात क्या कार्य क्रियाशील उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- क्या कार्य योजना पर विचार विमर्श तथा निर्णय प्रखंड के सभी स्टाफ के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है।
- क्या कार्य योजना स्टाफ के सदस्यों तथा ग्रामीण जनता के लिए कोई महत्व एवं अर्थ रखता है।

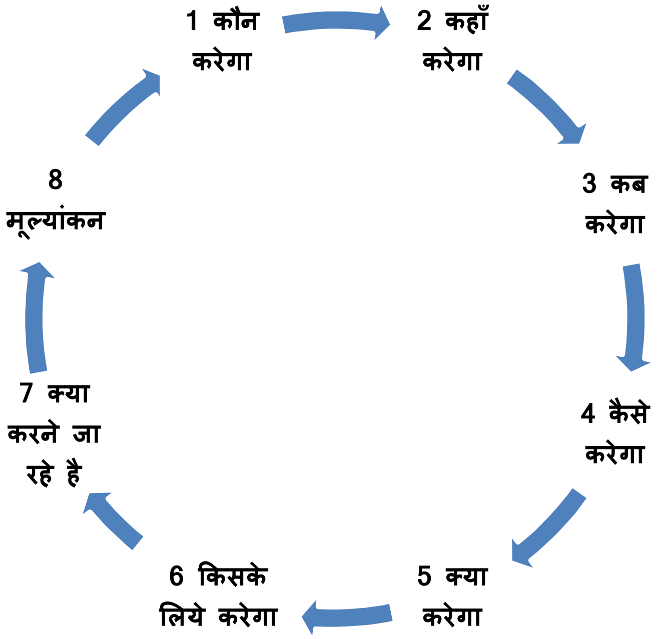

कार्य योजना : एक नजर में

कार्य योजना का मॉडल

- **कौन (Who)** - कार्यक्रम कौन क्रियान्वित करेगा संसाधन व्यक्ति के रूप में कौन कौन भाग लेंगे कार्यक्रम निष्पादन के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

- **कहा (Where) -** कार्यक्रम कहां आयोजित किए जाएंगे जिस गांव में आयोजित करना है उस जगह या गांव का नाम।
- **कब (When) –** शिक्षण, प्रसार एवं विकास कार्य कब किए जाएंगे।
- **कैसे (How) –** कार्यक्रम क्रियान्वयन में कोनसी विधियों का प्रयोग कैसे किया जाए कि वह अधिक प्रभावशाली हो।
- **क्या (What) –** कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है (जैसे शिक्षण, प्रसार या विकास कार्य) कार्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या किया जाने वाला है।
- **किसके लिए (For Whom) –** कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किए जाएंगे जैसे गृहिणी, ग्रामीण युवा, किसान कारीगर, विद्यार्थी, माली, व्यापारी, मजदूर आदी।
- **किसके द्वारा (By Whom) –** कार्यक्रम का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा जैसे सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संस्था।
- **मूल्यांकन (Evaluation):** कार्यक्रम क्रियान्वयन वर्त्तमान स्थिति का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करना।

7.4 कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्पूर्ण घटक

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए निम्न लिखित घटक महत्पूर्ण है:

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्यों चिन्हित करना चाहिए जो लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
- कार्यक्रम का नियोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए।
- उपलब्ध संसाधनों और समय के आधार पर कार्यक्रम की प्राथमिकता का निर्धारण करना चाहिए।
- कार्यक्रम के गांव से राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर समन्वय होना चाहिए। कार्यक्रम नियोजन में स्पष्ट रूप से संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग का संकेत देना चाहिए।

- विस्तार कार्यक्रम में निश्चित कार्य की योजना होनी चाहिए। इसके कार्यक्रम क्रियान्वयन में कोई बाधा आती है तो उसे तत्काल दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कार्य योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किए जाए।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय नेताओं, सहयोगी संस्थाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे सब मिलकर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य को संपादित करें।
- कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों या लाभार्थियों के बीच लाभ का समान वितरण करना चाहिए।
- विस्तार कार्यक्रम को मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर परिणाम के मूल्यांकन और पुनर्विचार के लिए कार्यक्रम में निर्धारित समय के भीतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

7.5कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं (Problems in Implementation)

- योजना निष्पादन में प्रासंगिक हितधारकों की कार्य योजना में सहभागिता न होना।
- विस्तार प्रशासन एवं अन्य संगठनों से समर्थन तथा सहयोग का अभाव।
- दाता एजेंसियों से धन का अभाव
- हितधारकों द्वारा भागीदारी का अभाव।
- अन्य संगठनों के एजेंटों के साथ काम करने के लिए कौशल का अभाव।
- प्रसार साधनों की अनुपलब्धता।
- अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित करता है।
- लाभार्थी रिकॉर्ड बनाए रखने में लापरवाही
- विस्तार कार्यक्रम अलगाव में लागू नहीं किए जा सकते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए कई संस्थानों और संगठनों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- संसाधन संपन्न अमीर व्यक्ति संसाधनहिन गरीबों के की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन में समाज के कमजोर वर्ग पर पर्याप्त जोर देने की आवशकता है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. सही अथवा गलत बताइए

i) कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के प्रथम चार चरण कार्यक्रम क्रियान्वयन का हिस्सा होते है

ii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए।

2. जोड़े मिलाएं

	चरण		कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ	पहला	1	कार्यक्रम क्रियान्वयन
ब	दुसरा	2	काम की एक योजना सेटअप करें
क	तीसरा	3	गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
ड	चौथा	4	जिम्मेदारी का विभाजन
ई	पाचवा	5	गतिविधियों का शेड्यूल
फ	छठा	6	विधियों का चयन

7.6 मूल्यांकन

किसी भी कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चालने या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। हम नित्य प्रतिदिन अपने कार्यों, व्यवहारों तथा चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों एवं शिक्षण में मूल्यांकन का व्यापक अर्थ एवं महत्व है। इसलिए यह जरुरी है कि सरकारी, गैर- सरकारी, निजी संगठनों इत्यादि द्वारा जो भी कार्यक्रम जनता के हित के लिए, जनता के उत्थान के लिए चलाये जा रहे हैं, वे सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, निर्धारित किये गए उद्धेश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है इत्यादि, प्रश्नों का क्रमशः अध्ययन मूल्यांकन से हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन से किसी कार्यक्रम, व्यक्ति या स्थिति का 'विश्लेषणात्मक अध्ययन' हो जाता है।

मूल्यांकन का अर्थ

मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अनुमान करना, मूल्य आँकना जैसे अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन इत्यादि।

मूल्यांकन का सामान्य अर्थ है- मूल्य का आंकलन। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा Evaluation का हिंदी रूपान्तर है। Evaluation का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द “Valere” से हुआ है जिसका अर्थ है ‘To be strong” या “Valiant”। मूल्यांकन का डिक्शनरी अर्थ है मूल्य का निर्धारण करना (determination of values), किसी चीज का निर्णय करना (Making a judgement of something)।

मूल्यांकन की परिभाषा

क्लाइनबर्गर (Klineberger) के शब्दों में-

मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता कि कार्यक्रम चलाये जाने तथा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन हुए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है।

बिगलहोल्ड के अनुसार

मूल्यांकन अनुभवों की एक क्रमवार प्रक्रिया है जो लोगों को उनके द्वारा भविष्य में किये जाने वाले प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होती है।

जे. के. मैथ्यू

पूर्व निर्धारित समय में संपन्न विकासोन्मुख कार्यक्रम के पूर्व एवं बाद की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन ही मूल्यांकन है।

शर्मा और सिंह के अनुसार -

मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना जिससे त्रुटि तथा लाभ का ज्ञान हो सके।

एस. वी. सुपे ds vuqlkj -

मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है की उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है।

जाहोता और बर्नित -

मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशासन को अपने कार्यक्रम के प्रभाव का विवरण देने तथा अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने, प्रगति की व्याख्या करने तथा उत्तरोत्तर समायोजन करने में सहायता मिलती है।

अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रमों की सफलताओं एवं विफलताओं का पता चल जाता है। इसका उपयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों को दिशा-निर्देश प्रदान करने में किया जा सकता है।

मूल्यांकन के महत्व

प्रसार कार्यक्रमों एवं प्रसार शिक्षण विधियों में मूल्यांकन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है की कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, असफलताओं के क्या कारण रहे, इत्यादि। मूल्यांकन द्वारा प्रसार कार्यकर्ता किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचता है, जिससे कार्यक्रम से सम्बंधित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन के महत्व निम्नानुसार हैं-

1) प्रत्येक कार्यक्रम को समझने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। इसके आधार पर भविष्य की योजनाएं तैयार की जा सकती है तथा दिशा-निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।
2) मूल्यांकन से सभी अच्छे एवं कमजोर कारकों का पता लगता है। इस प्रकार कार्यक्रम को मजबूत बनाने में सहयोग देता है।
3) मूल्यांकन से कार्यक्रम की सफलता में आने वाली बाधाओं का पता चल जाता है।
4) मूल्यांकन से कार्यक्रम में प्रयुक्त किये जाने वाली शिक्षण विधियों तथा तकनीकों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सुविधा मिलती है।
5) मूल्यांकन से वास्तविक तथ्यों के प्रस्तुतीकरण द्वारा लोगों में आत्मविश्वास तथा आत्म संतुष्टि मिलती है।
6) मूल्यांकन कार्यक्रम नियोजन में बेंच मार्क **(Bench Mark)** निश्चित करने में सहायक होता है। जैसे कार्यक्रम कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, किसकी मदद से आयोजित करना है
7) मूल्यांकन से फालतू के खर्चों में कमी आती है क्योंकि अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाता है।
8) मूल्यांकन द्वारा कार्यकर्ता को अपने कार्यकलापों की समीक्षा करने में सहायता मिलती है। वह जान जाता है की वह अपने काम में कहाँ तक सफल हो पाया है।
9) कार्यक्रम की उपयोगिता उसके मूल्यांकन से ही पता कर सकते हैं। अधिक उपयोगी कार्यक्रम को अधिकता के साथ चलाया जा सकता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य

1) कार्यक्रम के मूल्यांकन द्वारा प्रसार कार्य से सम्बन्धित लोगों को अपना भागीदारी बढ़ाने के अवसर देना ताकि वे अपने स्तर से प्रतिपादित कार्यक्रम के लक्ष्यों का परीक्षण कर सकें।
2) नियोजित कार्यक्रम के मजबूत व कमजोर पक्षों को समझना ताकि भविष्य में नियोजित किये जाने कार्यक्रम में उनका ध्यान रखा जा सके।

3) कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के कारणों को जानना, साथ ही उन कारणों को जानना जो कार्यक्रम की सफलता में बाधक हैं।
4) मूल्यांकन से प्रसार कार्यकर्ता को अपनी बात कहने में, कार्यक्रम के लाभ को बताने में, कार्यक्रम की उपयोगिता तथा लक्ष्य को जनता व स्थानीय नेता के समक्ष स्पष्ट करने में सुविधा होती हैं।
5) प्रसार कार्यकर्ता को यह पता चल जाता हैं कि उसकी कार्यक्षमता कितनी है और वह किन-किन क्षेत्रों में, कौन-कौन से कार्यक्रम नियोजित कर सकता हैं।
6) मूल्यांकन से कार्यक्रम की प्रगति का पता चलता है। इससे सभी संलग्न व्यक्तियों को कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी जानकारियॉं प्राप्त हो जाती है।
7) मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को पूरे समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अतः यह एक तरह से जन सम्पर्क का काम करता है। तथा लोगों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने विचारों का आदान-प्रदान करें।
8) इससे लोगों में सहयोग, समन्वय, सहभागिता का विकास होता है।
9) व्यक्ति, समाज तथा समुदाय में आये परिवर्तनों का स्पष्टीकरण प्राप्त होना।
10) कार्यक्रमान्तर्गत तथा कार्यक्रमोपरान्त मूल्यांकन द्वारा लोगों को सीखने की नई पद्धतियों तथा नई कार्यप्रणालियों को अपनाने में मदद करना।
11) प्रसार कार्य से जुड़े लोगों को अपनी कार्य पद्धति सुधारने तथा गु।ावत्ता बढ़ाने में सहायक होना।
12) मूल्यांकन द्वारा प्रशिक्षकों का मनोबल ऊँचा उठना, आत्म विश्वास जागृत होना तथा कार्यक्रम के प्रति मन में विश्वास पैदा होना।

मूल्यांकन के प्रकार

विकास की प्रगति को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि जो कार्यक्रम चलाये गए हैं, उससे कितना लाभ पहुंचा है। मूल्यांकन एक वैज्ञानिक विधि है जिसे अपनाकर हम पूर्व निश्चित उद्धेश्यों के अनुरूप चल रहे कार्यक्रमों की उपलब्धियों तथा कमियों का आंकलन कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि के आधार पर मूल्यांकन निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है:

स्वमूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन

बाह्य मूल्यांकन

स्वमूल्यांकन (Self evaluation)

इस प्रकार के मूल्यांकन प्रसार कार्यकर्ता स्वयं के द्वारा करता है। मूलरूप से दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम क्रियान्वयन, अपनायी गयी शिक्षा प्रणाली इत्यादि की आलोचना स्वयं ही करता है। इसका उद्धेश्य स्वयं की कार्य-प्रणाली में सुधार करना है। ऐसा करने के लिए पूर्व निर्धारित आधार को भी अपनाया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन (Internal evaluation)

किसी एजेंसी या संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसका मूल्यांकन यदि उन्ही संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो उसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन हेतु किन्ही विशेष विधियों/ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरुप विभाग में एक ऐसे उपविभाग की स्थापना की जाए जो मूल्यांकन करे। इसके लिए दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को डायरी में नोट किया जाता है। संस्था द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा कार्यस्थल पर जाकर अचानक ही निरीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षत्कार आदि विधियाँ मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाती है।

बाह्य मूल्यांकन (External evaluation)

जब किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन उस विभाग के कर्मचारियों या विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा न करके बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है उसे बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरणार्थ- भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही मूल्यांकन हेतु केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की भी स्थापना की गयी। यह संगठन एक स्वतंत्र एजेंसी है जो समय-समय पर प्रसार कार्यक्रम की प्रगति की सूचना सरकार को देती है।

मूल्यांकन के अन्य प्रकार:

1) **कार्यक्रम करते समय मूल्यांकन (Ongoing evaluation) / विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) -** इसे कार्यक्रमान्तार्गत मूल्यांकन भी कहते हैं। इस तरह के मूल्यांकन में पूरे कार्यक्रम के दौरान मूल्यांकनकर्ता की नज़र रहती है। वह कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित करता है की कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं, यदि कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलने में कोई परेशानी आ रही है तो क्यों और उसे कैसे दूर किया जा सकता है आदि अनेकानेक बातों की जानकारी इस प्रकार के मूल्यांकन से होती है।
2) **कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् मूल्यांकन (Expost evaluation)/ समाहारिक मूल्यांकन (Summative evaluation) -** कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन किये जाते हैं, उसे

कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन कहते हैं। इससे कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की सफलता-असफलता का पता चलता है। लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, लक्ष्य प्राप्त करने में क्या बाधाएं आयीं आदि की जानकारी मिल जाती है जिससे भविष्य में संपन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों के नियोजन में सहायता मिलती है।

मूल्यांकन के चरण

डॉ जे. पी. चितम्बर ने मूल्यांकन के लिए निम्न चरणों का उल्लेख किया है:

1) मुख्य उद्धेश्यों का निर्धारण
2) उद्धेश्यों को स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना
3) पहचान सूचक बनाना
4) नापने की विधि तथा पद्धति का चुनाव एवं विकास
5) मूल्यांकन की रुपरेखा
6) प्रमाण हेतु आवश्यक आंकड़ों का विचार करना
7) आंकड़ों को एकत्र करना
8) वर्गीकरण
9) विश्लेषण और व्याख्या
10) मूल्यांकन तैयार करना

1) मुख्य उद्धेश्यों का निर्धारण- मूल्यांकन का पहला महत्वपूर्ण चरण है "मुख्य उद्धेश्यों का निर्धारण करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के उद्धेश्यों का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण विकास हेतु उद्धेश्यों का निर्धारण अल्प समय व अधिक समय दोनों ही प्रकार से ही किया जा सकता है।

   जब उद्देश्यों का निर्धारण कम समय के लिए किया जाता है तो उसे 'अल्पकालिक उद्देश्य' कहते हैं तथा जब उद्धेश्यों का निर्धारण लम्बे समय के लिए किया जाता है तो उसे 'दीर्घकालिक उद्देश्य' कहते हैं।

2) उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना- जब मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो मुख्य उद्देश्यों को और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है तथा विशिष्ट बनाया जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्यों माध्यमिक/ द्वितीय उद्देश्य मं विभाजित करने के बाद इन माध्यमिक उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट करने के बाद विशिष्ट बनाया जाता है जिससे ये विशिष्ट उद्देश्य मुख्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

   उदहारण-

   मुख्य उद्देश्य- ग्रामवासियों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना

   माध्यमिक उद्देश्य- १. फसल की पैदावार बढ़ाना, २. गेहूं की पैदावार बढ़ाना

   विशिष्ट उद्धेश्य- किसानों को उन्नत बीज व हरी खाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना।

3) पहचान सूचक बनाना- किसी भी कार्यक्रम को चलाने का मुख्य उद्धेश्य है "लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना"। उनके ज्ञान, व्यव्हार, कार्यकौशल तथा मनोवृति में परिवर्तन लाना। परिवर्तनों को मालूम करने के लिए आवश्यक है की वर्तमान प्रमाणों को एकत्र किया जाए। इसके लिए पहचान सूचक बनाये जाते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम बनाया व चलाया जाता है तथा कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनके जीवन-स्तर व रहन-सहन, उनके ज्ञान, व्यव्हार, कार्यकौशल इत्यादि को जाना जाता है। फिर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा उनमे हुए परिवर्तन को देखा जाता है। कार्यक्रम चलाये जाने के बाद उनकी स्थिति कैसी है, इनमे अंतर पहचान सूचक के द्वारा ही होता है। अतः पहचान सूचक निर्धारित करने से मूल्यांकनकर्ता का कार्य आसान हो जाता है तथा उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी रहती है। उदहारण- यदि हमारा उद्धेश्य किसानों की गेहूं की उपज को उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से बढ़ाना है तो इसके लिए हमें पहले किसानों द्वारा गेहूं की उपज को नोट करना होगा जो पारंपरिक बीज तथा बिना खाद के प्रयोग से खेती करते हैं। फिर जिन किसानों ने उन्नत बीज तथा खाद का प्रयोग किया है, उसे नोट करना होगा। तभी यह ज्ञात हो सकेगा की उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से गेहूं की फसल में बढ़ोतरी हुई है। अतः यहाँ उन्नत बीज एवं खाद पहचान सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

4) नापने की विधि तथा पद्धति का चुनाव एवं विकास- पहचान सूचक बनाने के बाद उचित विधि एवं पद्धति का चुनाव एवं विकास मूल्यांकन का चोथा चरण है। प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रम के पश्चात् उपलब्धियों को नापने के लिए उचित विधियों एवं पद्धति का विकास करता है। उदहारण-

उद्देश्य	पहचान सूचक	विधियाँ/ पद्धति
ग्रामीणों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना	फसल की पैदावार बढ़ाना, कृषि सम्बंधित व्यवसाय की स्थापना करके रोज़गार उपलब्ध कराना	कार्यक्रम चलाये जाने से पहले तथा कार्यक्रम चलाए जाने के बाद फसल की पैदावार की तुलना तथा उनकी आय को नोट करना।
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना	महिलाओं द्वारा आय सृजन गतिविधियों एवं लघु उद्योग द्वारा आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं की घर अन्य कार्यों से सम्बंधित निर्णय लेने में भागीदारी बढाना	आय सृजन गतिविधियों एवं लघु उद्योग पशिक्षंक कार्यक्रमों की उपयोगिता जाचना। आय सृजन गतिविधियों से महिलाओं की आय में वुधि को दर्ज करना > घर अन्य कार्यो

5) मूल्यांकन की रुपरेखा- कार्यक्रम के चलाने से ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार में क्या परिवर्तन आये, इसके लिए कार्ययोजना की रुपरेखा तैयार करनी चाहिए। हालांकि लोगों के ज्ञान, व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन अन्य कारणों से भी आ सकते हैं जैसे रेडियो सुनकर, अख़बार पढ़कर, टी।वी। देखकर, आस-पड़ोस के लोगों से पूछकर आदि। अतः यदि प्रसार कार्यकर्ता यह जानना चाहता है कि लोगों के ज्ञान, व्यवहार, कौशल में परिवर्तन उसके द्वारा चलाये गए कार्यक्रम के कारण है तो वह एक निमंत्रित समूह को कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी देने के बाद प्रशिक्षित करे तथा दूसरे समूह को कार्यक्रम से सम्बंधित कोई भी जानकारी न दे। उसके बाद दोनों समूहों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए कार्यकर्ता अको रुपरेखा तैयार करनी होगी जिससे उएह पता चल जायेगा की कार्यक्रम चलाने से लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार इत्यादि में क्या- क्या परिवर्तन आये तथा उन्हें कितना फायदा हुआ।

6) प्रमाण हेतु आवश्यक आंकड़ों का विचार करना- कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले आवश्यक आंकड़ों के सम्बन्ध में निर्णय लेना मूल्यांकन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। प्रमाण हेतु आंकड़ों को एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किया जाए जैसे प्रश्नावली या अंकसूची इत्यादि। आंकड़ों का चयन कार्यक्रम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्य तथा प्रकृति को ध्यान में रखकर ही आंकड़ों का चयन करना चाहिए।

   उदाहरणार्थ- यदि हमारा उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के खाध्य संरक्षण से सम्बंधित ज्ञान स्तर को जानना है, तो इसके लिए यह जरुरी है की प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व महिलाओं के ज्ञान स्तर की जाँच की जाए। ज्ञान स्तर को जानने के लिए प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली जानकारी से सम्बंधित प्रश्नावली तैयार करे ले। उसके पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये तथा कार्यक्रम समाप्ति के पहेल पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुनः प्राप्त करे। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

7) आंकड़ों को एकत्र करना- इस चरण में कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार आंकड़े एकत्र करते हैं। मूल्यांकन हेतु आंकड़े सही होने चाहिए। यदि आंकड़े सही होंगे तभी परिणाम भी सही होगा। इसलिए आंकड़ों को एकत्रित करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए जिसके लिए यह जरुरी है कि आंकड़े एकत्रित करने की विधि का चुनाव परिस्थिति तथा कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए।

8) वर्गीकरण- एकत्रित आंकड़ों को उनके प्रकार को ध्यान में रखते हुए सही प्रकार से क्रमबद्ध करते हुए वर्गीकृत करना चाहिए। इस प्रकार आंकड़ों को व्यवस्थित करने से विश्लेषण एवं व्याख्या में सहायता मिलती है।

9) विश्लेषण और व्याख्या- एकत्र किये गए आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद, आंकड़ों को उद्देश्यों की आवश्यकतानुसार विश्लेषण काना चाहिए। तत्पश्चात आंकड़ों से प्राप्त जानकारी की व्याख्या की जाती है की कार्यक्रम जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चलाया गया उनकी पूर्ति हुई या नहीं। व्याख्या से विवरणात्मक संबंधों की स्थापना होती है इसलिए आंकड़ों की व्याख्या सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।

10) मूल्यांकन तैयार करना- आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या करने के बाद, मूल्यांकन के परिणामों में प्राप्त सफलताओं, असफलताओं, बाधाओं आदि का वर्णन होना चाहिए। अतः मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाए ताकि इसे सभी के समक्ष रखा जा सके।

मूल्यांकन के लिए कसौटी (Criteria for evaluation)

1) स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य (Clear and well defined objectives)

2) पैमाइश के लिए वैध साधन (Valid instrument for measurement)
3) वस्तुनिष्ठता (Objectivity)
4) विश्वसनीयता (Reliability)
5) परिवर्तन के सटीक प्रमाण (Accurate evidence of change)
6) व्यावहारिकता (Practicability)

मूल्यांकन विधियाँ (T**ools of evaluation**)

मूल्यांकन के साधन में निम्नलिखित विशेषताओं होना चाहिए

1) मूल्यांकन किया जा रहा है कार्य के लिए उपयुक्तता (Appropriate for what is being evaluated)
2) मूल्यांकन किये जा रहा है अनुक्षेत्र के लिए उपयुक्तता (Appropriate for the domain being evaluated)
3) व्यापक (Comprehensive)
4) प्रयोग करने में आसान (Easy to use)
5) किफायती (Cost effective)
6) समय कुशल (Time efficient)
7) वैध और विश्वसनीय (Valid and reliable)

अवलोकन शीट (Observation sheet)

अवलोकन शीट - इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है।

साक्षात्कार अनुसूची (Interview schedule)

साक्षात्कार अनुसूची (Interview schedule) :- साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करता है। उदाहरण – एक विक्रेता घरघर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद - उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। की

- इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती हैं।

- इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारिणी दी हुई होती है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। यह उत्तर उसके लिए तथ्य का कार्य करते हैं जिनका वह समस्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं वर्गीकरण करता है।
- इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

क्रम निर्धारण मान (Rating scale)

क्रम निर्धारण मान (Rating Scale) :- योग्यताओं व उपलब्धि को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर की है। इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ – ग्रेड देना।

जांचसूची (Checklist)

जांचसूची का प्रयोजन मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देशित करने तथा मूल्यांकन के लिए गुणात्मक विधियों के उचित चुनाव के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजनों और इच्छित उपयोगों के अनुसार आवश्यक गुणात्मक विधियों की उपयोगिता निर्धारित करना होता है।

जहां फील्डवर्क मूल्यांकन का हिस्सा है, वहां जांचसूची क्षेत्रीय कामकाज के बारे में जानने का प्रभावी तरीका है। अच्छी जाच सूची यथावत्, किफ़ायती एवं व्यावहारिक होनी चाहिए।

जांचसूची के फायदे

- कार्यप्रदर्शन में सुधार
- संसाधन के उपयोग को कम करना
- स्मृति में सुधार
- प्रक्रिया में न्यूनतम आवश्यक स्तर तय करने में उपयोगीता

संकेतको का मैट्रिक्स (Matrix of Indicators):

संकेतक	उद्देश्य: उन्नत किस्मो द्वारा उत्पदान में वृद्धी

मानदंड	लघु एवं सीमांत किसानो की वर्तमान उत्पदान एवं आय
घटक	उन्नत किस्मो की उपलब्धता, सिचाई की सुविधा, खाद की उपलब्धता
क्रियाएँ	उन्नत किस्मो का प्रसार, उन्नत किस्मो, खाद एवं सिचाई की सुविधा सुनिश्चित करना
प्रभाव	उन्नत किस्मो के उपयोग से उत्पदान एवं आय में वृद्धी

7.7 अनुवर्ती की प्रणाली एवं आवश्यकता Need and Methods of follow up

अनुवर्ती फॉलो-अप यद्यपि बेहद जरूरी है परन्तु कार्यक्रम क्रियान्वयन के इस चरण को अक्सर उपेक्षित किया जाता है। अनुवर्ती चरण के दौरान, सब कुछ व्यवस्थित किया जाता है जो कार्यक्रम को सफल समापन के लिए लाने के लिए आवश्यक है। अनुवर्ती चरण में गतिविधियों के उदाहरणों के सन्दर्भ में पुस्तिकाओं को लिखना, उपयोगकर्ताओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, परिणाम की रिपोर्ट संभंधि जानकारी जुटाना, परियोजना रिपोर्ट लिखना शामिल हैं। अनुवर्ती चरण में कार्यक्रम कब और कैसे समाप्त होगा यह केंद्रीय प्रश्न है जब कार्यक्रम। कार्यक्रम के योजनाकार अक्सर कहते है कि एक नब्बे प्रतिशत परियोजना जल्दी से निकलती है और अंतिम दस प्रतिशत के लिए कई साल लगते हैं। परियोजना की सीमाओं को कार्यक्रम की शुरुआत में चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि उद्देश्य पूर्ति के पश्चात कार्यक्रम को बंद किया जा सके।

'आपके द्वारा कार्य करने से पहले सोचें ' कार्यक्रम क्रियान्वयन के आदर्श वाक्य है। कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण का कार्ययोजना का अपना पैकेज तथा प्रत्येक कार्य पैकेज का अपना पहलू होता है जिसपर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कार्यान्वयन के चरण के दौरान क्या किया जाना है, इस पर चर्चा जारी रखना अनावश्यक है। कार्यक्रम क्रियान्वयन में अगर सब कुछ अच्छी तरह से पूर्ण गया है, यह पहले से ही परिभाषा चरण और डिजाइन चरण में निर्धारित किया गया था।

अनुवर्ती की प्रणाली

अनुवर्ती कार्रवाई लंबे समय तक प्रभाव, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। अनुवर्ती कार्रवाई का लक्ष्य विकास पर ध्यान केंद्रित करना तथा आगे आने वाले महीनों और वर्षों में प्रासंगिक नीतियों और व्यावहारिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ठोस आधार प्रदान करना है।

1. अनुवर्ती रणनीति को आकार देने और कार्यान्वित करने में उन संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने कार्यक्रम में योगदान दिया है।

2. सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर संकेतकों के प्रकार और असंगति को जानने के लिये डेटा के संग्रह को संस्थागत बनाने के तरीकों की पहचान की जनि चाहिए जो जनसंख्या समूहों में विकास असमानताओं सहित प्रगति पर नजर रखने के लिए आवश्यक होंगे।

3. नीतियों के प्रभाव को मापने और सामाजिकआर्थिक विकास में प्रगति को ट्रैक करने के लिए - संकेतक डेटाका विश्लेषण कर उसे नियमित रूप से प्रकाशित करना चाहिए।

4. कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तथा प्रभावों और प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी और अन्य हितधारकों की अर्ध वार्षिक और वार्षिक बैठकें आयोजित की जनि चाहिए।

5. कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों एवं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने या इन मुद्दों से संबंधित अन्य पहलुओं को प्रभावित करने के अवसरों पर सरकारी, गैर सरकारी-माध्यमों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के प्रयास करने चाहिए।

6. नियमित रूप से प्रभाव निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन और दीर्घकालिक अनुवर्ती के सभी परिणामों की रिपोर्ट कार्यक्रम के संचालको दी जनि चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 2

2. सही अथवा गलत बताइए

i) विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) में कार्यक्रम के अंत में मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है।
ii) जहां फील्डवर्क मूल्यांकन का हिस्सा है, वहां जांचसूची क्षेत्रीय कामकाज के बारे में जानने का प्रभावी यथावत्, किफ़ायती एवं व्यावहारिक तरीका है।

2. जोड़े मिलाएं

	मूल्यांकन प्रकार		कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ	स्वमूल्यांकन	1	कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी या संस्था द्वारा किया जाता है
ब	आंतरिक मूल्यांकन	2	बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है
क	बाह्य मूल्यांकन	3	प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा करता है

7.8 सारांश

उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया के रूप में प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है। व्यवसाय एवं संगठन के सन्दर्भ में प्रबन्धन (Management) का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा - प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसी भी कार्यक्रम की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे ढंग से निष्कासित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन कार्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। विस्तार कार्यक्रम को मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर परिणाम के मूल्यांकन और पुनर्विचार के लिए कार्यक्रम में निर्धारित समय के भीतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

प्रसार कार्यक्रमों एवं प्रसार शिक्षण विधियों में मूल्यांकन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है की कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, असफलताओं के क्या कारण रहे, इत्यादि। किसी भी कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चालने या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता कि कार्यक्रम चलाये जाने तथा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन हुए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि के आधार पर स्वमूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम की कमियों को पता करने के किये कार्यक्रम के दौरान विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) किया जाता है तथा कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन (Summative evaluation) कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, लक्ष्य प्राप्त करने में क्या बाधाएं आयीं आदि की जानकारी के लिये किया जाता है।

7.9 पारिभाषिक शब्दावली

प्रबन्धन: उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना

मूल्यांकन: मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है की उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है।

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. **सही अथवा गलत बताइए**
   i) गलत
   ii) सही

2. जोड़े मिलाएं

	चरण		**कार्यक्रम निष्पादन (विधि)**
अ	पहला	**1**	काम की एक योजना सेटअप करें
ब	दुसरा	**2**	गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
क	तीसरा	**3**	गतिविधियों का शेड्यूल
ड	चौथा	**4**	जिम्मेदारी का विभाजन
ई	पाचवा	**5**	विधियों का चयन
फ	छठा	**6**	कार्यक्रम क्रियान्वयन

अभ्यास प्रश्न 2

1 **सही अथवा गलत बताइए**
   i) गलत
   ii) सही

1. **जोड़े मिलाएं**

मूल्यांकन प्रकार	**कार्यक्रम निष्पादन (विधि)**

अ	स्वमूल्यांकन	1	कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी या संस्था द्वारा किया जाता है
ब	आंतरिक मूल्यांकन	2	बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है
क	बाह्य मूल्यांकन	3	प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा करता है

7.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा। पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
- डॉ जीतेंद्र चौहान, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा
- डॉ ए एस संधू, विस्तार कार्यक्रम नियोजन (Extension Programme Planning) ऑक्सफोर्ड और IBH पब्लिकेशन्स, दिल्ली

7.12 सहायक पाठ्य सामग्री

http://www.fao.org/docrep/W5830E/w5830e0d.htm
https://managementhelp.org/evaluation/program-evaluation-guide.htm

https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf

http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/ME_ToolsMethodsNov.2pdf

7.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारो के बारे में विवरण दे
2. मूल्यांकन विभिन्न विधियों बारे में विस्तृत में बताये

इकाई 8: प्रसार कार्यक्रम का मूल्यांकन

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 संकल्पना
8.4 अर्थ एवं परिभाषा
8.5 मूल्यांकन का महत्व
8.6 मूल्यांकन के प्रकार
8.7 मूल्यांकन के अंश/तत्व
8.7.1 किस के द्वारा मूल्यांकन
8.7.2 मूल्यांकन का समय
8.7.3 प्रभावी मूल्यांकन के लिए मापदण्ड
8.7.4 सूचना एकत्रित करने के स्त्रोत
8.7.5 सूचना एकत्रित करने के तरीके
8.7.6 सूचना एकत्रित करने के मापीय उपकरण
8.7.7 मूल्यांकन के चरण
8.7.8 मूल्यांकन की कुंजी
8.7.9 मूल्यांकन के सिद्धान्त
8.7.10 मूल्यांकन की समस्यायें
8.8 सारांश
8.9 पारिभाषिक शब्दावली
8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.1 प्रस्तावना

इकाई 7 में हमने कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों, कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में नेताओं की भूमिका व महत्वता और कार्यक्रम कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से जाना। इकाई

नियोजनकर्ता की नियोजन व कार्यान्वयन में क्षमता को जाना। यदि एक बार प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वित हो जाता है तो उसकी नियमित निगरानी और मूल्यांकन उनके सतत प्रभाव हेतु आवश्यक होता है।

इस इकाई में हम निगरानी/अनुश्रवण और निरन्तर मूल्यांकन के बारे में जानेगे जो कि इस तरह से बनाया गया है कि उसका सच्चा अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, प्रकार व मूल्यांकन के तत्व समझ आ सके। प्रसार कार्यक्रमों को आम तौर पर वृद्धि और विकास के उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है ताकि ग्रामीण गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, हॉलाकि प्रसार कार्यक्रम सामान्यत: गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने हेतु होता है जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसके अधिकतम उद्देयों की प्राप्ति के लिए संसाधनों पर निगरानी आवश्यक है।

इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने की जरूरी आवश्यकता है कि अपेक्षित परिणाम, सामाजिक आर्थिक लाभ के रूप में मिले जो कि एक सोचे समझे नियोजन, कुशलता पूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वयन और समय समय पर मूल्यांकन से प्राप्त होता है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम हो जायेगें;

- प्रसार कार्यक्रमों की अवधारणाओं की व्याख्या करने में।
- मूल्यांकन का अर्थ व परिभाषा समझने में।
- विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का वर्णन करने में।
- मूल्यांकन के विभिन्न तत्वों की सूची बनाने में।

8.3 संकल्पना

प्रसार कार्यक्रमों का कार्यक्रम के दौरान व बाद में मूल्यांकन, लक्षित लाभार्थियों पर इसके परिणाम व प्रभाव का निर्धारण करता है। यह जानने के लिए मदद करता है कि कार्यक्रम से

- आय व खपत में वृद्धि
- बुनियादी सेवाओं की लोगों तक पहुँच।
- ग्रामीण लोगों के लिए बेहतर रहने की स्थिति

निगरानी व मूल्यांकन दो परस्पर सम्बन्धित प्रक्रियाये है जो कि अपेक्षित परिणाम व लाभ को पाने के लिए निर्णयकताओं को कार्यक्रम चलाने हेतु सुझाव देते हैं। निगरानी और मूल्यांकन की चार मुख्य अवधारणायें निम्न हैं:-

1) **क्षमता:-** कार्यक्रम के उपभोक्ता द्वारा उपयोगमें लाये जाने वाले भौतिक, आर्थिक और मानव संसाधन से संदर्भित हैं। प्रसार प्रदर्शन अपनी क्षमता पर सीधे निर्भर करता है।
2) **प्रभाव शीलता:-** लक्ष्य प्राप्त करने की सीमा, प्रभावशीलता को परिभाषित करती है। अन्य सभी प्रसार के लक्ष्यों जैसे सामाजिक लक्ष्य (ग्रामीण आर्थिक लक्ष्य और अन्य लक्ष्यों में से भौतिक और आर्थिक लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लक्ष्यों से अन्य लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
3) **क्षमता :-** उपभोक्ता समूह जिस गति से सुझाई गई प्रक्रियाओं/तरीकों को अपनाता है उसे क्षमता कहते है।
4) **प्रभाव :-** विभिन्न संकेतकों को मापने के बाद, किसी प्रक्रिया की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाले परिणाम को प्रभाव कहते हैं।

8.4 अर्थ एवं परिभाषा

जब हम प्रसार कार्यक्रम के मूल्यांकन की बात करते हैं तो दोनों शब्द निगरानी और मूल्यांकन काफी सम्बन्धित लगते है। इसलिए प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन जानने के दौरान इन दोनों में अन्तर समझना जरूरी है।

शब्द ‘मॉनिटर’ (निगरानी) लैटिन शब्द ‘वार्न’ (चेतावनी) से लिया गया है। कार्यक्रम की योजना के अनुसार नियमित और नियत तरीके से आँकड़े इकठ्ठा करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख और प्रलेखनकरना ‘मॉनिटरिंग’ या निगरानी कहलाता है।

यह आकलन करने, नियत समय पर निर्णय लेने और सुधारों को सही दिशा में प्रभावी बनाने के लिए मदद करता है। निगरानी का मुख्य कार्य कार्यक्रम की गतिविधियों को योजना के अनुरूप चलाना और किसी भी गलती को समय से सुधारना है। अन्य शब्दों में निगरानी, कार्यक्रम में घटने वाली गतिविधियों का नियमित ऑकन और रिकार्डिंग है और कार्यक्रम की गतिविधियाँ कैसी चल रही है इस पर नियन्त्रण रखने में मदद करता है। दूसरी तरफ, शब्द मूल्यांकन, लैटिन शब्द ‘’वालियों’’ से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हम चीजों या अनुभवों के मूल्यों से सम्बन्धित निर्णय लेने में व्यस्त होते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो हमें यह जानने में मदद करती है कि जो कार्यक्रम नियोजित और क्रियान्वित किया गया उसने कार्य किया कि नहीं और किये गये प्रयास महत्वपूर्ण थे कि नहीं। मूल्यांकन यह जानने की एक प्रक्रिया है कि कि हद तक हमारे उद्देश्य प्राप्त हुए हैं।

यह इस बात का संकेत दिलाता है कि किस हद तक कोई गतिविधि ने प्रगति की है और कितना प्रयास और करना है। मूल्यांकन अभ्यास प्रसार कार्यक्रम की किसी भी चरण में किया जा सकता है, आन्तरिक रूप से अपनी संस्था द्वारा या बाहरी संस्था द्वारा।

मूल्यांकन के लिए एक बात महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों (भेदभाव) और पक्षपात से मुक्त हो और उचित मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाय। मूल्यांकन के उद्देश्य निम्न को शामिल करते हैं:-

- प्रगति व प्रभाव का आकलन।
- सफलता या असफलता के क्षेत्रों की खोज
- सफलता या असफलता के कारणों का विश्लेषण
- लोगों द्वारा कार्यक्रम के लाभों की स्वीकृति सुनिश्चित करना
- कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन में सुधार क्षेत्रों की पहचान

मूल्यांकन की परिभाषा : शब्द मूल्यांकन विभिन्न लेखकों द्वारा परिभाषित किया गया है जो नीचे दिये गये हैं-

- केल्सी और हर्ने के अनुसार ''मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी उद्यम (इन्टरप्राइस) के मूल्य का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति सम्बन्धित लाभ या व्यक्ति की परिभाषा, समूह, कार्यक्रमों, स्थितियों, तरीकें और प्रक्रियाओं का जानने और उसको सराहने में सक्षम होता है।
- मेहयूस के अनुसार ''किसी पूर्व निर्धारित अवधि के कार्यक्रम से पूर्व और बाद की स्थिति का आंकलन (तुलना) मूल्यांकन है।
- क्लीनेबर्ग के अनुसार ''मूल्यांकन एक प्रयास है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी कार्यक्रम से पहले और बाद में क्या बदलाव हुवे हैं और परिवर्तन का कौन सा भाग कार्यक्रम में योगदान दे सकता है।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

1. निगरानी और मूल्यांकन की चार महत्वपूर्ण अवधारणाये हैं ------, ---------, --------और -------।
2. --------------- और -------------- परिणाम निर्धारित करने के लिए दो सम्बन्धित प्रक्रियायें हैं।
3. मूल्यांकन का मूल -------------- शब्द (मूल्य) बोलियों हैं।
4. मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिससे हम जान सकते हैं कि किस सीमा तक ---------- प्राप्त हुए हैं।

5. मूल्यांकन के उद्देश्यों को लिखिए।

8.5 मूल्यांकन का महत्व

पिछले भाग तक हमने प्रसार कार्यक्रम के मूल्यांकन का बुनियादी अर्थ, परिभाषा और अवधारणा पर चर्चा की। इस परिपेक्ष्य में प्रसार कार्यक्रम के मूल्यांकन का उद्देश्य और महत्व जानना आवश्यक है। किसी भी प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मूल्यांकन और निगरानी महत्वपूर्ण भाग है जो भी कार्यक्रम शुरू किया जाना है उसे शुरूआत से ही प्रारम्भिक और अन्त तक गंभीरता से जाँचना आवश्यक है ताकि आपेक्षित परिणाम मिले और प्रयास विफल ना हो।

निगरानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारियों को यह सूचना देना है कि कितनी कुशलता/क्षमता से कार्यक्रम चल रहा है। अगर कार्यक्रम में कोई कमियॉ हो तो तुरन्त ही कार्यक्रम के दौरान सुधारने हेतु प्रयास करने चाहिये हॉलाकि प्रसार कार्यक्रम के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रसार कार्यकर्ता के प्रभाव को सुनिश्चित करना और बाद में यह सुनिश्चित करना है कि कैसे क्षमता को सुधारा जा सकता है।

प्रसार कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्न उद्देश्यों के लिए महतवपूर्ण हैं;

कार्यक्रम सुधार : कोई भी शैक्षणिक प्रक्रिया, जिसका मूल्यांकन किया जाता है, कार्यक्रम प्रक्रिया में निरन्तर सुधार को दिशा देता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन के समय किये गये मूल्यांकन से प्राप्त सूचना कार्यक्रम के विभिन्न चरणों को बदलने के काम आती है।

जनसम्पर्क : मूल्यांकन जनता के लिए एक रिपोर्ट(परिणाम पत्र) प्रदान करता है। कार्यक्रम का अन्त में मूल्यांकन, कार्यक्रम की सफलता या असफलता के बारे में सच्ची जानकारी देता है, जिसके बारे में जनता, संसद और विधायी निकायों को सूचित किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तियों, स्थानीय नेताओं व्यवसायिक समूहों, संस्थाओं और समूहों के संगठनों को कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में सूचित किया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र में तरक्की : मूल्यांकन एक पेशेवर कार्यकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति को उसकी भूमिका की सूची प्रदान करता है। यह प्रसार कार्यकर्ता को पेशेवर नजरिये को सुधारने , ज्ञान प्रदान करने और कमियों को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया जानकारी , प्रसार कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह प्रसार कार्यकर्ताओं के अभाव में स्थानीय नेताओं की क्षमतानिर्धारण में मदद करता है।

व्यवसायिक सुरक्षा : मूल्यांकन के परिणाम हमें जो सूचना देते हैं उससे व्यक्ति में आत्मविश्वास, संतोष और उपलब्धियों की भावना उत्पन्न होती है।

प्रभावी कारीगरी :- मूल्यांकन, विभिन्न प्रसार कार्यकर्ताओं को साथ में कुशलता से काम करने का अवसर देता है। यह कई लोगों के साथ व्यक्ति के समन्वय के साथ्ज्ञ कार्य करने के कौशलमें सुधार करता है।

प्रसार शिक्षण के तरीकें : मूल्यांकन, प्रसार शिक्षण तरीकों पर ध्यान रखता है, ये यह जानने में मदद करता है कि जो प्रसार शिक्षण तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वह प्रभावी है या नहीं या कौन सा तरीका इस परिस्थिति में प्रभावशाली है, जो शिक्षण तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं वह बैठके, लिखित सामग्री , रेडियों, प्रदर्शिनी या अन्य हो सकते हैं। मूल्यांकन से यह भी जान सकते हैं जो अन्य सामग्रीयाँ या साधन इस्तेमाल हुवे हैं वे प्रभावशाली है या नहीं, कौन सा तरीका अप्रभावशाली था और कौन से तरीकों को समुदाय की बदलती आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं।

कार्यक्रम नियोजन : मूल्यांकन कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के प्रभाव को मापने , कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में आवश्यक सुधारों और नियोजन में व्यक्तियों की भूमिका व जिम्मेदारीयों का निर्णय करने में मदद करता है।

प्रसार संस्थाओं की प्रभावशीलनता : मूल्यांकन, संस्थागत, प्राशसनिक और पर्यवेक्षी भूमिकाओं की क्षमता निर्धारण में मदद करता है, ये यह जानने में मदद करता है कि कैसे कार्यक्रम क्रियान्वयन में सम्मिलित प्राशसक आयोजक, विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक कुशलता से और व्यवस्थित ढंग से कार्यकर सकते हैं। मूल्यांकन यह जानने में मदद करता है कि कितने लोग स्थापित उद्देश्य तक पहॅुच गये हैं, कितने लोग पहुँचने वाले हैं और उद्देश्यों तक ना पहुँचने के क्या कारण है।

ग्राहक/उपभोक्ता की जानकारी : मूल्यांकन हमें उन लोगों की जानकारी देता है जिनके साथ हम कार्य करते हैं जैसे;

- उनकी जरूरत, इच्छा और रूचि
- समूहों के अन्दर और समूहों के बीच व्यक्तिगत अन्तर
- रिवाज, मूल्य और वर्जित कर्म
- प्रसार कार्यक्रम में प्रभावी संगठनों की पहचान
- विशेष क्षेत्रों से नेतृत्व की सफलता और उन क्षेत्रों की पहचान जहॉं नेतृत्व आवश्यक है।
- प्रसार कार्यकर्ता द्वारा पहुँच क्षेत्र की आबादी।

- विभिन्न जनसंख्या/आबादी क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रसार दृष्टिकोण की पहचान करना।

निर्णय लेना : मूल्यांकन ऐसे निष्कर्ष और निर्णय लेनेमें मदद करता है जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णय, मूल्यवान कार्यक्रम की जरूरत, चलने वाले कार्यक्रम की निरन्तरता या कमी या कुछ खास पहलुओं पर जोर देने की सम्भावना से सम्बन्धित हो सकता है।

सन्तुष्टि : जो कार्य पूरा हो चुका हो उसके लिए मूल्यांकन योजनाकारों, नेताओं और ग्राहक/उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है।

प्रभाव : मूल्यांकन सामाजिक और आर्थिक प्रसार कार्यक्रमों के दीर्घ कालीन और अल्प कालीन प्रभावों के आंकलन करनेमें मदद करता है।

- सफलता या असफलता के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।
- कार्यक्रम उपलब्धियों के मूल्य के साथ लागत की तुलना।

8.6 मूल्यांकन के प्रकार

कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार एक प्रसार कार्यक्रम का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों कोनीचे वर्णित किया जा रहा है:-

- औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन
- स्वमूल्यांकन
- आन्तरिकएवं बाहरी मूल्यांकन
- शुरूआती और अन्तत: मूल्यांकन
- चल रहे और बाद का मूल्यांकन

औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन : अनौपचारिक मूल्यांकन प्रतिदिन का मूल्यांकन है इसके विपरीत 'व्यापक औपचारिक शोध' औपचारिक मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकस्मिक प्रतिदिन मूल्यांकन, पहली छाप के अनुभव जैसा हो सकता है। फ्रूटचेय के अनुसार 'किसी भी सरल परेशानी/समस्या को हल करने के लिए बिना मूल्यांकन के सिद्धान्तों का अनुसरण किये जो हम निर्णय लेते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन होते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन, बढेगें, पक्षपाती और गुमराह करने वाले होते हैं। इसके विपरीत विशिष्ट/व्यापकऔपचारिक शोध, परिष्कृत अनुसंधान प्रक्रियाओं का

इस्तेमाल करते हैं जो कि अधिक व्यवस्थित होते हैं और प्रसार कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यह शोध , मूल्यांकन विशेषज्ञों की टीम द्वारा किये जाते हैं इसलिए यह औपचारिक होते हैं।

स्वमूल्यांकन : यह हर कार्यकर्ता द्वारानियमित अभ्यास के रूप में किया जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण चाहिये होता है जिससे प्रसार कार्यकर्ता की व्यवसायिक योग्यता और वृद्धि में सुधार होता है।

बाहरी व आन्तरिक मूल्यांकन : आन्तरिक मूल्यांकन उन संगठनों/संस्थाओं जो कार्यक्रम नियोजित व क्रियान्वित करते हैं और उन व्यक्तियों द्वारा जो खाता, परियोजना, हानि व क्षमता को बताते हैं केद्रवारा किया जाता है। आन्तरिक मूल्यांकनके कुछ तरीकों में शामिल है;

- कार्यकताओं की रिपोर्ट व डायरी का व्यवस्थित उपयोग
- कार्य करने की जगह पर स्टाफ के लोगों की पूर्व प्रदर्शित वीजीट
- अवलोकन व पूछताछ के लिए प्रश्नपत्रिका (क्वेश्चनेयर) और परफार्मा का उपयोग।

बाहरी मूल्यांकन एक व्यक्ति या संगठन द्वारा संस्था के बाहर किया जाता है। इसमें वो ही लोग सम्मिलित होते हैं जो कार्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन में शामिल ना हो ।

विकासकालीन व योगात्मक (शुरूआती व अन्त मूल्यांकन) : शुरूआती मूल्यांकन निम्न उद्देश्यों से किया जाता है;

1. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए।
2. योजना की प्रारम्भिक स्थिति में ही सूचना इकठ्ठी करना, इस ध्यान के साथ कि सारे प्रयास वैसे ही किये जाय जैसी योजना बनाई गई हो। यह कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
3. कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान कमियों की शुरूआत में ही कमियों की पहचान करना औश्र उन्हें हल करना औश्र शुरूआती कार्यक्रम के चरण में कार्यक्रम की कमियों और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया देना ताकि शेष कार्यक्रममें सफलता प्राप्त की जा सके।
4. कार्यक्रम के कर्मचारियों द्वारा किये गये काम पर प्रतिक्रिया देना। निर्णात्मक मूल्यांकन का उदाहरण टेलीवीजन कार्यक्रम या रेडियों कार्यक्रम हो सकता है, जिसका मूल्यांकन प्रतिक्रिया द्वारा किया जा सकता है कि यह कितना लक्षित दर्शकों द्वारा प्राप्त होता है।

योगात्मक मूल्यांकन में निम्न शामिल है;

1. यह कार्यक्रम पूरा होने के बाद आयोजित किया जाता है।

2. काय्रक्रम के समग्र प्रभाव और परिणाम ज्ञात करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान तरीकों का उपयोग।
3. कार्यक्रम के अन्तिम परिणाम की कीमत (मूल्य) परखना और यह जाँचना कि परिभाषित उद्देश्य प्राप्त हो रहे है या नहीं।
4. मूल्यांकन कुछ सवालों का आंकलन है, जैसे –

- क्या कार्यक्रम ने परिभाषित लक्ष्य हासिल किये ?
- कार्यक्रम के प्रभाव की तीव्रता क्या थी ?
- अप्रत्याशित प्रभाव क्या हैं ?
- कार्यक्रम के कौन से भाग कम प्रभावशाली थे ?

योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण हो सकता है : आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की गर्भवती महिलाओं में खपत 20 प्रतिशत के आधारभूत स्तर से 25 प्रतिशत तक कार्यक्रम के अन्त के दो वर्षों में वृद्धि हुई।

चल रहे और एक्स पोस्ट (बाद का) मूल्यांकन : चल रहे कार्यक्रम का मूल्यांकन एक लक्ष्य निर्धारित विश्लेषण है जो कि क्रियान्वयन के दौरान किया जाता है और इसके प्रभाव पहले से निर्धारित उद्देश्यों की तुलना से जॉचे जाते हैं , एक्स पोस्ट (बाद का मूल्यांकन) व्यापक अनुभव और किसी परियोजना की समीक्षा के लिए किया जाता है, यह भविष्य में निर्मित होने वाली नीतियों और परियोजनाओं का आधार होती है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. सत्य या असत्य लिखिए।

1. मूल्यांकन सफलता या असफलता के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।
2. औपचारिक मूल्यांकन, आकस्मिक मूल्यांकन है।
3. योगात्मक मूल्यांकन, कार्यक्रम समाप्ति के बाद आयोजित होता है।
4. मूल्यांकन चल रहे कार्यक्रमों में सुधार करने में मदद करता है।
5. मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार लिखिये।

8.7 मूल्यांकन के अंश/तत्व

कार्यक्रम के मूल्यांकन के निम्न तत्व हैं ;

- मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया।
- मूल्यांकन का समय।
- प्रभावी मूल्यांकन के मापदण्ड।
- सूचना संग्रह का स्त्रोत।
- सूचना संग्रह की विधि।
- सूचना एकत्रिकरण के मापीय उपकरण।
- मूल्यांकन के चरण।
- मूल्यांकनकी कुंजी।
- मूल्यांकन के सिद्धान्त।
- मूल्यांकन की समस्यायें।

हम अपना अध्ययन शुरू करेगें। मूल्यांकन के पहले तत्व 'किसके द्वारा मूल्यांकन किया गया'।

8.7.1 किसके द्वारा मूल्यांकन

कार्यक्रम का मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन (स्वमूल्यांकन) के द्वारा किया जा सकता है जो कई मामलों में उपयुक्त होता है। स्वमूल्यांकन संस्था जो कि कार्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है अपना मूल्यांकन स्वयं करती है। यह स्वमूलयांकन (आत्म मूल्यांकन) , मूल्यांकन के पूरक बनने के लिए समय समय पर आवश्यक है। आत्ममूल्यांकन एक कमेटी या कुछ लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनको यह काम दिया गया हो।

मूल्यांकन अगर किसी बाहरी योग्य व्यक्ति या बाहरी समूह द्वारा किया गया हो तो पक्षपात से निजात मिलती है और नये विचार मिलते हैं।

8.7.2 मूल्यांकन का समय

कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन एक साथ किया जा सकता है। कई मामलों में, कार्यक्रम के हर एक चरण को पूरा होते ही मूल्यांकित करना आवश्यक होता है। पूर्व में किये गये यह मूल्यांकन चल रहे कार्यक्रम को सुधारने में मदद करते हैं जिससे की सफल परिणाम प्राप्त किय जा सके। इस परिपेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान ही मूल्यांकन को शामिल किया जाय, भले ही यह शुरू में या कार्यक्रम के अन्त में किया जाय।

8.7.3 प्रभावी मूल्यांकन के लिए मापदण्ड

मूल्यांकन उचित ढंग से करने के लिए, निम्न मापदण्डों को ध्यान में रखना चाहिये;

1. **उद्देश्य स्पष्ट हो :** सटीक मूल्यांकन के लिए उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये, जो यह जानने में मदद करता है कि किस हद तक कार्यक्रम में अपने उद्देश्य प्राप्त किये हैं। उद्देश्यों को सरल, विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिये।
2. **माप का वैघ उपकरण :** साधन जो कार्यक्रम के उद्देश्यों की पहुँच को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रमाणिक और मान्य होना चाहिये। इस्तेमाल किये गये उपकरण व औजार वही मापने के लिए सक्षम होने चाहिये जिसके लिए वे बने हो।
3. **निष्पक्षता :** संचालित किये गये मूल्यांकन पक्षपात से दूर, व्यक्तिगत भेदभाव और व्यक्तिगत राय से दूर होने चाहिये। यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित और सही होने चाहिये। इस प्रयोजन के लिए बाहरी संस्थायें जो कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो निष्पक्षता हेतु नियुक्त किया जाना चाहिये।
4. **विश्वसनीयता :** इस्तेमाल किया गया मूल्यांकन का तरीका विश्वसनीय होना चाहिये जिसका अर्थ है कि वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग उसमें होना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग विशेषज्ञ, जिनकी क्षमता समान हो और समान उपकरण उपयोग करें तो एक जैसा ही परिणाम आयेगा।
5. **बदलाव के साक्ष्य :** किये गये मूल्यांकन को वह बदलाव दिखाने चाहिये जिससे पता चले कि कार्यक्रम की उपलब्धियाँ या कमजोरियाँ क्या हैं। अन्त में, कार्यक्रम मूल्यांकन में किसी भी तरह के परिवर्तन को स्पष्ट करना चाहिये।
6. **व्यवहारिकाता :** किये गये मूल्यांकन की उपयोगिता होनी चाहिये। यह मापदण्ड मूल्यांकन के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए प्रयुक्त होता है जो कि सिमित संसाधनों के साथ किया जाय।

8.7.4 सूचना एकत्रित करने के स्त्रोत

किसी भी मूल्यांकन करने हेतु निम्न स्त्रोतों से सूचना इकट्ठी कर सकते हैं :-

1. लिखित जैसे – लिखित योजना, रिकार्ड, रिपोर्ट आदि।
2. प्रसार स्टाफ।
3. कार्यक्रम से सीधे सम्बन्धित लोग।
4. कमेटी के सदस्य।
5. स्थानीय नेता।
6. विस्तृत सर्वे के तरीके जैसे – व्यक्तिगत साक्षात्कार या क्वोश्चनेयर (प्रश्न पत्रिका) जो लोगों के समूह के ही व्यक्तियों द्वारा भरा जाये।

सूचना तीन स्तरों में एकत्रित की जा सकती है;

1. **शुरूआती (बुनियादी) चरण** : यह शुरूआती चरण है जब कार्यक्रम को शुरू किया जाता है, इस चरण में लोग अपने व्यवहार परिवर्तन की शुरूआत करते हैं।
2. **मध्य चरण (बीच का चरण)** : यह कार्यक्रम की प्रगति के बीच का चरण है।
3. **अन्तिम चरण :** कार्यक्रम के अन्त में, उद्देश्यों की पूर्ति मापने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

8.7.5 सूचना एकत्रित करने के तरीके

मूल्यांकन हेतु सूचना एकत्र करने के मुख्यत: दो तरीके हैं।

- **सेंसर तरीका (जनगणना तरीका) :** इस तरीके में जनसंख्या में उपस्थित सभी लोगों से सूचना एकत्रित की जाती है हॉलाकि यह तरीका हमेशा सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि सभी से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए दूसरा तरीका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादा सटीक है।
- **नमूना विधि :** इस तरीके के अनुसार पूरे समूह में से एक नमूना लिया जाता है जो कि पूरे समूह को प्रदर्शित करें। इसके उपयोग का अर्थ है;
    1. ध्यान पूर्वक छाटे गये लोगों के समूह से उत्तर व राय लेना, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करें।
    2. समय व पैसे की बचत।
    3. विस्तृत और सटीक अध्ययन करना क्योंकि सूचना कम व्यक्तियों से प्राप्त की गई है।

8.7.6 सूचना एकत्रित करने के मापीय उपकरण

इन उपकरणों द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती है। पूछे गये प्रश्न छोटे , स्पष्ट, संक्षिप्त व तार्किक क्रम में रखे होने चाहिये। प्रश्नावली माध्यम से पूछे गये प्रश्नों के द्वारा पाई गई सूचना को सारणीबद्ध कर,व्याख्या कर रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि सारांक्ष में उन प्रश्नों के उत्तर देता है। प्रसार कार्यक्रमों के शिक्षण उद्देश्यों की प्रगति मापने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जो निम्न है:-

- **मूल्य तराजू** : यह लोगों, जगह या चीजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ताकि जाना जाय की लोग किसको ज्यादा महत्व देते हैं। उदाहरण – धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य आदि।

- **प्रवृत्ति (मनोवृत्ति)तराजू** : दर्शाता है कि चीजों के प्रति लोग कैसा सोचते हैं। यह व्यक्तियों के पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं। जैसे बाल विवाह, परिवार नियोजन आदि।
- **जनमत सर्वेक्षण** : यह कुछ मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए किये जाते हैं। यह 'हॉ' या 'ना' उत्तर वाले आसान सवाल होने हैं। उदाहरण – चुनाव में लोगों की चुनाव प्रवृत्ति जानने हेतु वोटिंग ।
- **ज्ञान और समझ परीक्षा (टेस्ट)** : यह जानने के लिए किये जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में अपने अर्जित ज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। उदाहरण – संरक्षण के तरीके, पोष्ण बगीचा, धान की खेती आदि के बारे में ज्ञान ।
- **अर्जित ज्ञान** : यह विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रम में लोगों की रूचि जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण – स्वास्थ्य स्वच्छता और साक्षरता आदि कार्यक्रमों में रूचि ।
- **प्रदर्शन रेटिंग में कौशल** : यह लोगों द्वारा कौशल प्राप्त करने की मात्रा मापने हेतुकिया जाता है। उदाहरण – कढाई, सिलाई, अचार बनाना औश्र साक्षरता कार्यक्रम आदि में कौशल।
- **तरीको को अपनाना** : यह मापना है कि लोगों द्वारा किस सीमा तक उन्नत तरीकों का किस हद तक प्रयोग होता है। जैसे दुग्ध उत्पादन के तरीके व खाना बनाने के तरीके आदि।
- **केस इतिहास तकनीक :** यह तकनीक जनसंख्या के किसी एक भाग को विस्तृत रूप में समझते के काम आती है। जैसे महिला मण्डल के किसी प्रगतिशील किसान के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जाना।

8.7.7 सूचना एकत्रित करने के मापीय उपकरण

प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन की वास्तविक प्रक्रिया, कार्यक्रम की प्रकृति, गुंजाइश व जटिलता और मूल्यांकन में प्रयुक्त संसाधनों के आधार पर अलग अलग हो सकती है हॉलाकि कुछ बुनियादि चरण निम्न है:-

1) मूल्यांकन के लिए परियोजना का चयन : इसका अर्थ है जिन परियोजना, गतिविधि, तरीके व परिस्थिति की पहचान।
2) मूल्यांकन का प्रयोजन : मूल्यांकन की वजह पता होनी चाहिये और पृष्ठभूमि को निम्न जरूर इंगित करना चाहिये।

- ❖ आप क्यों परियोजना का मूल्यांकन करना चाहते हैं ?
- ❖ मूल्याकनकर्ता द्वारा कौन से उत्तर देने चाहिये ?
- ❖ मूल्यांकन, परिस्थिति आंकलन का है या शिक्षण उद्देश्यों पर निर्भर है ?

3) कार्य योजना में निर्धारित उद्देश्यों की पहचान :

- ❖ तात्कालिक लंक्ष्य क्या थे ? (काग्र योजना में बताये गये लक्ष्य)
- ❖ किस सीमा तक इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया ? (कितने लोगों ने सीखाई प्रथाओं को अपनाया या सीखा)
- ❖ कौन से लक्ष्य प्राप्त करने बाकी है ? (जो लक्ष्य निर्धारित कार्य में प्राप्त ना हुवे हो)
- ❖ क्या लोगों ने लक्ष्यों के प्रयोजन की सहायता की ?
- ❖ लोगों में क्या बदलाव आये ? (ज्ञान, कौशल, व्यवहार)

4) प्रसार शिक्षा तरीकों का विश्लेषण – इसे बताना चाहिए

- ❖ क्या सीखाया गया ?
- ❖ किसके द्वारा क्या सीखाया गया ?
- ❖ कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली था ?

5) उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में क्या सबूत थे ?

सबूत एक विशेष कसौटी से सम्बन्धित होते हैं, साब्रोस्की के अनुसार सबूत को लोगों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन (ज्ञान, कौशल, तरीके आदि) को और अवसर को कहते हैं। बाद के मामलों में, कार्य को स्थापित सीखने की परिस्थिति (लिखित सामग्री, दी गई बातचीत, भ्रमण,के रूप में मापा जाता है।

6) सूचना के स्त्रोत

- ❖ कौन सूचना देगा (किसान, गृहणी, स्थानीय नेता, समूह के सदस्य, युवा, प्रसार कार्यकर्ता आदि)
- ❖ दर्ज की गई सूचना – रिपोर्ट, जनगणना आदि।
- ❖ आपको सेंपल (नमूना) अध्ययन या जनगणना (सेंसस) अध्ययन की जरूरत है।

7) सूचना एकत्रित करना

- ❖ कौन सूचना एकत्रित करेगा ? मूल्यांकनकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता आदि।
- ❖ कैसे सूचना एकत्रित की जायेगी ? साक्षात्कार, निरीक्षण , प्रश्नावली आदि ।

8) सूचना दर्ज करने का पर्चा

- ❖ रिकार्डिंग के तरीके – साक्षात्कार,प्रश्नावली, तराजू रेंटिंग परिक्षण, निरीक्षण पन्ने, स्कोर कार्ड, चैक लिस्ट आदि का उपयोग।
- ❖ डेटा शीट – परिस्थिति का आंकलन , शिक्षण उद्देश्यों की दिशा में करना ।

9) इस्तेमाल में आने वाले ऑकडों का विश्लेषण व तालिकाकरण

- ❖ प्रश्नों के उत्तर के लिए ऑकडों का वर्गीकरण व छाटाई,
- ❖ तालीकाकरण का तरीका
- ❖ सम्बन्धें को उजागर करना

10) आंकड़ों की व्याख्या व रिपोर्टिंग –

- ❖ तालिका, चार्ट व ग्राफ (रंखांकन) का निर्माण
- ❖ खोज का निष्कर्ष
- ❖ प्रसार कार्य में योगदान
- ❖ लिखित रूप में कार्य

8.7.8 मूल्यांकन की कुंजी

मूल्यांकन की छ: महत्वपूर्ण कुंजियाँ हैं :

1) **उद्देश्यों के कथन** : मूल्यांकित होन वाले कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिये।
2) **साक्ष्य के स्त्रोत** : कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविध की सफलताया असफलताके पर्याप्त सबूत होने चाहिये।
3) **प्रतिनिधि नमूने** : जो भी व्यक्ति सफलता के साक्ष्य प्रस्तुत करें उसे पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।
4) **सटीक तरीके** : सफलता के साक्ष्यों को इकठ्ठा करने के तरीके सभी सूचनाओं के लिए उपयुक्त होने चाहिये।
5) **विश्वसनीय प्रश्न** : विश्वसनीय व निष्पक्ष आंकड़े पाने के लिए ध्यान पूर्वक प्रश्नों का चयन।
6) **परिणाम इस्तेमाल करने हेतु योजना** : यह मूल्यांकन करने से पूर्व निर्धारित करना चाहिए।

8.7.9 मूल्यांकन के सिद्धान्त

मूल्यांकन के इन सिद्धांतों का अवश्य पालन करना चाहिये:

1) आत्म मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकन से ज्यादा अच्छा होता है जिसमें बाहरी संस्था ना होकर स्थानीय लोग सम्मिलित होते हैं। इससे कम सुधार होता है।
2) कार्यक्रम उद्देश्यों की परिणामों के साथ तुलना करना, एक कार्यक्रम का दूसरे कार्यक्रम से तुलना करने से ज्यादा वृद्धिवर्धक व परिपूर्ण होता है।

3) अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए , कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी लोग मूल्यांकन में सम्मिलित होने चाहिये।
4) मूल्यांकन हमेशा सतत और शैक्षणिक प्रक्रिया होनी चाहिये।
5) मूल्यांकन, अवसरों की अपेक्षा परिणामों पर केन्द्रित होना चाहिए।
6) लघु सीमा उद्देश्य जल्द से मूल्यांकित होने चाहिये क्योंकि यह मध्य सीमा व दीर्घ सीमा उद्देश्य हेतु प्रेरित करते हैं।

8.7.10 मूल्यांकन की समस्यायें

वास्तव में मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यक्रम की प्रभावशीलता की जाँच करना है, सामान्यत: उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में लेकिन मूल्यांकन करना आसान काम नहीं है। मूल्यांकन के समय निम्न समस्यायें आती हैं-

1) **अवलोकन में त्रुटि** : दो मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा एक ही अवसर का अलग अवलोकन या एक ही पर्यवेक्षक का अलग –अलग अवसरों पर अलग अलग मत।
2) **मापने के साधन की त्रुटि** : आँकड़े इकठ्ठा करने में।
3) **माप की त्रुटि** : नमूने के मापन में, माप लेने मे त्रुटि।
4) **मात्रा में त्रुटि** : गुणवत्ता आँकड़े को सांख्यिकी आँकड़े में बदलने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटि।
5) **नियन्त्रण की कमी से त्रुटि** : मूल्यांकन मनुष्यों से सम्बन्धित होता है और मनुष्य निरन्तर बदलता है और नियन्त्रित करने में कठिन होता है।
6) **सच्ची प्रतिक्रियाओं में त्रुटि** : ज्यादातर सूचनाये लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है जो शायद सही उत्तर ना दे। सूचना की सत्यता को मूल्यांकित करना मुश्किल है।
7) **परिचालन कठिनाइयों की त्रुटि** : यह त्रुटि तब होती है जब उत्तरदाता बीच में ही मूलयांकनका चरण छोड दें या शोधकर्ता की वीजीट (भ्रमण) के समय उपस्थित ना हो।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

i. जो मूल्यांकन भेदभाव व पक्षपात से मुक्त हो ----------------- कहलाता है।
ii. मूल्यांकन हेतु सूचना --------------व --------------तरीकों द्वारा एकत्रित की जाती है।
iii. जो तराजू (स्केल) बतलाता है कि किसी चीज के लिए लोग कैसा महसूस करते हैं -------।

प्रश्न 2. प्रभावकारी मूल्यांकन के लक्षण बताइये।

8.8 सारांश

संक्षेप में , इस इकाई में हमने मुख्यत: मूल्यांकन की महत्वता व प्रकार पर बल दिया है। इससे हमें प्रसार कार्यक्रम के मूल्यांकन की मुख्य अवधारणाओं को , कौन मूल्यांकन करता है व मूल्यांकन के समय को (मूल्यांकन के चरण और किससे सूचना एकत्रित करनी है) जानने में मदद मिली। इस इकाई ने प्रभावी मूल्यांकन और मूल्यांकन हेतु सूचना संग्रह करने के मापदण्डों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा हमने मूल्यांकन में सम्मिलित चरणों , मापीय उपकरणों व मूल्यांकन के सिद्धान्तों को जाना।

मूल्यांकन के दौरान आने वाली समस्याओं के ज्ञान द्वारा हम मूल्यांकन प्रभावी रूप से कर सकते हैं।

8.9 पारिभाषिक शब्दावली

निगरानी : कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति की व्यवस्थित व नियमित आँकड़े इकठ्ठा करना प्रेक्षण व दस्तावेज बनाना।

मूल्यांकन : उद्देशें की सीमा पूर्ति की प्रक्रिया जानना।

निष्पक्षता : किया गया मूल्यांकन पक्ष्ज्ञपात, भेदभाव व व्यक्तिगत मतों से मुक्त होना चाहिये।

विश्वसनीयता : मूल्यांकन पद्यति में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिये।

8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1.

i. क्षमता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव
ii. निगरानी, मूल्यांकन
iii. लेटिन
iv. उद्देश्य

प्रश्न 2.

i. प्रगति व प्रभाव का आकलन
ii. सफलता व असफलता के क्षेत्रों की खोज
iii. सफलता या असफलताके कारणों का विश्लेषण
iv. लोगों द्वारा कार्यक्रम के लाभ की स्वीकृति सुनिश्चित करना।
v. कार्यक्रम तैयार करने व कार्यान्वयन में सुधार क्षेत्रों की पहचान।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1.

i. सत्य
ii. असत्य
iii. सत्य
iv. सत्य

प्रश्न 2.

i. औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन
ii. स्वमूल्यांकन
iii. आन्तरिक व वाहय मूल्यांकन
iv. रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन
v. चल रहे व बाद का मूल्यांकन

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1.

i. निष्पक्षता
ii. जनगणना व नमूना
iii. रवौया तराजू (स्केल)

प्रश्न 2. प्रभावशाली मूल्यांकन के मापदण्ड -

i. उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित
ii. मापने हेतु वैद्य उपकरण
iii. निष्पक्षता
iv. विश्वसनियता
v. परिवर्तन के साक्ष्य
vi. साध्यता

8.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. **Annamalai, R. et al. (1994).** Rural Development and Extension Programme Planning, Palaniappa Printers.

2. **Dahama, O.P. and Bhatnagar, O.P. (1987).** Education and Communication for Development, Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi.
3. **Directorate of Extension (1961).** Extension Education in Community Development, Ministry of Food and Agriculture, Govt. of India. New Delhi.
4. **Ray, G.L. (2001).** Extension Communication and Management. Naya Prakash, Calcutta, 4th edition.
5. R**eddy, A.A. (2006).** Extension Education, Sree Lakshmi Press, Bapatla, A.P. 8th Edition.
6. **Sandhu, A.S. (1994).** Extension Programme Planning. Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi.
7. **Savile, A.H. (1986).** Extension in Rural Communities: A Manual for Agriculture and Home Extension Workers, London, Oxford University Press, Oxford Tropical Handbook.
8. **Supe, S.V. (1983).** An Introduction to Extension Education, Oxford and IBH Co., New Delhi.

खण्ड 3
प्रसार सेवाएं और ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इकाई 9 : भारत में प्रसार सेवाएँ

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्देश्य
9.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program)
9.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन
9.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ
9.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां
9.4 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
9.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)
9.4.2 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)
9.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और अन्य नीतियों से संबंधित प्रसार कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की भूमिका
9.6 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)
9.7 पंचायती राज तंत्र (Panchayti Raj System)
9.7.1 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली
9.8 सारांश
9.9 शब्दावली
9.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
9.12 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

भारत देश में आंतरिक भौगोलिक संरचना में बहुत विभिन्नताएं है ऐसे विभिन्नता भरे देश में प्रसार तंत्र की भूमिका अहम् और चुनौतीपूर्ण है। प्रसार शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य है- 'ग्रामीण व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना'।

9.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्धयन के पश्चात् आप:

- प्रसार शिक्षा को समझ पायेंगे।
- प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- प्रसार शिक्षा के कृषि में महत्वता को जानेगें।
- प्रसार शिक्षा की गृह गृह विज्ञान में भूमिका तथा गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं सिद्धांत तथा मूलदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

9.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program)

अब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक संगठन, विधियाँ, उपलब्धियों और बाधाओं के बारे में जानेगें।

9.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पांच स्तरीय प्रशासनिक संगठन बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गाँव के स्तर पर अलग-अलग सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

१. **प्रथम स्तर- केन्द्रीय स्तर-** केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग ही सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तथा धन उपलब्ध करवाने का कार्य करता था। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय समिति होती थी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् कहते थे। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सदस्य, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सामुदायिक मंत्री तथा सहकारिता मंत्री इनके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा लोक सभा के सदस्यों एवं मंत्रियों के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् को समय-समु पर सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष मुख्यतया कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव होते हैं।

२. **द्वितीय स्तर- राज्य स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसे राज्य विकास परिषद् कहते हैं जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके सदस्य कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं लोक

निर्माण विभाग, सहकारी तथा वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं। सचिव के रूप में विकास आयुक्त होते हैं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा इस परिषद् को समय-समय पर सलाह- मशविरा दिया जाता है।

३. **तृतीय स्तर- जिला स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद् होती है जिसका अध्यक्ष कलक्टर अथवा जिला विकास अधिकारी होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति होती है। इसका अध्यक्ष जिला कलक्टर तथा सचिव जिला नियोजन अधिकारी होता है। जिले के अन्य अधिकारी जैसे जिला सहकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पशुपालन एम चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी आदि इसके अध्यक्ष होते हैं और मिलकर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन करते हैं।

४. **चतुर्थ स्तर- प्रखंड स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति/ प्रखंड विकास समिति होती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड समिति के सचिव एवं समन्वयक होए है जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों को देखते हैं।

पंचम स्तर- ग्राम स्तर- गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

9.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ

सामुदायिक विकास को सफल बनाने के लिए प्रमुख विधियाँ है;

1) प्रसार शिक्षा एवं 2) सामुदायिक संगठन

1) प्रसार शिक्षा- लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है. ग्रामीण जनता कृषि तथा कृषि सम्बंधित क्षेत्रों में नवीन तकनीक अपनाकर अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठा सकते हैं।
2) सामुदायिक संगठन- सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से सम्बंधित तीन आधारीय संस्थाओं- पंचायत, सहकारी समितियां व स्कूल की जरुरत होती है। गांवों में मौजूद विभिन्न संगठनों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जा सकी।

अन्य विधियाँ-

1) सामुदायिक आवश्यकताओं एवं कार्य करने के लिए प्रेरकों का पता लगाना
2) संचार विधियों का विकास
3) स्वयं की सहायता से सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने की विधि

4) वाह्य सहायता एवं बहुउद्देशीय विकास कार्य योजना की विधि
5) सामुदायिक विकास गतिविधियों का समन्वय करने की विधि

9.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- ✓ कृषि क्षेत्र में विकास
- ✓ पशुपालन का विकास
- ✓ यातायात को विकास
- ✓ भूमि सुधार
- ✓ लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास
- ✓ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- ✓ शिक्षा का विकास
- ✓ सांस्कृतिक विकास
- ✓ आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम
- ✓ सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काफी हद तक ग्रामीणों की उन्नति एवं विकास हुआ मगर इससे जितनी अपेक्षा की गई थी उतना सफलता नहीं मिल पायी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की वांछित सफलता में निम्नांकित करक बाधा रहे-

1) कार्यक्रम की रुपरेखा सही ढंग से नहीं तैयार करना
2) ब्युरोक्रट्स की मनमानी
3) कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का होना
4) प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव
5) जन सहभागिता का अभाव
6) ग्रामीण नेतृत्व का अभाव
7) प्रभावशाली लोगों तक ही कार्यक्रम का लाभ पहुंचना
8) दलित एवं पीड़ित किसानों पर अधिक ध्यान ने देना
9) सरकारी अधिकारियों एवं जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी
10) गरीब तथा जरुरतमंदों की अनदेखी

9.4 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद

अंग्रेज सरकार ने जून 1871 में भारत सरकार के अधीन कृषि विभाग की स्थापना की, इसके पश्चात् 1882 में सभी राज्य सरकारों के अधीन कृषि विभागों की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना 16 जुलाई, 1929 में हुई थी, लेकिन शिक्षा, अनुसन्धान और प्रसार शिक्षा को कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए इसे सन 1963 व 1975 में पुनर्गठित किया गया। इसके दो आधिकारिक कार्यक्षेत्र हैं, (१) कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन शिक्षा, अनुसन्धान एवं क्रियान्वयन को आधिपत्य सहायता से आगे बढ़ाना और संयोजित करना, (२) कृषि एवं पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना। आई. सी. ए. आर. अध्ययन समिति (1988) ने इसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश की, जिसमे कहा गया की निधारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्थानांतरण, प्रकाशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इसको सहायता करनी चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उद्देश्य

1) किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि विश्वविधालय तथा अशासकीय संगठन की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने व तकनीकी के उत्पादन व ग्रहण करने में समय कम करने के लिए नवीनतम तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।
2) भारतीय परिस्थितियों में कृषि तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।
3) कृषि की समस्याओं और तकनीकी के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा फीड बैक करना और आवश्यकतानुसार शिक्षा, अनुसन्धान व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना।
4) राज्य के कृषि विभागों व अन्य अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण एवं संचार के क्षेत्र में सहायता करना।
5) राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार कार्य को प्रोत्साहन देने, नीति निर्धारण तथा कृषि विश्वविधालय, शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन देना है।
6) विश्व भर के विभिन्न देशों से अपने देश के प्रसार संगठन के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रसार में अनुसन्धान को सहायता करना।

9.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)

1963 में प्रसार विभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रसार कार्यों के मूल्यांकन व प्रोत्साहित करने के लिए स्थापना की गयी। 1965 में कृषि मंत्रालय ने "राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना" को आई. सी. ए. आर. के कृषि प्रसार विभाग को स्थानांतरित कर दिया। 1974 में व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना (Operational Research Project), 1974 में कृषि विज्ञानं केंद्र और 1979 में प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना (Lab to Land Project) को आई.सी.ए.आर. ने तकनीकी स्थानांतरण योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया।

राष्ट्रीय प्रदर्शन (National Demonstration)

प्रसार विधियों में प्रदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विख्यात है। इसमें कृषक समुदाय कृषि विधियों, उन्नत यंत्रों, बीजों और फसल सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी की जानकारी प्राप्त करता है। सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा सन 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारम्भ की गई। ये प्रदर्शन विषय- विशेषज्ञों द्वारा लगभग एक एकड़ भूमि पर किया जाता है। इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है। साथ ही साथ लगत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रदर्शन ने 1965 से कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। प्रथम चरण (1965) में अधिक उपज देने वाली फसलों की क्षमता को प्रदर्शित किया। द्वितीय चरण (1967) में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अधिक उपज वाली कई फसलें लेकर उपज बढ़ाना रहा। तीसरे चरण (1969) में सघन रूप से राष्ट्रीय प्रदर्शनों को जिलों में फैलाया। चौथे चरण (1970) में प्रदर्शनी ने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

प्रयोगशाला से खेतों तक (Lab to Land Programme)

यह कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खेती की पैदावार बढ़े और अंतिम रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाये। ग्रामीण परिवार ही इस कार्यक्रम के केंद्र हैं। केवल सीमान्त किसान, बटाई पर बोने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर तथा शिल्पी कारीगर ही इसके अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। यह कार्यक्रम चुने हुए कृषि विश्वविधालयों, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थान, स्वयं सेवी संस्थाएं तथा राज्य के विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ।

मुख्य उद्धेश्य:

1) कृषक परिवारों की पैदवार को बढ़ाना। उन्हें पूरा रोज़गार उपलब्ध कराना तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना।
2) प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के लिए ऐसा तरीका निकालना जिससे वे किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझ सकें तथा यह भी जान सकें कि किसान को नई तकनीकी को अपनाने में कौन सी कठिनाइयाँ हैं।

कार्यक्रम:

1) चुने हुए किसानों के लिए फसलों तथा पशुओं पर आधारित कार्यक्रम/ योजना बनवाना।
2) भूमिहीन मजदूरों के लिए पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि कार्यों में सहायता करना।

3) शिल्पी कारीगरों के लिए कृषि यंत्रों को बनाने तथा उन्हें ठीक करने के काम में प्रशिक्षण द्वारा उनके कौशल को बढ़ाना।
4) ग्रामीण महिलाओं का सम्बंधित कार्यों में प्रशिक्षण द्वारा कौशल बढ़ाना।

व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना (Operational Research project)

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक नयी धारणा बंधी, जिसमें एक क्षेत्र अथवा जलाशय के आधार पर राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करना बेहतर समझा गया और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना 1974 में प्रारंभ की. इस परियोजना में समान दृष्टिकोण रखा गया है, ताकि स्थानीय एजेन्सियों, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य विकास विभागों, कृषि विश्वविधालयों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस परियोजना द्वारा ग्रामीण विकास के सामजिक पहलुओं को प्रौद्योगिकी के पहलुओं से प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ा जा सके।

ये परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों और कृषि विश्वविधालयों द्वारा विस्तार एजेन्सियों के सहयोग से चलायी जाती है।

मुख्य उद्देश्य

1) वैज्ञानिक ढंग से भूमि और जल प्रबंध योजनाओं को शुरू करना, जिनमे किसी क्षेत्र की परिस्थिति की क्षमताओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।
2) जिस कार्य- पद्धति को सुधारने के लिए चुना गया हो, उसकी अस्थिरता और हानि के खतरों को न्यूनतम करना।
3) मिटटी, जल, पौधे, खनिज और मानव श्रम के उपलब्ध साधनों का समाकलित रूप से उपयोग करना।

विशेषताएं:

1) वैज्ञानिकों का किसानों से उनके खेत पर सीधा सम्बन्ध
2) कृषि उत्पादन में समन्वित तकनीकी का उपयोग
3) छोटे क्षेत्रों में बहुफसली कार्यक्रम के विषय में शिक्षित करना
4) स्थानीय साधनों जैसे भूमि, जल, पशु, मनुष्यों तथा पेड़ों का पूर्ण उपयोग

कृषि विज्ञान केंद्र

कृषि विज्ञान केन्द्र एक नवीनतम विज्ञान आधारित संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है। ये किसानों को स्वावलम्बी

बनाने के साथ उनको ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करता है। अगस्त 1973 में डॉ. मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला कृषि विज्ञान केन्द्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुदुच्चेरी (पौण्डीचेरी) में 1974 में स्थापित किया गया था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 18 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई थी। सन 1984 में 44 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये थे। 1 अप्रैल 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक बैठक में 'नेशनल डेमोन्सट्रेशन' (48 जिलों में), 'ऑपरेशनल अनुसंधान कार्यक्रम' (152 केन्द्र) तथा 'लैब टू लैड' को कृषि विज्ञान केन्द्र में समाहित कर दिया गया था। वर्तमान में देश में कुल 731 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र का संगठन एवं प्रबंधन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन में निम्नलिखित संस्थाएं उत्तरदायित्व निभा सकते हैं:

a) कृषि विश्वविधालय
b) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थान
c) ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए विख्यात स्वयं सेवी संगठन
d) विज्ञान और तकनीकी संस्थान
e) राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्र (यदि उपरोक्त संस्थाएं उपलब्ध न हों)

कृषि विज्ञानं केंद्र की स्थापना के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाती है-

1) पहाड़ी क्षेत्र
2) बारानी क्षेत्र
3) वन क्षेत्र
4) तटीय क्षेत्र
5) बाढ़ वाले क्षेत्र तथा
6) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जिसमे लघु कृषकों तथा कृषक मजदूरों की संख्या अधिक हो.

कृषि विज्ञान केन्द्र जिलास्तर पर कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करने में तकनीकी समर्थन और सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसान मेला, किसान गोष्ठी, खेत दिवस आदि सम्पर्क कार्यक्रम

नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र अग्रिम पंक्ति प्रसार के द्वारा किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र की बुनियादी अवधारणायें

कृषि विज्ञान केन्द्र निम्नलिखित तीन बुनियादी अवधारणाओं पर कार्य करता है-

1. कृषि विज्ञान केन्द्र "कार्य अनुभव" के माध्यम से प्रशिक्षण देगा और इस प्रकार इसका सम्बन्ध तकनीकी साक्षरता से होगा, जिसे प्राप्त करने हेतु साक्षर होना अनिवार्य नहीं है।
2. केन्द्र केवल ऐसे विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण देगा जोकि पहले से ही कार्यरत है या अभ्यासरत किसानों और मछुआरों को दूसरे शब्दों में केंद्र उन लोगों की जरूरतों को पूरी करेगा जो की नौकरी पर हैं या स्वयं अपने ही किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं।
3. कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये कोई समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि के विकास के लिए उस क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा।

कृषि विज्ञान केंद्र के सिद्धांत

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

1) कृषि कार्यों को बढ़ावा देना।
2) लोगों को शिक्षण- प्रशिक्षण देते समय 'करके सिखने' के सिद्धांत पर जोर देना अर्थात कम भी और सीखे भी।
3) निर्धन, जरुरतमंदों तथा कमजोर वर्गों के लोगों पर अधिक ध्यान देना।
4) उत्पादक प्रणाली में सामाजिक न्याय से तथा इसकी शुरुआत सबसे कमजोर वर्ग से की जाए। अनुसूचित जाती, जनजाति, लघु कृषक, कृषि मजदुर तथा सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त किसानों को प्राथमिकता दे जाए।
5) कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यक्रम सभी के लिए है।
6) केन्द्रों का क्षेत्र तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या समिति हो. इसमें गुणात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए न की संख्यात्मकता को।
7) प्रशिक्षण का आधार शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं रूचि होनी चाहिये।
8) उपलब्ध संसाधनों, तकनीकों आदि के आधार पर अनुभूत आवश्यकता की पहचान करके तत्पश्चात उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
9) पाठ्यक्रम लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि की दृष्टि से बनाये जाए।

अधिदेश (Mandates)

मूल्यांकन, परिष्करण और निरूपण के माध्यम से प्रौद्योगिक उत्पादों का अंगीकरण ही कृषि विज्ञान केन्द्र का मूल्य अधिदेश है। इस अधिदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये तथा किसानों के उन्नयन एवं विकास हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रत्येक कृषि विज्ञान के द्वारा संचालित की जाती है।

1. कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थानीय विशिष्टता की पहचान करने के लिये विभिन्न खेती प्रणालियों का खेत पर परीक्षण किया जाता है।
2. उत्पादन क्षमता प्रमाणन हेतु किसानों के खेतों पर अग्रवर्ती प्रदर्शन किया जाता है।
3. किसानों और प्रसार कर्मिकों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र की पहल के समर्थन से कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
5. प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे बीज, रोपण सामग्री, जैविक घटकों, नवजात और युवा पशुधन आदि को किसानों को उपलब्ध कराता है तथा उनका उत्पादन भी करवाता है।
6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के तेजी से वितरण और तकनीक के अंगीकरण के लिये जागरूकता पैदा करने हेतु प्रसार गतिविधियों का आयोजन करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य

कृषि विज्ञान केन्द्र खेती किसानी तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रतिपल कार्यरत है। इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1) खेती- बाड़ी करने वाले किसानों, पुरुषों और महिला तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए उनकी तात्कालिक समस्याओं पर परिसर और इसके बहार बाहर दक्षता और उत्पादन सम्बन्धी अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
2) युवा किसानों, विशेष रूप से ऐसे लड़कों जिन्होंने बीच में ही स्कूल की शिक्षा छोड़ दी हो उन लोगों की लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गैर सरकारी स्तर पर अपने ही रोज़गार करने में खेती की आधुनिक प्रणाली के प्रति विश्वास और योग्यता पैदा हो सके।
3) किसानों को अधिक वैज्ञानिक सूचनाएं देकर उन्हें जागरूक बनाने के उद्धेश्य से कृषक दिवस, किसान मेले, रेडियो परिचर्चा, सूचना केंद्र, किसान गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन।
4) सम्बंधित स्थानीय एजेंसियों से मिलकर किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन।
5) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना देने की दशा में आवश्यक अनुवर्ती कदम उठाना।

कृषि विज्ञान केन्द्र, इस प्रकार कृषि शोध में खेत पर प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकों के हस्तान्तरण के साथ जिले में समग्र ग्रामीण विकास के लिये प्रतिबद्ध आधार स्तर पर कार्य करने वाली अग्रणी संस्थान है। कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और हस्तान्तरण प्रमुख हैं। जोकि अनुसंधान संस्थानों और ग्रामीणों के बीच की खाई को पाटने में सहयोग करता है, यह संस्था नई विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि को प्रदर्शन और किसानों, ग्रामीण युवाओं और प्रसार कर्मियों के बीच प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अंगीकृत करने में सहायता प्रदान करती है।

कृषि विज्ञान केन्द्र से किसानों को लाभ

1. **प्रशिक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र किसान भाईयों, बहनों एवं ग्रामीण युवाओं के लिये एक वर्ष में 30-50 आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह केन्द्र की सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है। प्रशिक्षण खास कर उन लोगों के लिये आवश्यक है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है तथा बेरोजगार है। केन्द्र इन लोगों को स्वरोजगार देने के लिये मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देता है और महिलाओं को सशक्त करने के लिये गृह विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण जैसे- सिलाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड़ बनाना आदि दिया जाता है।
2. **खेत पर परीक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र इसके माध्यम से किसानों की प्रमुख समस्या का उपचार करते हैं। कृषि वैज्ञानिक, किसानों को बताते हैं कि कौन सा बीज उत्कृष्ट है और कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तुलनात्मकता को स्थान दिया जाता है। यहाँ किसानों की भागीदारी अध्ययन का एक रूप है।
3. **अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन :** इसके माध्यम से केन्द्र किसानों को नई तकनीक के बारे में बताते हैं जोकि उत्पादन की लागत को कम करने कीट व रोगों को नियंत्रित करने के लिये, पैदावार को बढ़ाने के लिये तथा महिलाओं के परिश्रम को कम करने के लिये, कृषि औजार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग के बारे में बताया जाता है।
4. **अन्य विस्तार गतिविधियाँ :** कृषि विज्ञान केन्द्र अन्य विस्तार गतिविधियों जैसे किसान मेला, प्रक्षेत्र भ्रमण, किसान गोष्ठी, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, साहित्य प्रकाशन, मोबाइल द्वारा वॉइस (Voice) मैसेज आदि द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता तथा कौशल को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिये ज्ञान का केन्द्र है जिसमें किसान प्रशिक्षण खेत पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करता है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को परम्परागत खेती के साथ वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी प्रदान करता है जिसका उपयोग करके किसान अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली है ये किसानों को ऑन-कैम्पस तथा ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण देता है जो उनकी खेती से संबंधित क्षेत्रीय समस्या का समाधान करता है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)

डॉ। एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) ने भारत में 'ग्रामीण विश्वविद्यालयों' की स्थापना की सिफारिश की। 1958 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने अमेरिका के लैंड ग्रांट कॉलेज की शिक्षण पद्धति के आधार पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार की पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया। 1960 में पहले कृषि विश्वविधालय की स्थापना पंतनगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान उत्तराखंड में हुई, जिसमें तीनों प्रकार की गतिविधियों (शिक्षा, अनुसन्धान व प्रसार) को समावेशित किया गया। डॉ. एम.एस. रंधवा (1978) की अध्यक्षता वाली कृषि विश्वविद्यालयों की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद कृषि विश्वविद्यालयों की प्रसार भूमिका प्रस्तुत की गई। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) ने आई.सी.ए.आर. प्रायोजित विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देने के अलावा किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए कई अभिनव विस्तार मॉडल विकसित किए हैं। एस.ए.यू. द्वारा किए गए विस्तार गतिविधियों का प्रकार राज्य से भिन्न होता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास में प्रमुख सहभागी हैं।

ये कृषि विश्वविद्यालय राज्य में कृषि से संबंधित सूचना के अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। वे उत्पाद बढाने, कृषि में डिग्री एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने एवं स्थानीय कृषि संस्थाओं द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेकर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न कृषि जलवायु जोनों की स्थिति विशिष्ट समस्याओं के निपटाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम करते हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की नियमित एवं अनिवर्य रूप से समीक्षा की जाती है एवं कृषि,

पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है।

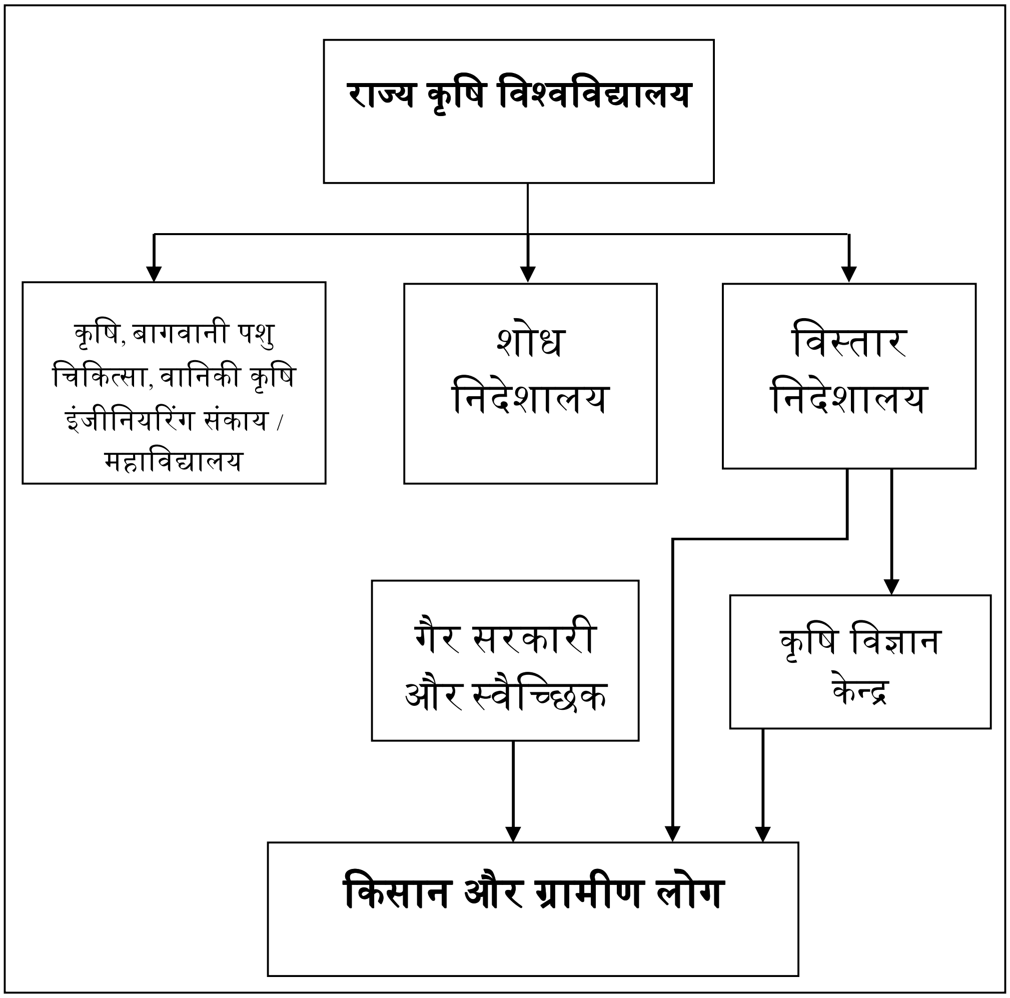

राज्य कृषि विश्वविद्यालय विस्तार प्रणाली

अभ्यास प्रश्न १

1. जोड़े मिलाएं

परियोजना	**संचालन वर्ष**

अ	व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	**1**	1979
ब	राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	**2**	1972
क	प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	**3**	1965
ड	पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	**4**	1974

2 रिक्त स्थान भरिये

I) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ______स्तरीय प्रशासनिक संगठन बनाया गया.

II) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना सन _________ में हुई

9.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और अन्य नीतियों से संबंधित विस्तार कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका

ग्रामीण विकास को हमेशा कृषि विकास के साथ जोड़ा गया और यह मान लिया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जाएगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के एक दशक बाद वैचारिक परिवर्तन हुआ। अधिक अन्न उपजाओ जाँच समिति 1952 ने केवल कृषि या कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन आदि को ही नहीं अपितु इसके साथ-साथ ग्रामीणों के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना इसी सिफारिश के तहत शुरू किए गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 से 120 गाँवों का एक ब्लॉक योजना और समन्वित ग्राम विकास की मूल इकाई बना दिया गया। इसमें कृषि और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, संचार, अनुपूरक रोजगार आदि भी शामिल किए गए और स्वावलम्बन तथा आम आदमी की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। राज्यों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी ब्लॉक विकास अधिकारी की है। उसकी मदद के लिए अलग-अलग विभागों के तकनीकी अधिकारी और ग्राम सेवक-सेविकाएँ होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला स्तर पर भी संगठन बनाए गए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों और मानव संसाधनों का भरपूर विकास करना तथा स्थानीय नेतृत्व और स्वशासित संस्थान विकसित करना ताकि ग्रामीण लोग

अपने बलबूते पर अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी रही। इसके परिणामस्वरूप देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयार हो गई।

1970 के दशक के शुरू में सरकार के स्तर पर यह महसूस कर लिया गया था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रामीण लोगों की अन्य सामाजिक- आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिर से शुरू करने के बजाय नई योजनाएँ शुरू कर दी गई। इनमें यूनिसेफ की मदद से व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खंडों में ग्रामीणों के पोषण-स्तर को सुधारना और स्वास्थ्य-सम्बन्धी देखभाल, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना था। इनके अलावा जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए आय सम्बन्धी असमानता दूर करने का सामाजिक उद्देश्य हासिल करना और ग्रामीण समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाना था।

9.6 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)

समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनश्चित करना तथा इस कार्य के लिए ऐसे अधिक से अधिक संगठनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई. यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें और उन्हें सशक्त कर सके.

9.6.1 उद्देश्य

1) स्वैच्छिक प्रयासों की भावना को और सुदृढ़ करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथपरिवर्तन के वाहक की भूमिका निभाए।
2) महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करने के लिए संचालन-तंत्रबनाए।
3) समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशील प्रोफेशनलों का संवर्ग तैयार करे।

4) नए उभरते क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं पर केंद्रित नीतिगत पहल की सिफारिश करे।
5) अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना और महिलाओं से संबंधित योजनाओं का दायरा बढ़ाना।
6) सामाजिक जांचकर्ता के रूप में अपनीअनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) की भूमिका को औरसुदृढ़ करना तथा स्वैच्छिक क्षेत्र को मार्गदर्शन देना ताकि उसकी अपेक्षित सरकारी राशि तक पहुंच कायम हो सके।
7) परिवर्तनशील समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता लाना, जहां महिलाओं और बच्चों की खुशहाली पर प्रौद्योगिकी और पेशे का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

9.6.2 कार्य

जुलाई 1960 में किये गए मूल्यांकन के आधार पर समिति के कार्य में कई नए आयाम जोड़े गए. 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु ‘परिवार व शिशु कल्याण सेवाएं’ का आयोजन किया गया. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य निम्नांकित है।

1. स्वयं सेवी संगठनों की आवश्यकताओं एवं मांगों का सर्वेक्षण करना।
2. अयोग्य संस्थानों एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहयता प्रदान करना।
3. महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना.
4. **कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था-** बड़े-बड़े शहरों, महानगरों आदि में जहाँ कामकाजी महिलाएं अधिक हैं तथा आवास सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहां समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है।
5. **अनुपूरक पोषण कार्यक्रम-** शिशु कल्याण हेतु सन 1970 में समिति द्वारा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु की पोषण-न्यूनता-जन्य-बीमारियों से रक्षा करना है। इसके लिए बोर्ड द्वारा तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है।
6. **शिशुगृह/ पालनाघर (Creche)-** महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों तथा पारिवारिक आय में योगदान करने की आवश्यकता में वृद्धी के कारण अधिकाधिक महिलाएं रोज़गार के लिए घर से बाहर जाती है। सयुंक्त परिवार के टूटने तथा एकल परिवारों की संख्या में वृद्धी के कारण महिलाओं को कामकाज पर जाने के समय अपने छोटे बच्चों की गुणवत्ता देखभाल

की आवश्यकता होती है। इस को ध्यान में रखते हुए सन 1977 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालनघर की व्यवस्था गई।

7. **परिवार परामर्श केंद्र-** वर्तमान समय में परिवार के लोगों में बीच आपस में कई मनमुटाव हैं जिनके कारण परिवार टूट रहे है. परिवार परामर्श केन्द्रों द्वारा परिवार या समाज में अत्याचारों की शिकार एवं अन्य सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक विवादों और कलह से ग्रस्त महिलाओं को परामर्श, सहयता और पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती है।

8. **शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम-** यह योजना उन शहरी महिलाओं के लिए चलायी गई जिनकी आर्थिक आय कम है. इस योजना के अंतर्गत उन निम्न माध्यम वर्गीय महिलाओं हेतु रोजगार मुहैया कराना ताकि वे धन आर्जित कर अपने परिवार की आय में वृदि करके उन्हें खुशहाल बना सके।

9. **महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष **1958** में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना प्रारम्भ की गयी. इसका उद्देश्य उन व्यस्क लड़कियों/ महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना है जो शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकीं या जिन्होंने स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हो। योजना का लक्ष्य **15** वर्ष से अधिक आयु के लड़कियों/ महिलाओं को पढाई- लिखाई के अवसर प्रदान करना तथा हुनर-विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता में विस्तार करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ महिलाओं में आत्म-विश्वास जगाना है ताकि वे सशक्त और समर्थ हो सकें।

10. **ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं की स्थिति, अधिकार और समस्याओं से सम्बंधित मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना कार्यक्रम चलाता है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के जरूरतों का पता लगाना, परिवार और समुदाय में निर्णय-प्रक्रिया में उनकी सक्रीय भागीदारी बढ़ाना। इनमे महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार सहित विकास के मुद्दे शामिल है।

11. **महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह-** इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण एवं पुनर्वास सेवा प्रदान करना है, जो पारिवारिक कलह के कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, भावनात्मक अशांति, मानसिक समस्याओं, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण का शिकार हों, या जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए विवश किया गया हो। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए छह महीने से तीन वर्ष तक अस्थायी आश्रय और अन्य सेवाएँ/ सुविधाएँ

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य: एक नजर मे

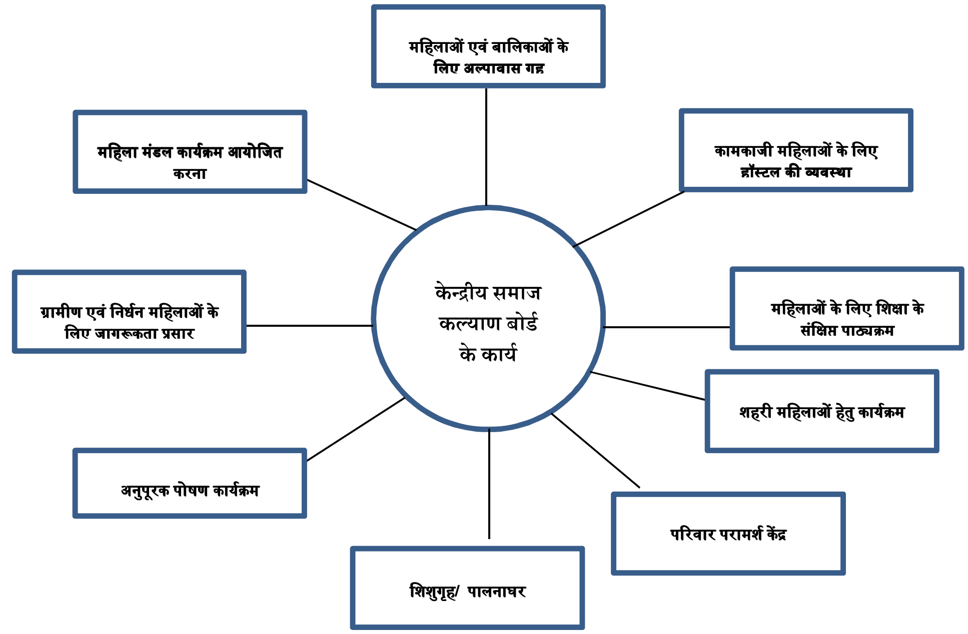

9.7 पंचायती राज प्रणाली

प्रदान की जाती हैं, जैसे (१) मामले की पड़ताल एवं परामर्श सेवाएं, (२) स्वास्थ्य रक्षा एवं मानशिक चिकित्सा उपचार, (३) व्यवसाय सम्बन्धी सहायता, हुनर विकास हेतु प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएँ एवं (४) शिक्षा, व्यवसाय एवं मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियाँ

पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। 'पंचायती राज में पंचायती से आशय है पंच का फैसला तथा राज से तात्पर्य है शासन, अर्थात् पंचों का शासन ही पंचायती राज्य कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत के राजनैतिक प्रणाली के रूप में पंचायती राज को महत्वपूर्ण बताया है। यह सरकार के विकेन्द्रीकरण का ही एक रूप है जिसमें प्रत्येक गॉव अपने उत्थान के लिए स्वत: ही प्रयत्नशील रहता है। इसी दृष्टि को ग्राम स्वराज्य कहा गया है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गॉव का राज (गॉव का अपना राज)।

भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गयी। 1950-

60 के दशक में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत तीन लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना की है -

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर जिला परिषद

वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में त्रिस्तरीय प्रणाली, 5 राज्यों में द्विस्तरीय प्रणाली तथा 8 राज्यों में एक स्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड ही अब तक पंचायती राज शासन से वंचित हैं।

भारत में, पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया है। इस दिन भारतीय संविधान की 73 वॉ संशोधित धारा लागू किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। इस धारा का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों के 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान) तक किया गया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली उन सभी राज्यों में कार्य कर रही है जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन या उससे भी अधिक है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत का चुनाव होता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित है।

9.7.1 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली

पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक गाँव को मिलाकर जिनकी आबादी 1000 हो बनायी जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गॉव के सभी व्यस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन निर्वाचित सदस्यों में एक तिहाई सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

आय

ग्राम पंचायत की सरकारी सहायता के अलावा कुछ स्थानीय जगहों से आय प्राप्त होती है, जैसे पशुबाड़ा, तालाब, पोखर, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि।

कार्य

1. गॉव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनकी उन्नति हेतु विकास कार्यक्रम बनाना।
2. गॉव की मुख्य व्यवस्था जैसे - कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे आदि से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना।
4. गॉव को शहर से कच्ची-पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करना।
5. स्वस्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तालाब, कुऑं, बाबड़ी, हैंडपम्प, नलकूप आदि का निर्माण करना।
6. पुराने तालाबों, पोखरों की साफ-सफाई करना।
7. देहाती मेलों, बाजारों, साप्ताहिक हाटों से प्रसार कार्यकर्ताओं तथा सरकार के परिवार नियोजन कार्य में सहयोग देना।

प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत

1. प्रधान, पंचायत सचिव के कार्यों, व्यवहारों तथा चरित्र का विवरण देना।
2. प्रधान, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
3. ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
4. प्रधान पंचायत के कर्मचारियों को दंडित कर सकता है, मगर उसे सेवा से नहीं हटा सकता।

विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति

पंचायत समिति, पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की दूसरी संस्था है। यह संस्था सामुदायिक विकास खण्ड की एक चुनी गई परिषद हैं जो गाँवों के तहसील या तालुका के लिए कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्य मध्यस्थ की तरह भी कार्य करता है। विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अनेक तरह के विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में इसे ‘मण्डल प्रजा परिषद, आसाम में ‘आंचलिक पंचायत, मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, उत्तर प्रदेश में इसे ‘क्षेत्र पंचायत तथा पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत कहते हैं।

खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। क्षेत्र के पंचायत समिति का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में 2000 की जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मतदान द्वारा जनता करती है। क्षेत्र के एम.पी. तथा एम.एल.ए. भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्य भी होते हैं।

पंचायत समिति का चुनाव प्रायः ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा किया जाता हैं तथा सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्य गॉव का सर्वांगीण विकास करना हैं। इस कार्य को विकास खण्ड अधिकारी एवं प्रसार कर्ताओं द्वारा कार्यान्वित करते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यक्रमों की देख-रेख, समुचित साधनों का प्रबन्ध करना तकनीकी ज्ञान प्रदान करना आदि पंचायत समिति के प्रमुख कार्य हैं। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आवागमन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना पंचायत समिति की विशेषता है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। चेयरमैन अथवा प्रखंड प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। किन्हीं-किन्हीं पंचायत समिति में डिप्टी चेयरमैन भी होता है।

विभाग- पंचायत समिति में निम्न विभाग होते हैं -

1. सामान्य प्रशासन
2. वित्त विभाग
3. जन कार्य विभाग
4. कृषि
5. स्वास्थ्य
6. शिक्षा
7. समाज कल्याण

प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी होता है। प्रशासन का प्रमुख तथा समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है।

कार्य

1. कृषि के विकास हेतु योजनाएं चलाना।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
3. पीने के पानी की व्यवस्था करना।
4. नालियों का निर्माण करना। सड़क निर्माण कार्य करना
5. लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना।
6. सहकारी समितियॉं चलाना।
7. युवा संगठनों की स्थापना करना।
8. तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना।
9. ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना।
10. आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना।

जिला स्तर पर जिला परिषद

जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया जाता है। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम एवं उच्चतम संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। प्रायः सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत कहते हैं। जिला पंचायत के गठन के लिए 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है।

जिला परिषद में पंचायत समिति से चुने हुए प्रतिनिधि व पंचायत समिति के प्रमुख सदस्य होते है जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का वित्त प्रबन्धन मुख्यतः राज्य सरकारों के अनुदान तथा कुछ स्थानीय स्तर पर कर लगाने से होता हैं। जिला परिषद के मुख्यतः पंचायत समितियों के कार्यों व आय- व्यय की देख-रेख, पंचायत समिति के बजट की स्वीकृति राज्य सरकार को विकास कार्यक्रमों पर सुझाव देना तथा सरकार के विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराना आदि प्रमुख कार्य होते हैं।

कार्य

1. ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं एवं सुविधायें प्रदान करना।
2. किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। कृषि के नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों तथा पुस्तकालयों की स्थापना करवाना तथा इसे चलाना।
4. गॉवों में अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाना। संक्रामक रोग फैलने पर वैक्सीन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा इन्हें क्रियान्वित करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए होटल की व्यवस्था करना।
6. लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
7. सड़क, पुल तथा अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करना। क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पार्क एवं अन्य जन सुविधाओं की मरम्मत करना।
8. युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना।

आय के स्त्रोत

1. बाजार, तीर्थस्थल, जल आदि पर कर लगाना।
2. जिला परिषद् द्वारा पास किये गये कार्यो से कुछ राशि उपलब्ध करवाना।
3. राज्य सरकार से सहायता मिलना।
4. जमीन से कुछ राशि रेवेन्यू के रूप में प्राप्त करना।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

1. लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को ....राज्य के................................ जिले में की गयी।
2. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण ____________________मंत्रालय के अधीन होता है।
3. पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत .... पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है।

9.8 सारांश

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासनिक संगठन पांच स्तरीय बनाया गया हैं। केन्द्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र, राष्ट्रीय प्रदर्शन, प्रयोगशाला से खेतों तक, 3 व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानो तक नवीतम जानकारी पहुंचने के लिए कार्यरत है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिये ज्ञान का केन्द्र है जिसमें किसान प्रशिक्षण खेत पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करते है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए कई अभिनव विस्तार मॉडल विकसित किए हैं। वे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं। कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है। ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयार की गयी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जो विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कर सके। पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अन्तगत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

9.9 पारिभाषिक शब्दावली

कृषि विज्ञान केन्द्र: विज्ञान आधारित संस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड: यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है।

9.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1 जोड़े मिलाएं

परियोजना	**(संचालन वर्ष)**
व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	(1972)
राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	(1965)
प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	(1979)
पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	(1974)

2 रिक्त स्थान भरिये

i पाच

ii 1929

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

I) राजस्थान राज्य के नागौर जिले

II) ग्राम पंचायत

III) केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय

IV) ग्राम पंचायत

9.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1) डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
2) डॉ जीतेंद्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा

9.12 सहायक पाठ्य सामग्री

http://www.cswb.gov.in/
http://www.panchayat.gov.in/home

9.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) द्वारा संचालित विस्तार प्रणाली का विस्तृत विवरण दीजिये।
2. पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का वर्णन कीजिए।

इकाई 10 : ग्रामीण विकास कार्यक्रम

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 ग्रामीण विकास की संकल्पना
10.4 आजादी से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम
10.5 आजादी के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम
10.6 आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम
10.7 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका व कार्यक्रम
10.8 सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका
10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
10.10 सारांश
10.11 निबंधात्मक प्रश्न
10.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.1 प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल तथा दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, जहाँ पर गाँव अपनी अहम भूमिका निभाता है। देश की लगभग 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है(2011 की जनगणना के अनुसार) । इसलिए यह आवश्यक है कि गाँवों का भी समग्र विकास हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वालों को भी शहरी लोगों के समान सुख सुविधा मिले। महात्मा गांधी ने कहा था ''अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो, सबसे पहले हमें गाँवों का विकास करना होगा। आज विश्व के अनेक देश ग्रामीण विकास पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारत के सन्दर्भ में यह भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तथा अभी भी कई गाँव पिछड़ेपन का शिकार हैं, जहाँ आधारभूत सुविधाएं भी नही हैं। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा गांवों में भी गरीबी, बेरोजगारी भुखमरी, और अपर्याप्त संसाधन हैं। अतः ग्रामीण विकास जिसका सम्बन्ध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तथा न्यूनतम बुनियादी जरूरतों के साथ एक बेहतर जीवन स्तर से है, वहां पर यह अति आवश्यक हो जाता है। यह आवश्यक है कि हम व सरकार मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दें, जैसे वहाँ नई तकनीकी का प्रचार करें, महिला सषक्तिकरण पर जोर दें, कृषि सुधार कार्यक्रम बनाये, रोजगार के उत्तम साधन व संसाधन जोड़ें तभी हम भारत का विकास देख पायेंगे, और एक बेहतर कल की कल्पना कर पायेंगे।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सभी विद्यार्थी निम्नलिखित बिन्दुओं को समझने में सक्षम हो जायेंगेः

- आजादी से पूर्व विभिन्न समुदायों द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु प्रयास।
- सामुदायिक विकास की भूमिका और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम, कृषि और क्षेत्र विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।
- शासन निकायों द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और स्वैच्छिक संगठन।
- समुदाय और उसके योगदान के निर्माण में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका।

10.3 ग्रामीण विकास की संकल्पना

भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और 69 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गाँवों में रहती है। ग्रामीण लोगों की मुख्य आजीविका का साधन कृषि है और ग्रामीण आबादी में काफी हद तक छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर व कारीगर रहते हैं। ज्यादातर किसान पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम सुचारू रूप से किये जायें जो इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाये, सामाजिक रूप से इन्हें मबजूत बनाये तथा राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं ;

- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढावा दें, वहीं के संसाधनों का उपयोग करके।
- समाजिक और आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा एक स्थानीय संतुलन बनाये रखना।
- रिस्थितिकी पर्यावरण में सुधार लाना, जिससे हरियाली व खुशी बनी रहे।
- समुदाय भागीदारी में लोगों को जोड़ना तथा सभी का मिलकर विकास करना।

10.4 आजादी से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारत जैसे विशाल देश में हमने यह पाया कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने- अपने क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किये । इन प्रसार के कार्यक्रमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

- पहला चरण - आजादी से पूर्व कार्यक्रम (1866-1947)

- दूसरा चरण - आजादी के बाद कार्यक्रम (1947-1953)

आजादी से पूर्व के ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1. बंगाल के सुंदरवन में ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना (1903)

1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सुन्दरवन क्षेत्र में एक मॉडल गाँव बनाने की योजना शुरू की थी, जो कि सहकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने इस प्रकार एक गाँव बनाया जहाँ सहकारी ऋण सोसायटी का निर्माण किया, जिसने 1916 से अपना काम शुरू कर दिया।1924 में उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक और सहकारी विपणन सोसायटी का आयोजन किया और 1934 में एक ग्रामीण पुन:निर्माण संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीणों को लघु उद्देश्य व सहायक उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. गुड़गाँव परियोजना (1920)

श्री एम0 एल0 ब्राइन ने गुड़गाँव प्रयोग वर्ष 1920 में शुरू किया, जो कि उस समय गुड़गाँव जिले (पंजाब) में कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने इस परियोजना को ग्रामीण उत्थान के लिए शुरू किया था, जिससे यह गुड़गाँव परियोजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे। (1) फसल उत्पादन में वृद्धि करना (2) अतिरिक्त व्यय को नियन्त्रित करना (3) स्वास्थ्य में सुधार लाना (4) महिलाओं में शिक्षा की भावना को विकसित करना (5) घर का विकास करना।

3. श्रीनिकेतन परियोजना (1920)

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में श्री रवीन्द्र ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना। रवीन्द्र टैगोर ने सोचा अगर कुछ गाँवों का विकास किया जाए तो, दूसरे गाँव अपने आप प्रोत्साहित होंगे, और इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम सभी जगह फैल जाएगा और इस तरह से पूरे देश में ग्रामीण आबादी आत्मनिर्भरता व आत्म-सम्मान के साथ अपना काम करेगी।

4. सेवा ग्राम (1920)

महात्मा गांधी ने वर्धा में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया। सेवा ग्राम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हो रहे दमन को रोकना और उनके बीच देश भक्ति की भावना को पैदा करना और उनमें इस बात को डालना कि ये देश उनका है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गांधीजी ने यह कार्यक्रम चलाया जो कि गांधी रचनात्मक परियोजना से प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे (1) खादी के कपड़े का उपयोग करना (2) गांवों में स्वच्छता कार्यक्रमों की शुरूवात व बढ़ावा (3) गाँवों में स्वास्थ्य कार्यक्रम में ध्यान देना (4) महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रम (5)

आर्थिक मदद कार्यक्रम (6) पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम (7) प्राथमिक और व्यस्क शैक्षिक कार्यक्रम (8) गरीब लोगों की स्थिति में सुधार के कार्यक्रम।

5. मारथंडम(Marthandam)परियोजना (1928)

मारथंडम परियोजना ''युवा वर्ग के क्रिश्चिन एसोसिएशन के (YMCA) के नेतृत्व में 1928 में डॉ स्पेंसर हैच द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण लोगों का आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण विकास करना तथा उनको एक बेहतर जीवन देना था।

6. फिरका (Firka) विकास योजना (1946)

फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी। यह योजना 1946 में 34 फिरका में शुरू की गई, फिर 1950 में 50 और फिरका जोड़ी गई और 1952 में 29 और। इस योजना के कई लघु उद्देश्य थे जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास करना तथा एक संस्थागत फ्रेम में विभिन्न सुविधाओं का गठन करना जैसे, जल आपूर्ति, संचार, स्वच्छता से संबधित परियोजना, और पंचायत तथा सहकारी समितियों का गठन।

7.अधिक मात्रा में भोजन उगाना अभियान (Grow more food campaign (1942) - यह अभियान 1942 में शुरू किया गया था तथा आजादी के उपरान्त भी यह अभियान जारी रहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भोजन की जो कमी हो गई थी उस को पूरा करना ताकि सब को अन्न मिल सके। यह पहला अभियान था जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था। जिसमें किसानों को नये बीज ओर रासायनिक उर्वरक वितरित किये गये।

ये कुछ परियोजनाएं व कार्यक्रम थे जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना था ताकि सबको बेहतर जीवन मिल सके। आइये आगे चलते हैं तथा उन कार्यक्रमों के बारे में पढ़ते हैं जो आजादी के बाद चलाये गये।

10.5 आजादी के बाद ग्रामीण विकास के कार्यक्रम (1947-1953)

1. इटावा परियोजना (1947-48)

अमेरिकी इंजीनियर अल्बर्ट मेयर ने 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की थी और उसे शुरू करने व कार्यान्वयन करने में उसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसी को आधार मानकर भारत में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ हुआ। यह कार्यक्रम निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था जैसे-स्वयं की मदद करना, स्वयं सहायता, लोकतन्त्र, एकीकृत दृष्टिकोण के सिद्धान्त पर आधारित कठोर योजना और यथार्थवादी लक्ष्य, संस्थागत दृष्टिकोण, सरकारी

व गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग, प्रसार कार्यों व आपूर्ति एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय तथा तकनीकी और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सहयोग।

2. निलोखोरी प्रयोग (1948)

श्री एस0 के0 डे0 जो को निलोखोरी प्रयोग के संस्थापक थे, जहाँ पर 7000 व्यक्तियों को विस्थापित किया जो पाकिस्तान से आये थे, और बाद में इन लोगों को 100 गांवों में बसाया गया जिसने बाद में एक ग्रामीण शहरी बस्ती का रूप ले लिया। यह बस्तियां 1948 में निलोखोरी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के पास थी। इस योजना को मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सिद्धान्त था; "जो काम नही करेगा, वह खाना भी नही खाएगा"। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मुख्य गतिविधियाँ चलाई जा रही थी वे इस प्रकार थी: केन्द्र सहकारी तर्ज पर व्यवसायिक प्रशिक्षण, और कॉलोनी की अपनी डेयरी मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, प्रिंटिंग प्रेस, इंजीनियर कार्यशालाएँ, चमड़े का कारखाना और हड्डी भोजन कारखाना था। लोगों को उनके मन के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो इन उद्यमों को चला सके।

3. सामुदायिक विकास परियोजना (1952)

खाद्य जांच समिति की रिपोर्ट और इटावा परियोजना के सफल अनुभव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए 15 पायलट परियोजनाओं का शुभारंभ 1952 में चयनित राज्यों में हुआ जिसके लिए वित्तीय सहायत अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त हुई। किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद प्रदान करने और उनका समग्र आर्थिक विकास करने के अलावा इन परियोजनाओं का मुख्य कार्य प्रसार कार्यकताओं को जमीनी रूप में प्रशिक्षण देना भी था। इस नये कार्यक्रम को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ एक संचालन समझौता किया। इस समझौते के अंर्तगत 2 अक्टूबर 1952 को 53 सामुदायिक विकास परियोजनाएं तीन साल के लिए देश के विभिन्न भागों में शुरू की गयीं। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 25,260 गाँवों व 6.4 लाख आबादी को सम्मिलित किया गया। परियोजना को तीन विकास खंड़ों में विभाजित किया गया और प्रत्येक विकास खंड में 100 गाँवों को चिन्हित किया गया तथा 60,000 से 70,000 आबादी शामिल की गई। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे - उनके स्वयं के प्रयास से हर संभव कृषि उत्पादन करना, हर संभव बेरोजगारी की समस्या से निपटना, गाँव में संचार व्यवस्था को सुधारना, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना, आवास में सुधार, स्वदेशी, हस्तशिल्प व छोटे स्तर के उद्योगों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बढ़ाना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों का चौतरफा सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन करना था।

4.राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। इस योजना को प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आवश्यक बुनियादी कर्मचारी व पर्याप्त धन इकट्ठा करना था ताकि लोग विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं सहायता के आधार पर शुरू कर सकें। इस सेवा की परिचालन इकाई एक N.E.S ब्लॉक था, जिसमें 100 गाँव तथा लोगों की कुल आबादी 60,000 70,000 थी।

7.4.1 ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम

अभी तक हमने जाना कि आजादी से पूर्व व बाद के विकास के कार्यक्रमों की भूमिका अब हम मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे जिनमें प्रमुख है रोजगार संबधित कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण, गाँवों के सम्पूर्ण विकास हेतु कार्यक्रम, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाये गये कार्यक्रम, कृषि संस्थान से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि। आईये अब हम इनकी चर्चा विस्तार से करें।

1.गहन कृषि क्षेत्रिय कार्यक्रम (Intensive Agricultural Programme) (1964)

तीसरी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पर इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि का गहन तरीके से विकास होना चाहिये। इस तरीके से देश का 20-25 % भूमि को गहन कृषि कार्यो के विकास में लगाना चाहिये। यह कार्यक्रम मार्च,1964 में वास्तव में रूपरेखा में आया तथा इसमें पैकेज दृष्टिकोण का पालन भी किया गया।

2. काम के बदले अनाज कार्यक्रम (Food for work programme) (F.W.P)

यह कार्यक्रम सरकार द्वारा 1977 में लाया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों व अल्पसंख्यकों को रोजगार देना था और उनको जो भत्ता दिया जाए वह खाद्य सामग्री जैसे, अनाज के रूप में हो। इसके मुख्य कार्य निम्न थे; जैसे बाढ़ से रक्षा करना, सड़कों का सही ढंग से रख-रखाव करना, नई सड़कों का निर्माण करना, सिंचाई के उन्नत तरीकों को अपनाना, विद्यालयों के लिए भवन का निर्माण करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा पंचायत घर का निर्माण करना आदि।

3.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme (NREP)

यह कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तारित रूप है जहाँ पर और अधिक रोजगार के मौकों पर ध्यान दिया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को अधिक अनाज मिल सके। यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1980 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम विशेषकर उन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो केवल दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है और उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह भी पाया गया कि पंचायती राज संस्थान इस कार्यक्रम को चलाने में सक्रिय रूप से लिप्त थे।

4.ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को प्रारम्भ किया गया, इसके उद्देश्य निम्न थे:

क) रोजगार के मौकों को बढावा देना तथा उनमें सुधार करना ग्रामीणों के लिए जो भूमिहीन है। इस कार्यक्रम में हर परिवार से एक सदस्य को जो भूमिहीन हो, को गारंटी के साथ 100 दिन का रोजगार देना।

(ख) बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ संपत्ति को बनाना जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

5.ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

पीने का स्वच्छ पानी जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन (NDWM) जो कि एक प्रौद्योगिकी मिशन था, 1986 में स्थापित हुआ। 1991 में इसका नाम परिवर्तित करके 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' (RGNWM) किया गया जिसके तीन मुख्य उद्देश्य थेः

(1) सभी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

(2) सुरक्षित पीने के पानी के स्त्रोतों को अच्छी हालत में रखने के लिए स्थानीय समुदायों की सहायता करना।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पानी की आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान देना।

6.एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)

भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1978 में शुरू किया गया और पूरे भारत में इसका विस्तार वर्ष 1980 तक हुआ। यह गरीबों के बीच लक्षित समूहों की आय-उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इन लक्षित समूहों में ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण कारीगर होते हैं। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को उपयुक्त आय सृजन के स्त्रोत देना जिसमें रियात/छूट तथा ऋण का समावेश हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को उपर उठाना ताकि उनका भी विकास हो सके। सन् 1999 में इस योजना का विलय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0 जी0 एस0 वाइ0) में हो गया था।

ग्रामीण आबादी की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखते हुए आई0 आर0 डी0 पी0 के उप कार्यक्रम चलाये गये थे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (TRYSEM), ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं व बच्चों का विकास, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना (जी के वाई) तथा मिलिनियम वैल स्कीम।

7. स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रषिक्षण (ट्राइसिम)

ट्राइसिम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवा जो कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित थे उन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करना तथा उनके परंपरागत कौशल को बढ़ावा देना था। इसमें एक बात और प्रमुख थी कि ग्रामीण युवाओं को स्व- रोजगार के लिए प्रेरित करना जिससे कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपना रोजगार खोल सकें, जिसके लिए आई आर डी पी उन्हें मदद करता था। यह निर्धारित किया गया कि 50 प्रतिशत ग्रामीण युवा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए तथा कुल लाभार्थियों में से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

8. ग्रामीण महिलाओं व बच्चों का विकास (DWACRA) : यह योजना 1982-83 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के समूहों की रचना के माध्यम से गरीब महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। इसकी मुख्य रणनीति के अंतर्गत ऐसे कार्य किये गए जिससे महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों एवं वे अपना रोजगार खोलें, कौशल को बढ़ाएं तथा प्रशिषण, ऋण एवं अन्य सेवाएं प्राप्त कर अपने समूह में काम कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें।

9. 20 सूत्री कार्यक्रम

20- सूची कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने सन् 1975 में शुरू किया और बाद में 1982 और 1986 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया था। नई नीतियों व कार्यक्रमों के साथ इसे अन्त में 2006 में पुर्नगठित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना और गरीबों व विशेषाधिकार प्राप्त जनसंख्या के जीवन में सुधार लाना था। यह कार्यक्रम कई सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को शामिल करता है जैसे- गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि व भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण आदि।

10. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA)

डी. आर. डी. ए. पारंपरिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूल कार्यक्रमों के कार्यन्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रमुख अंग रहा है। वास्तव में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसे माध्यम के रूप में बनाया गया था। 1 अप्रैल 1999 से एक अलग डी. आर. डी. ए. प्रशासन प्रशासनिक लागत की देखभाल करने के लिए शुरू किया गया है।

11. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य कार्य सतत कृषि व न्यायसंगत कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना, प्रभावी ऋण सहायता के माध्यम से संबधित सेवाओं, संस्थागत विकास और अन्य अभिनव पहलुओं को बढ़ावा देना था।

12. एकीकृत बाल विकास योजना (आई0 ई0 सी0 डी0 एस0)

भारत सरकार द्वारा 1975 को आई0 सी0 डी0 एस0 योजना शुरू की गयी जिसमें मुख्य है स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुपूरक भोजन, और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना माताओं व 6 वर्श तक के षिषुओं को ताकी उनके स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। यह सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आगनबाड़ी केन्द्रों व सीमावर्ती कार्यकर्ताओं के साथ प्रदान की जाती है। कुपोशण और खराब सेहत से लड़ने के अलावा, कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है लिंग असमानता का मुकाबला करना ताकी लड़कियों को भी लड़कों के बराबार संसाधन उपलब्ध हो सके।

13. जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगारों के लिये सार्थक रोजगार के अवसरों को पैदा करना था जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। 1 अप्रैल 1999 को जवाहर रोजगार योजना का जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुर्नोत्थान किया गया। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के अवसर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बुनियादी ढॉचे का निर्माण करना भी था। 25 सितम्बर 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कर दिया गया।

14. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम (आई आर डी पी) और उसके संबद्ध कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने के बाद 1 अप्रैल 1999 में अस्तित्व में आयी। एस. जी. एस. वाई का मूल उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों की आय के साधनों को बढ़ावा देना था। जिसके लिये अन्हें बैंक से ऋण व सरकार से सब्सिडी/छूट की गयी जिससे वे गरीबी रेखा से उपर उठ सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की क्षमता व उनके क्षेत्र की क्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना की गयी।

15. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. बी. आर. वाई.)

यह नया कार्यक्रम 25 सितम्बर 2001 में शुरू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी तथा रोजगार प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा देना, टिकाऊ समुदाय का निर्माण करना तथा सामाजिक व आर्थिक बुनियादी ढॉचे का विकास करना आदि है।

16. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी. एम. जी. एस. वाई.)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जो 25 दिसम्बर 2000 में शुरू की गयी थी। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना व सड़क

संपर्कता उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम में यह प्रावधान रखा गया कि पहाड़ी, जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रह रहे लोग जिनकी आबादी 250 तक हो तथा शहरों में बस्तियों में रह रहे लोग जिनकी संख्या 500 हो, सभी को अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाय।

17. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

प्राधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के नाम से जानी जाती थी, भारत सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गयी एक योजना थी जिसके द्वारा ग्रामीण परिवारों को रहने के लिए आवास दिया जा सके। इंदिरा आवास योजना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गयी था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख चिन्हित कार्यक्रमों में से एक थी। इस योजना का मुख्य कार्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए आवास बनाना था। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में रूपये 70,000/- की वित्तीय सहायता राशि तथा दुर्गम क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु रूपया 75,000/- की राशि प्रदान की जाती है। आवास मुख्यत: घर की महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त रूप से पति- पत्नी के बीच आवंटित होते हैं।

18.कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी (ए.टी.एम.ए.)

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिले में कृषि विकास के लिए हितधारकों (Stock holders) द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह एजेंसी क्षेत्र स्तर पर अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों को एकीकृत करने और कृषि प्रसार प्रणाली को विकेन्द्रीकरण करने का मुख्य बिन्दु है। जिला स्तर पर नई तकनीकी को बढ़ावा देने का काम व जिम्मेदारी इसी एजेंसी की है। यह सभी विभागों, अनुसंधानों संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और जिले में कृषि विकास से जुड़ी ऐजेसियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। जिससे बेहतर तरीके से तकनीकि प्रसार के काम हो सके।

19.ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा) (Providing Urban Amenities to Rural Areas) PURA

सन् 2004 से भारत में केन्द्र सरकार कई राज्यों में पूरा कार्यक्रम चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं और आजीविका के अवसर प्रदान करना है जिससे की ग्रामीण परिवारों का पलायन शहरों की तरफ कम हो सके। इस योजना में शहरी सुविधाओं और सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लाए जाने का प्रस्ताव दिया गया जिससे शहरों के बाहर भी आर्थिक विकास हो सके। गाँवों से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए सड़कों का निर्माण, आसान बातचीत के लिए संचार प्रणाली की सुविधा और शिक्षा के लिए व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों की स्थापना आदि इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन सब के होने से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

20. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो उस काम को कर सकते है जिसमें ज्यादा कौशल की जरूरत ना हो। इस योजना की शुरुवात 2 फरवरी 2006 को कुछ जिलों में की गयी और 2008 तक यह भारत के सभी जिलों में सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। मनरेगा के अन्य उद्देश्य भी हैं उदाहरणार्थ टिकाऊ संपत्ति जैसे सड़कों, नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण करना। इसमें रोजगार आवेदक के घर के 5 किमी. के दायरे में दिया जाता है और उनको न्यूनतम भत्ता दिया जाता है। मनरेगा केवल ग्राम पंचायतों द्वारा ही लागू किया जाता है। ग्रामीण सम्पत्ति का निर्माण तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा मनरेगा पर्यावरण को बचाने का कार्य करता है, महिलाओं को सशक्त करता है तथा ग्रामीण-शहरी पलायन को भी कम करता है।

21. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याओं एवं जरूरतों को सम्मिलित किया जाता है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गयी। आरम्भ में इस योजना को केवल सात साल (2005-2012) के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा में केन्द्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन के अन्य कार्य भी हैं जैसे मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थितीकरण, लिंग व जनसंख्यिकीय संतुलन को बनाये रखना आदि। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मजबूत बनाया जा रहा है।

22. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

गरीबी उन्मूलन के लिये जमीनी स्तर पर मजबूत सस्थाओं का निर्माण करना इस मिशन का उद्देश्य है। ये संस्थान गरीब परिवारों को स्व-रोजगार व कौशल आधारित रोजगार के मौके प्रदान करते हैं जिससे गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हो तथा वे सक्षम हो जाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के बाद जून 2011 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मिशन में इस बात पर जोर दिया गया कि गरीबों को अपना रोजगार चलाने के लिए एक लाख रूपये तक का संस्थागत ऋण दिया जाए तथा आजीविका के नये तरीकों पर ध्यान दिया जाए।

आईये आगे बढने से पहले इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. सही मिलान करें।

(क)	(ख)
a) गुड़गाँव परियोजना	(1) एस0के0डे0
b) श्रीनीकेतन परियोजना	(2) अल्बर्ट मेयर
c) सेवा ग्राम	(3) 1952
d) फिरका विकास योजना	(4) महात्मा गांधी
e) इटावा परियोजयना	(5) 1953
f) निलोखेरी प्रयोग	(6) मद्रास सरकार
g) राष्ट्रीय प्रसार सेवा	(7) रवीन्द्र नाथ टैगोर
h) सामुदायिक विकास परियोजना	(8) एम0एल0 ब्राइन

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष...................... में शुरू हुआ था।

2. महिलाओं व शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य संबधित योजना का नाम ....है।

3. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन् ....में की गई।

4. ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने हेतु कियान्वित योजना का नाम......................है।

5. ....योजना के तहत ग्रामीण परिवार के सदस्य को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करता है।

6. ग्रामीण स्वास्थ्य हेतु ....कार्यक्रम की शुरूवात वर्ष...........में की गई।

10.6 आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम

अभी तक हमने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में जाना, जिनका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, रोजगार के तरीकों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सक्षम बनाना है। अब हम कुछ दूसरे संस्थानों के बारे चर्चा करेंगे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र और राज्य के कृषि विश्वविद्यालय। आइये अब इनकी भूमिका को समझें। भारत में कुल 101 आई0 सी0 ए0 आर0 संस्थान तथा 71 कृषि विश्व विद्यालय हैं। कृषि विश्व विद्यालय मुख्यतया शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार की गतिविधियों में लगे हुए है। आई सी0 ए0 आर0 ने किसानों, युवाओं व ग्रामीण महिलाओं के विकास लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। आईए इनके बारे में जानें।

1. **कृषि विज्ञान केन्द्र (K.V.K.)**

मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिशों पर 1974 में विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये। जिनका प्रमुख उद्देश्य किसानों तथा प्रसार कार्यक्रताओं को नई विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रर्दशन करना, किसानों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार समस्याओं के समाधान बताना, किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं से परामर्श लेना और उनकी बात को अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिकों तक पहुचाना जिससे कि प्रौद्यौगिकी में संशोधन हो सके तथा ग्रामीणों को नये विषयों पर प्रशिक्षण देना था।

2. **प्रषिक्षण और यात्रा (टी एण्ड वी) प्रणाली**

टी एण्ड वी प्रणाली भारत में सन् 1974 में शुरू की गई थी। जिसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से देश में कृषि प्रसार प्रणाली का सर्वांगीण विकास करना, किसानों व प्रसार कार्यकर्ता के प्रशिक्षण तथा तकनीकी हस्तान्तरण पर विषेश रूप से ध्यान देना जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके आदि आते हैं।

3. **राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना (एन डी पी)**

राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना देश की सबसे पुरानी और सबसे पहली तकनीकी हस्तान्तरण परियोजना थी जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सन् 1965 में लागू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों का प्रयोग करना, उच्च उपज उत्पादन पर जोर देना और ग्रामीणों व प्रसार कार्यक्रताओं को प्रभावित करना था।

4. **आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट (ओर0 आर0 पी0)**

ओ0 आर0 पी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सन् 1975 में शुरू किया गया था। ओ0 आर0 पी0 का मूल उद्देश्य किसानों व प्रसार कार्यकर्ताओं को नई नई तकनीकों का प्रदर्शन करना था जिससे की समुदाय की भागीदारी बड़ी मात्रा में हो सके।

5. **प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम (LLP) (Lab to land programme)**

इस कार्यक्रम की नींव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सन् 1979 में रखी। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : छोटे व सीमांत किसानों तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विषेशकर पिछड़ी जाति में कृषि विश्व विद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा बनाई गयी नई तकनीकों का हस्तांतरण करना जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

6. **कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र** ( )

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र ( ) 26 अगस्त 2001 को स्थापित किया गया जो कि एकल खिड़की वितरण प्रणाली (Single window delivery System) पर काम करता है जहाँ पर सभी किसान एक ही जगह से कृषि संबंधित सभी जानकारी तथा इससे सम्बंधित अपनी सभी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: किसानों को तकनीकी जानकारी जैसे, बीज से संबंधित

रोपण सामग्री, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक उपलब्ध करना, कृषि से सम्बंधित साहित्य उपलब्ध कराना, बागवानी, सब्जियों, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन पर जानकारी देना आदि।

7. राज्य कृषि प्रबन्ध और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ( )

राज्य कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान एक स्वायत्त राज्य स्तरीय संस्थान है जो 25 अगस्त 2005 को स्थापित हुआ था। जिसका प्रमुख लक्ष्य किसानों को विभिन्न विषयों जैसे कृषि तकनीकी , प्रबंधन, लिंग, प्रसार के नये आयामों और सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम देना है। इसके अलावा कार्याशालाएं और समीक्षाएं भी करवाता है।

8. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP)

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना 30 जून 1998 को भारतीय अनुसंधान परिषद् तथा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। जिसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से मौजूदा कृषि संसाधनों को मजबूत करना और कृषि में नये आयाम व तकनीकि का विकास करना था।

9. राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना

राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना सन् 2006 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा शुरू की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि का विकास करना है जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि कार्यों में नयी तकनीकों का समावेश किया गया था जिसके लिए सार्वजनिक संगठनों के साथ साझेदारी की गई तथा इसमें किसानों के समूहों को, निजी क्षेत्र व अन्य हितकरों को भी शामिल किया गया।

आइये आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को हल करने प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. सही विकल्प का चुनाव करें।

1. कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना वर्ष.............................में हुई थी।

(क) 1980 (ख) 1970 (ग) 1974 (घ) 1982

2. आईसीएआर के स्वर्ण जयंती वर्ष में किस कार्यक्रम की शुरूवात हुई थी?

(क) प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम

(ख) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र

(ग) राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना

(घ) राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना

3. एकल खिड़की वितरण प्रणाली, किसके अन्तर्गत आती है।

(क) प्रशिक्षण और यात्रा

(ख) राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना

(ग) आपरेशनल रिसर्च परियोजना

(घ) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र

4.राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना वर्ष...................में....................के सहयोग से शुरू की गई थी।

अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा राज्य कृषि विश्व विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों व किसानों की उन्नति में अपना योगदान निभाते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिका है और कैसे वह इसमें अपना योगदान देते हैं।

10.7 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका व कार्यक्रम

अतीत में देखें तो हम पायेंगे कि भारत में होने वाली विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में स्थानीय संगठनों ने अग्रिम भूमिका निभाई। इन सामाजिक संगठनों ने स्वेच्छा से अपने क्षेत्र के विकास में तथा महिलाओं के हित में कई उन्नत कार्य किये। हम कह सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठनों को आम तौर पर स्वायत्त, गैर लाभ संगठनों या नागरिकों के समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिनका मुख्य कार्य समाज में विभिन्न समस्याओं व नुकसान को सुधारना है। इस बात को भी देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों ने ग्रामीण विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब ग्रामीण परिवार व सामाजिक रूप से दलित वर्ग मुख्य रूप से इन संगठनों पर निर्भर है क्योंकि ये ग्रामीणों की समस्याओं को ठीक प्रकार से सुनते हैं तथा सक्रियता से उनका निदान भी करते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है जिसमें माइक्रोफाइनेंस संगठनों ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इन संगठनों ने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया ताकि ग्रामीण उपेक्षित महिलाएं व निम्न तबके की महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और वे स्वावलंबी हों सकें तथा स्वरोजगार को अपना सकें। स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकास की पहल कर रहे हैं, जैसे ग्रामीणों के लिए सूचना संचार के माध्यमों का विस्तार करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, जहां पर ग्रामीण अपने बनाये समान को बेच सकें, उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना तथा क्रेडिट/ ऋण की सुविधा प्रदान करना जिससे उन्हें अपना रोजगार खोलने में परेशानी ना हो। इसके अलावा ये संगठन ग्रामीणों को नई योजनाओं से सम्बंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे उन्हें अपने विकास कार्यक्रम

को चलाने में मदद मिल सके। इन सबके अलावा स्वैच्छिक संगठन विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रबन्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठन निम्न भूमिका निभा रहे हैं;

- सरकार के द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीणों के लिए कार्यक्रमों में उनको सहयोग देना जिससे बेहतर परिणाम मिल सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके।
- ग्रामीण स्तर पर लोगों को सुनने व समझने में मदद कर सकें।
- समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें।
- ग्रामीणों को समझाएं कैसे वे अपने पारम्परिक संसाधनों, मानव संसाधनों, ग्रामीण कौशल और स्थानीय ज्ञान का उपयोग स्वयं के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- जमीनी स्तर पर कार्यकताओं व स्वयंसेवियों से प्रशिक्षण देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों को जुटाना ताकि समुदाय में लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
- जिन क्षेत्रों में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व रोजगारपरक कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पर उन सरकारी कार्यकताओं का साथ देना।
- ग्रामीणों को प्रेरित करें कि वे सीमित संसाधनों व अपने आस-पास के संसाधनों का प्रयोग अधिक करे और ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक भागीदारी में अपना योगदान दें।

अभी आपने ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के सम्बन्ध में पढ़ा। आईये अब हम कुछ कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पढ़ते हैं जो स्वैच्छिक संगठनों की पहल से बने हैं।

1. बायेफ (BAIF)

बायेफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना स्व0 डा0 मनीभाई देसाई द्वारा सन् 1967 में एक गैर लाभ पब्लिक ट्रस्ट के रूप में हुई थी। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत में स्थायी रूप में आजीविका को बढावा देना है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, अच्छा स्वास्थ्य, लिंग समानता, कम बाल मृत्युदर, उच्च साक्षरता, उच्च नैतिक मूल्यों व स्वच्छ वातावरण को बढाना आदि आते हैं। इसके अलावा बायेफ का मिशन में ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना (विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लिए) उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, पर्यावरण को समृद्ध बनाना, अच्छे मानवीय मूल्यों का समावेश करना और ये सब प्राप्त करने के लिए विकास अनुसंधान करना, उपयुक्त तकनीक का प्रसार करना और समुदाय के लोगों की कौशल क्षमता को बढाना आदि आते हैं।

2.लोगों की उन्नति और ग्रामीण प्रौद्यौगिकी के लिए परिषद् (CARPAT)

कपार्ट का संगठन सितंबर 1986 में हुआ, जिसका मुख्य कार्य या स्वैच्छिक संस्थाओं को सहयोग व उनके लिए धन की व्यवस्थता करना। कर्पाट का मुख्य जनादेश है स्वैच्छिक कार्यों को बढावा देना तथा ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए उचित ग्रामीण तकनीकि का प्रसार करना। अपने स्थापना से आजा तक कर्पाट स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व गरीबी उन्मूलन की दिषा में सरकार के प्रयासों का साथ दे रहा है।

3. स्वयं कार्यरत महिला संघ (सेवा) (Self employed women's Association) (SEWA)

सेवा एक सदस्यता-आधारित श्रमिक महिलाओं का संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सेवा विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए संगठित करता है और उन्हें सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए अपने सामूहिक संघर्श के लिए सहायता प्रदान करता है महिलाओं की यह पहली में 130 सहकारी समितियां, 181 ग्रामीण उत्पादक समूहों तथा सामाजिक सुरक्षा संगठनों को शामिल किया गया। सेवा की महत्वपूर्ण गतिविधियों के अंर्तगत स्वरोजगारी महिलाओं को संगठित करना, उनकी सामूहिक शक्ति या यूनियन सहभागिता तथा नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना आदि आता है। इन सभी संगठनों से हमने सीखा की स्वैच्छिक संगठनों का हमारे ग्रामीण विकास में कितना योगदान है। इसलिए हम सभी को भी प्रयास करना चाहिये हम भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद करें।

10.8 सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका

गृह विज्ञान जिंदगी के सभी पहलुओं पर काम करता है तथा गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक का प्रसार करना, लोगों के कौशल को बढाना जिससे की उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। गृह विज्ञान प्रसार का किसी भी समुदाय के विकास में अत्यन्त योगदान है। सभी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य लोगों की आम जरूरतों जैसे अच्छा भोजन, कपड़े,पर्याप्त आवास, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, शिक्षा, मनोरंजन और रोजगार की अपार संभावनाएं आदि का ध्यान रखना है। वैश्वीकरण के युग में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक। गृह विज्ञान प्रसार लोगों की इन समस्याओं को कम करने तथा एक बेहतर जीवन बनाने का प्रयास करता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कृषि उत्पादों में बढ़ोत्तरी के लिए उन्नत तकनीकों का प्रचार करना भी है जैसे: उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना आदि, जिससे उनकी घर व खेतों की स्थिति में सुधार हो सके। इसके अलावा किसानों को बागवानी, रेशम उत्पादन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि के विकास हेतु नयी वैज्ञानिक विधियों के सम्बन्ध में बताना। गृह विज्ञान प्रसार के अन्य कार्य भी हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennimum Development Goals) से सम्बन्धित हैं जैसे गरीबी उन्मूलन व महिलाओं का सशक्तिकरण, एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना

तथा पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना आदि। गृह विज्ञान प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने का प्रयास भी करता है ताकि लोगों का पलायन रुक सके। इसके लिए सरकार की नई नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है तथा उन्हें इन सभी सुविधाओं व योजनाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य ग्रामीणों को सामुदायिक विकास के बारे में बताना है कि सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें उनके सीमित संसाधनों को कैसे एकत्रित करना है तथा उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए आदि। प्रसार शिक्षा ने हमारे समाज में महिलाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है जिससे वे अपनी ताकत को पहचान सकें। इसके अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढाया है तथा उन्हें यह भी बताया कि कैसे वे स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं। कृषि विश्व विद्यालयों में प्रसार शिक्षा की एक अहम भूमिका होती है। जहां पर प्रसार कार्यकर्ता लोगों को नवीन विचारों, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हैं और फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त करते हैं जिससे उनमें संभावित सुधार किया जा सके।

अतः हम कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार का महत्वपूर्ण योगदान है।

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. सही मिलान कीजिए।

a) – 8
b) – 7
c) – 4
d) – 6
e) – 2
f) – 1
g) – 5
h) – 3

प्रश्न 2. रिक्त स्थान भरिये।

1. 1978
2. ग्रामीण महिलाओं व बच्चों का विकास
3. 1982
4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. सही चुनाव कीजिए।

1. 1974
2. (क) प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम
3. (घ) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र
4. 1998, भारतीय अनुसंधान परिषद् तथा विश्व बैंक

10.10 सारांश

हमने इस इकाई में इस बात पर चर्चा की कि कैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए काम किया तथा उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जिससे की ग्रामीण व शहरी असमानता कम हो सके। आजादी से पहले व बाद में ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू हुए पर सफल न हो सके क्योंकि वो एक क्षेत्र तक सीमित थे, इसलिए भारत सरकार ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें कृषि का विकास, किसानों का विकास, महिलाओं व बच्चों का विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार संबधित योजनाएं आदि शामिल हैं। भारत सरकार के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् व राज्य के कृषि विश्व विद्यालयों ने भी कई परियोजनाएं चलाई है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अलावा स्वैच्छिक संगठनों ने भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है तथा ग्रामीण विकास में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है जिससे की समग्र विकास हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि सब लोग मिलकर प्रयास व सहयोग करें तो ग्रामीणों का संपूर्ण विकास हो सकता है तथा प्रतिदिन हो रहे पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी को रोका जा सकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि भारत सरकार जिन कार्यक्रमों को चला रही है उन कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं तथा उस कार्यक्रम में कहीं किसी संशोधन या बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है आदि।

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त नोट लिखिए तथा उनका ग्रामीण विकास में महत्व बताइये।
2. आजादी से पूर्व व बाद में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर किये गये प्रयासों को बताइये।
3. भारत सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए।

4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् व राज्य कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करें।

5. गृह विज्ञान प्रसार कैसे सामुदायिक विकास के लिए उत्तदायी है, संक्षेप में बताइये।

6. स्वैच्छिक संगठनों का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है, इस पर चर्चा करें।

10.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4 धामा , ओ0 पी0 (1997) प्रसार और ग्रामीण विकासराम प्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल

5 धामा ओ0 पी0, भटनागर, ओ0 पी0 (1985) विकास हेतु प्रसार एवं प्रचार ओक्सफोड और आई0बी0एच0 प्रकाशन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वतीय प्रकाशन

6 एटिलेस, जे0एच0औ ड्यूबेंच, जी0ई0(जून2014) परिवार और उपभोक्ता विज्ञान और विविध दुनिया में सहकारी प्रसार जनरल ऑफ एक्सटेशन 52(3). www.joe.org

7 श्रीनाथ के0 (20 नवम्बर 2002) प्रसार शिक्षा संकल्पना और द्रृष्टिकोण विनर स्कूल ऑन एडवांस इन हारवेस्ट टेक्नोलॉजी, कोचीन।

8 बाबू, एस0 ग्लेन्डनींग, सी0जे0 और ओकीरी के0 ए0 (दिसम्बर 2010) रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इण्डिया आई0 एफ0पी0आर0आई0चर्चा पत्र 01048

9 साह, ए0के0 (2002) प्रसारशिक्षा भारतीय युवायोंकी आकांक्षाओं को तीसरे आयाम की जरूरत कमल राज, जरनल ऑफ सोशियल सांइस 6(3):309-214 (2002)

इकाई11: सतत विकास के लिए कार्यक्रम

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 सतत विकास
11.4 सतत विकास लक्ष्य
11.5 सतत विकास के लिए कार्यक्रम
11.6 सारांश
11.7 पारिभाषिक शब्दावली
11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
11.10 सहायक पाठ्य सामग्री
11.11 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

आज विकास के नाम पर दुनिया भर के देशों में प्रतिस्पर्धा है। बढ़ती मानव आबादी और परिणामस्वरूप खपत प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालती है। जिस तरह से, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, इसका परिणाम यह हो सकता है कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सतत विकास की अवधारणा को भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की बचत के मद्देनजर विकसित किया गया था।

सतत विकास मानव विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित सिद्धांत है, जबकि उसी समय में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखना आवश्यक है, जिस पर अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करते हैं। वांछित परिणाम समाज की एक ऐसी स्थिति है जहां प्राकृतिक परिस्थितियों की अखंडता और स्थिरता को कम किए बिना रहने की स्थिति और संसाधन का उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करना जारी रखता है। सतत विकास में आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करके एक स्वस्थ समुदाय को विकसित करने और प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक, एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है, जबकि प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के अधिभार से बचा जाता है। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार निरंतर चलता रहता है।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंत तक, आप निम्न कार्य कर सकेंगे:

- स्थायी विकास और यह सामुदायिक विकास पर कैसे लागू होता है इस पर चर्चा करें ।
- सतत विकास के महत्वपूर्ण तत्वों, जरूरतों, उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन करें।
- देश में सतत विकास के लिए किए गए प्रचारों को पहचानें।
- सतत विकास लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें और देश के विकास में लक्ष्यों की भूमिका को समझें।

इकाई शुरू करते हैं

11.3 सतत विकास

11.3.1 सतत विकास क्या है?

सतत विकास कई आयामों और कई व्याख्याओं के साथ एक गतिशील अवधारणा है।

सतत विकास को परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो स्थानीय संदर्भों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर अत्यधिक निर्भर है। (यूनेस्को, 2005-2014)

1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने सतत विकास को "विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, सतत विकास के रूप में परिभाषित किया है "।

नायक और कानूनगो, 1993 ने इसे एक अवधारणा के रूप में देखा, जो व्यापक राजनीतिक आम सहमति को जुटा सकता है, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करना चाहिए। यह सामाजिक और आर्थिक प्रगति की एक व्यापक अवधारणा है।

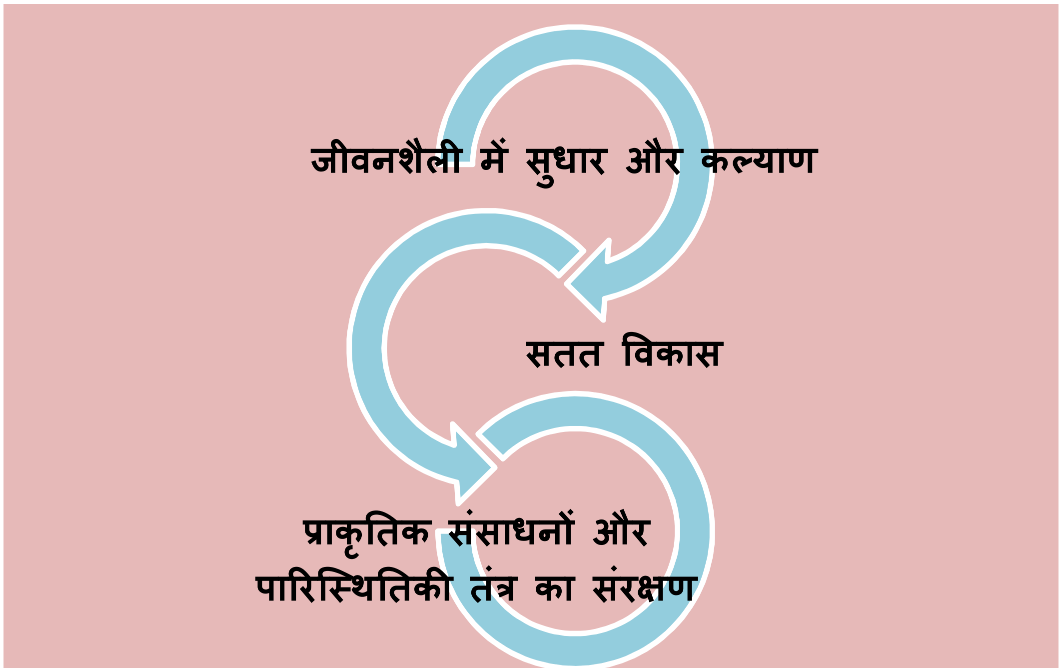

सतत विकास इसलिए है:
एक वैचारिक ढाँचा: प्रमुख विश्व दृष्टिकोण को एक में बदलने का एक तरीका जो अधिक समग्र और संतुलित है;
एक प्रक्रिया: एकीकरण के सिद्धांतों को लागू करने का एक तरीका - अंतरिक्ष और समय के पार - सभी निर्णयों के लिए; तथा
एक अंतिम लक्ष्य: संसाधन की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक बहिष्कार, गरीबी, बेरोजगारी, आदि की विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उन्हें ठीक करना।

स्थिरता पर पिछले संवादों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कम या ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन स्थिरता के नए प्रतिमान के रूप में, लोगों और ग्रह के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य की दिशा में सभी प्रयास शामिल हैं। पिछले ढांचे से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान अब तीन तत्वों का एक "सामंजस्य" है: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण

संरक्षण। यूएन ने कहा है। "अपने सभी रूपों और आयामों में गरीबी का उन्मूलन सतत विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है,"

दुनिया की सरकारों ने 2030 तक हमारी दुनिया को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर सहमति व्यक्त की है, सतत विकास लक्ष्यों को अपनाते हुए, जिसका उद्देश्य कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है और सभी को विकास के प्रयासों का लाभ मिलता है। एजेंडा 2030 गुंजाइश और महत्व में अभूतपूर्व है।

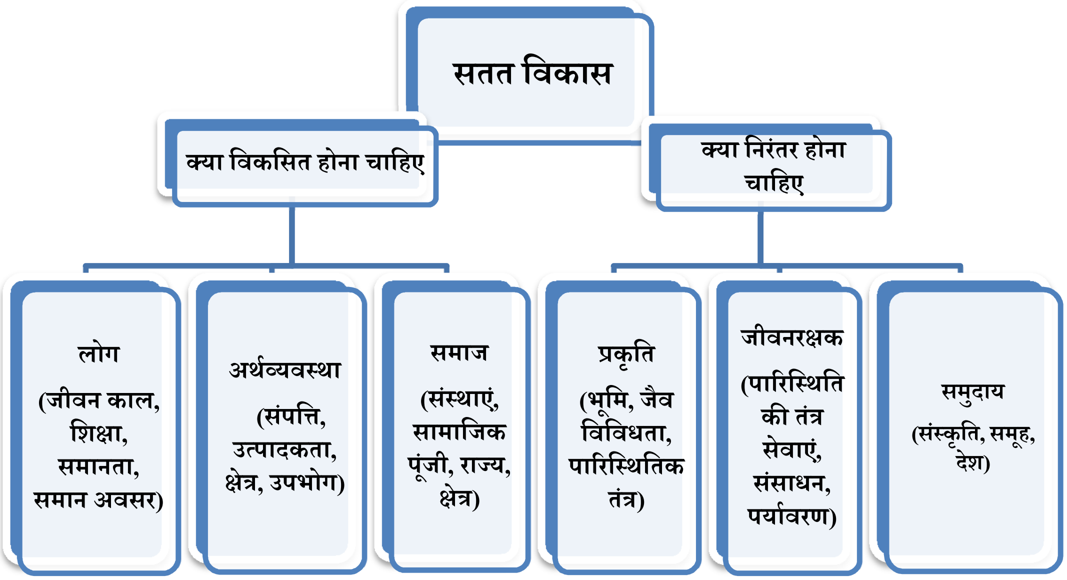

(स्रोत: अमेरिकी राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, नीति प्रभाग, सतत विकास पर बोर्ड)

सतत विकास को विकास के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भावी पीढ़ियों को कम से कम वर्तमान पीढ़ियों के समान रहने की अनुमति देता है।

स्थायी शब्द का विकास वर्ल्ड कमिशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ग्रो हार्लेम ब्रुन्डलैंड की अध्यक्षता में रिपोर्ट "हमारा साँझा भविष्य" 1987 लंदन में किया गया था।

11.3.2 सतत विकास की अवधारणा:

1. सतत विकास लोगों के लिए संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग करने का एक तरीका है ताकि संसाधनों उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे।
2. इसके लिए नवीकरणीय संसाधनों के बढ़ते स्टॉक की आवश्यकता है।
3. अक्षय संसाधनों को स्थायी आधार पर निकाला जाना चाहिए।

4. गैर-नवीकरणीय संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किया जाना चाहिए।

5. पर्यावरण प्रदूषण से बचना चाहिए।

11.3.3 सतत विकास अवधारणा का विकास

सतत विकास की अवधारणा के विकास में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (डब्ल्यूसीईडी) की रिपोर्ट ऐतिहासिक घटना थी।

हमारे साझा भविष्य एवं पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) या रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के रूप में इसे आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। पिछले घटनाओं के परिणाम पर निर्माण करने, मुद्दों को स्पष्ट करने और प्रारंभिक प्रक्रिया के बीच कई गतिविधियाँ:

(UN ने UNCED का प्रभावी अनुसरण सुनिश्चित करने और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थ समिट के समझौतों के कार्यान्वयन पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए दिसंबर 1992 में सतत विकास (CSD) पर आयोग की स्थापना की।

जून 1997 को आयोजित महासभा (रियो + 5) के विशेष सत्र ने एजेंडा 21 के आगे कार्यान्वयन के साथ-साथ 1997- 2002 के लिए सीएसडी के कार्यक्षेत्र के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया।

दिसंबर 1997 में अपनाई गये क्योटो प्रोटोकॉल और पिछले वर्षो में आयोजित पार्टियों सी.ओ.पी. के सम्मेलनों ने वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं के स्पष्टीकरण और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को लागू करने से संबंधित कुछ प्रगति की है।

11.3.4 सतत विकास के तत्व:

सतत विकास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तीन तत्व शामिल हैं: पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं तीन Ps यानी प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। तीनों, किसी विशेष क्रम में संतुलित नहीं हैं ताकि एक दूसरे को नष्ट न करें।

- **आर्थिक:** एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रणाली सरकार और बाहरी ऋण के प्रबंधनीय स्तर को बनाए रखने और नुकसान का कारण बनने वाले चरम क्षेत्रीय असंतुलन से बचने के लिए निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए।
- **पर्यावरण:** एक स्थायी पर्यावरणीय प्रणाली को एक स्थायी संसाधन आधार बनाए रखना चाहिए, जो अक्षय संसाधनों और गैर-नवीकरणीय संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचता है ताकि निवेश एक उपयुक्त विकल्प बन जाए।

• **सामाजिक:** एक स्थायी सामाजिक प्रणाली को वितरण की समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं के प्रावधान, लिंग समानता और राजनीतिक और भागीदारी जिम्मेदारियों को प्राप्त करना चाहिए। **(हैरिस, 2000)**

सभी तीन कारक परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर-व्यापक और परस्पर-निर्भर हैं। चौथा कारक यानी सांस्कृतिक विविधता प्रकृति के लिए जैव विविधता जितनी जरूरी है। सतत विकास को केवल आर्थिक विकास के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि एक अधिक संतोषजनक बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करने के साधन के रूप में भी समझा जा सकता है।

11.3.5 सतत विकास की आवश्यकता

- प्राकृतिक संसाधनों का भंडार और पर्यावरण की गुणवत्ता सभी पीढ़ियों के लिए समान विरासत हैं।
- आज के विकसित देशों द्वारा सभी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग।
- विकास की लागत के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का रिक्तीकरण और पर्यावरण का पतन
- पर्यावरण की गुणवत्ता वर्तमान पीढ़ी के आर्थिक कल्याण को निर्धारित करती है।

11.3.6 सतत विकास के उद्देश्य

ब्रिटिश सरकार ने सतत विकास के चार उद्देश्यों को मान्यता दी है। इसमें शामिल है

1) सामाजिक प्रगति

2) पर्यावरण संरक्षण

3) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और

4) स्थिर आर्थिक विकास

यह प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके प्राप्त किया जा सकता है।

(स्रोत: sustainable-environement.org.uk)

11.3.7 सतत विकास के सिद्धांत

विश्व और मानवता के लिए निम्नलिखित स्थायी विकास के सिद्धांत हैं:

1. **समग्र विकास:** विकास की योजना बनाते समय सभी जैविक और अजैविक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए। इसका समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए।

2. **पर्यावरण की सीमा के भीतर विकास:** विभिन्न पर्यावरण-प्रणालियों के बीच संतुलन प्राकृतिक घटकों के उपयोग, खराब वायुमंडलीय संरचना, किसी भी घटक के शोषण और इतने पर के रूप में केवल निश्चित मात्रा में दबाव का विरोध कर सकता है। इस प्रकार, प्राकृतिक साधनों के दोहन के लिए जाने से पहले, पर्यावरण के घटक कारकों के बीच में संरचना और अंतर्संबंध के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

3. **सामाजिक-सांस्कृतिक और पारंपरिक-ज्ञान आधार के भीतर विकास:** वैज्ञानिक क्रांति के युग में, सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और पारंपरिक ज्ञान की दुनिया को यह कहकर इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह दिनांकित हो गया क्योंकि ये तर्कहीन हैं। अब सवाल यह है कि इनोवेटर्स ने इनोवेशन को आधार क्यों बनाया? क्या ये तर्कहीन थे। तथाकथित वैज्ञानिक नवाचारों ने विभिन्न खतरों का निर्माण क्यों किया है?

4. **जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि:** न केवल मानव जीवन बल्कि अन्य जीवित स्थूल और सूक्ष्मजीवों का जीवन है क्योंकि वे पर्यावरण की संतुलित वृद्धि के लिए अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करते हैं।

5. सामूहिकता को बढ़ावा देना: तीसरी दुनिया के देशों में जहां काम करने वाले हाथों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है, स्वचालन से बहुत प्रभावित होते हैं और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों के उपयोग से इतनी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार विकास की रणनीतियों को तथ्यों की गणना करनी चाहिए और सभी के लिए काम को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए।

6. भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं: विकास आगामी पीढ़ी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यहां निष्पक्ष हिस्सेदारी और देखभाल व्यवहार में लाने की जरूरत है। संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में होने वाले सभी लाभों और लागतों को समान रूप से गरीब और समृद्ध, चिंतित और गैर-संबंधित और विभिन्न उपसमूहों और समुदायों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सिद्धांत हमें सामाजिक रूप से लाभ और लागतों के समान वितरण की ओर ले जाता है।

7. वैश्विक विविधता: विभिन्न जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने के पैमाने को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विविधता को बचाने और बनाए रखने के लिए संरक्षण आधारित विकास को जानबूझकर कार्रवाई में शामिल करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

8. अपने आसपास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी और सशक्तिकरण: विकास में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय नीति और जरूरतों के आधार पर: सभी विकासात्मक प्रयास राष्ट्रीय नीतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

10. कम से कम ऊर्जा और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग: विकास हेतु कम से कम ऊर्जा का उपभोग करना चाहिए और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

मानव केवल एक सीमित पारिस्थितिक सीमा के भीतर ही जीवित रह सकता है और इसलिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य में गिरावट निश्चित रूप से तबाही का कारण बनेगा, जिससे अब तक मानव चिंतित है। बसु (1995) का मानना है कि व्यावहारिक स्थिरता के आधार पर दो मुद्दे हैं:

1. प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना है, ताकि प्रत्येक परिवर्तन प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा की खपत हो, इसलिए न केवल उत्पादन प्रणाली बल्कि जीवन यापन की पद्धति को भी संशोधित करना होगा।

2. प्रत्येक मनुष्य को कम ऊर्जा खपत के आधार पर आचार संहिता को स्वीकार करना होगा।

अभ्यास प्रश्न 1

सही और गलत

1. स्थायी विकास शब्द का गठन विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा किया गया था।
2. सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ी के लिए आर्थिक और सामाजिक गिरावट में परिणाम होने पर भी पर्यावरणीय स्थिरता प्रदान करता है।
3. प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है।

11.4 सतत विकास लक्ष्य

2012 में, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की दिशा में चर्चा करने के लिए लक्ष्यों का एक समूह विकसित करने के लिए चर्चा हुई; वे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से विकसित हुये, जो वैश्विक गरीबी को कम करने में सफलता का दावा करते हुए स्वीकार करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) अंततः 17 वस्तुओं की एक सूची के साथ आया, जिसमें अन्य चीजें शामिल थीं:

1) गरीबी से मुक्तता

2) शून्य भूख

3) लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण

4) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

5) लैंगिक समानता

6) स्वच्छ पानी और स्वच्छता

7) सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

8) सम्माननीय कार्य और आर्थिक विकास

9) उद्योग, नवाचार, और बुनियादी ढाँचा

10) असमानताओं को कम करना

11) स्थायी शहर और समुदाय

12) जिम्मेदार खपत और उत्पादन

१३) जलवायु क्रिया

१४) पानी के नीचे जीवन

१५) ज़मीन पर जीवन

16) शांति, न्याय और मजबूत संस्थान

17) लक्ष्यों के लिए साझेदारी

11.5 सतत विकास के लिए कार्यक्रम

भारत के कई विकास लक्ष्यों को स्थायी विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। हमारी सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कई कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक बजट आवंटन के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम:

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:** एक महत्वपूर्ण गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम में सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कृषि बुनियादी ढांचे, उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमशीलता-आधारित आजीविका के अवसरों को विकसित करने में मदद करता है।
2. **प्रधान मंत्री जन-धन योजना:** इस लक्ष्य के लिए प्रासंगिक एक और पहल प्रधान मंत्री जन-धन योजना है, जो 2014 में बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा और पेंशन सहित वित्तीय सेवाओं के पूरे अनुदान तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।
3. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के स्व-रोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को SHG (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। 1999 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के पुनर्गठन के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने ग्रामीण गरीबों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की शुरुआत की। एसजीएसवाई को अब एनआरएलएम बनाने के लिए फिर से तैयार किया गया है जिससे एसजीएसवाई कार्यक्रम की कमी दूर हो जाएगी। यह योजना 2011 में $ 5.1 बिलियन के बजट के साथ शुरू की गई थी और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा $ 1 बिलियन के क्रेडिट के साथ समर्थित है। 25 सितंबर 2015 को दीन दयाल अंत्योदय योजना द्वारा इस योजना को सफल बनाया गया।
4. **दीनदयाल अंत्योदय योजना:** दीन दयाल अंत्योदय योजना (डी.ए.वाई.) कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीबों की मदद करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह आजीविका की जगह लेता है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 2016 से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 201 people तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में, SHG संवर्धन, प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेता बाजार जैसी सेवाएं प्रदान करना है। और बेघर के लिए स्थायी आश्रय। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत दोनों का कौशल विकास है जो अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

2. सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना:

1. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बुजुर्गों, विधवाओं और अलग-अलग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ-साथ पेंशन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए पहल शुरू की गई हैं।

3. बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना:

1. एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि मातृ और बाल कुपोषण को व्यवस्थित तरीके से संबोधित किया जाए।
2. **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** जननी सुरक्षा योजना (JSY) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) में लागू हो रही है, जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों (lPS) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

JSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो डिलीवरी और डिलीवरी-पश्चात देखभाल के साथ नकद सहायता को एकीकृत करती है। योजना ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में पहचाना है। यह योजना उन गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है, जिनके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू-कश्मीर राज्यों की संस्थागत प्रसव दर कम है। जहां इन राज्यों को लो-परफॉर्मिंग स्टेट्स (lPS) नाम दिया गया है, वहीं बाकी राज्यों को हाई-परफॉर्मिंग स्टेट्स (HPS) नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: साक्षरता / शिक्षा सुधार से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की छतरी के नीचे रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन स्वयं चार छत्र योजनाओं से बना है:

- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - सर्व शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान (SSA): यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन का एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में समुदाय के अधीन गुणवत्ता शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। इसका उद्देश्य हर घर की उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके नामांकन दर में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर, लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करके और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करके माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. प्रधान मंत्री आवास योजना:

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को 1 जून 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया है। इसके दो घटक हैं: शहरी गरीबों और प्रधान मंत्री के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)। ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G और PMAY-R)। इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ परिवर्तित किया गया है, ताकि घरों में एक शौचालय, सौभय योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी और जन धन बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच आदि को सुनिश्चित किया जा सके। 28 दिसंबर 2019 तक 1.12 करोड़ की कुल मांग के खिलाफ कुल 1 करोड़ घर स्वीकृत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं यह हैं कि सरकार ऋण की शुरुआत से लाभार्थी को 20 वर्षों की अवधि के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 6.5% (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए), एमआईजी -1 के लिए 4% और आवास ऋण के लिए एमआईजी-II के लिए 3% की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण एक ऐसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जबकि पी.एम.ए.वाई. के तहत किसी भी आवासीय योजना में भूतल का आवंटन, प्राथमिकता अलग-अलग विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को दी जाएगी।

4.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों से महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। 2017 में, सरकार ने प्रधान मंत्री एल.पी.जी. पंचायत, पी.एम.यू.वाई. के लिए एक अनुवर्ती योजना शुरू की।

5.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।

6.स्वच्छ भारत मिशन: सरकार की एक प्रमुख पहल स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत मिशन) है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को शौचालय, अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गाँव की सफाई और सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की आपूर्ति सुविधाएं 2 अक्टूबर, 2019 तक प्रदान करना है।

7.प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई): पी.एम.जी.एस.वाई.-चरण I को दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, ताकि सभी मौसमों को असंबद्ध बस्ती तक पहुँचाया जा सके। राज्य सरकार के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

8.डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। भारत की सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, यह भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों, भारतमाला, सागरमाला जैसी अन्य प्रमुख सरकार की योजनाओं का प्रबोधक और लाभार्थी दोनों है।

9.दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है, जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

10.स्किल इंडिया: स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा 2022 तक भारत में विभिन्न कौशल में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। स्किल इंडिया की मुख्य विशेषता युवाओं को इस तरह से कौशल प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार प्राप्त करें और सभी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके उद्यमिता में सुधार करें। इस अभियान के तहत विभिन्न पहलें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.), कौशल ऋण योजना और ग्रामीण भारत कौशल हैं।

11.महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार: भारत सरकार ने 2014 में उन बच्चों को कवर करने के लिए मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की, जो बिना टिके के या आंशिक रूप से टीकाकृत हैं। मिशन का उद्देश्य दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना

12.पौष्टिक भोजन तक पहुंच: महिलाएँ खाद्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं, इसी कारणवश राशन कार्ड घर की वरिष्ठतम महिला सदस्य के नाम से जारी किया जाता है। देश भर में एक ऑनलाइन

शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रचालित की गई है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित आई.सी.डी.एस. जैसे अन्य कार्यक्रमों का उद्देश्य विशिष्ट जनसंख्या समूहों की पोषण सुरक्षा को संबोधित करना है।

13.आपदा के खिलाफ लचीलापन को बढ़ावा देना: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, आपदा प्रबंधन (2009) पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति है, जो सक्रिय रोकथाम और न्यूनीकरण दृष्टिकोण को एकीकृत करती है।.

14.प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY): प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए उच्च प्राथमिकता देने के लिए, भारत सरकार ने हर खेत को पानी 'सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए "प्रति बूंद अधिक फसल" केंद्रित तरीके से स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, दायर आवेदन और विस्तार गतिविधियों पर अंत से अंत समाधान करने की दृष्टि से प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना शुरू की।

15.सतत और अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अन्य मिशनों के सहयोग से सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन कृषि उत्पादकता के प्रभाव को कम करने और बनाए रखने की दिशा में प्रयास कर रहा है। NMSA के तहत, किसानों को फसलवार पोषक तत्व प्रबंधन सिफारिशें प्रदान करने और उन्हें मिट्टी की उर्वरता के साथ-साथ फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बीज की गुणवत्ता और विविधता का प्रबंधन भी स्थायी कृषि के पहलुओं में से एक है। इसके अलावा, एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, बाजारों और कीमतों तक बेहतर पहुंच, फसल विविधीकरण के लिए विशेष उपाय, बेहतर कृषि उत्पादकता, पानी में सुधार और कृषि-इनपुट संबंधी नीतियां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मॉडल अधिनियम के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा विकसित पट्टेदार के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से भी यह सुनिश्चित करते हुए कि जमींन स्वामी को भूमि के स्वामित्व को खोने का जोखिम ना हों।

अभ्यास प्रश्न 2:

निम्नलिखित को मिलाएं

	अ		**ब**
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	**(a)**	2014

2.	जननी सुरक्षा योजना	**(b)**	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3.	दीनदयाल अंत्योदय योजना	**(c)**	2005
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना	**(d)**	2011
5.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	**(e)**	आजीविका
6.	मिशन इन्द्रधनुष	**(f)**	2015

11.6 सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हम 7 साल में सभी इनपुट को दोगुना कर देंगे। स्थिरता मानव और प्राकृतिक वातावरण के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने का एक प्रयास है, जो अब और निश्चित भविष्य में है। स्थिरता मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और पर्यावरणीय पहलुओं, साथ ही साथ गैर-मानव पर्यावरण की निरंतरता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्यों को लक्ष्य के एक समूह में पर्यावरण और विकास को एक साथ लाने की आवश्यकता है। सतत विकास का उद्देश्य हमारी आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित करना है, जिससे अभी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की अनुमति मिलती है। यह प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। वैश्विक सम्मेलनों में कभी भी गरीबी रेखा, पर्यावरण और विकास के बीच अनुचित संतुलन है। हम एम.डी.जी. ढांचे को फिर से तैयार करने और ठीक-ठीक ट्यूनिंग के लिए एक अवसर के रूप में एस.डी.जी. और 2015 के बाद के एजेंडे को भी देख सकते हैं, और विकास के मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

11.7 पारिभाषिक शब्दावली

सतत विकास: सतत विकास मानव विकास के एक मॉडल को संदर्भित करता है, जिसमें संसाधन उपयोग पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, ताकि ये आवश्यकताएं न केवल वर्तमान में हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो।

आर्थिक विकास: आर्थिक विकास एक निम्न-आय (गरीब) अर्थव्यवस्था से उच्च-आय (समृद्ध) अर्थव्यवस्था वाले देशों के लोगों के जीवन स्तर का विकास है।

पर्यावरण स्थिरता: प्राकृतिक संसाधनों की कमी या गिरावट से बचने और दीर्घकालिक पर्यावरण गुणवत्ता की अनुमति देने के लिए पर्यावरण स्थिरता को पर्यावरण के साथ जिम्मेदार बातचीत के रूप में परिभाषित किया गया है।

सामाजिक विकास: सामाजिक विकास का तात्पर्य समाज द्वारा भोगी जाने वाली जीवन स्थितियों और जीवन स्तर में प्रगतिशील सुधार से है और इसके सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है।

स्थायी कृषि : स्थायी कृषि, खेती करने का एक तरीका है, जो कृषि उद्यम, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता सुरक्षा की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी का अनुकूलन करने का प्रयास करता है।

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न: 1

सही और गलत

1. **सही**
2. **गलत**
3. **सही**

अभ्यास प्रश्न: 2

निम्नलिखित को मिलाएं

1	2	3	4	5	6
d	C	e	F	b	a

11.9 संदर्भ / संदर्भ सूची

1. Harris, M.J. (2000), Basic Principles of Sustainable Development. pp-1.
2. Govind, S.; Tamilselvi, G. and Meenambigai, J. (2011). Extension Education and Rural Development. Agrobios (India).

11.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Abazi-Alili, H.; Abazi, C.B.; Chaushi, A. and Anastasievska-Tanevska, H. (2017). Identifying factors that influence sustainable development: the case of Macedonia. Socio-economic perspectives in the age of XXI century organization. Pp. 525-538
2. https://pmksy.gov.in/
3. http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html.

11.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्थायी विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? समुदाय के विकास में सतत विकास की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
2. स्थायी विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
3. सतत विकास के उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन करें?

इकाई 12: पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा एवं नीति आयोग

12.1 प्रस्तावना
12.2 उद्देश्य
12.3 पंचवर्षीय योजनाओं का अर्थ और महत्व
12.4 पंचवर्षीय की योजना में योजना आयोग की भूमिका
 12.4.1 योजना आयोग के कार्य
 12.4.2 योजना आयोग की संरचना
 12.4.3 पंचवर्षीय योजना तैयार करना
 12.4.4 पंचवर्षीय योजना की रिपोट
12.5 भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व उपलब्धियाँ
12.6 नीति आयोग
12.7 जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मे बाधाएं
12.8 समस्याओं को दूर करने के लिये सुझाव
12.9 सारांश
12.10 पारिभाषिक शब्दावली
12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
12.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची
12.12 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

इकाई 11 में आपने सतत विकास के बारे में जाना और सतत विकास से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं को समझा। अब पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियादी अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न योजनाएँ तैयार की गई हैं।

इस इकाई में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं जो भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार की गई हैं समाज मे किसी भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू 'योजना' है और इसका अर्थ है कि नीतियों में उद्देश्यों के अनुसार निरन्तर परिवर्तन करें। योजना आयोग के

अनुसार योजना पॉच साल की अवधि के सभी अभ्यासों के लिये नहीं है। इसके लिये मौजूदा या प्रारम्भिक रूझानों, तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन और नये कार्यक्रमों के समायोजन की आवश्यकता पर लगातार निगरानी आवश्यक है। भारत मे पंचवर्षीय योजनाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिये हमें पंचवर्षीय योजनाओं के अर्थ, महत्व, योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं मे भूमिका, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य् व उपलब्धियाँ व जीमीनी स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन मे आने वाली समस्याओं को जानना आवश्यक है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व का वर्णन करने में ।
- पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योजना आयोग की भूमिका का वर्णन करने में।
- पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों व उपलब्धियों को समझने में ।
- जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को सूचिबद्ध करने में।

12.3 पंचवर्षीय योजनाओं का अर्थ व महत्व

भारत मे पंचवर्षीय योजनायें, योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती हैं, स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात भारत सरकार ने 1950 में नियोजन आयोग नियुक्त किया और तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इन योजनाओं को देश की जरूरतों और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, विकास हेतु एक खाका तैयार करने के लिये विकसित किया गया। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रणाली विकसित की जिनके द्वारा नियमित रूप से इन योजनाओं का विकास कार्यान्वित व नियमित रूप से देखभाल की जाती है। प्रचलित स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, पंचवर्षीय योजनायें आवश्यक उद्देश्यों व प्राथमिता के साथ तैयार की जाती हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना मे इस अवधि के दौरान आने वाली बाधाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है और आवश्यक दिशात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है।

पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने से निम्न के मध्य विकास के कार्यों के पूर्ण होने में मदद मिलती है।

- केन्द्र व राज्य सरकार
- राज्य व स्थानीय प्राधिकरण

- रचनात्मक कार्यों में शामिल स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थायें
- प्रशासन व लोग
- लोगों व स्वंय के बीच

12.4 पंचवर्षीय योजनाओं के प्रवर्तन में योजना आयोग की भूमिका

12.4.1 योजना आयोग के कार्य

देश के संसाधनों के उचित उपयोग द्वारा लोगों के जीवन स्तर में तेजी से विकास, उत्पादन में सुधार व समुदाय के कल्याण हेतु सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

योजना आयोग के निम्न कार्य हैं:

1. देश के भैतिक, पूंजी व मानव संसाधनों का अनुमान लगाने के लिये।
2. देश के संसाधनों के प्रभावी व संतुलित उपयोग के लिये योजना तैयार करना।
3. योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक चरण के लिये संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना।
4. सरकार के लिये उन कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास में एक बाधा साबित होते हैं और वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना।
5. योजना के हर चरण में प्रगति का समय-समय पर मूलयांकन करना और उपायों का सुझाव भी देना।
6. आयोग द्वारा निर्दिष्ट विशेष मामलों पर समय समय पर केन्द्र व राज्य सरकार को सलाह देना।

12.4.2 योजना आयोग की संरचना

योजना आयोग की संगठनात्मक संरचना में निम्न शामिल हैं:

1. पूर्व पदेन अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष

3. सदस्य

पूर्व पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमन्त्री हैं, उपाध्यक्ष, आयुक्त द्वारा नामांकित व्यक्ति है जिनके पास कैबिनेट मंत्री पद है। कैबिनेट व्यक्तियों मे रक्षा मंत्री, संसाधन विकास मन्त्री (मानव संसाधन विकास, कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, रेलवे, वित्त, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, व विदेश मंत्री शामिल हैं) । सदस्यों व उपाध्यक्ष (उपसभापति) का कार्यकाल निश्चित नहीं है और सदस्यों के लिये कोई निश्चित योग्यता नहीं है। सदस्यों को स्वयं के विवेक द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और सदस्यों को सरकार की इच्छा अनुसार बदला जाता है।

12.4.3 पंचवर्षीय योजना तैयार करना

पाँच साल की योजना (पंचवर्षीय योजना) तैयार करना एक चरण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसके अन्तिम रूप तक पहुँचने के लिये विभिन्न चरणों के माध्यम से गुजरना हेाता है। योजना के कार्यन्वयन से लगभग दो से तीन साल पहले योजना के लक्ष्य व कार्यक्रमों पर चर्चा शुरू हो जाती है। योजना आयोग राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उपभोग, संसाधनों की उपलब्धता व भविष्य की योजना के लिये राष्ट्रीय निवेश व बचत के आंकड़े इकट्ठा करता है और उनके आबंटन के अनुसार सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म योजना तैयार करता है, इसके बाद ऑकडों के साथ ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) को भेजी जाती है और एनडीसी इसे किसी भी संशोधन के बिना या संसोधन के साथ फिर से योजना आयोग को भेजता है।

इसके आधार पर केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों से भी अपनी परियोजनाएं तैयार करने के लिये कहा जाता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विशेषज्ञों की राय से प्राप्त योजनाओं के आधार पर योजना आयोग एक येाजना का ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमे येाजना की सभी नीतियों और महत्वपूर्ण विवरणों को निर्धारित किया जाता है। चर्चा के लिये ड्राफ्ट का ज्ञापन केन्द्रीय कैबिनेट केा भेजा जाता है। मूल्यांकन के बाद केन्द्रीय कैबिनेट इसको सुझावों के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् को भेजता है। एनडीसी अपने सुझावों के साथ इसे फिर से योजना आयोग को भेजता है, योजना आयोग, योजना के उद्देश्यों और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करता है जिसमें ड्राफ्ट मेमोरंडम और कैबिनेट तथा एनडीसी द्वारा प्राप्त सुझावों को ध्यान मे रखा जाता है और यह रूपरेखा विभिन्न राज्य, सरकारों व केन्द्रीय मंत्रालयों को भेजी जाती है तथा एनडीसी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है। विशेषज्ञों के सुझावों व अन्य सुझावों के साथ यह प्रकाशित प्रारूप फिर से केन्द्रीय कैबिनेट और एनडीसी को भेजा जाता है। अनुमोदित प्रारूप को अन्तिम रूप देने के बाद उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस येाजना को लागू करती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् : यह एक गैर सांविधिक निकाय है जो आर्थिक नियोजन के लिये राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग के लिये गठित हैं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और योजना आयोग के सचिव एनडीसी के सचिव होते हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों, केन्द्रो के राज्यों के प्रशासकों व योजना आयोग के सभी सदस्यों को इस परिषद् के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय परिषद् के मुख्य कार्य हैं;

1. समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिये।

2. आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नितियों की जाँच करना।

3. राष्ट्रीय योजना मे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और लोगों के अधिकतम सहयोग को प्राप्त करने के लिये सुझाव देना।

4. योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करने और आपसी चर्चाओं के बाद इसको अन्तिम प्रारूप देना। उसके अनुसमर्थन के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जाता है।

12.4.4 पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट

पाँच साल की योजना (पंचवर्षीय योजना) की रिपोर्ट को तीन घटकों मे बाँटा गया है।

पहले घटक में एक विकसित अर्थव्यवस्था मे विकास, विकास का विश्लेषण व राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं। इसमें उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और योजना की तकनीक को रेखांकित किया जाता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे उपयोग में लाये जाने वाले संसाधनों की पहचान की जाती है। रिपोर्ट का यह पहला घटक पाँच साल की योजना के सारांश विवरण के साथ समाप्त होता है।

रिपोर्ट का दूसरा घटक प्रशासनिक पहलुओं और सार्वजनिक सहयोग से सम्बन्धित है और यदि कोई भी परिवर्तन या सुझाव आवश्यक होता है वह कार्यान्वित किया जाता है। इसमे जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रशासन, राज्य सरकार व अधिकारियों के विचार व कार्यवाही के लिये कई प्रस्ताव पेश किये जाते हैं। रिपोर्ट का यह भाग देश के विकास में सार्वजनिक सहयोग की समस्याओं पर विचार के साथ समाप्त होता है।

तीसरा घटक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्मिलित करना है जिसे तीन व्यापक भागों के अन्तर्गत परिभाषित किया जाता है। जैसे;

1. कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास
2. उद्योग व संचार

3. सामाजिक सेवाएं व रोजगार

विकास के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखा जाता है , जरूरतों व संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है और आयोग के स्वयं के प्रस्तावों को भी प्रस्तुत किया जाता है। योजना आयोग, नीतिगत विषयों जैसे भूमि व खाद्य समस्या, कृषि के लिये वित्त की उपलब्धता छोटे और बडे पैमाने पर उद्योगों के लिये कार्यक्रमों और संसाधनों के संरक्षण आदि के पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करता है। योजना आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि नीतियाँ, विभिन्न क्षेत्रों मे हमेशा एक निरन्तर प्रक्रिया हेाती हैं और उद्देश्यों व प्राथमिकताओं के भीतर तैयार की जाती है। नीति मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को एक दूसरे के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा।

अभ्यास प्रश्न 1

1. रिक्त स्थान को भरिये।
   i. योजना आयोग के पहले अध्यक्ष ----------------------------------थे।
   ii. योजना आयोग के पूर्व पदेन अध्यक्ष --------------------------------है।
   iii. योजना आयोग का गठन वर्ष --------------में किया गया।
   iv. पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी व विकास ---------------------के द्वारा किया जाता है।
   v. ------------------आर्थिक नियोजन के लिये राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का निर्माण करने के लिये एक गैर सांविधिक निकाय है।
2. योजना आयोग के कार्य बताइये?

12.5 भारत मे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व उपलब्धियाँ

भारत मे पंचवर्षीय योजनाओं के अर्थ व महत्व के बारे में समझने के बाद हमने योजना आयोग के कार्यों व संरचना के बारे में जाना (चर्चा की)। इसके साथ ही हमने पंचवर्षीय योजनायें तैयार करने की विधि व पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रिपोर्ट सामग्री के बारे में पढ़ा । अब हमें आजादी के बाद शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा ज्ञान हो गया है।

इस खण्ड में हम बारह पंचवर्षीय योजनाओं के बारे मे अध्ययन करेंगें और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य व उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। अब तक ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने मार्च, 2012 में अपना कार्यकाल पूरा किया और बाद में बारहवीं योजना अप्रैल, 2012 में शुरू हुई । एक से बारह तक की पंचवर्षीय योजनाएं निम्न हैं:

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

3. तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66), तीन वर्षीय योजनाएं (1966-69)

4. चतुर्थ वार्षिक योजनाएं (1969-74)

5. पॅाचवी पंचवर्षीय योजना (1974-1979)

6. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

7. सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-90)

8. ऑाठवी पंचवर्षीय योजना (1999-97)

9. नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

10. दसवीं पंचवर्षीय येाजना (2002-2007)

11. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2010-2017)

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना: (1951-56)

भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसम्बर 1951 का भारत की संसद को प्रस्तुत की गई थी। जब देश1947 में विभाजन के आघात से उबर रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के संकट में घिरा हुआ था तो देश की अर्थव्यवस्था को गीरबी के चक्र के बाहर लाने के लिये पहली योजना शुरू की गई थी। उस समय देश को तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं निम्नलिखित थी;

1. शरणार्थियों की बड़ी संख्या

2. गम्भीर भोजन की कमी

3. बढती मुद्रास्फीति

पहले पाँच साल की योजना का कुल बजट, सात व्यापक क्षेत्रों जैसे सिचॉई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन व संचार, औद्योगिकी क्षेत्र, सामाजिक सेवाओं, भूमि पुनर्वास और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं को आवंटित किया गया था।

उद्देश्य

1. दूसरे विश्व युद्ध और विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था के असंतुलन को ठीक करने के लिये।

2. शरणार्थियों का पुनर्वास व तेजी से कृषि विकास ताकि खाद्य पदार्थों पर निर्भरता कम हो जिससे कम समय में मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण हो और खाद्य पर्याप्ता प्राप्त हो।

3. संतुलित विकास जो एक बढती हुई राष्ट्रीय आय को सुनिश्चित कर सकता है और समय समय पर लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार कर सकता है।

4. इस येाजना ने सिचॉई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

5. राष्ट्रीय आय को 5-7 प्रतिशत दर से बढ़ाने के लिये।

उपलब्धियाँ

1. देश की राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में 11 प्रतिशत व प्रति व्यक्ति खपत में 9 प्रतिशत वृद्धि।

2. इस अवधि के दौरान भाखडा बॉध व हिराकुण्ड बॉध जैसी सिचॉई परियोजनाए शुरू हुई थी।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू0एच0ओ0) ने भारत सरकार के साथ मिल कर बच्चों के स्वास्थ्य को सम्बोधित किया और मृत्यु को कम किया।

4. 1956 में योजना के अन्त में, पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आई0आई0टी0 को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया।

5. देश मे उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिये वित पोषण व उपायों की देखभाल के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई।

6. पाँच इस्पात संयंत्रों को शुरू करने के लिये अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य मे अस्तित्व मे आया।

7. भारत सरकार ने पोस्ट व टेलीग्राफ, रेल सेवाओं, सड़क, पटरियों और नागरिक उड्डयन में सुधार के लिये काफी प्रयास किए।

8. कार्यक्रम समग्र रूप से काफी सफल रहा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

दूसरी योजना ने कृषि से उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। खासकर भारी उद्योग जिनसे अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। इस योजना में विकास की पद्धति बढाने की मांग की कई, जिससे भारत मे समाजवादी पद्धति की स्थापना हो सके। इसमें यह बल दिया गया कि वंजित वर्गों को योजनाबद्ध विकास के फायदे मिलने चाहिये। 1953 में सांख्यिकीविद प्रशांत चन्द्र महालनोबिस के नाम पर महालनोबिस मॉडल का नाम आर्थिक विकास का मॉडल रखा गया। इस योजना ने एक बन्द या

आन्तरिक अर्थव्यवस्था प्रापत की जिसमे व्यापारिक गतिविधियों व पूंजीगत वस्तुओं पर केन्द्रिकरण किया गया।

उद्देश्य

1. राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि

2. बुंनियादी और भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, नाइट्रोजन, उर्वरक, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योग सहित भारी रसायनों के विकास व तेजी से उद्योगीकरण पर बल दिया गया।

3. रोजगार के अवसरों का बडा विस्तार

4. आय और धन में असमानताओं की कमी और आर्थिक शक्ति का वितरण ।

उपलब्धियाँ

1. भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला मे पन बिजली ऊर्जा परियोजनाएं और इस्पात संयन्त्र स्थापित किये गये थे।
2. कोयला उत्पादन मे वृद्धि हुई थी।
3. देश के उत्तर पूर्वी भाग मे अधिक रेलवे शामिल की गई।
4. 1958 मे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था।
5. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना एक शोध संस्थान के रूप में की गई थी। संस्थान ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये खोज हेतु कई कार्यक्रम आयोजित किये।
6. 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि प्रतिभाशाली युग छात्रों को परमाणु ऊर्जा के काम में प्रशिक्षित किया जा सके।
7. प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना एक सामान्य सफलता थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

तीसरी योजना ने हरित क्रान्ति के कारण कृषि पर बल दिया और चावल के उत्पादन में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरह सुधार किया गया। लेकिन 1962 के चीन के साथ युद्ध व 1065 में पाकिस्तान के साथ के कारण अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई थी और भारत ने उत्पादों की गिरी कीमतों को देखा था इसलिये तीसरी योजना के दृष्टिकोण को रक्षा, मूल्य स्थिरता और विकास में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना को आत्मनिर्भर विकास के लिये महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के लिये प्रसारित किया गया।

उद्देश्य

1. प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से अधिक की राष्ट्रीय आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये।

2. अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये उद्योग व निर्यात की आवश्यकता को पूरा करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना व खाद्य पदार्थों के लिये इसरों पर निर्भरता खतम करना।

3. इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना।

4. देश के जनशक्ति संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करने और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करने के लिये बेरोजगारी की दर को न्यूनतम करना।

5. अवसरों की अधिक समानता स्थापित करना और आय व धन की असमानताओं में कमी लाने के लिये।

उपलब्धियाँ

1. बाँधों का निर्माण

2. सीमेन्ट व उर्वरक संयत्रों का निर्माण

3. पंचायत चुनाव, लोकतन्त्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास द्वारा शुरू हुए।

4. राज्य बिजली बोर्ड व राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गढन किया गया।

5. राज्य सडक परिवहन निगमों का गठन किया गया और सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया।

6. सकल घरेलू उत्पाद की सकल विकास दर 4.3 प्रतिशत थी।

तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)

भारत पाकिस्तान युद्ध जो दो साल तक चला, में सूखा व रूपये में कमी के कारण 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने लगा था। इसलिये चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बदले 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनायें तैयार की गई।

चौर्थी पंचवर्षीय योजना (1969-74)

चौथी पंचवर्षीय योजना को आर्थिक विकास के लिये एक प्रयास के रूप में तैयार किया गया। यह योजना मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता की स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास पर जोर देती है। 1962 और 1965 में भारत पर हमलों के कारण भारत को अपने व्यय कार्यक्रम को सुधारकर पुनर्गठित करना पड़ा। भारत सूखा व मंदी के कारण तबाह हो गया था। इस योजना के दौरान, भारत ने दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया बल्कि संकट से उबरने के तरीके बताए।

उद्देश्य

1. कृषि उत्पादन मे उतार चढाव और साथ ही विदेशी सहायता की अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करके विकास दर बढाने के लिये योजना।

2. जीवन स्तर को बढाने के लिये समानता व सामाजिक न्याय को बढावा।

3. रोजगार व शिक्षा के परिवीक्षण के मध्यम से, कम विशेषधिकारित व कमजोर वर्गों की परिस्थितियों में सुधार पर विशेष बल।

4. समानता को बढ़ावा देने के लिये धन, आय व आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने के प्रयास।

उपलब्धियाँ

1. सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

2. हरित क्रान्ति कृषि की प्रगति

3. 1974 में भारत ने ‘स्माइलिंग बुधा’ परीक्षण किया

4. अनाज उत्पादन में वृद्धि।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना उस समय तैयार की गई थी जब देश गंभीर मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों में वृद्धि व गेहूं में थोक व्यापार पर सरकार के नियन्त्रण के कारण देश बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसमें रोजगार, गरीबी उनमूलन व न्याय पर जोर दिया गया।

उद्देश्य

1. गरीबी उनमूलन

2. आय के बेहतर वितरण व बचत की घरेलू दर द्वारा उच्च निर्भरता का विकास व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

3. द्रास्फीति नियन्त्रण व आर्थिक स्थिति में स्थिरता प्राप्त करने के लिये।

उपलब्धियाँ

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में तैयार किया गया जिससे केन्द्रीय सरकार को बिजली उत्पादन व ट्रांसमिशन में प्रवेश करने में मदद की।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

a) पहली पंचवर्षीय योजना ------------अवधि के लिये थी।

b) भाखडा बॉध ----------- के दौरान शुरू किया।

c) ----------महालनोबिस मॉडल का पालन करने वाली -----------पंचवर्षीय योजना थी।

d) -----------के बीच तीन वार्षिक येाजना तैयार की गई थी।

e) सरकार ने --------के दौरान भारती बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया।

प्रश्न 2. निम्न में सत्य या असत्य लिखिए।

a) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली आपूर्ति अधिनियम बनाया गया था।

b) ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2008 मे शुरू हुई ।

c) दूसरी पंचवर्षीय योजना तेजी से कृषि विकास पर केन्द्रित थी।

d) पंचवर्षीय चुनाव, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए ।

e) द्वितीय विश्व युद्ध और देश के विभाजन की वजह से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी के नेृतत्व में इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजी से औद्योगिक विकास विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में था। नेहरूवादी मॉडल का उलट होने के कारण इसे जनता सरकार की योजना भी कहा गया।

उद्देश्य

1. इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना व औद्योगिक विकास था।

2. कृषि व उद्योग दोनों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना।

3. व्यवस्थित दृष्टिकोण दक्षता, सभी क्षेत्रों में गहन निगरानी, स्थानीय स्तर पर विकास की विशिष्ट योजनायें तैयार करने में लोगों की भागीदारी व उनके त्वरित व प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए अन्तर सम्बन्धी समस्याओं को संभालने पर जोर दिया गया।

उपलब्धियाँ

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को पहली बार शुरू किया गया था और भारत में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिये कई सड़कों को चौड़ा कर दिया गया था।
- पर्यटन का विस्तार।
- आर्थिक उदारीकरण की शरूवात।
- मूल्य नियन्त्रण का सफाया हुआ और राशन की दुकानों को बन्द कर दिया था।

- जनसंख्या रोकने के लिये परिवार नियोजन विस्तारित हुआ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 1977-78 में 48.3 प्रतिशत से घटकर 1984-85 में 36.90 प्रतिशत हो गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

छठी योजना के दौरान देश में आर्थिक विकास की उचित दर का फायदा लेने के बाद सांतवीं योजना को पेश किया गया जहाँ कृषि में स्थिर वृद्धि हुई थी। भुगतानों के अनुकूल मुद्रास्फीति की दर के संतुलन पर नियन्त्रण हुआ।

इस योजना का एक मजबूत आधार था जिस पर भारत की आर्थिक स्थिति का सुधार व औद्योगिक विकास की अधिरचना का निर्माण हुआ। इस येाजना ने देश में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लाने की कोशिश की।

उद्देश्य

1. आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यानों का उत्पादन व विभिन्न नितियों और कार्यक्रमों के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

2. योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न थे:

- समाजिक न्याय
- कमजोर लोगों के उत्पीड़न को दूर करना।
- आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना।
- कृषि विकास
- गरीब विरोधी कार्यक्रम
- भोजन, कपड़े व आय की पूर्ण आपूर्ति
- भारत को एक स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था बनाना
- छोटे व बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि

उपलब्धियाँ

- बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिये जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम को शुरू किया गया।

- सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को 5.8 प्रतिशत की औसत दर से लक्षित वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी ।
- इस समायोजना के दौरान अनाज का उत्पादन 3.23 प्रतिशत बढ़ गया जबकि 1967- 68 और 1988-89 के बीच तुलना में 2.68 प्रतिशत की दीर्घकालीन वृद्धि हुई।

वार्षिक योजनायें (1990-92)

केन्द्र में तेजी से बदलते राजनैतिक हालात के कारण ऑठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) को आगे नहीं बढाया जा सका। नई सरकार ने 1991 में सत्ता संभाली थीं और यह तय किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 और 19909-91 और 1999 में शुरू हो जायेगी जिसे अलग अलग वार्षिक योजनाओं के रूप में माना जायेगा। इन वार्षिक योजनाओं का बुनियादी और अधिकतम जोर रोजगार व सामाजिक परिवर्तन पर था। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भण्डार में संकट का सामना करना पड़ा और केवल 1 अरब डालर (यूएस) के साथ रह गया । यह अवधि भारत में निजीकरण व उदारीकरण की शुरूआत थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-87)

आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऐसे समय में शुरू हुई जब देश संकट, बढ़ते कर्ज, बजट घाटे, बढ़ती मुद्रास्फीति और उद्योग में मंदी के कारण एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था।

उद्देश्य

- जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करना।
- गरीबी में कमी।
- रोजगार के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिये रोजगार का सृजन।
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और 15-35 वर्षो के आयु वर्ग के लोगों के बीच निरक्षरता पूर्ण रूप से दूर करना।
- सम्पूर्ण जनसंख्या को प्रतिरक्षण सहित सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान।
- खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने व निर्यात के लिये विशेष अधिशेष बनाने हेतु विकास व विविधीकरण।
- एक स्थायी आधार पर विकास प्रक्रिया को समर्थन देने के लिये आधारभूत संरचना (परिवहन, सिंचाई, सगर) और संस्थागत निर्माण को मजबूत बनाना।

उपलब्धियाँ

- उद्योगों का आधुनिकीकरण।
- बजट व विदेशी कर्त को सुधारने के लिय अर्थव्यवस्था का तेजी व निश्चित रूप से बढ़ना।
- इस येाजना का आथ्रिक प्रदर्शन उत्साहजनक रहा और देश ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया।
- इस अवधि के दौरान ,भारत जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्य बन गया।
- प्रतिशत की लक्ष्य के हिसाब से 6.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की गई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

भारत की आजादी के 50 वें वर्ष में नौवीं पंचवर्षीय येाजना शुरू की गई थी। देश में मौजूद आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिये नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी।

उद्देश्य

- पर्याप्त उत्पाद, रोजगार व गरीबी उन्मूलन के लिये कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
- तीव्र गति से औद्योगिकीकरण।
- कीमतों को स्थिर करके अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाने के लिये।
- स्थानीय संसाधनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए।
- सभी के लिये भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये।
- सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, परिवाहन व आश्रय की बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिये।
- जनसंख्या वृद्धि में बढ़त की जाँच के लिये।
- सामाजिक मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए कुछ लाभकारी व संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित करना।
- निजी वित्तीय निवेश को बढ़ाने के लिये एक स्वतंत्र बाजार बनाना।

उपलब्धियाँ

विकास दर केवल 5.35 प्रतिशत थी जो लक्षित 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि से कम थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

दसवीं पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य हेतु तैयार किया गया।

उद्देश्य

- 2007 तक 26 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक गरीबी अनुपात में कमी।
- श्रम शक्ति के साथ साथ लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना।
- 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला देना व 2007 तक पाँच साल की पढ़ाई पूर्ण कराना ।
- 50 प्रतिशत तक साक्षरता व छवि दर में लिंग अन्तर को कम करना।
- 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.3 प्रतिषत से घटाकर 16.2 प्रतिशत करना।
- साक्षरता दर 1999-2000 में 65 प्रतिशत से बढाकर 2007 में 75 प्रतिशत करना।
- शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर0) को घटाना। 2007 तक 45 से 1000 जीवित जन्म व 2012 तक 28 तक जन्म दर करना।
- मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0) मे कमी, 2007 तक प्रति 1000 जीवित जन्म व 2012 तक 1 में कमी।
- जंगलों व पेड़ों के क्षेत्र में 2007 तक 25 प्रतिशत और 2012 में 33 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी।
- सभी गॉवों में पीने योग्य पानी प्रदान करना।
- 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों व अन्य अधिसूचित हिस्सों की सफाई।

उपलब्धियाँ

- निष्क्रियता के एक लम्बे चरण के बाद निजी क्षेत्र के निवेश को पुनर्जीवित किया गया।
- इस योजना ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विकास को एक अनुकूल माहौल दिया।
- औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन मे सुधार हुआ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

ग्यारहवीं योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी।

1. आय और गरीबी

- 12 वीं योजना की दिशा में जीडीपी व विकास दर में 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक तेजी लाने के लिये और 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय मे 10 प्रतिशत की वृद्धि ।
- लाभों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिये कृषि जी0डी0पी0 विकास दर को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- 70 मिलियन नये काम के नये अवसर बनाना।
- शिक्षित बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से कम करना।
- अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर 20 प्रतिशत तक बढ़ाना ।
- उपभोग गरीबी का 10 प्रतिशत अंक के मुकाबले अनुपात मे कमी लाना ।

2. शिक्षा

- प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2003-04 से 52.2 प्रतिशत से 2011-12 के बीच 20 प्रतिशत तक कम करना।
- प्राथमिक स्कूल की गुणवत्ता में शैक्षिक प्राप्ति के न्यूनतम मानकों का विकास करना।
- 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये 85 प्रतिशत से साक्षरता दर बढ़ाना।
- साक्षरता में 10 प्रतिशत अंकों से लिंग अन्तर कम करना।
- 11 वीं योजना के अन्त तक उच्च शिक्षा में जाने वाले प्रत्येक काउंसिल का प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना।

3. स्वास्थ्य

- शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1000 में1 अंक कम करना।
- कुल प्रजनन दर .1 को कम करना।
- 2009 तक सभी के लिये स्वच्छ पेयजल प्रदान करना और सुनिश्चित करना कि 11 वीं योजना के अंत तक कोई कमी ना रहे।
- 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच वर्तमान स्तर का कुपोषण कम करना।
- 11 वीं योजना के अन्त तक महिलाओं व लडकियों के बीच एनीमिया को 50 प्रतिशत तक कम करना।

4. महिला और बच्चे

- 2011-12 तक 0-6 से आयु वर्ग का लिंग अनुपात 935 व 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना ।

- सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ 33 प्रतिशत महिलाओं , लडकियों व बच्चों का हो।
- सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे काम करने के लिये मजबूरी के बिना सुरक्षित बचपन का आनन्द लें।

5. आधारभूत संरचना

- योजना के अन्त तक सभी गाँवों व बी0पी0एल0 परिवारें के लिये बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करना व योजना के अन्त तक 24 घण्टे की बिजली उपलब्ध कराना।
- 2009 तक 1000 और उससे अधिक जनसंख्या (500 पहाडी और जनजाती या क्षेत्रों में) वाले क्षेत्रों व सभी बस्तियों में सड़क कनेक्शन सुनिश्चित करना व 2015 तक सभी महत्वपूर्ण आवासों का कवरेज सुनिश्चित करना।
- हर गाँव को 2007 तक टेलीफोन द्यारा सम्बन्धित करना व 2012 तक सभी गॉवों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- 2012 तक सभी के लिये घरों का स्थान प्रदान करना व सभी गरीबों के लिये 2016-17 तक घर निर्माण की गति बढ़ाना।

6. पर्यावरण

- जंगल व पेड़ को 5 प्रतिशत अंक तक बढाना।
- 2011-12 तक सभी प्रमुख क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता, डब्लू0एच0ओ0 के मानकों के तहत प्राप्त करना।
- वर्षा के जल को साफ़ रखने के लिये 2011-12 तक समस्त शहरी अपशिप्ट जल का उचित प्रबंधन करना।
- 2016-17 तक ऊर्जा दक्षता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना।

उपलब्धियाँ

- राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय का विकास ।
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ।
- शिक्षा प्रणाली का विकास।
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास।
- अनाज व कच्चे माल में आत्मनिर्भरता के लिये कृषि का विकास।
- सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में अच्छा औद्योगिकरण

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a) जनता सरकार योजना को ---------के रूप में भी जाना जाता है।
b) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि --------थी।
c) जवाहर रोजगार योजना ---------में शुरू हुई।
d) भारत , विश्व व्यापार संगठन का सदस्य --------में बना।
e) भारत की आजादी के 50 वें वर्ष मे शुरू की गई पंचवर्षीय योजना -------है।
f) ---------पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण हो चकी है।

12.6 नीति आयोग

नीति आयोग का पूरा नाम 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (National Institute for Transforming India – NITI) आयोग है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति-निर्माण "थिंक टैंक" है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। 1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन करने से पहले अनेक विशेषज्ञों, समस्त राज्य सरकारों, अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों अन्य हित धारकों के साथ से व्यापक विचार विमर्श किया गया था और उसके बाद नीति आयोग को गठित करने का फैसला लिया गया था। वर्ष 2015 में गठित किए गए नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को और अधिक मजबूत करने का कार्य सौंपा गया था। इसके साथ साथ नीति आयोग को मुख्यतः इस उद्देश्य के साथ भी गठित किया गया था कि वह देश में 'न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन' को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। प्रचलित रूप में इस व्यवस्था को 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत' (Principle of Minimum Government, Maximum Governance) के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

नीति आयोग के उद्देश्य

सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना: यह राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय विकास एजेंडा बनाना: यह राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करता है और लंबी अवधि की नीतियों और पहलों का प्रस्ताव करता है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना: यह देश में SDGs को अपनाने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है।

ग्राम-स्तरीय योजनाओं का विकास: यह ग्राम-स्तरीय विकास योजनाओं के निर्माण के लिए तंत्र विकसित करता है और उन्हें एकीकृत करता है।

ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनना: यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, थिंक टैंकों और संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है, और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान करता है।

समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देना: यह समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देता है जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं।

प्रगतिशील एजेंडे को पूरा करना: यह अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी जांच और मूल्यांकन करता है।

इसके अतिरिक्त नीति आयोग के निम्न कार्य है:

- राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य एक मबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना।

- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत् और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना।

नीति आयोग एवं योजना आयोग में अंतर

नीति आयोग	**योजना आयोग**
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं।	राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

नीति आयोग के सात स्तंभ:

नीति आयोग के सात स्तंभ हैं: जन-हितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता और पारदर्शिता। ये स्तंभ नीति आयोग के शासन और विकास के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं।

- **जन-हितैषी (Pro-people):** यह सुनिश्चित करना कि नीतियाँ व्यक्ति और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करें।
- **सक्रियता (Pro-active):** नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रियता दिखाना।
- **भागीदारी (Participation):** नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना।
- **सशक्तिकरण (Empowerment):** महिलाओं को हर पहलू में सशक्त बनाना।
- **सभी का समावेश (Inclusion):** समाज के सभी वर्गों को शामिल करना।
- **समानता (Equality):** सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से युवाओं के लिए।
- **पारदर्शिता (Transparency):** प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना।

12.7 जमीनी स्तर पर विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली परेशानियाँ

कार्यक्रमों की योजना बनाने के पश्चात तत्काल कदम गाँव में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन है। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न परियोजनाओं के पास ग्राम स्तर पर इसके समुचित कार्यान्वयन के लिये एक अच्छा प्रबन्धन व नियन्त्रण होना आवश्यक है।

एक कार्यक्रम आमतौर पर अच्छी तरह से परिभाषित परियोजनाओं की एक श्रंखला के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।मूल स्तर गाँव के स्तर को सन्दर्भित करता है जो कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरू करने के लिये बुनियादी प्राथमिक स्तर है। एक कार्यक्रम को गाँव के स्तर पर सुचारू ढंग से निष्पादित करना आसान नहीं है। कार्यक्रम के निष्पादन में वित्त, सांस्कृतिक व पारम्परिक मानदंडों, कृषि

कार्यक्रमों के महत्व, अनुचित विपणन की समस्या, भण्डारण की समस्या, आदानों की अपर्याप्त आपूर्ति, योग्य योजनाओं की कमी व कई अन्य समस्यायें आती है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता व असफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं निम्न हैं;

- गाँव के गुट
- संगठनात्मक व प्रबन्धकीय
- आपातकालीन
- निजी
- प्रशासनिक प्रतिबन्ध
- प्रसार
- तकनीकी कारण
- व्यवसायिक

हम निम्नलिखि खण्ड में इन बाधाओं के बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगें।

1. **गाँव के गुट :** सरल शब्दों में 'गुटों' में असहमति व सहमति का मतलब एक स्थिति का उल्लेख है जिसमे गाँव के कुछ लोगों के मध्य सामाजिक, घरेलू, धार्मिक, जाति व अन्य कई कारणों के कारण विभिन्न पहलुओं में असहमति हो सकती हैं। गाँव में मौजूद गुटों को हटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि यदि प्रसार कार्यकर्ता उन्हें भंग करने की कोशिश करते हैं तो इससे अधिक कठिन परिस्थितियाँ होती है और ग्रामीणों को बेहतर अभ्यासों को स्वीकारना बहुत कठिन हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि ग्राम सेवक गाँवों के अस्तित्व को एक गाँव में स्वीकार कता है और दोनों पक्षों के सदस्यों को परियोजनाओं को लागू करने व उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे मदद करता है तो इसमें दोनों गुटों की प्रतियोगी भावना का उपयोग हेाता है और इस तरह से कार्यक्रम कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह तथ्य अगर ठीक से महसूस नहीं किया जाता है तो गाँव स्तर पर ग्राम सेवकों को, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल देने की बजाय गुटों को खत्म करने के प्रयास में नई कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

2. **आयात स्थिति:** कभी कभी भले ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत अच्छा प्रयास किया गया हो फिर भी कार्यक्रम सफल नही होता है इसका कारण आपदा स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदाऐं भी हो सकती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों मे इनके होने के कारण को जानना गाँव के नेताओं के साथ साथ प्रसार कार्यकताओं की जिम्मेदारी भी बन जाती है। इसके अलावा प्रसार

कार्यकताओं को गाँव के नेताओं को प्रेरित करने के साथ साथ आने वाली आकस्मिक स्थिति के लिये वैकल्पिक समाधान व योजना तैयार करनी होगी। ग्रामीणों की पूरी तरह स्थिति को समझने में मदद करने के बाद आकस्मिक स्थितियों को रोकने के लिये उपयुक्त कार्य योजना बनानी चाहिये।

3. प्रशासनिक प्रतिबन्ध : कार्यक्रम कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों हेतु प्रशासनिक प्रतिबन्धों व अनुमोदनों को प्राप्त करना बहुत महतवपूर्ण है इसके बिना परियोजनाओं में विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्य की अच्छी योजनाओं के बावजूद, व्यक्तिगत सदस्यों की भूमिका स्पष्ट रूप से बनाई जाती है। कभी कभी प्रशासकीय प्रतिबन्धों में देरी की वजह से आवश्यक मन्जूरी नहीं मिलती या देर होती है। प्रसार कार्यकर्ताओं को स्वयं ऐसी घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने की कोशिश करनी चाहिये और ग्रामीणों को समझाना चाहिए। साथ ही एक ही समय में ग्रामीणों के साथ कुछ विकल्पों की योजना बनाई जानी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ चलता रहे।

4. तकनीकी कारक : कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित योजना व ग्रामीण परियोजनाएं विभिन्न रूपों की हो सकती हैं। तकनीकी दृष्टि से इन गतिविधियों या परियोजनाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: सिंचाई और संरक्षण, ऊर्जा बचत, आय उत्पादन आदि के रूप में फसल उत्पादन, पशुधन, अपशिष्ट भूमि विकास, कृषि मशीनरी, गृह विज्ञान परियोजनाएं आदि। इसलिये परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिये इसमे प्राकृतिक व तकनीकी कारकों का शामिल होना बहुत जरूरी है जिससे वांछित परिणामों हेतु व कार्यक्रम निष्पादन में बाधा ना आए। इसके अलावा एक परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल महत्वपूर्ण तकनीकी कारकों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों मे विशेषज्ञता तथा अच्छे तकनीकी कर्मचारी आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये ऐसे कार्यक्रमों जहाँ महिलाओं व घरेलू पहलुओं से सम्बन्धित गतिविधियाँ होती है वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका गृह विज्ञान वैज्ञानिक द्वारा निभाई जाती है, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है। वह संरक्षण, नेकिंग, परिधान व निर्माण , आय बनाने की तकनीकों व अन्य घरेलू विज्ञान (गृह विज्ञान) का वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान देने में काफी सहायक होगी। फसलोपरांत तकनीकों, प्रसंस्करण, भण्डारण व विपणन सुविधाओं की जाँच करने में तकनीकी विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह वे लोग होते हैं जो शुरूआत में ही कमियेां की पहचान कर उन्हें ठीक करते हैं। संक्षेप में, कार्यक्रम निष्पादन में किसी भी बाधा से बचने के लिये तकनीकी कारकों का ध्यान रखना चाहिये और संशोधन कराना चाहिये।

5. आर्थिक व वित्तीय कारक : सफल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे कार्यक्रम के लाभ को उसके विभिन्न प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अलावा समाज पर परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दुष्प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। आर्थिक कारक पूरे समाज के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है जबकि वित्तीय विश्लेषण व्यक्ति

प्रतिभागियें के दृष्टिकोण को लेता है। वित्तीय कारक खाते में सफल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये निवेश, क्रेडिट, सब्सिडी और अन्य प्रात्साहनों की आवश्यकता को ध्यान में रखता है जबकि आर्थिक कारक, लागत, मजदूरी में परिवर्तन व अन्य निविष्टियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना है।

6. वाणिज्यिक कारण : कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा रखने वाले वाणिज्यिक कारकों मे परियोजना संचलित करने के लिये आवश्यक इनपुट और क्रेडिट की आपूर्ति के लिये की गई व्यवस्था शामिल है। यदि कार्यक्रम के कामकाज के लिये जरूरी इनपुट व क्रेडिट की आपूर्ति समय पर उपलबध होती है तो यह सुचारू रूप से कार्य करता है अन्यथा यह कार्यक्रम निष्पादन मे एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों को नई तकनीकों को अपनाने के लिये उर्वरक, बीज, कीटनाशक, उपकरण, कृषि मशीनरी, पशु आहार आदि मिलते हैं और वस्तुओं की खरीद के लिए किसानों को क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं या नहीं। उपर्युक्त बाधाओं से बचने के लिये, गाँव स्तर पर संगठनों, राज्यों व केन्द्र सरकारों को इस तरह की प्रसार गतिविधियों के संचालन के लिये अपने क्षेत्रों में सुविधाओं के लिये सम्पर्क कर सकते हैं।

7. सामाजिक -सांस्कृतिक कारण : एक परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में लोगों की आर्थिक सहायता गाँव के पैसे की हेर फेर और गाँव के लोगों को समझने में असमर्थता शामिल है। एक गाँव के कार्यक्रम के प्रतिभागियों में जाति व धर्म, सामाजिक रीतिरिवाजों, परम्पराओं, परियोजना से उत्पन्न स्थानीय रोजगार, परियोजना के गा्रहकों और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव के बीच परियोजना के लाभों का वितरण। इसलिये ग्राहकों के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक कारकों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण कार्यक्रम विफल होते हैं।

8. संगठनात्मक और प्रबन्धकीय कारक : प्रबन्धकीय कारक जैसे कृषि, सहयोग की कमी और परिचालन लागतों को पूरा करने के लिये धन की कमी कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उपलबध कर्मचारियों की क्षमताओं की जॉच की जानी चाहिये कि क्या वे कार्यक्रम में बडे पैमाने पर गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। अगर इस तरह के प्रबन्धकीय कौशल लोगों के बीच हो तो कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्राबधान किया जा सकता है जिससे की कार्यक्रम लागू किया जा सके अन्यथा यह भी एक विफलता है। इसके अलावा प्रसार कार्यकर्ता को किसानों को नये कौशल सीखने में मदद करनी चाहिये।

कुछ संगठनात्मक बाधाओं में व्यवहार्य योजनाओं की कमी, सरकार के साथ गलत समन्वय, अपनाने वाली जटिल प्रक्रियायें, टीम के काम की कभी और लाभार्थियों के चयन में राजनीतिक नेताओं के प्रभाव हैं। अगर ग्रामीण और आजादी के लिये आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्रिय व राज्य सरकारें जटिल नीतियों का समाधान करती हैं तो इन बॉधाओं को कम किया जा सकता है।

9. व्यक्तिगत कारक: कार्यक्रम के कार्यान्वियन में असफलता के लिये जिम्मेदार व्यक्तिगत कारणों में से कुछ मौजूदा भारतीय गॉवों के पारम्परिक व सांस्कृतिक मापदण्डों में शामिल हैं इसके साथ ही घरेलू और खेत मे काम करने वाले मजदूरों की भूमिका, जिम्मेदारियॉ, जोखिम, निरक्षता व अनिच्छा आदि शामिल है।

10. प्रसार बाधाएं: इसमें आवश्यकताओं के मुकाबले कम आपूर्ति, कार्यक्रम के सांचालन के दौरान अपर्याप्त समर्थन सुविधाओं और सेवा चलते हुवे कार्यक्रम की अनुवर्ती गतिविधियों में कमी व आवश्यकत क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी शामिल हैं। ये बाधाएं अनुचित व अपर्याप्त सरकारी नीतियों, सीमित समन्वित सेवाओं, अपर्याप्त मूल्यांकन और भर्ती नीतियों के कारण हो सकती हैं।

11. अन्य कारक: उपर्युक्त विशिष्ट (महत्वपूर्ण) कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक होते हैं जो काय्रक्रम क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं इसमें निम्न कारक आते हैं:

- गतिबद्धता का अभाव
- सार्थक उद्देश्यें व लक्ष्यों का अभाव
- रणनीतियों को किसित और कार्यान्वित करने में विफलता
- अनुभव पर अत्यधिक निर्भरता
- सीमित कारकों को पहचान करने में विफलता
- संगठनात्मक समर्थन का अभाव
    1. परिवर्तन का विरोध
    2. अन्य लोगों द्वारा हेरफेर
    3. हतोत्साहित होना
    4. समय की कमी
    5. अतीत की असफल परियोजनाओं के कारण विश्वास और विश्वास की कमी।
    6. ज्ञान व शिक्षा का अभाव
    7. भाषा समस्या
    8. मौसमी परिवर्तन
    9. उचित शिक्षण विधियों का अभाव

12.8 समस्याओं को दूर करने के लिये सुझाव

जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समस्याओं को दूर करने के लिये सुझाव निम्नवत हैं;

1. ग्रामीण स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. अधिक प्रशिक्षण व प्रदर्शन का आयोजन।
3. क्रेडिट राशि को बढाना।
4. समय समय पर इनपुट उपलब्धता के बारे में जानकारी देना।
5. प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन
6. विपणन व भण्डारण सुविधाओं का प्रावधान
7. समय पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना ।
8. राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव
9. प्रसार क्षेत्र के कर्मचारियों की अधिक भर्ती
10. तकनीक जटिल नहीं सरल होनी चाहिये ताकि इसे आसानी से अपनाया जा सके।
11. विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
12. विश्वविद्यालय, सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, निजी एजेन्सियों और अन्य आपूर्ति एजेंसियों व संगठनों के बीच उचित समन्वय व अच्छे सम्बन्ध ।
13. ग्रामीण लोगों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा का प्रावधान।
14. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में इस्तेमाल किये जाने वाले पारम्परिक व इलेक्ट्रानिक तरीकों का संयोजन युवा से लेकर वृद्धजनों तक को आकर्षित करने मे मदद करता है।
15. सूचना केन्द्र गाँव स्तर पर खोला जा सकता है जहाँ इण्टरनेट व अन्य आवश्यक सुविधाओं को स्थापित किया जा सकता है ताकि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन मे व्यवहारिक उपयोग के हो।
16. समस्या को शीध्रता से सुधारने के लिये ग्राम स्तर पर खेत क्लीनीकों व सेवा केन्द्रों की स्थापना।

12.9 सारांश

इस इकाई में हमने मुख्य रूप से भारत में पंचवर्षीय योजना के महत्व पर बल दिया है। आपने देखा कि पंचवर्षीय योजना बनाने में योजना आयोग की अहम भूमिका होती है जो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यों व संरचना पर केन्द्रित है। आयोग बताता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अन्तिम रिपोर्ट मे कौन से घटक शामिल हैं। इससे आपको यह समझने में सहायता मिली कि पंचवर्षीय योजनायें कैसे बनाई जाती है और आखिर मे उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। इस इकाई में आपने आजादी के बाद

भारत की अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे मे जाना। उनके लक्ष्य व उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की तथा प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं मे विभिन्न विकास कार्यक्रम जो ग्रामीण स्तर पर लागू किये जा रहे हैं उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं (समस्याओं) के बारे में चर्चा की।

12.10 पारिभाषिक शब्दावली

दलबन्दी : असहमति व असामंजस्य की स्थिति

पंचवर्षीय योजनाएं : योजना आयोग द्वारा देश की जरूरतों व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास का एक खाका लागू करना।

जमीनी सतर : ग्रामीण स्तर

राष्ट्रीय विकास परिषद् : यह एक गैर सांविधिक निकाय है जो आर्थिक नियोजन के लिये राज्यों व योजना आयोग के बीच सहयोग के लिये गठित है।

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न1.

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(1) पण्डित जवाहर लाल नेहरू (2) प्रधानमन्त्री (3) 1950 (4) योजना आयोग (5) राष्ट्रीय विकास परिषद्

प्रश्न 2. बिंदु 12.4.1 देखें।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।
a) 1951-1956
b) प्रथम पंचवर्षीय योजना
c) द्वितीय पंचवर्षीय येाजना
d) 1966-69
e) चौथी पंचवर्षीय येाजना

प्रश्न 2. सत्य या असत्य बताइये।
a) सत्य

b) असत्य
c) असत्य
d) सत्य
e) सत्य

अभ्यास प्रश्न - 3

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a) छठी पंचवर्षीय योजना
b) 1985-1990
c) सातवीं पंचवर्षीय योजना
d) 1992
e) नौवीं पंचवर्षीय येाजना
f) ग्यारहवीं

12.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अन्नामलाई, आर एवं अन्य (1994), ग्रामीण विकास और प्रसार काग्रक्रम योजना, पलनीआप्पा प्रिंटर
2. धामा, ओ0 पी0 व भटनागर, ओपी (1987) , शिक्षा व विकास के लिये संचार। आक्सफोर्ड व आई0बी0एच प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. प्रसार निदेशालय (1961), समाज विकास में प्रसार शिक्षा, खाद्य व कृषि मंत्रालय, , भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मिश्रा, एस0के0पुरी, वीके0 2008 भारतीय अर्थव्यवस्था इसके विकास का अनुभव, हिमालय पब्लिशिंग हाउस 26 वाँ संस्करण।
5. प्रतियोगिता दर्पण (2008)
6. रे0जी0एल0 (2001), प्रसार संचार व प्रबंधन, नदा प्रकाशन कलकत्ता (चौथा संस्करण)।
7. रूडर दत्त व सुधाम के0पी0एम0 (2001) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चांद और कम्पनी लिमिटेड, पीजी, 252-255, 59वें संस्करण ।

12.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. पंचवर्षीय योजनाओं के प्रवर्तन में योजना आयोग की भूमिका को समझाइये। निति आयोग एवं योजना आयोग में अंतर बताइये।

2. भारत मे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व उपलब्धियाँ बताइये।

3. नीति आयोग के बारे में लिखिए।

4. जमीनी स्तर पर विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली परेशानियाँ बताइए।